खण्ड-354, अंक-5
मंगलवार, 20 माघ, शक संवत् 1903
(9 फरवरी, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 354 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1983

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	..	687-690
प्रश्नोत्तर	..	691-791
नगरपालिका सीतापुर द्वारा चुंगी की दरों में बेतहाशा वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	791
जिला इलाहाबाद के ग्राम मुलऊपुर में हुयी फर्जी मुठभेड़ की मैजिस्ट्रियल जांच में गवाहों को उत्पीड़ित किये जाने पर प्रदर्शनकारियों पर क्षेत्राधिकारी, चायल द्वारा लाठीचार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	792
जनपद बरेली के ग्राम चन्दौआ में बम विस्फोट से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	792
वाराणसी से प्रकाशित जनमुख-समाचार पत्र के सम्पादक श्री बृजेश कुमार राय के घर पर गुंडों द्वारा लूट तथा मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	793
जनपद बुलन्दशहर में सल्फर प्लान्ट वालों द्वारा गन्ने की सस्ती दर पर खरीद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	794
सदन के सदस्यों के आचरण की जांच करने के सम्बन्ध में सदन की समिति गठित किये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	..	794-796
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	796-800
दस्यु सरगना छविराम द्वारा मैनपुरी के ग्राम हरिनागरपुर में खुले आम घूमने तथा पुलिस द्वारा पकड़ने की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	..	800-817
उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	..	817-842
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 (जारी)	..	842-862
1982-83 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव (स्वीकृत)		862-868
उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 (पारित)	..	868-880
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 (पारित)	..	880-882
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	..	882-883
मथुरा जनपद के ग्राम जैत निवासी श्री प्रेमचन्द्र वैश्य की पुत्री के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	..	883-887
नत्थियां	..	889-910

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 9 फरवरी, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य 328

अकबर अहमद, श्री (नैनीताल)
अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री (इलाहाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (उर्फ सुत्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्दू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह श्री, (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काजी मोहिउद्दीन, श्री (सहारनपुर)
किरन पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुंवर सिंह नेगी, श्री (चमोली)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भंडारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बलराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश टन्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अंसारी, श्री (देवरिया)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री (टिहरी-गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाब सिंह, श्री (देहरादून)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवर्द्धन तिवारी, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)

गौरीशंकर भैय्या, श्री (बलिया)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो0 (बांदा)
चन्द्रवली ब्रह्मचारी, श्री (आजमगढ़)
चन्द्रशेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश नरायन, श्री (फतेहपुर)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री (गोरखपुर)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तेजनरायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलसिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ श्री (गोंडा)
दीपू उर्फ दीप नारायण, श्री (आजमगढ़)
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री (देवरिया)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पान्डेय, श्री (सुलतानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धनी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल, डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
ध्रुप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री (पौड़ी-गढ़वाल)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री (हरदोई)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल खत्री, श्री (फैजाबाद)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रतापनारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)

बृज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ कुरील, श्री (लखनऊ)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रहादत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भास्कर पान्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
भोला पान्डेय, श्री (बलिया)
मथुरा प्रसाद पान्डेय, श्री (बस्ती)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद उमर, डाक्टर, (गोंडा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ सिंह, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन बारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजमंगल पान्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री (झांसी)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह, श्री (अलीगढ़)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण उपाध्याय, डा० (जौनपुर)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरायण सिंह, श्री (एडवोकेट) (गाजीपुर)
राम नरायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पान्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भजन लाल, श्री (खीरी)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम स्वरूप निम, श्री (सहारनपुर)
राम स्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)

रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लटूरी सिंह, श्री (एटा)
लललू सिंह चौहन, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
बासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल सिंह, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विनोद कुमार तिवारी, डा० (पीलीभीत)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
बृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी-गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीकृष्ण गोयल, श्री (बदायूं)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)
सतोश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
संतोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह श्री (गाजीपुर)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
सैयद जकी उद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमांश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हरगोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरवंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी, श्री (मुरादाबाद)

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 9 फरवरी, 1982 ई0

तारांकित प्रश्न

प्रदेश में पुलिस फोर्स के पुनर्गठन पर विचार

*1--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस फोर्स के पुनर्गठन का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ?

गृह मन्त्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा--

आपके माध्यम से सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न है 13-10-81 का और इससे पहले भी स्वीकृत हुआ था । 13-10-81 को इसे पुनर्जीवित किया गया । कम से कम नहीं तो आठ महीने इसे हो गये । सवाल यह है कि क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस फोर्स के पुनर्गठन का मामला शासन के विचाराधीन है । नीतिगत सवाल है । इसके बारे में माननीय मन्त्री जी का उत्तर है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर सूचना एकत्र करने का माध्यम क्या है ?

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न एक इसी तरह का प्रश्न है क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में पुलिस फोर्स के पुनर्गठन का मामला शासन के विचाराधीन ह ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यह प्रश्न शासन को भेजा था 27-11-81 को । वास्तव में यह एक नीति सम्बन्धी बात है । इसमें सूचना शासन के अलावा कहां से एकत्र की जा रही है ? शासन को ही उत्तर देना है । कृपया उस पर ध्यान दिया जाय और 15 दिन के बाद इसका उत्तर आ जाना चाहिए ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी अच्छा ।

जी0 ई0 सी0 कारखाना नैनी जिला इलाहाबाद में श्रमिकों द्वारा की गयी हड़ताल

*2--श्री ऊदल--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जी0 ई0 सी0 कारखाना नैनी, जिला इलाहाबाद में 13 जून, 1980 से पूर्ण हड़ताल हो गई है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि 10 नवम्बर, 1979 से 16 मार्च, 1980 तक प्रबन्धकों ने अवैधानिक तालाबन्दी की थी ? क्या इस सम्बन्ध में राज्य श्रम मन्त्री ने कोई समझौता कराया था ? यदि हां, तो वह समझौता क्या है ? जिस पर प्रबन्धकों ने हस्ताक्षर नहीं किये ?

श्रम राज्य मन्त्री (श्री रामनारायण पाठक)--

श्रमिकों द्वारा दिनांक 13-6-80 से की गयी हड़ताल दिनांक 19-9-80 को समाप्त हो गयी थी ।

प्रतिष्ठान के एक विभाग के कुछ श्रमिकों द्वारा धीरे काम करने के फलस्वरूप सेवायोजकों ने दिनांक 9-11-79 को रात्रि से ताला बन्दी घोषित कर दी थी जो उभयपक्षों के मध्य हुये समझौता दिनांक 15-3-80 के फलस्वरूप समाप्त हो गई। राज्य श्रम मन्त्री जी द्वारा उपर्युक्त हड़ताल की अवधि में समझौता कराये जाने के प्रयास किये गये थे, परन्तु अन्तिम समझौता नहीं हो सका और विवादग्रस्त विषयों को औद्योगिक न्यायाधिकरण को अभिनिर्णय हेतु संदर्भित कर दिया गया ।

श्री ऊदल--

वह जो 10 नवम्बर, 1979 से 16 मार्च, 1980 तक प्रबन्धकों ने ताला बन्दी कर दी थी उसके बाद जब समझौता हुआ फैक्टरी को खोले तो इसमें जितने मजदूर उस वक्त कार्यरत थे उन सबको ले लिया गया ?

श्री राम नारायण पाठक--

जो मजदूर इन डिसीप्लिनरी ऐकशन के अन्दर आते थे उनको छोड़ कर सभी को ले लिया गया ।

श्री ऊदल--

मैं यह जानना चाहता हूं कि 10 नवम्बर से 16 मार्च का बहुत लम्बा समय होता है । इस बीच में सरकार ने कौन सी कार्यवाही उन प्रबन्धकों के खिलाफ की जिन्होंने अवैधानिक तरीके से तालाबन्दी कर दी थी ।

श्रम मन्त्री (श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित)--

श्रीमन्, 10 नवम्बर, 1979 से 16 मार्च, 1980 तक की अवधि बड़ी लम्बी होती है लेकिन जिस सरकार को जवाब देना चाहिए था वह चली गयी है और अब इस सरकार को उस सरकार की करनी का जवाब देना है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय मन्त्री जी ने जो सुझाव दिया है मैं जानना चाहता हूं और फिर से माननीय ऊदल जी के प्रश्न को दुहराना चाहता हूं कि इतने दीर्घकाल तक वहां पर तालाबन्दी रखने के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? दूसरी बात यह है कि जिनके खिलाफ कोई शिकायतें नहीं थी, उनको रखा गया है या नहीं ? जितने मजदूर उस समय कार्य पर लगे हुये थे उन सब को ले लिया गया है ? यानी वापस लेने का क्या आधार रखा गया है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

ऐसा है कि अनौपचारिक समझौते से यह मसला ट्रिब्यूनल के पास है । उसमें तीन बातें हैं । एक तो यह है कि तालाबन्दी के समय का पैसा मिलना उचित है या नहीं ? दूसरा जो समझौते से 75 से 85 फीसदी इफीशियेन्सी की सीमा बढ़ा दी गई थी वह उचित थी या नहीं और तीसरे यह जो समझौता हुआ यह उचित था या नहीं ? यह मामला ट्रिब्यूनल के पास है और उसके फैसले के बाद कार्यवाही की जायगी ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मैं माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित प्रश्न पूछना चाहता हूं जब उभयपक्षों के बीच समझौता हो गया था तो इसको ट्रिब्यूनल के पास भेजने का क्या औचित्य था ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

श्रीमान्, समझौता तो मार्च, 1980 में हुआ था। मैं समझता हूं कि कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। उस समझौते को दूसरे लोगों ने चैलेंज किया। उस पुराने समझौते में उन्होंने यह ऐग्री किया था कि 75 फीसदी से इफीशियेन्सी का लेबुल उपर उठा दिया जाय। उस समय उन्होंने जो समझौता किया, तालाबन्दी के समय का पैसे के बारे में कुछ भी ऐग्री नहीं किया। बाद में और लोगों ने समझौते को चैलेंज कर दिया। उसी बीच में दो एक सज्जन निकाल दिये गये। जो लोग हड़ताल कर रहे थे उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि हम हड़ताल वापस ले लेंगे, इस केस को यदि आप ट्रिब्यूनल में भेज दें। इस तरह वह मसला ट्रिब्यूनल को भेजा गया और उसी के अनुसार ऐक्शन भी हुआ।

पुलिस चौकी, राजाजी पुरम, तालकटोरा कालोनी, लखनऊ में श्री फकीर बख्श द्वारा दर्ज रिपोर्ट पर कृत कार्यवाही

*3--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी है कि पुलिस चौकी राजा जी पुरम्, तलकटोरा कालोनी, लखनऊ में श्री फकीर बख्श द्वारा दिनांक 24 अप्रैल, 1981 को कोई रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तथा ट्रक नं0 यू0 एस0 डी0 395 पुलिस ने हिरासत में ले लिया था ? यदि हां, तो उसमें कौन-कौन सी वस्तुएं बरामद हुयीं ? उपरोक्त सन्दर्भ में अभी तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुहम्मद सलीम, निवासी मुरादाबाद को गिरफ्तारी तथा सी0 आई0 डी0 द्वारा जांच

*4--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री को विदित है कि जुलाई, 1981 के दूसरे सप्ताह में मुहल्ला गुइयों बाग प्रिंस रोड, मुरादाबाद पर पुलिस द्वारा जो छापा मारा गया, जिसमें मुहम्मद सलीम को गिरफ्तार किया गया और 24 लाख रुपए का बैंक आफ इंडिया का फर्जी रिलीज आर्डर के द्वारा इम्पोर्टेड ब्रास इस्क्रेप पकड़ा गया, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 9-7-81 की वादी श्री बलराज सेठी, जनरल मैनेजर एस0 बी0 सी0 बाम्बे ने थाना कोतवाली में मुहम्मद सलीम निवासी मुरादाबाद के विरुद्ध अं0 सं0 583 धारा 420 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत कराया ओर दिनांक 11-7-81 को स्थानीय पुलिस ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित समस्त माल कीमत 17 लाख रुपये मुहम्मद सलीम के गोदाम से बरामद कर न्यू बैंक आफ इंडिया, मुरादाबाद के

गोदाम में रख दिया । इस अभियोग की विवेचना सी0 आई0 डी0 द्वारा की जा रही है । मुहम्मद सलीम दिनांक 13-7-81 को हाजिर अदालत हो कर अदालत द्वारा जमानत पर छोड़ा जा चुका है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन मुल्जिमान की यह फर्म है जिसमें 420 का मामला चल रहा है, यह मुरादाबाद शहर के कांग्रेस (आई) के आफिस बियरर हैं और जब कभी मिनिस्टर्स का प्रोग्राम होता है, उन्हीं की सलाहमशविरे से उनका सारा प्रोग्राम फिक्स होता है । क्या माननीय मंत्री जी सदन को आश्वासन देंगे कि जो सी0 आई0 डी0 की इन्क्वायरी हो रही है वह किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं होगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं आपको आश्वासन देती हूं और हमेशा देती रही हूं कि कोई भी अपराधी जो किसी भी अपराध में पकड़ा जायेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायेगी और जो सी0 आई0 डी0 को प्रभावित करेगा उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी ।

चन्द्र भूषण शुक्ल, भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं का आरोप

*5—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चन्द्र भूषण शुक्ल, भूतपूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, ललितपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं गम्भीर अनियमितताओं के आरोप हैं ? उनका जनपद ललितपुर से स्थानान्तरण आदेश सं0 शि0 6924/7080 (80-81), दिनांक 7-9 जून, 1980 को पौढ़ी गढ़वाल प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज के पद पर हुआ था ? यदि हां, तो वे कौन से कारण हैं, जिनके आधार पर उन्हें प्रधानाचार्य, राजकीय इन्टर कालेज, ललितपुर के पद पर रोका गया ?

सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री (श्री सच्चिदानन्द)—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जैसा कि आपने पहले प्रश्न के उत्तर के बाद उन्हें आदेश दिया उसी प्रकार इसको भी देखने की कृपा करें । मान्यवर, इसमें भी सूचना एकत्रित की जा रही है और मामले को टाला जा रहा है । तीन महीने हो गये, एक भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ शिकायतें हैं । सरकार ने फैसला लिया कि यह आदमी भ्रष्ट है और उसके आधार पर उसका पहाड़ पर ट्रांसफर कर दिया और फिर रोक दिया । मैं जानना चाहता हूं कि जब शिकायतों के आधार पर ट्रांसफर किया गया और फिर रोक दिया गया तो इसमें क्या सूचना एकत्रित की जा रही है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी यह प्रश्न आगे आयेगा इसका उत्तर दिलाने का कष्ट करें ।

जनपद गोरखपुर के इन्टर कालेज बरहो, सोना बरसा में रिक्त सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों का विज्ञापन

*6---श्री नन्द किशोर सिंह---

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में स्थित इन्टर कालेज बरहो, सोनाबरसा में चार रिक्त सी0 टी0 वेतनक्रम के अध्यापकों के विषय में विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में न करके सुदूर के समाचार-पत्रों में विज्ञापन किया गया, फलस्वरूप स्थानीय अभ्यर्थियों के साथ-साथ उसी विद्यालय के कार्यरत स्थायी पुराने एल0 टी0 एवं सी0 टी0 वेतनक्रम वाले अध्यापक अपना आवेदन-पत्र न दे सके ? क्या इस सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र स्थानीय अधिकारियों एवं शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सच्चिदानन्द---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री नन्द किशोर सिंह---

मान्यवर, यह चौथा स्थगन है ।

श्री अध्यक्ष---

इस सम्बन्ध में मैंने कह दिया है, सूचना एकत्र करने के बारे में ।

*7---श्री फिरंगी प्रसाद विशारद---

[4 थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

फरेन्दा तहसील, जिला गोरखपुर में दो भाइयों की हत्या तथा घायल हुये भूतपूर्व विधायक

*8---श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के आनन्द नगर (फरेंदा) थाना क्षेत्र के मछलीगांव के दो भाइयों की हत्या चन्द दिन पूर्व स्थानीय पुलिस ने की एवं इसके विरोध में निकाले गये शन्ति पूर्ण जुलूस पर पुलिस ने बर्बरता पूर्वक फरसा लाठी चार्ज किया जिसमें एक भूतपूर्व विधायक (श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय) बुरी तरह घायल हुए हैं ? यदि हां, तो घटना का विवरण क्या है एवं तत्काल दोषी पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी---

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

माननीय अध्यक्ष जी, मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में मेरा प्रश्न देखने ले कष्ट करें । बड़ा सीधा प्रश्न है दो आदमियों को जो मछलीगांव के रहने वाले थे

फरेंदा तहसील, जिला गोरखपुर में इनकाउंटर के नाम पर निर्ममतापूर्वक मार दिया गया । इसके विरोध में हमारे भूतपूर्व विधायक जो कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, ने प्रदर्शन किया था तो उनको पीटा गया, महीने भर तक वह अस्पताल में भर्ती रहे । तो इसमें भूतपूर्व विधायक का पीटा जाना सच है और उनका अस्पताल में रहना भी सच है तो फिर इसमें क्या सूचना एकत्रित की जा रही है ? मान्यवर, हमें संरक्षण दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

जैसा सदन के समक्ष अभी तक जो प्रश्न आये उसमें जवाब आया कि सूचना एकत्रित की जा रही हैं । मैं शासन से चाहूंगा कि ऐसे हर प्रश्न में जिसमें सूचना एकत्रित किये जाने की आवश्यकता हो उसकी सूचना एकत्रित करने में चाहे जितना समय चाहिये वह समय ले लेना उपयुक्त है, लेकिन जिनमें सूचना एकत्रित करने के लिए समय नहीं लगना चाहिये इस तरह का उत्तर सर्वथा उचित प्रतीत नहीं होता । भविष्य में ऐसा न हो इसका ध्यान रखें ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

जो माननीय अध्यक्ष के आदेश हैं वे शिरोधार्य हैं उसके अनुसार कार्य किया जायेगा ।

तत्कालीन रेन्ज आफिसर, हमीरपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार व राजकीय धन गबन करने की रिपोर्ट

*9—श्री भीखा लाल—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1978–79 में उप अरण्यपाल, हमीरपुर द्वारा तत्कालीन रेंज अफसर के विरुद्ध भ्रष्टाचार व राजकीय धन का गबन करने की रिपोर्ट पुलिस हमीरपुर में लिखाई गयी थी ? यदि हां, तो उसकी विवेचना की गयी अथवा नहीं और यदि की गयी तो क्या परिणाम निकला ?

वन उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)—

जी हां, वर्ष 1978–79 में उप अरण्यपाल, हमीरपुर द्वारा तत्कालीन रेंज आफिसर के विरूद्ध भ्रष्टाचार एवं सरकारी धन के गबन करने की सूचना जिला अधिकारी, हमीरपुर को दी गयी थी, जिसके आधार पर थाना बिवार, जिला हमीरपुर में मुकदमा अपराध दर्ज किया गया । जिसमें पुलिस द्वारा विवेचना के पश्चात् 21-12-79 को अन्तिम रिपोर्ट लगा दी गई ।

श्री भीखा लाल—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मोटे तौर पर कौन–कौन से भ्रष्टाचार और गबन के आरोप लगाय गये थे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय विधायक जी ने इस सम्बन्ध में 30–6–81 को प्रश्न किया था जिसके बारे में यह जवाब दिया गया था कि श्री स्वामी को 28 अप्रैल, 1981 को उनको डिसमिस कर दिया गया था । उसके बाद फिर 16–6–81 को उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करायी गयी ।

राजकीय डिग्री कालेज हरदोई को कानपुर विश्वविद्यालय से बी0 एड0 की सम्बद्धता पर विचार

*10– नरेश चन्द्र अग्रवाल––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज हरदोई में बी0 एड0 कक्षाओं को खोलने की स्वीकृति दे दी गयी है ? क्या विश्वविद्यालय में सम्बद्धता शुल्क भी जमा हो गयी है ? यदि हां, तो बी0 एड0 में छात्रों का प्रवेश क्यों नहीं किया जा रहा है ?

श्री सच्चिदानन्द––

राजकीय डिग्री कालेज हरदोई को कानपुर विश्वविद्यालय से बी0 एड0 की सम्बद्धता स्वीकृत नहीं हुई है और न सम्बद्धता शुल्क ही जमा किया गया है । अत: छात्रों के प्रवेश का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल––

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 79 में क्या शासन ने हरदोई में जो राजकीय डिग्री कालेज है उसको बी0 एड0 की कक्षाओं को खोलने की परमीशन दी थी ? यदि दे दी थी, तो कानपुर विश्वविद्यालय द्वारा रिजेक्ट किये जाने के क्या आधार थे ?

श्री सच्चिदानन्द––

1979 में हरदोई कालेज ने बी0 एड0 कक्षाओं के खोले जाने की मांग की थी, जिसे फरवरी, 80 में कानपुर विश्वविद्यालय को भेज दिया गया था । कानपुर विश्वविद्यालय ने यह कहा कि वहां पर बी0 एड0 और एल0 एल0 बी0 की कक्षाएं न खोली जाएं और इस लिए उसकी स्वीकृति विश्वविद्यालय ने नहीं दी ।

श्री पंचानन राय––

माननीय मंत्री जी ने जो अपने उत्तर में कहा, उसी के संदर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि 1979 में क्या प्रदेश में कहीं भी बी0 एड0 की कक्षाएं खोलने की अनुमति नहीं दी, यदि हरदोई को छोड़कर अन्य जगहों पर वी तो इसके क्या कारण है और विशेष कर जिला हरदोई को क्यों नहीं परमीशन दी गयी, इसकी जानकारी दें दे ?

श्री सच्चिदानन्द––

प्रदेश में बढ़ते हुए प्रशिक्षित स्नातकों की संख्या और उन्हें रोजगार न मिल पाने के कारण बी0 एड0 की कक्षाएं न खोलने के निर्णय कानपुर विश्व-विद्यालय ने लिये ।

श्री पंचानन राय––

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि क्या सन् 79 में कहीं और बी0 एड0 की कक्षाओं को सम्बद्धता दी गयी या नहीं अगर कहीं और यदि इस अवधि में दी गयी है तो हरदोई को ही स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि कानपुर विश्वविद्यालय ने नहीं दी ।

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, एफिलियेशन का कार्य तो शासन ही करता है, किसी नीति को तय करना तो शासन का कार्य है न कि विश्वविद्यालयों का । अगर इस एफिलियेशन के तहत अन्य जगहों पर अन्य कालेजों को सम्बद्धता दी गयी है इन कक्षाओं की तो क्या कारण है कि केवल हरदोई को ही छोड़ दिया गया ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, राय साहब ने जो प्रश्न इससे पूर्व में किया था उसका उत्तर माननीय मंत्री जी की ओर स्पष्ट नहीं आ सका कि जब सन् 80 में कानपुर विश्वविद्यालय को शासन द्वारा मांग भेजी गयी, तो उस समय उसने स्वीकृति नहीं दी, परन्तु उसके बाद कानपुर विश्वविद्यालय ने किन-2 जगहों पर यह कक्षाएं खोलने की अनुमति दी और मेरी जानकारी है कि अन्य विश्वविद्यालयों ने भी अपने यहां यह कक्षाएं खोलने की अनुमति दी है, तो क्या इसको देखते हुए माननीय मंत्री जी कानपुर विश्वविद्यालय को, इन कक्षाओं को हरदोई में भी खोलने के लिए दुबारा आदेश भेजने का आश्वासन देंगे ?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, इस पर तो एक अलग से प्रश्न करने की आवश्यकता है । वैसे विश्वविद्यालय एक स्वायत्तशासी संस्था है और उसी ने निर्णय लिया है न खोलने का ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जो माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिये हैं, उसके संदर्भ में, मैं कहना चाहता हूं कि पहले प्रार्थना-पत्र तो शासन को दिये जाते हैं और शासन से अनुमति प्राप्त हो जाने पर तब विश्वविद्यालयों को एप्लाई किया जाता है और शासन को स्वीकृति के बाद विश्वविद्यालयों का काम केवल यह इतना है नियमों के अनुसार कि वह केवल यह देखें कि अमुक कालेज या संस्था इन कक्षाओं के खोले जाने के लायक है या नहीं जगह वहां पर्याप्त है या नहीं और वह फीस जमा कर सकता है या नहीं आदि-2, लेकिन शासन की अनुमति के बाद विश्वविद्यालय नीति सम्बन्धी बातों पर विचार नहीं कर सकता है कि शैक्षिक स्नातकों की संख्या अधिक बढ़ गयी है, इसलिए अनुमति न दी जाए यह उसके लिए उचित नहीं है न उसके अधिकार क्षेत्र की बात है ?

श्री सच्चिदानन्द—

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा वह स्वायत्तशासी संस्था है, उसके निर्णय लेने के अधिकार हैं और उसी ने यह निर्णय लिया है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, प्रक्रिया यही है कि पहले शासन से अनुमति प्राप्त की जाए और जब शासन अनुमति दे देता है और शासन ने इस मामले में अनुमति दे दी थी तब हरदोई कालेज ने एप्लाई किया । अगर विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा है तो शासन के जो अधिकारी हैं, विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्यवाही करें । अगर नीति के विरुद्ध विश्वविद्यालय कोई कार्यवाही कर रहा है तो शासन जागरूकता का परिचय देगा या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी । इस सम्बन्ध में आप देख लेंगे कि क्यों नहीं दिया ।

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, मैं इसके बारे में विचार करा लूंगा ।

माध्यमिक शिक्षा परिषद् वर्ष 1981 की व्यक्तिगत परीक्षा फार्म भरते समय लिया गया विलम्ब शुल्क

*11--श्री रुद्रप्रताप सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि 30 अगस्त, 1981 के बाद जिन लड़कों का परीक्षाफल घोषित हुआ है और उन्होंने प्राईवेट हाई स्कूल, इन्टर के लिये फार्म भरा है उनसे 25 रु0 विलम्ब शुल्क लिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा किस लिए किया गया है ?

श्री सच्चिदानन्द--

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विनियमों के अन्तर्गत उन परीक्षार्थियों को, जिनका विगत परीक्षा का परीक्षाफल आगामी परीक्षा के लिये आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के तिथि तक घोषित नहीं हुआ रहता, अन्य अभ्यर्थियों की भांति परीक्षा शुल्क/विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होता है । बिना विलम्ब शुल्क के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को अपना आवेदन-पत्र 31-8-81 तथा विलम्ब शुल्क सहित 14-9-81 तक प्रस्तुत करने थे । अतएव, 1 सितम्बर व 14 सितम्बर, 1981 के बीच आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तिगत परीक्षार्थियों द्वारा विलम्ब शुल्क दिया जाना अनिवार्य था ।

श्री रुद्रप्रताप सिंह--

मान्यवर, जिन परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी और उनके परीक्षाफल घोषित नहीं किये । आपने प्रतिबंध लगा दिया कि जो 30 अगस्त तक फार्म नहीं भरता है उसके बाद 25 रु0 विलम्ब शुल्क देना पड़ेगा । मैं कहना चाहता हूं कि यह उनका दोष नहीं है उनको क्यों दंडित किया जा रहा है । तो जिनको 30 अगस्त के बाद परीक्षाफल प्राप्त हुए और उसके बाद फार्म भरे उनको क्या विलम्ब शुल्क के दंड से मुक्त करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, इसके बाद शासन ने एक निर्णय लिया कि 15 अक्तूबर, 1981 तक बढ़ा दी जाय ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने स्वीकार किया परिषद् ने रिजल्ट देर से घोषित किये और परीक्षा की तिथि तय हो चुकी थी और उनको विलम्ब शुल्क देना पड़ा तो क्या ऐसे विवाद जहां हैं, नियमों में संशोधन करके उनको विलम्ब दंड से मुक्त करेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

यह बता तो दिया है कि 15 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

नियमों में परिवर्तन करने के बारे में बता दें ?

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, अपूर्ण परीक्षाफल जब घोषित होते हैं तो उसके बाद 10 दिन का समय और रहता है, जिसमें बिलम्ब शुल्क नहीं देना होता है ।

कारबाइन रायफल का लाइसेन्स देने पर रोक

*12--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान विधायकों को आत्म रक्षार्थ 30 कारबाइन रायफल का लाइसेन्स देने पर क्या रोक लगा दी गयी है ? यदि हां, तो क्या शासन विधायकों के प्रार्थना पत्रों पर पुनर्विचार की घोषणा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 29 अक्तूबर, 1980 के शासनादेश के अनुसार कारबाइन रायफल तथा इसी श्रेणी के अन्य अर्द्ध स्वचालित घातक हथियारों के सम्बन्ध में शासन ने निर्णय लिया है कि किसी भी व्यक्ति को इनके लिए नये लाइसेन्स न दिये जायें ।

प्रश्न में उल्लिखित आशय की घोषणा फिलहाल किया जाना उचित न होगा ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मेरा प्रश्न यह है कि एक ओर प्रदेश में डकैतों का आतंक छाया हुआ है, दूसरी ओर प्रदेश नरसंहार युग में प्रवेश कर चुका है और इस माननीय सदन के माननीय सदस्य जब अपने क्षेत्र में निरीह, निहत्थे घूमते हैं, तो उनके जीवन की सुरक्षा का हमारे पास कोई आधार नहीं है, तब वह कौन से आधार हैं कि मंत्री जी द्वारा उन्हें इनके लाइसेन्स नहीं दिये जा सकते हैं, जबकि प्रदेश के असामाजिक तत्वों और स्मगलर्स के पास आज भी उसके लाइसेन्स मौजूद हैं, जिसको मैं विश्वासपूर्वक सदन में कह रहा हूं ?

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न यह है कि क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान विधायकों को आत्मरक्षार्थ 30 कारबाइन राइफल का लाइसेन्स देने पर क्या रोक लगा दी गयी है ? इसका उन्होंने उत्तर दिया कि रोक लगा दी गई है । दूसरे, आपने यह कहा यदि हां, तो क्या शासन विधायकों के प्रार्थना-पत्रों पर पुनर्विचार की घोषणा करेगी ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा है कि प्रदेश में उल्लिखित आशय की घोषणा फिलहाल किया जाना उचित न होगा । तो इसका उत्तर तो आ गया, पुनर्विचार करने का उत्तर तो उन्होंने दे दिया ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मान्यवर, आप माननीया मन्त्री जी से उत्तर दिलवा दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

उसके लाइसेन्स पर जो रोक लगा दी है, उस पर विचार नहीं करेंगे । रोक है तो रोक है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

इसी उत्तर के सन्दर्भ में तो मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि आज विधायक अपने को कितना सुरक्षित पा रहे हैं ? जब प्रदेश में डकैती का आतंक है, प्रदेश नरसंहार के युग में प्रवेश कर चुका है, माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्रों में निरीह और निहत्थे घूमते रहते हैं, प्रदेश में 426 माननीय सदस्यों को आत्म-रक्षार्थ 30 कारबाइन के लाइसेन्स देने में माननीय मन्त्री जी को क्या आपत्ति है ? क्या उनके जीवन का माननीय मन्त्री जी के लिए कोई मूल्य नहीं है और क्या वे अपनी घोषणा बदल नहीं सकती हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

(श्री श्याम लाल बाजपेयी के पुनः खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष--

वे इसका उत्तर दे चुकी हैं ।

श्री रियासत हुसैन--

यह देखते हुए कि विधायकों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी शासन की है और शासन ने ली है और उसके लिए वे शैडों तक देती हैं । तो अगर कोई माननीय सदस्य अपनी सुरक्षा के लिए यह समझता है कि 30 कारबाइन काफी होगी तो क्या माननीय मन्त्री जी विधायकों के सम्बन्ध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

समस्त जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी शासन की है और इसी प्रकार माननीय विधायकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है । माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि वे अपने क्षेत्र में शेर की तरह गर्जना करते हैं । अगर इनको 30 कारबाइन का लाइसेन्स दे दिया जाय तो आप

समझ सकते हैं कि वहां क्या हालत होगी । हर क्षेत्र में विधायक अपने जंगल का राजा है ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, माननीय श्याम लाल बाजपेयी जी ने दूसरी बात कही और माननीय मन्त्री जी ने दूसरा जवाब दिया ।

श्री अध्यक्ष--

आप अपना प्रश्न कीजिए, इसके पीछे मत जाइये कि उन्होंने क्या पूछा था और मन्त्री जी ने क्या उत्तर दिया ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, जब यह हालत हो गयी है कि विधायकों की जिन्दगी हर वक्त खतरे में है और ये उनको 30 कारबाइन का लाइसेन्स नहीं देते हैं तो कैसे उनकी सुरक्षा हो सकेगी ? क्या मन्त्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगी कि विधायकों को 30 कारबाइन के लाइसेन्स दिये जायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मुख्तार अनीस--

क्या माननीय मन्त्री जी, जो इस सदन की शेरनी हैं, बताने की कृपा करेंगी कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण 30 कारबाइन के लाइसेन्स विधायकों को नहीं दिये जा रहे हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

विधायकों का प्रश्न नहीं है । यह पालिसी है जो पूरे प्रदेश की जनता के लिए निर्धारित की गयी है । जहां तक विधायकों की सुरक्षा का प्रश्न है उनकी सुरक्षा के लिए हमारी सर्वोपरि जिम्मेदारी है और इस बात का हमें आभास है । हम इस बात में कर्त्तव्यनिष्ठ हैं कि माननीय विधायकों को सुरक्षा का प्रबन्ध करें और उनकी दरख्वास्तों पर उनको शैडों भी देते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए वे रिवाल्वर, 12 बोर बन्दूक और पिस्तौल भी ले सकते हैं । आत्म सुरक्षा के लिए ये हथियार बहुत मौजूद हैं । 30 कारबाइन तो औफेन्सिव है और औफेन्स में हमारे विधायक दिलचस्पी नहीं रखते हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम कुमार भार्गव--

क्या माननीया मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगी कि शासन ने जिनको पुराने 30 कारबाइन के लाइसेन्स दे रखे हैं, उनको रद्द करने पर विचार करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

यह मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि श्याम लाल बाजपेयी शेर की तरह दहाड़ते हैं, वह क्या करेंगे । यहां प्रश्न शेर या गीदड़ का नहीं है, प्रश्न माननीय विधायकों की सुरक्षा का है । अभी फैजाबाद में एक एम० पी० का शेडो मार दिया गया । जब यह हालत है तो माननीय विधायक कैसे चल पायेंगे और अपना कार्य कर पायेंगे । इसलिये विधायकों को वह देने में क्या आपत्ति है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वे अपनी रक्षार्थ रिवाल्वर, पिस्टल व राइफल आदि ले सकते हैं, केवल कारबाइन पर रोक लगायी है ।

श्री विजय सिंह राना—

जब पहले कारबाइन का लाइसेन्स दिया जाता रहा है तो अब उसे देने में क्या आपत्ति है जब कि कुछ माननीय विधायकों के पास वह है भी ?

श्री अध्यक्ष—

जिनके पास है उनका प्रश्न भी विचाराधीन है ।

श्री चेतराम गंगवार—

कई माननीय विधायकों ने कारबाइन का लाइसेन्स ले रखा है, तो ऐसी स्थिति में अन्य विधायकों को भी उसे देने में क्या आपत्ति है ? वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके कारण अब रोक लगायी गयी है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर आ चुका है ।

श्री चेतराम गंगवार—

इसका उत्तर नहीं आया है ।

श्री अध्यक्ष—

आ गया है, आप कृपया बैठें ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

यहां पर मान्यवर, शेर और शेरनी की बात कही जाती है किसी को शेर किसी को शेरनी कहा गया है, शेर और शेरनी जानवरों और मनुष्यों को खाते हैं, ये भी मनुष्यों को खाते हैं, तो इस शब्द के प्रयोग पर मुझे एतराज है ।

(हंसी)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ये शेर भ्रष्टाचार को खाते हैं ।

(हंसी)

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

माननीय विधायकों को कारबाइन का लाइसेन्स देने में क्या आपत्ति है, जब कि वह दिया गया है पहले ? आज क्या इसलिये नहीं दिया जा रहा है कि माननीया मन्त्री जो यह समझती हैं कि इन विधायकों में असामाजिक तत्व हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

इसका उत्तर जो उन्होंने अभी दिया उसमें आ गया है । उन्होंने कहा है कि अब नहीं दिया जायेगा और जिनके पास है उनका प्रश्न भी विचाराधीन है उद्देश्य क्या है यह वह बताना नहीं चाहती हैं ।

(व्यवधान)

यह आक्रमणकारी वोपन है । जनहित में रक्षात्मक वोपन देने के लिए वह कह रही हैं ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, जनहित क्या है, यह स्पीकर्स कांफ्रेंस में निर्णय हुआ था । अध्यक्ष पीठ स्वविवेक से निर्णय करेगा कि जनहित क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मन्त्री जी ने यह कहा है कि इसका कारण बताना जनहित में उचित नहीं है ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव---

मान्यवर, जनहित का प्रश्न विधायकों की सुरक्षा के लिए और आम जनता की सुरक्षा के प्रश्न में न जोड़ा जाय ।

श्री संत बक्स रावत---

क्या शासन जो है माननीय विधायकों को 4 हजार रुपये में, जो थर्टी कारबाइन की कीमत है, उतनी ही कीमत में रिवाल्वर या पिस्टल दिलाने की व्यवस्था करेगा ? मान्यवर, माननीया मन्त्री जी कह रही हैं कि पिस्टल और रिवाल्वर देने की व्यवस्था है । तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में क्या 4 हजार रुपये में यह पिस्टल या रिवाल्वर उपलब्ध कराने की व्यवस्था माननीया मन्त्री जी करेंगी ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य, इसको तो आप अलग से पूछ सकते हैं ।

श्री संत बक्स रावत---

मान्यवर, यह प्रश्न उनके उत्तर से ही सम्बन्धित है । मान्यवर, इसका उत्तर दिलवा दें ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, इसी सदन में पिछले सत्र में लटूरी सिंह ने यहां पर शासन के सामने अपनी दिक्कत रखी थी कि हमको जान से मारने की योजना बनाई जा रही है और मान्यवर, शासन ने पूरी जिम्मेदारी ली थी कि उनकी सुरक्षा मेरे ऊपर है। मान्यवर, उसके तीसरे दिन ही उनको इलाहाबाद में गोली मार दी गयी और उनका भाग्य था कि वह बच गये। मान्यवर, उनकी सुरक्षा जब शासन नहीं कर सका, तो माननीय विधायकों की सुरक्षा ये कैसे कर पायेंगे ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

सिटी बस कर्मशाला, ईदगाह, आगरा में सहायक मैकेनिक पद पर कार्यरत श्री चन्द्रभान की हत्या की जांच

*13--श्री सरदार सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 24-8-78 को सिटी बस कर्मशाला, ईदगाह, आगरा में सहायक मैकेनिक पद पर कार्यरत श्री चन्द्रभान की हत्या में प्रथम सूचना रपट में दर्ज मुल्जिमों के खिलाफ क्या-क्या विभागीय कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बक्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास हेतु कम ब्याज पर ऋण देने की सीमा

*14--श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकार में ऐसे कौन-कौन से कुटीर उद्योग धंधे व लघु उद्योग धंधे को बैंक ब्याज दर से कम ब्याज दर पर ऋण देने या दिलाने की व्यवस्था की है और उसकी ऋण सीमा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री नियाज हसन खां)--

लघु एवं कुटीर उद्योगों की श्रेणी में आने वाले किसी भी उद्योग की स्थापना/विकास के लिए बैंक ब्याज दर से कम ब्याज पर ऋण देने की व्यवस्था जिला उद्योग केन्द्र ऋण एवं विकास केन्द्र ऋण योजनाओं के अन्तर्गत है, जिनके अन्तर्गत सामान्यतया 25,000 रु0 (कम्पोजिट) ऋण दिया जाता है। इन योजनाओं के तहत अधिकतम रु0 50,000 रुपये तक ऋण दिया जाता है।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो दो संस्थाओं से उन्होंने ऋण देने की बात कही है, उसके ब्याज की दर एक है या अलग-अलग है ? यदि अलग-अलग है, तो क्या ?

श्री नियाज हसन खां--

मान्यवर, सबका 10 प्रतिशत है।

*15--श्री बदन सिंह--

[7वें गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*16--श्री हरिवंश सहाय--

[24वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 1 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

मिर्जापुर पुलिस लाइन एवं पी० ए० सी०, चुनार, मिर्जापुर के हास्टलों में गेहूं दिये जाने की व्यवस्था

*17—श्री राम चरण सिंह (अनुपस्थित)—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर पुलिस लाइन एवं पी० ए० सी०, चुनार, मिर्जापुर के हास्टलों में दिसम्बर, 1980 से गेहूं देना बन्द करके आटा देने का आदेश दिया गया है ? क्या यह सत्य है कि आटा सड़ा है और इसके सम्बन्ध में एस० पी०, मिर्जापुर ने डी० आई० जी० रेंज, वाराणसी एवं आई० जी० को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो तत्काल क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह सत्य है कि मिर्जापुर पुलिस लाइन एवं पी० ए० सी०, चुनार, मिर्जापुर के हास्टलों में दिसम्बर, 1980 से गेहूं के स्थान पर आटा दिये जाने के आदेश दिये गये थे । आटा सड़ा नहीं था परन्तु कभी-कभी आटा खराब आता था, इसलिए जवान आटे के स्थान पर गेहूं चाहते थे । इस आशय का पत्र पुलिस अधीक्षक के द्वारा पुलिस उप महानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र व सहायक पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ को लिखा गया था । फलतः माह फरवरी, 1981 से शासन के खाद्य विभाग द्वारा मिर्जापुर जनपद के पी० ए० सी० व पुलिस के लिए गेहूं दिये जाने की व्यवस्था कर दी गयी है ।

महाविद्यालय से अवकाश ग्रहण करने वाले शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नवीन दर पर संशोधित पेंशन

*18—श्री प्रभू नारायण सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्रदेश के महाविद्यालयों से अवकाश ग्रहण करने वाले सिक्षणेत्तर कर्मचारियों को नवीन दर पर संशोधित पेंशन आदि की सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि प्राध्यापकों को उक्त सुविधा उपलब्ध है । क्या इन कर्मचारियों को भी उपरोक्त सुविधा उपलब्ध कराई जायगी ?

श्री सच्चिदानन्द—

मामला शासन के विचाराधीन है ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, यह शिक्षणेतर संस्थायें हैं और इनकी घोर उपेक्षा होती है । इनके लिए कोई सुविधा नहीं है । इनके लिए कोई रिटायरमेंट बेनीफिट भी नहीं है । मान्यवर, आज भी शासन से यह उत्तर आ रहा है कि यह मामला शासन के विचाराधीन है । तो मैं मान्यवर, शासन से यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन की सुविधायें शासन के विचाराधीन हैं और वह कब तक लागू कर दी जायेंगी ?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने तो कहा कि ये सुविधायें शासन के विचाराधीन हैं ।

श्री प्रभू नारायण सिंह—

मान्यवर, यही उत्तर आ जाय कि वह कब तक विचाराधीन रहेंगी ।

श्री सच्चिदानन्द--

मान्यवर, यह वित्त से संबंधित है । यह सारा प्रश्न शासन के विचाराधीन है । शासन द्वारा जैसे ही निर्णय हो जायगा, वैसे ही यह हो जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उनको पेंशन दर संशोधित करने का मामला सिद्धान्तः स्वीकार कर लिया गया है कितनी बढ़ाई जाय यह विचाराधीन है या बढ़ाना ही विचाराधीन है ।

श्री सच्चिदानन्द--

सारे प्रकरण विचाराधीन हैं ।

जनपद फैजाबाद के थानाध्यक्ष राजेसुल्तानपुर श्री रमा शंकर सिंह के विरुद्ध पंजीकृत अपराध तथा कार्यवाही

*15--श्री राम गोविन्द तथा श्री संत बक्स रावत--

क्या सरकार को जानकारी हैं कि जनपद फैजाबाद के थाना राजेसुल्तानपुर में दिनांक 5-3-79 को अपराध संख्या 40 के अन्तर्गत धारा 147/148/307 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ था जो सी0 आई0 डी0 की जांच में फर्जी व बनावटी पाया गया और शासन के आदेश संख्या यू0 पी0 एस0 17/7 खण्ड 25/79 गोपन अनुभाग दिनांक 15-1-80 पर दिनांक 22-3-80 को मुकदमा वापस हो गया तथा तत्कालीन थानाध्यक्ष राजेसुल्तानपुर, श्री रमा शंकर सिंह समेत 10 लोगों के विरुद्ध श्री शिवमंगल सिंह, निरीक्षक सी0 आई0 डी0, गोरखपुर ने थाना राजे सुल्तानपुर, जनपद फैजाबाद में अपराध संख्या 78/81 अन्तर्गत धारा 147/323, 342/218, 120वीं भा0 द0 वि0 पंजीकृत कराया है ? यदि हां, तो अभी तक उसमें क्या कार्यवाही हुई और उप निरीक्षक श्री रमाशंकर सिंह तथा अन्य मुलजिमान के अभी तक निलम्बन न किए जाने का क्या कारण है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, अपराध संख्या 40/79 अन्तर्गत धारा 147/148/307 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ था जो अपराध अनुसंधान विभाग की जांच में फर्जी पाये जाने के कारण न्यायालय से वापस लिया गया है । इस सम्बन्ध में दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपराध संख्या 78/81, अन्तर्गत धारा 147/323/342/218/120वीं भा0 द0 वि0 भी पंजीकृत हुआ है जिसकी विवेचना की जा रही है । विवेचनाधीन होने के कारण इस कामले के अभियुक्तों के विरुद्ध अभी कार्यवाही नहीं की गई है ।

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, माननीय मंत्री ने यह उत्तर में कहा है कि दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अपराध संख्या 78/81 के अन्तर्गत धारा 147/323/342/218/120 वी के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया हैं । मैं जानना चाहता हूं कि विवेचना किस अधिकारी से कराई जा रही है और कब तक जांच पूर्ण हो जायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

शीघ्र ही जांच पूरी करने के आदेश दिये जायेंगे ।

श्री सन्त बक्स रावत--

मैंने पूछा कि जांच किस अधिकारी द्वारा कराई जा रही है और कब तक पूरी हो जायेगी। मान्यवर, मंत्री जी यह भी बता दें कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा किस तारीख को दर्ज हुआ है और उसका विवरण क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जांच शीघ्र करवाने का मैं आश्वासन देती हूं।

श्री सन्त बक्स रावत--

मान्यवर, उत्तर स्पष्ट नहीं हो पाया। मान्यवर, प्रश्न का उत्तर नहीं आया। इसको स्थगित कर दें अगले दिन हो जाय।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, इनका अभिप्राय है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ़ कार्यवाही की जाय। मैं आश्वासन देती हूं कि कार्यवाही दोषी अफसरों के खिलाफ की जायेगी।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज है और मामला विचाराधीन है और कुछ हद तक उनका दोष साबित भी हो गया है तो उनको अब तक निलम्बित न किये जाने का तथा विभागीय कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है।

श्री अध्यक्ष--

विवेचनाधीन होने के कारण इस मामले के अभियुक्तों के विरुद्ध अभी कार्यवाही नहीं की गई है।

शिक्षित बेरोजगारों को संख्या तथा रोजगार देने हेतु प्रयास

*20--श्री किरनपाल सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में माह दिसम्बर, 1979 तक कितने शिक्षित बेरोजगार थे तथा इनकी संख्या माह जुलाई, 1981 तक कितनी हो गयी ? क्या सरकार इन बेरोजगारों को रोजगार देने का कोई निश्चित प्रयास कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम नारायण पाठक--

बेरोजगारी के आकार के सम्बन्ध में कोई निश्चित व सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है और न ही बेरोजगार व्यक्तियों की कोई विशेष परिभाषा ही निर्धारित है। फिर भी जहां तक प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों का प्रश्न है, प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सजीव पंजी पर माह दिसम्बर, 1979 तक कुल 8,32,302 शिक्षित बेरोजगार उपलब्ध थे जिनकी संख्या माह जून, 1981 में 8,29,251 हो गई।

बेरोजगारी की समस्या का सार्थक निदान कृषि, उद्योग तथा अन्य व्यवसायों में उत्पादन बढ़ाकर किया जाना है। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण रोजगार योजनायें चलाने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष रूप से बल दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्वतः रोजगार योजना को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सरकार प्रयत्नशील है और इस दिशा में डिस्ट्रिक्ट मैनपावर प्लानिंग तथा इम्प्लायमेन्ट जेनरेशन कौंसिल की प्रत्येक जनपद में स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय, मंत्री जी ने उत्तर में कहा है कि कोई निश्चित व सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो आंकड़े जो दिये हैं उनकी विश्वसनीयता पर विश्वास किया जाय कि नहीं। लेकिन फिर भी पूछना चाहता हूं कि दिसम्बर, 1979 तक 8,32,302 शिक्षित बेरोजगार थे और जून, 1981 में उनकी संख्या घटाकर 8,29,251 हो गयी, तो डेढ़ साल में लगभग 3 हजार लोगों को यह रोजगार दे पाये हैं, तो बाकी लोगों को कब तक रोजगार देने का मंत्री जी आश्वासन देंगे?

श्री राम नारायण पाठक--

माननीय, योजनायें बहुतसी हैं और लोगों को काम दिलाने की कार्यवाही हो रही है। यदि आप चाहेंगे तो मैं उनको बता सकता हूं। लेकिन निश्चित दिन तय करने की बात जो आपने कही है वह विशेष बात है और देश की जो आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियां हैं उन पर निर्भर करता है, जो योजनायें बनी हैं जिसमें कितने लोगों को काम दिया जायेगा और किस तरह और कब तक काम दिया जायेगा, तो यदि आप चाहेंगे तो मैं उनको पढ़कर बता सकता हूं।

श्री किरन पाल सिंह--

माननीय, जो योजनायें मंत्री के पास हैं उन्हीं के आधार पर अनुमान लगाकर बता दें कि कब तक उनको रोजगार देने की संभावना है?

श्री अध्यक्ष--

यह लिखित आपको दे देंगे यदि आप चाहेंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, उत्तर में है कि 3 हजार लोगों की संख्या कम हो गई है। अनुभव है कि सरकारी नौकरियों में न्यूनतम आयु सीमा 28 वर्ष है और एक नौजवान रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराता है लेकिन 28 वर्ष बाद वह ओवरएज हो जाता है। इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या ऐसा योजना विचाराधीन है कि यदि कोई शिक्षित युवक रोजगार कार्यालय में अपना पंजीकरण कराये तो जब तक सरकार नौकरी न दे पाये तब तक उसको ओवरएज न माना जाय और 28 साल की आयु को बढ़ाने पर विचार करेगी, जिससे सभी को रखा जा सके।

श्री राम नारायण पाठक--

मान्यवर, सरकार को इस बात की जानकारी है और व्यवस्था भी है कि उनको नौकरियां दिलाई जायं। इसलिए मैं बता सकता हूं कि शिक्षित बेरोजगारों को कैसे काम दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जनता पार्टी की सरकार ने सरकारी नौकरी की आयु सीमा एक वर्ष बढ़ा दिया था। तो मैं जानना चाहता हूं कि ओवरएज की 28 वर्ष की जो सीमा है उसको सरकार क्या बढ़ाने पर विचार कर रही है?

श्री राम नारायण पाठक--

मान्यवर, अभी ऐसा नहीं है लेकिन इससे पहले हो चुका है और जब-जब जटिल बात होती है तो एज बढ़ाने की बात पर सरकार विचार करती है।

श्री हरगोबिन्द वर्मा--

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि जो लिस्ट बेरोजगारों की मंत्री जी ने सदन में पेश किया है, उसमें जो ट्रेन्ड अध्यापक हैं, बेकार, उनको, ... जो इस समय जनगणना के द्वारा बेकार किये गये हैं और जेल कर्मचारी बेकार हो गये हैं क्या उनको जोड़कर यह संख्या बतायी गयी है या इसके अतिरिक्त आपने संख्या बतायी है?

श्री राम नारायण पाठक--

मैं इसलिये कहना चाहता हूं कि अगर आप सुन लें कि सरकार कितने लोगों को रोजगार में लगा रही है। 34·54 लाख व्यक्तियों को रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। 25 लाख व्यक्ति छठी पंचवर्षीय योजना में लाभान्वित होंगे।

श्री हरगोविन्द वर्मा--

प्रश्न मेरा दीगर है जवाब दीगर है।

मैं पूछना चाहता हूं कि 10 हजार ट्रेंड मास्टर उत्तर प्रदेश में बेकार हैं। 8 सौ जेल कर्मचारी बेकार किये गये हैं। आपने जो संख्या बतायी है क्या इनको जोड़कर बतायी है या इनको अलग रखा है, इस संख्या में जोड़ा नहीं है।

श्री राम नारायण पाठक--

अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो सुन लीजिएगा।

श्री अध्यक्ष--

मंत्री जी, जो प्रश्न वह कर रहे हैं उसका उत्तर दे दीजिये।

श्री राम नारायण पाठक--

जब हम आजाद हुये तो 36 करोड़ की हमारी आबादी थी। आज 70 करोड़ हो गई है। जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की सरकार योजना बना रही है।

श्री रियासत हुसैन—

मंत्री जो ने बताया कि जो बेरोजगार हैं उनको रोजगार देने की सरकार योजना बना रही है । तो इस बैकग्राउन्ड में, जो बेरोजगार हैं उनको जब तक आप रोजगार नहीं देते उस समय तक जैसा कि अन्य स्टेट में है, बेरोजगारी भत्ता देने पर विचार करेंगे ?

श्री राम नारायण पाठक—

अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है ।

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद गोरखपुर में गोर्रा नदी के गौरी घाट पर पुल बनवाने की मांग

**1—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर में गोर्रा नदी के गौरी घाट पर पुल बनवाने की मांग लेकर श्री गोपाल शुक्ल उर्फ पवन सुत नामक व्यक्ति दिनांक 9-1-82 से आमरण अनशन पर पूर्व सूचनानुसार बैठा है ? यदि हां, तो अब तक इस दिशा में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां

कार्य का आगणन बनाकर शासन को भेजने हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, यह सरकार पूर्णतया गूंगी, बहरी और निकम्मी है । यह प्रश्न मैंने 16-9-80 में प्रथम सत्र 1980 के तृतीय मंगलवार को पूछा था । जब एक आदमी अपने को बरबाद करने के लिये आमरण अनशन पर बैठा तब सरकार ने परियोजना के लिये अपना इस्टीमेट मंगवाया । मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि इस परियोजना के लिये पक्के ब्रिज के लिये इस समय आपके पास अनुमानित लागत के कितने-कितने आंकड़े आये हैं ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय फिरंगी प्रसाद जी ने जो पहली बात कही, तो सरकार के भागीदार वह भी हैं हम भी हैं । जहां दूसरा प्रश्न किया है इस्टीमेट के बारे में, तो एक पत्र 19-3-79 को श्रीमती शारदा देवी का मिला था, उन्होंने पैण्टून ब्रिज के लिये कहा था । 20 पैण्टून लगेंगे और 100 मीटर लम्बाई ब्रिज की होगी । इसके बाद श्री पन्ना लाल जी ने पत्र लिखे और 13 पत्र लिखे शासन को कि पक्का पुल बनवाया जाय पैण्टून ब्रिज से आवश्यकता पूरी नहीं होगी । इस हिसाब से इस्टीमेट लगवाया गया और अभी इन्तजार कर रहे हैं । जहां तक लागत का सवाल है रफ इस्टीमेट के अनुसार पीपे के पुल के लिये 2 लाख रुपया की लागत का इस्टीमेट आंका गया था । पक्के पुल पर 2 कि0 मी0 इधर और 2 कि0 मी0 उधर रोड दी है, इस पर साढ़े बारह लाख रु0 लागत आयगी । 2 कि0 मी0 इधर और 2 कि0 मी0 उधर रोड दूसरे विभागों की है, उनसे भी सम्पर्क करना होगा, तभी कार्यवाही हो सकेगी ।

नोट—तारांकित प्रश्न संख्या 20 के उपरान्त तारांकित प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मान्यवर, इतना बड़ा राप्ती गोर्रा नदी का द्वाबा है जो 3 कि0 मी0 इधर है उधर 24 कि0 मी0 का राप्ती गोर्रा का द्वाबा है। 2 इण्टर कालेज हैं और 3 हास्पिटल हैं : उनसे निकलने के लिये एक भी रास्ता नहीं है। क्या माननीय मन्त्री जी इस बात के लिए आश्वासन देंगे कि अगर आपका सप्लीमेन्टरी बजट आता है तो इसके लिये धन उपलब्ध कराकर इसका निर्माण कार्य और अन्य विभागों द्वारा जो व्यवधान की बात कही, उनसे सम्पर्क करके निर्माण कार्य करा देंगे? जो आप कह रहें हैं कि नदी के उधर के हिस्से में जिला परिषद् की सड़क है तो उसमें पी0 डब्लू0 डी0 ने अधिकांश हिस्सा ले लिया है। क्या माननीय मन्त्री जी स्पष्ट आश्वासन देंगे कि वित्तीय वर्ष के अन्दर ही अनुपूरक बजट के आने पर गोरी घाट पर पुल बनवा देंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, माननीय फिरंगी प्रसाद जी को हमारी बात का यकीन कब आयेगा चाहे हम आश्वासन भी दे दें। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे पुल जिन क्षेत्रों पर रोक लगी हुई है, वहां पर ऐसी व्यवस्था जरूर की जा रही है कि वे खुल जायं। मान्यवर, उस नीति को सामने रखते हुये और हमारी वित्तीय क्षमता जो है उसे देखते हुये और माननीय पन्ने लाल जी, विधायक के जो पत्र प्राप्त हुए हैं और उन्होंने एक नक्शा भी भेजा है, उसे देखते हुए जो भी सम्भव प्रयास होंगे वह किये जायेंगे।

श्री पन्ने लाल—

मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्बन्ध में फिरंगी प्रसाद जी ने भी कोई पत्र आपको लिखा था ?

श्री मोहन सिंह—

पत्र नहीं लिखा तो क्या हुआ, प्रश्न तो पूछा है।

श्री पन्ने लाल—

क्या माननीय मन्त्री जी उस पुल के निर्माण के महत्व को देखते हुए, जल्द से जल्द उसका निर्माण करायेंगे ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन् मैं माननीय फिरंगी प्रसाद जी के पत्र को ढूंढ़ रहा हूं, वह मुझे तो अभी तक मिला नहीं है। लेकिन प्रश्न अवश्य मिला है। जहां तक पुल के निर्माण के कार्य का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, उसे दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि वह अपनी पार्टी के विधायक को संरक्षण दिये हैं और तभी उससे यहां पर ऐसा बुलवाते हैं सदन में। मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अब तक मेरे उन पत्रों को जिनको मैंने गौरी घाट, गुर्रा नदी का घाट, इटवा घाट, कोहधा घाट के मामले के सम्बन्ध में 1979 से अब तक जो पत्र लिखे हैं, उनको

पूरी सूचो इक्ट्ठा करके आप सदन के पटल पर रखेंगें । उसमें कितनों पर मैंने प्रश्न किया है क्योंकि मुझ पर आक्षेप लगाया गया है अपने पार्टी के विधायक को संरक्षण देकर ऐसा किया है । मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 1979 से कगहा से देहपुरा तक जहां पन्ने लाल जी का जहां निजी घर है, वहां एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को ले जा करके किस बात का सर्वे कराय गया है, क्या मन्त्री जी इस बात को भी यहां पर बतावेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

इस सम्मानित सदन के दोनों विधायक, माननीय फिरंगी प्रसाद जी तथा माननीय पन्ना लाल जी अपने कार्य के लिये बहुत ही सतर्क दिखाई पड़ते हैं । बहरहाल मैं इन बारिकियों में नहीं पड़ना चाहता हूं ।

मुख्य मन्त्री एवं विश्व बैंक के अध्यक्ष के बीच परियोजनाओं को सहायता देने हेतु विचार

**2--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लखनऊ में दिनांक 21-1-82 को माननीय मुख्य मन्त्री एवं विश्व बैंक के अध्यक्ष के बीच प्रदेश की परियोजनाओं को करने हेतु वार्ता हुई ? यदि हां, तो विश्व बैंक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कितना धन किन-किन परियोजनाओं पर देने के लिए राजी हुआ ? उसका पूरा विवरण क्या है ?

नियोजन राज्य मन्त्री (श्रीमती प्रेमवती तिवारी)--

दिनांक 21-1-82 को विश्व बैंक अध्यक्ष से वार्ता में प्रदेश में विश्व बैंक की सहायता से चल रही परियोजनाओं की प्रगति और नवीन प्रस्तावित परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया था । विश्व बैंक की सहायता, भारत सरकार के माध्यम से और परियोजनाओं के भारत सरकार एवं विश्व बैंक में पूर्ण परीक्षण के पश्चात् दी जाती हैं । विश्व बैंक अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं को सहायता देने के प्रस्तावों पर सहानुभूति पूर्वक विचार किये जाने का आश्वासन दिया ।

श्री हरिवंश सहाय--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि विश्व बैंक का उत्तर प्रदेश की जनता पर अब तक कितना कर्जा है और उसमें से कितना हिस्सा पूर्वी उत्तर प्रदेश पर खर्च हुआ है और हो रहा है ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि जो भी योजना विश्व बैंक की चल रही हैं लगभग आठ योजनायें हैं जो चल रही हैं जैसे सामाजिक वानिकी परियोजना, राजकीय नलकूप परियोजना, मत्स्य पालन परियोजना, ग्रामीण गोदाम परियोजना, द्वितीय बीज उत्पादन परियोजना, कानपुर नगर विकास परियोजना, पेयजल आपूर्ति एवं मल निस्तारण (सीवेज) परियोजना तथा द्वितीय भारत जनगणना परियोजना, यह परियोजनायें सारे उत्तर प्रदेश में चल रही हैं जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश भी सम्मिलित है । जहां तक माननीय सदस्य ने दूसरी वाली बात कही है कितना ऋण है, इसके मामले में सूचना की आवश्यकता है ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

माननीय, पुर्वी इलाका हमेशा बाढ़, सूखा, ओले आदि से पीड़ित रहता है और माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि इस प्रकार की किसनी योजनायें हैं, तो क्या इन योजनाओं का अधिक धन पूर्वी प्रदेश के विकास के लिए खर्च करने पर विचार किया जयेगा ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

माननीय, मैंने पहले ही, जो माननीय सदस्य का मूल प्रश्न था के उत्तर में बतलाया कि विश्व बैंक का सीधा सम्बन्ध भारत सरकार से है और परियोजनाओं को स्वीकृति भारत सरकार और विश्व बैंक के पूर्व परीक्षण के पश्चात् ही दी जाती है । जहां तक हमारे माननीय सदस्य माता प्रसाद जी ने कहा, मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि इस बार जो विश्व बैंक की टीम यहां पर आयी थी, उनका सीधा सम्बन्ध तो भारत सरकार से होता है, फिर भी जब यहां पर निरीक्षण करने आये थे तो हमने उनका लाभ उठाया और जो हमने नवीन योजनायें प्रस्तावित की सरयू नहर परियोजना और राजकीय नलकूप योजना, को भी उसमें प्रस्तावित किया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

विश्व बैंक के जो अध्यक्ष यहां आये थे उनके बारे में कुछ भ्रान्तियां हैं । जब वह यहां पर आये और मुख्य मन्त्री जी ने उनसे वार्ता की तो क्या इससे पहले इस आदरणीय सदन को कान्फिडेंस में रखने के लिए या कैबिनेट की कोई मीटिंग की कि वे किन योजनाओं पर उनसे बात कर रहे हैं, उनकी शर्तें क्या हैं, कितना पैसा बिश्व बैंक दे रहा है ? क्योंकि माननीय, विश्व बैंक की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा है । या जो कुछ उन्होंने कहा, इन्होंने स्वीकार कर लिया ?

श्री अध्यक्ष--

आपने पूछा है कि मुख्य मन्त्री जी ने जब विश्व बैंक वाले आये थे, तो क्या कैबिनेट की मीटिंग की थी या नहीं, तो इससे इस प्रश्न का कोई सम्बन्ध नहीं है । मुख्य मन्त्री जो कैबिनेट से बात करके उनसे बात करें या न करें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी ने जो 8 परियोजनाओं के नाम लिये जो वर्ल्ड बैंक के फण्ड से चल रही है, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगी कि इन आठो परियोजनाओं पर रेट आफ इन्ट्रेस्ट क्या है और रेट आफ प्रोडक्टिविटी क्या है, अब तक के अवेले बिल रिकार्डस के मुताबिक ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

विश्व बैंक, उत्तर प्रदेश में चल रही योजनाओं से पूरे रूप से सन्तुष्ट है । जहां तक दूसरा प्रश्न है, उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

जो नयी योजनायें आपने भेजी है, वे कितनी हैं और उनकी अनुमानित लागत कितनी है, जो आपने सिफारिश की है ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मैंने पहले निवेदन किया कि प्रदेश सरकार से नहीं विश्व बैंक का सीधा सम्बन्ध भारत सरकार से है । जब वह आये तो मुख्य मन्त्री जी ने इसका लाभ उठाया था । उनके सामने योजनायें रखीं । पूर्वी प्रदेश को जो योजनायें रखी, तो अगर मान्यवर, आप आज्ञा दें तो मैं बता सकता हूं कुछ योजनायें तो ऐसी हैं जिनसे विद्युत सिंचाई दोनों का सम्बन्ध है उसको प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश सरकार ने इस चीज का प्रयास किया है कि विश्व बैंक से सम्बन्ध करके उनको भारत सरकार तक भेजा जाय । इन योजनाओं में मुख्य है टिहरी बांध योजना । इस प्रकार की योजनायें लेने से न केवल विद्युत ले सकते हैं बल्कि सिंचाई की सुविधा भी मिल सकती है । इसमें मुख्य हैं--भाली मनेरी जल विद्युत् योजना, रोजा तापीय विद्युत् गृह योजना, राजकीय नलकूप परियोजना और ऊसर सुधार परियोजना आदि । यह हमारे प्रस्ताव हैं और यह भारत सरकार के पास अन्य प्रदेशों से भी इस प्रकार के प्रस्ताव आते हैं और वहां इस चीज का निर्णय होता है कि किनको प्राथमिकता के आधार पर लिया जाय ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जो परियोजनायें अभी माननीय मन्त्री जी ने बताई वह तो सब पुरानी हैं और यह बात सही है कि केन्द्र सरकार इस बारे में आवंटन करती है मैं यह जानना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के गठन होने के बाद केन्द्र सरकार को कौन-कौन सी नई परियोजनाओं के बारे में प्रदेश सरकार ने संस्तुति की है । क्या यह सही है कि जब विश्व बैंक की टीम आई थी तो उन्होंने जो उनके पैसे से नलकूप लगाये जा रहे हैं उसके बारे में घोर असन्तोष व्यक्त किया है ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

विश्व बैंक से हमारी नलकूप की योजना, राजकीय नलकूप और मत्स्य पालन की योजना चल रही है और जो योजनायें चल रही हैं, वह आपके सामने हैं और जो इसके अतिरिक्त भी अन्य और योजनायें हैं वह उत्तर प्रदेश सरकार से विश्व बैंक के माध्यम से भारत सरकार तक पहुंच गई हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मेरा प्रश्न यह था कि वर्तमान सरकार के गठित होने के बाद से अब तक कौन-कौन सी योजनायें हैं जो इन्होंने भारत सरकार को संदर्भित की हैं और दूसरा प्रश्न यह था कि जो राजकीय नलकूप लगाये जा रहे हैं उसके लिए टीम ने घोर असंतोष व्यक्त किया है ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, मैंने पहले आपके माध्यम से निवेदन किया था सदन से कि विश्व बैंक की जो योजनायें उत्तर प्रदेश में चल रही है उन योजनाओं से वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं ।

श्री अध्यक्ष--

अब आप दूसरा बता दीजिए कि कौन-कौन सी नई योजनायें दी गई हैं ।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, सदन को पूर्ण रूप से सन्तुष्ट करने के लिए सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री दलगंजन सिंह--

माननीय मंत्री जी ने जिन परियोजनाओं का उल्लेख किया है उसमें क्या कोई परियोजना बुन्देलखंड के लिए भी है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी क्या कोई परियोजना बुन्देलखंड के लिए भी है ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश से बुन्देलखंड अलग तो नहीं है । सारे उत्तर प्रदेश की योजनायें हैं । प्रदेश सरकार जहां आवश्यकता समझेगी और जहां ज्यादा जरूरत समझती है उस पर हम जोर दे रहे हैं और देते रहेंगे ।

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या उन योजनाओं के तहत डकैती प्रभावित क्षेत्र के लिए भी कुछ विशेष योजनायें उन्होंने रखी हैं ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय सूबेदार सिंह जी, जो मूल प्रश्न है वह पूर्वी उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित है कि विश्व बैंक पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कितना धन किन-किन परियोजनाओं पर देने के लिए राजी हुआ ।

श्री भोखालाल--

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने उत्तर में बतलाया कि बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश से कोई अलग नहीं हैं और ये योजनायें बुन्देलखंड पर भी लागू होंगे, यह बात सही है लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि बुन्देलखंड के हिस्से का सारा धन तिन्दवारी क्षेत्र में नलकूप योजना के अन्तगत लगा दिया गया है ?

श्री अध्यक्ष--

यह तो अलग से प्रश्न है ।

श्री रियासत हुसैन--

अभी माननीय मंत्री जी ने जो 8 परियोजनायें बतलायी हैं उन परियोजनाओं में, जब योजना बनी होती तो किस समय किस योजना पर काम आरम्भ होगा तथा किस समय काम पूर्ण हो कर उसमें प्रोडक्शन शुरू हो जायेगा, हर योजना के लिए अलग अलग समय निश्चित होगा, तो कितनी योजनाओं के अन्तर्गत पूर्ण होने पर एक निश्चित समय के अन्दर प्रोडक्शन शुरू हो गया और जो नहीं कर सकेंगे उनके क्या कारण हैं ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह जानकारी करा देना चाहती हूं कि हमारी राजकीय नलकूप की योजना विश्व बैंक की मदद से चल रही हैं। समाप्त करने की जो बात माननीय सदस्य ने पूछी ह, हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द वह काम पूरा हो जाय ।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने यह पूछा है कि 8 परियोजनायें जो आपने बतलायी हैं, तो जब परियोजनाओं को आपने रखा होगा कि कब से काम आरम्भ होगा, कितने समय में काम पूरा हो जायेगा और उस योजना पर प्रोडक्शन का कार्य शुरू हो जायेगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि उन आठ परियोजनाओं में से कितनी परियोजनायें अपने निश्चित समय के अन्दर मुकम्मल होकर, उनमें प्रोडक्शन शुरू हो गया ? और अगर निश्चित समय के अन्दर कार्य नहीं हो सका तो उसके कारण क्या हैं ?

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

अगर माननीय सदस्य विस्तार से आठ परियोजनाओं की अलग अलग जानकारी करना चाहते हैं, तो उसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

अतारांकित प्रश्न

1--श्री मोनपाल सिंह, एडवोकेट--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

2--श्री राम सिंह--

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राज्य के मंत्रियों द्वारा जिला चमोली, पौड़ी-गढ़वाल और देहरादून की यात्रायें तथा उन पर व्यय

3--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या गृह मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 10 मई, 1981 से 20 जून, 1981 तक राज्य के कौन-कौन मंत्री जिला चमोली, पौड़ी गढ़वाल ओर देहरादून गये और उन पर अलग-अलग उक्त अवधि का कितना रुपया दौरा भत्ते के रूप में राजय सरकार का व्यय हुआ ?

मुख्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी गई है ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 889 पर ।)

बी० के० हायर सेकेण्ड्री स्कूल, कुर्सी खेड़ा, जनपद कानपुर में कार्यरत कार्यवाहक प्रधानाचार्य तथा नियमानुसार प्राप्त सुविधायें

4--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी० के० हायर सेकेण्ड्री स्कूल, कुर्सी खेड़ा, जनपद कानपुर में जब जूनियर हाई स्कूल को मान्यता दी गयी थी तब से दिनांक 22 दिसम्बर, 1980 तक कोई नियमित एवं स्थायी प्रधानाचार्य न होकर केवल कार्यवाहक प्रधानाचार्य कार्यरत थे; परन्तु उस स्कूल को मान्यता प्राप्त होने की सम्पूर्ण सरकारी सुविधाएं प्राप्त होती रही हैं ? यदि हां, तो कैसे और क्यों ?

शिक्षा मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

जी हां ।

नियमानुसार सुविधायें प्राप्त होती रही हैं ।

परगनाधिकारी, बिल्हौर के कार्य-कलापों सम्बन्धी विधायक का पत्र

5--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्री एवं कानपुर के वर्तमान विधायक श्री हरीकृष्ण श्रीवास्तव ने परगनाधिकारी, बिल्हौर के कार्य-कलापों का चित्रण करते हुए कोई पत्र जिलाधिकारी, कानपुर को माह जनवरी, 1981 में लिखा है ? यदि हां, तो पत्र क्या है और उस विषय पर क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्रश्न में संदर्भित माननीय विधायक श्री हरिकृष्ण श्रीवास्तव का शिकायती पत्र जिलाधिकारी, कानपुर देहात के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । जिलाधिकारी द्वारा विधायक जी से पत्र की प्रति मांगी गयी परन्तु अभी तक प्राप्त नहीं हुयी है ।

सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर के गजटेड आफिसर्स के विरुद्ध जांच

6--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि 24-10-81 को सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर के किन-किन गजटेड आफिसर्स के विरुद्ध विजिलेन्स इन्क्वायरी विचाराधीन है ? जांच कब प्रारम्भ हुई थी तथा इस समय जांच किस स्थिति में है ?

श्री अम्मार रिज़वी--

सार्वजनिक निर्माण विभाग, कानपुर के निम्नलिखित गजटेड आफिसर्स के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा खुली जांच की जा रही है :--

1--श्री उमाकान्त, अधीक्षण अभियंता, अस्थायी सेतु निर्माण खण्ड ।

2--श्री धीरेन्द्र कुमार लाहौटी, अधिशासी अभियंता ।

3--श्री कैलाश चन्द्र जैन, अधिशासी अभियंता ।
4--श्री सीताराम नागपाल, सहायक अभियंता ।
5--श्री मसूद आलम, सहायक अभियंता ।
6--श्री उजागर मल जैन, सहायक अभियंता ।
7--श्री विजय शंकर सक्सेना, सहायक अभियंता ।
8--श्री ओ० पी० श्रीवास्तव, सहायक अभियंता ।

जांच 3 नवम्बर, 1976 को सतर्कता अधिष्ठान को आदेशित की गई थी । जांच कार्य अन्तिम चरण में है ।

परगनाधिकारी, बिल्हौर, जनपद कानपुर के विरुद्ध दिये गये शिकायती पत्र की जांच

7--श्री मोतीलाल देहलवी--

दिनांक 31 मार्च, 1981 की कार्यसूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता ने दिनांक 2 अप्रैल, 1981 को जो पत्र मुख्य मन्त्री को दिया था, क्या उसकी जांच कराई गयी ? यदि हां, तो किससे और वह जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जी हां । प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2-4-81 की जांच जिला अधिकारी, कानपुर देहात से करवाई गयी हैं । उनकी जांच आख्या शासन को दिनांक 27-1-82 को प्राप्त हुई परन्तु कुछ बिन्दुओं पर जिलाधिकारी से स्थिति स्पष्ट कराई जा रही है ।

जिलाधिकारी, कानपुर को सम्बोधित श्री भगवानदीन कुशवाहा, विधायक, डेरापुर का पत्र

8--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री जितेन्द्र नाथ मिश्र, परगनाधिकारी, बिल्हौर, जनपद कानपुर जब डेरापुर जनपद कानपुर के परगनाधिकारी थे तो क्या उनके विरुद्ध डेरापुर के विधायक श्री भगवानदीन कुशवाहा ने परगनाधिकारी से अपनी जान का खतरा होने सम्बन्धी कोई पत्र 26 जून, 1980 को एस० एस० पी०, कानपुर को लिखा था ? यदि हां, तो वह पत्र क्या है तथा उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को प्रश्न में उल्लिखित आशय का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है । वस्तुस्थिति यह है कि जिलाधिकारी, कानपुर को दिनांक 21-6-80 को एक पत्र श्री भगवानदीन कुशवाहा, विधायक से प्राप्त हुआ था जिसकी प्रतिलिपि *संलग्न है । प्रश्नगत मामले में परगनाधिकारी के विरुद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

9--श्री मोती लाल देहलवी--

[2-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 154 द्वारा उत्तरित] ।

(*देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 890 पर ।)

निजी जेनरेटर लगाने पर अनुदान देने सम्बन्धी शासनादेश

10--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या उद्योग मन्त्री कृपया बतायेंगे कि निजी जेनरेटर लगाने पर अनुदान देने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1461/भा0उ0-18--11-117-भा0-77, दिनांक 6-5-1980 में संशोधनार्थ शीर्षक से जो पत्र प्रश्नकर्ता ने दिनांक 20 फरवरी, 1981 व स्मृति-पत्र दिनांक 25 मार्च, 1981 को उद्योग मन्त्री को दिया, उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री नियाज हसन खां--

निजी जेनरेटर लगाने पर अनुदान देने सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1461 भा0उ0-18--11-117-भा0-77, दिनांक 26-5-80 में संशोधनार्थ शीर्षक से उद्योग मंत्री जी को भेजा गया पत्र प्राप्त हुआ था। विचारोपरान्त प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार करना सम्भव नहीं पाया गया। उक्त निर्णय की सूचना पत्र संख्या 7390/भा0उ0-18--11, दिनांक 15 जुलाई, 1981 द्वारा माननीय सदस्य को दी जा चुकी है।

थाना ककवन, जनपद कानपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष के विरुद्ध आरोपों की जांच

11--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि थाना ककवन, जनपद कानपुर के भूतपूर्व थानाध्यक्ष के विरुद्ध उसी थाने के एक भूतपूर्व थानेदार ने गम्भीर आरोपों से युक्त कोई प्रार्थना-पत्र ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, कानपुर को माह दिसम्बर, 1980 में दिया था ? यदि हां, तो उल्लिखित प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष के विरुद्ध किन-किन आरोपों का उल्लेख है और उसकी जांच कब, किससे कराई गई तथा जांच रिपोर्ट क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां। प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष के विरुद्ध थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर मादक पदार्थों की बिक्री कराने, एक लड़की से अवैध सम्बन्ध होने, पैसा कमाकर देने के लिए प्रेरित करने, फर्जी रवानगी करके क्वार्टर में पड़े रहने तथा अन्य अनियमितताएं बरतने आदि के आरोप लगाये गये थे। आरोपों की जांच क्षेत्राधिकारी तृतीय, ग्रामीण क्षेत्र को दिनांक 16-12-80 को सौंपी गई। जांच से समस्त आरोप निराधार पाये गये।

दस्यु फूलन देवी गिरोह के डकैत बालादीन की गिरफ्तारी

12--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विगत 22 अप्रैल, 1981 को प्रकाश में आये दस्यु फूलन देवी गिरोह के डकैत बालादीन को किस तारीख में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने उसे कितने दिनों तक अपनी हिरासत में रखकर उससे क्या-क्या जानकारी प्राप्त की ? क्या यह सही है कि इस गिरोह को कुछ सफेद पोश लोगों द्वारा अप्रत्यक्ष सहायता देने का रहस्य भी ज्ञात हुआ है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन लोग हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार 21 अप्रैल, 1981 को डकैत बालादीन को गिरफ्तार करके दिनांक 22-4-81 को जेल रवाना किया गया। उससे पूछ-तांछ से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त ने जनपद कानपुर, हमीरपुर, जालौन, इटावा आदि में कत्ल, अपहरण डकैती आदि के अपराध किये हैं। इसके अतिरिक्त बालादीन ने अपने आप को मुस्तकीम, विक्रम व फूलन देवी के गिरोह का सक्रिय सदस्य होना भी स्वीकार किया है।

अभियुक्त से पूछतांछ के दौरान मुस्तकीम एवं फूलन देवी गिरोह को अप्रत्यक्ष रूप से सहायता देने वाले कतिपय व्यक्ति प्रकाश में आए हैं। उनके विरुद्ध आवश्यक जांच एवं कार्यवाही हेतु सम्बन्धित पुलिस अधीक्षकों को लिखा जा चुका है।

प्रदेश के श्रम राज्य मन्त्री द्वारा तिलक हाल, कानपुर में बुलायी गयी बैठक

13--श्री मोतीलाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर निवासी प्रदेश के एक राज्य मन्त्री ने सरकारी स्तर की एक मीटिंग कांग्रेस (आई) के कार्यालय तिलक हाल, कानपुर में 20 जनवरी, 1981 को बुलाई थी जिसके सम्बन्ध में 22 जनवरी, 1981 को प्रश्नकर्ता ने मुख्य मन्त्री को एक पत्र लिखा था ? यदि हां, तो उस पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

दिनांक 20 जनवरी, 1981 को प्रदेश के राज्य मन्त्री, श्रम द्वारा तिलक हाल, कानपुर में एक बैठक बुलाई गयी थी। अब तक की छान-बीन के अनुसार इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का दिनांक 22 जनवरी, 1981 को लिखा पत्र प्राप्त न होने की सूचना मुझे दी गई है।

राष्ट्रीय इन्टर कालेज, महरेव पुरेव, जौनपुर के छात्र/छात्राओं का अपूर्ण परीक्षाफल

14--श्री प्रभूनारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981 में राष्ट्रीय इन्टर कालेज, महरेव पुरेव, जौनपुर के कितने छात्र/छात्राओं का परीक्षाफल अपूर्ण होने के कारण समस्त छात्रों के साथ घोषित नहीं किया गया ? क्या यह भी सत्य है कि इन छात्रों का परीक्षाफल माह अक्तूबर, 1981 तक घोषित नहीं हुआ ? यदि हां, तो इसके क्या कारण है ? इसके लिये दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और उन छात्रों को उच्च कक्षा में प्रवेश लेने में कौन-सी सुविधा दी गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातक परीक्षा का परीक्षाफल

15--श्री प्रभू नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर की जो परीक्षायें माह अप्रैल, 1981 में ली गई थी, उनसे सम्बद्ध सभी महाविद्यालयों के परीक्षाफल माह अक्तूबर, 1981 तक घोषित नहीं हुए ? क्या यह भी सत्य है कि विलम्ब से परीक्षाफल घोषित होने के कारण अधिकांश छात्रों का भविष्य अधर में पड़ा है ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

स्नातक स्तर की परीक्षाओं से सम्बन्धित विवरण* सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

जी नहीं ।

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार स्नातक स्तर की भाग एक की परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरान्त छात्रों को तत्काल भाग दो में प्रवेश दिया गया। इसी प्रकार भाग 2 के छात्रों को भी आगे कक्षा में प्रवेश की सुविधा प्रदान कर दी गई ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

पडरौना, जिला देवरिया में पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना

16--श्रीमती गौरी देवी--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिछली जनता सरकार बभनौली, तहसील पडरौना, जिला देवरिया में पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना लिए 59 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था ? यदि हां, तो पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर अब तक न खोलने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त जमीन को चीनी मिल सेवरही (देवरिया) को वापस करने जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर कब तक निर्मित/स्थापित किया जायेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत केवल 49.34 एकड़ फालतू घोषित भूमि आवंटित की गयी थी किन्तु भूमि अपर्याप्त तथा प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उपयुक्त नहीं पाई गई जिसके कारण प्रस्तावित ट्रेनिंग सेन्टर नहीं खोला जा सका । इस भूमि को चीनी मिल सेवरही (देवरिया) को दिये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है । उपयुक्त स्थल एवं भूमि का चयन हो जाने के उपरान्त ही पुलिस ट्रेनिंग सेन्टर को स्थापित किया जा सकेगा ।

(*देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 891 पर ।)

रानीखेत तहसील के अन्तर्गत प्रान्तीयकृत हुये हाई स्कूल व इन्टर कालेजों में चतुर्थ श्रेणी के सेवामुक्त कर्मचारियों को पुनः सेवा में लिये जाने का विचार

17--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि रानीखेत तहसील के अन्तर्गत जनवरी, 1979 से 1980 तक प्रान्तीयकृत हुए विद्यालयों में हाई स्कूल व इन्टर कालेजों में कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को जिला विद्यालय निरीक्षक, अल्मोड़ा के अनुमोदन के पश्चात भी प्रान्तीयकरण होने पर सेवा से मुक्त किया गया है ? शासन क्या ऐसे कर्मचारियों को पुनः सेवा में लेने पर विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? नहीं तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय अंचल के आठ जनपदों में प्रान्तीयकृत हाई स्कूल एवं इन्टर कालेजों में प्रधानाचार्य तथा प्रधानाध्यापक तथा प्रवक्ता का आयोग द्वारा अनुमोदन

18--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1977 के पश्चात् पर्वतीय अंचल के आठ जनपदों में कितने प्रान्तीयकृत हाई स्कूल एवं इन्टर कालेज के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता व सहा0 अध्यापक, एल0 टी0 के पदधारकों को अक्तूबर, 1981 तक लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदन हेतु नहीं बुलाया गया है ? शासन क्या उपरोक्त विद्यालयों के उक्त प्रकार के कर्मचारियों को अनुमोदन हेतु बुलाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

पर्वतीय क्षेत्र के 8 जनपदों में मई, 1977 के पश्चात् प्रान्तीयकृत 28 हाई स्कूलों तथा 42 इंटरमीडिएट कालेजों के 42 प्रधानाचार्यों, 28 प्रधानाध्यापकों 262 प्रवक्ता तथा 304 सहायक अध्यापकों (एल0 टी0) को लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया । आयोग ने यह परामर्श दिया है कि पर्वतीय क्षेत्र में प्रान्तीयकृत विद्यालयों के अध्यापकों के अनुमोदन हेतु एक नियमावली बन ई जाय । नियमावली बनने के उपरान्त ही इन अध्यापकों का आयोग द्वारा अनुमोदन सम्भव होगा ।

जनपद बदायूं में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये डकैत

19--श्री मोहम्मद अबरार अहमद---

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1981 में जनपद बदायूं में कितने लोग पुलिस की मुठभेड़ में मारे गये ? क्या सरकार उनकी सूची देने का कष्ट करेगी और क्या इन मुठभेड़ों में मारे गये व्यक्तियों के सम्बन्ध में किसी उच्च अधिकारी द्वारा यह जांच करायेगी कि कितने लोग गलत ढंग से पुलिस द्वारा मारे गये हैं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

वर्ष 1981 में जनपद बदायूं में 47 डकैत पुलिस मुठभेड़ में मारे गये जिनको *सूची संलग्न है। मुठभेड़ की 5 घटनायें, जिनकी मैजिस्टीरियल जाँच प्रचलित है, को छोड़कर समस्त मामलों में मैजिस्टीरियल जांच से कोई गलत मुठभेड़ का होना नहीं पाया गया है। अब इनमें किसी अन्य जांच की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

प्रदेश के समस्त जनपदों में पोलीटेकनिक सेन्टर खोलने की योजना पर विचार

20—श्री मोहम्मद अबरार अहमद—

क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के समस्त जनपदों में अलग-अलग कितने पोलीटेकनिक सेन्टर सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं ? क्या प्रदेश में ऐसे भी जनपद हैं जहां पर अब तक कोई पोलीटेकनिक सेन्टर नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो ऐसे कितने जनपद हैं जिनमें सरकार ऐसे जनपदों में सेन्टर खोलने के लिये योजना बना रही है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

प्रदेश के 38 जनपदों में कुल 32 राजकीय तथा 18 अनुदानित बहुधंधी संस्थायें चलाई जा रही हैं जिनकी **सूची संलग्न है। 19 जनपदों में अभी कोई पालीटेकनिक स्थापित नहीं किये गये हैं। इनमें से 4 जनपदों देवरिया, बांदा, उन्नाव तथा एटा में एक-एक पालीटेकनिक स्थापित करने के प्रस्ताव विचाराधीन है।

रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, जिला बस्ती में व्याप्त अनियमितताओं की जांच तथा स्पेशल आडिट तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा किये गये आडिट की रिपोर्ट

21—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न संख्या 64 के उत्तर के बारे में क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि रतनसेन डिग्री कालेज, बांसी, जिला बस्ती में व्याप्त अनियमितताओं की जो जांच सहायक लेखाधिकारी, मंडलीय उपशिक्षा निदेशक, गोरखपुर तथा सी० आई० डी० द्वारा हो रही थी, क्या वह पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो क्या तथ्य प्रकाश में आये और उनके संदर्भ में कालेज के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं।

जांच पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

---

*(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 892 पर।)

**(देखिए नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 895 पर।)

22—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के चौथे मंगलवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के उत्तर के संदर्भ में क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंग कि स्पेशल आडिट तथा स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा किये गये आडिट की रिपोर्ट क्या है तथा वह कौन से विधिक कारण हैं जिससे कि प्राधिकृत नियंत्रक की नियुक्ति की कार्यवाही सम्प्रति संभव नहीं है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

कालेज के प्रबन्धक को स्पेशल आडिट में उल्लिखित वित्तीय अनियमितताओं के आधार पर उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 57 के अन्तर्गत नोटिस दी गई थी किन्तु धारा 57 (V) के आधार विधिक दृष्टि से सिद्ध न होने के कारण प्राधिकृत नियंत्रक को नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

श्रीमती गंगा देवी शर्मा, ग्राम खेमनगला माजरा जरोठी, जिला अलीगढ़ के पत्र की जांच

23—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि माह अगस्त में श्रीमती गंगा देवी शर्मा, ग्राम खेमनगला माजरा जरोठी, थाना हरदुआगंज, जिला अलीगढ़ का कोई इस आशय का पत्र मिला है जिसमें उन्होंने नवम्बर, 1980 में जवां में हुई हत्या काण्ड की जांच कराने की मांग की है ? यदि हां, तो जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आये तथा अभी तक प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, श्रीमती गंगा देवी शर्मा, ग्राम खेम नगला माजरा जरोठी, जिला अलीगढ़ का उक्त पत्र प्राप्त हुआ था । ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ की जांच आख्या के अनुसार कथित हत्याकांड पुलिस मुठभेड़ में होना पाया गया । उक्त घटना की मजिस्टीरियल जांच भी कराये जाने के लिये ज्येष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ को लिखा गया है ।

अवकाश प्राप्त आई० ए० एस० श्री प्रकाश कृष्ण सूद की पुत्रवधू श्रीमती सविता के हत्याकांड की जांच

24—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि 8 अगस्त, 1980 को देहरादून नगर में अवकाश प्राप्त, आई० ए० एस०, श्री प्रकाश कृष्ण सूद की पुत्रवधू श्रीमती सविता के हत्याकांड की जो जांच अपराध अनु० शाखा से इस वर्ष कराई गई है ? उसमें क्या तथ्य प्रकाश में आये एवं उनके संदर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां, इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की जा रही है । जांच अभी प्रचलित है और समाप्त होने पर ही अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी ।

प्रदेश से होने वाली चीनी की तस्करी की जांच

25--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1980 के दरमियान इस आशय की शिकायत प्रकाश में आई कि प्रदेश के कतिपय चीनी मिलों ने अवैध रूप से पाकिस्तान को चीनी भेजने की तस्करी की और क्या सरकार ने इसकी जांच उत्तर प्रदेश की पुलिस/सी० आई० डी० से कराई ? यदि हां, तो प्रश्नगत मिलों के नाम क्या हैं ? कितने लाख की चीनी की तस्करी की गई और तस्करी के इस षड्यंत्र में कौन-कौन से लोग शामिल रहे ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

वर्ष 1980 में इस प्रकार की शासन स्तर पर कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई लेकिन कलकत्ता से प्रकाशित होने वाली अंग्रेजी साप्ताहिक "सन्डे" नामक पत्रिका के दिनांक 14 दिसम्बर, 1980 के अंक में इस आशय का एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि उत्तर प्रदेश से चीनी की तस्करी पाकिस्तान को पंजाब के माध्यम से हो रही है जिसकी जानकारी होने पर शासन द्वारा सी०आई०डी० को जांच सौंप दी गई जो अभी प्रचलित है ।

बागपत, जिला मेरठ की घटना की सी० आई० डी० जांच की अंतिम आख्या

26--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि बागपत, जिला मेरठ की घटना की अदालती जांच आयोग श्री पी० एन० राय की रिपोर्ट के आधार पर सी० आई० डी० ने अपनी विवेचना पूरी करके अदालत में मुकदमा दाखिल करने के लिये शासन की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु गृह मंत्रालय में 23 मार्च, सन् 1981 के पूर्व पत्रावली दाखिल की ? यदि हां, तो क्या इसकी स्वीकृति दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी नहीं । इस मामले में सी० आई० डी० की अंतिम आख्या 31 दिसम्बर, 1981 में प्राप्त हुई थी । दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति का कार्यवाही विचाराधीन है ।

प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता थाने में पड़ रही डकैतियों को दर्ज न करने संबंधी पत्र पर कृत कार्यवाही

27--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या गृह मंत्री को प्रश्नकर्ता का दिनांक 11-2-81 का पत्र प्रतापगढ़ जनपद के मानधाता थाने में पड़ रही डकैतियों को दर्ज न करने के सिलसिले में मिला था ? अगर हां, तो अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित आरोपों की जांच भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा की गई । उनकी जांच से थाना मानधाता की पुलिस द्वारा दिनांक 3/4-12-80 की रात श्री सीताराम यादव

निवासी ग्राम अकारीपुर तथा दिनांक 2/3-1-81 को कलई बेवा, कमलासोदीन निवासी ग्राम कुलहीपुर के यहां पड़ी डकैतियों को पंजीकृत न करके अपराधों को छुपाने का प्रयास करने तथा दिनांक 6/7-1-81 को श्री मातादीन निवासी ग्राम बहरिया के यहां पड़ी डकैती को धारा 147/323 भा० द० वि० के अन्तर्गत दर्ज कर अपराध को कम करके दिखाने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित हुये हैं। इस संबंध में दोषी पुलिस कर्मियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है और आरोपों को सही धाराओं में परिवर्तित कराकर उनकी विवेचना कराये जाने के निदेश भी दिये गये हैं।

28--श्री प्रदीप कुमार यादव--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

प्रदेश में हिजड़ों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव

29--श्री प्रदीप कुमार यादव--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष प्रदेश में (लखनऊ में) हिजड़ों का कोई सम्मेलन हुआ था ? यदि हां, तो, उसमें पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें पुलिस सेवा में रखने हेतु सरकार को कोई मांग-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर शासन द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कान्स्टेबुल प्रशिक्षण केन्द्र में अनुपस्थित प्रशिक्षणार्थी

30--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा से कांस्टेबुल में भर्ती करके सन् 1980 में प्रशिक्षण हेतु बहराइच में बहुत से लोगों को भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सर्वश्री बालक राम मिश्र, राम सिंह पाण्डेय, अमर जीत सिंह, अवधेश शर्मा जो बिना छुट्टी लिये प्रशिक्षण से 3 दिन लगातार 8 दिन तक गैर हाजिर रहे उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है।

कान्स्टेबुल पद पर भर्ती हुये श्री तेज बहादुर वर्मा, बस्ती को प्रशिक्षण काल में गैर हाजिरी से सेवा मुक्ति

31--श्री ऊदल--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री तेज बहादुर वर्मा जनपद बस्ती से नवम्बर, 1980 में कान्स्टेबुल के पद पर भर्ती हुये और उनको प्रशिक्षण हेतु बहराइच भेजा गया था ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इसको तीन दिन की गैर हाजिर में कार्यालय आरक्षी के पत्र संख्या डी० 6, 81, दिनांक 3 अगस्त, 1981 के द्वारा अधीक्षक पुलिस बस्ती ने एक माह की नोटिस देकर निकाल दिया है ? ऐसा क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, गाजीपुर में अध्यापकों को स्थायी न किये जाने का कारण

32-श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका दीक्षा विद्यालय, गाजीपुर की स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत कितनी अध्यापिकायें 26-10-81 को अस्थायी हैं, इनमें कौन-कौन सी ऐसी अध्यापिकायें हैं जिनका सेवाकाल उक्त वेतन क्रम में 12 साल से अधिक हैं ? इतनी लम्बी सेवा अवधि होने के उपरान्त भी उन्हें स्थायी न किये जाने के क्या प्रमुख कारण हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

राजकीय उ० मा० विद्यालयों में इंटर आई० जी० डी० (बाम्बे) की योग्यता रखने वाले अध्यापकों को एल० टी० वेतन क्रम देने की मांग

33--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय उ० मा० विद्यालयों में हाई स्कूल कक्षाओं को पढ़ाने वाले सी० टी० ग्रेड के इंटर आई० जी० डी० (बाम्बे) उत्तीर्ण कला अध्यापकों को अशासकीय विद्यालयों की भांति एल० टी० वेतन क्रम में पदोन्नति दी जाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं ।

क्योंकि राजकीय विद्यालयों के लिये सहायक अध्यापक जो इंटर आई० जी० डी० (बाम्बे) की योग्यता रखते हैं, एल० टी० वेतनक्रम में सहायक अध्यापक (कला) पद हेतु अर्ह नहीं हैं ।

श्री राम नरायन वर्मा, बाराबंकी की कार संख्या डब्लू बी० जी० 1010 के किराये की अदायगी सम्बन्धी पत्र

34--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या गृह मंत्री को पता है कि प्रश्नकर्त्ता ने 20-4-81 को श्री राम नरायन वर्मा ग्राम कुरौली, पो० वडेल, बाराबंकी के प्रार्थना पत्र के साथ अपना पत्र अंडर पोस्टल सार्टिफिकेट डाक से गृह सचिव के पास भेजा था कि श्री राम नरायन वर्मा की प्राइवेट एम्बेसडर टैक्सी नं० डब्लू० बी० जी० 1010 थानाधिकारी (रामनगर) श्री सी० बी० मल 2 रुपया प्रति किलोमीटर की दर से पुलिस अधीक्षक श्री बलराम भोला ने बाराबंकी से पोलीभीत जाने के लिए तय किया ? क्या शासन ने श्री वर्मा के उस कथन की जांच करायी है, जिसमें श्री वर्मा ने आरोप लगाया है कि पोलीभीत पहुंच कर बिना पैसा दिये जबरदस्ती रसीद लिखाकर श्री वर्मा को भगा दिया ? यदि हां, तो क्या शासन श्री वर्मा को पुलिस अधीक्षक श्री भोला अथवा सब इन्सपेक्टर श्री प्रहलाद यादव या श्री सी० बी० मल से बकाया 1200 रु० दिलाने पर विचार करेगा ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

इस विषय पर एक टिनांक रहित पत्र प्राप्त हुआ था। पुलिस उप महानिरीक्षक फैजाबाद परिक्षेत्र के माध्यम से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त की गयी। विदित हुआ कि कार संख्या—डब्लू—बी—जी—1010 रु0 600 पर तय की गयी थी। यह धनराशि ड्राइवर श्री दुर्ग विजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक, श्री बलराम भोला से प्राप्त की थी और रसीद दी थी।

राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिधौली, जिला सीतापुर की अध्यापिका श्रीमती जानकी देवी शुक्ला की पेंशन का भुगतान

35—श्री राम लाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिधौली, जिला सीतापुर की सहायक अध्यापिका श्रीमती जानकी देवी शुक्ला 30—6—75 को सेवा निवृत्ति हुई थीं तथा उनकी पेंशन स्वीकृति हेतु प्रपत्र उप मन्डलीय शिक्षा निदेशक, लखनऊ मन्डल, लखनऊ के यहां पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो उन्हें अभी तक पेंशन स्वीकृत क्यों नहीं की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

राष्ट्रीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिधौली, सीतापुर की सहायक अध्यापिका श्रीमती जानकी देवी शुक्ला को मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, लखनऊ द्वारा दिनांक 9 नवम्बर, 1981 को पेंशन स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर की जिले से बाहर रहने की अवधि

36—श्री श्याम लाल बाजपेयी—

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर, जुलाई, 1981 से 25—10—81 तक कितने समय तक जिले से बाहर रहे ? क्या अनुपस्थिति काल की उन्होंने कोई छुट्टी ली थी ? यदि नहीं, तो उन पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

श्री अजय सिंह, पुलिस अधीक्षक, सुल्तानपुर दिनांक 1 जुलाई, 1981 से 25 अक्तूबर, 1981 तक की अवधि में कुल 43 दिन जनपद मुख्यालय से बाहर रहे जिसमें 10 दिन की अवकाश अवधि शामिल है। शेष अवधि के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत में प्रधानाचार्य एवं आदर्श प्रधानाचार्या को निःशुल्क आवासीय सुविधा

37—श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय दीक्षा विद्यालय, ताड़ीखेत (अल्मोड़ा) में प्रधानाचार्य एवं आदर्श प्रधानाचार्या को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध है ? यदि हां, तो किन—किन को ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

38--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

[6ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

पश्चिमी अल्मोड़ा, वन प्रभाग में भूमि के छेदनकर्त्ताओं को भुगतान

39--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी अल्मोड़ा वन प्रभाग में 1979-80 के कितने नाप भूमि के छेदनकर्त्ता (मेटो) का भुगतान नहीं किया गया है? उनकी कितनी संख्या है, कुल कितना धन बकाया है? कब तक धन छेदनकर्त्ताओं का भुगतान कर दिया जायेगा?

वन राज्य मंत्री (श्री निर्भय नारायण सिंह)--

वर्ष 1979 लीसा फसल में निजी छेदकों की संख्या कुल 62 थी। तीन छेदकों को छोड़कर सभी छेदकों को इस वर्ष उत्पादित लीसे की कीमत का पूर्ण भुगतान करा दिया गया है। उक्त तीन छेदकों का आंशिक भुगतान किया गया है। इन तीन छेदकों को पूर्ण भुगतान न करने का कारण यह रहा है कि इनके द्वारा उत्पादित लीसे का नीलाम किया गया किन्तु क्रेताओं द्वारा यह लीसा नहीं उठाया गया। अब इस लीसे को दुबारा नीलाम किया जा रहा है। उस समय के कृत नीलाम के अनुसार इन छेदकों का देय कुल 30,524·80 रु0 था। इन छेदकों को वास्तविक बकाया मूल्य पुनः नीलाम में जो दरें प्राप्त होंगी उसके आधार पर ही बतलाना तथा उसका भुगतान करना सम्भव होगा।

वर्ष 1980 लीसा फसल के कुल निजी छेदकों की संख्या 141 थी। इन निजी छेदकों के उत्पादित लीसे का नीलाम में प्राप्त औसत मूल्य के आधार पर उनको कुल 22,69,984·00 रु0 देय हैं। जिसमें से 124 छेदकों को 11,81,984·52 रु0 का आंशिक रूप से भुगतान कर दिया गया है। शेष 17 छेदकों के व्यय-पत्र प्राप्त न होने के कारण उनका आंशिक भुगतान नहीं किया जा सका। अन्तिम भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है और सम्बद्ध छेदकों को उक्त भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

लीसा की नीलामी

40--श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

1979-80 से लीसा का नीलाम न किये जाने का क्या कारण है? इससे शासन की आय में कितनी क्षति हुई है? क्या शासन डिपो में पड़े माल को नीलाम करने को सोच रही है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

वर्ष 1979 लीसा फसल में निजी वनों से प्राप्त सभी लीसा का यथा समय नीलाम कर दिया गया था; किन्तु तीन छेदकों द्वारा उत्पादित लीसा क्रेताओं द्वारा न उठाये जाने के कारण इसका पुनः नीलाम किया जा रहा है।

वर्ष 1980 लीसा फसल में निजी वनों से उत्पादित सम्पूर्ण लीसा को नीलाम मे बेचा गया है और इस नीलाम के अनुमोदन की कार्यवाही की जा रही है।

अब चूंकि वर्ष 1980 के उक्त लीसे का नीलाम हो चुका है । अतः राजस्व की हानि आदि के संबंध में प्रश्न का शेष भाग नहीं उठता।

जनपद देवरिया के कतिपय ब्लाकों में प्राइमरी पाठशालायें व उनके भवन

41—श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र—

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सलेमपुर तहसील, जनपद, देवरिया में वर्तमान समय में कितने प्राइमरी पाठशालायें हैं और कितने जूनियर हाई स्कूल हैं ? कितने के पास भवन नहीं है ? इसमें नदोली, कोसड़, लार ब्लाक, सवेणी ब्लाक भटनी, बकुची, ब्लाक भागलपुर के विद्यालयों का भवन कब तक बन जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

42—श्री बंशीधर—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ विश्वविद्यालय के लोक प्रशासन विभाग में पुनः परीक्षायें

43—श्री मुईद अहमद—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के छात्रों की सत्र 1979-80 की परीक्षायें पुनः करवाई गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार लोक प्रशासन में वर्ष 1979 में विद्यार्थियों ने मास्टर आफ आर्टस इन पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन में प्रवेश लिया किन्तु छात्रों ने परीक्षायें नहीं दी और इस बात पर जोर दिया कि उन्हें प्राफेशनल डिग्री दी जाय। विश्वविद्यालय ने नये अध्यादेश मास्टर इन पब्लिक एडमीनिस्ट्रेशन की उपाधि के लिए बनाये और इन अध्यादेशों के अन्तर्गत विद्यार्थियों ने पुनः प्रवेश लिया । वर्ष 1980 में इनकी परीक्षायें हुई। ये विद्यार्थी दो प्रश्न-पत्रों में बैठे तथा बाकी प्रश्न-पत्रों में परीक्षा नहीं दी। परीक्षा समिति ने निर्णय लिया कि नियमानुसार ये विद्यार्थी एक्जम्पटेड परीक्षार्थियों के रूप में नियमित छात्रों के साथ बैठ सकते हैं। इन छात्रों की परीक्षायें नियमित छात्रों के साथ जनवरी, 1982 में सम्पन्न हो चुकी हैं।

निदेशक, सैनिक कल्याण द्वारा सरकारी स्टाफ कार का दुरुपयोग

44—श्री मोहन सिंह—

क्या मुख्य मन्त्री को निदेशक, सैनिक कल्याण द्वारा सरकारी स्टाफ कार को दुरुपयोग करने के विषय में कोई शिकायतें दिनांक 17 अगस्त, 1981 को मिली हैं ? यदि हां, तो यह शिकायत क्या है और उसपर क्या कोई कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी हां ।

दिनांकित 17-8-81 का कथित शिकायती-पत्र शासन को प्राप्त हुआ । इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

45--श्री मोती लाल देहलवी--

[2-2-82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 199 द्वारा उत्तरित ।]

मुरादाबाद में हुये दंगे में मृत व्यक्तियों के आश्रितों की सहायता

46--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में 13 अगस्त, 1980 को और उसके बाद हुए दंगों में मरने वाले कितने-कितने लोगों को और कितना-कितना रुपया सरकार द्वारा रिलीफ में दिया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मुरादाबाद में 13 अगस्त, 1980 और उसके बाद हुए दंगे में जनता के मरने वाले लोगों जिनमें लापता हुए व्यक्ति भी शामिल हैं और जिन्हें उनके आश्रितों द्वारा दिये गये हलफनामा के आधार पर मृत मान लिया गया है, की कुल संख्या 289 है । जिनमें से 283 मृतक तथा लापता व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार को दस हजार रुपया की दर से आर्थिक सहायता दी गई है । शेष 6 मामलों में प्रत्येक मृतक के परिवार को अभी पांच हजार रुपये का भुगतान किया गया है और शेष पांच हजार रुपया का भुगतान किया जाना रोक रखा गया है क्योंकि इनमें से एक मामले में पुलिस जांच चल रही है, दो मामलों में वसूली की कार्यवाही चल रही है और तीन मामलों में वारिसान से सम्बन्धित मामला न्यायालय के विचाराधीन है ।

बजोरिया हलवासिया मोटर सर्विस स्टेशन, लखनऊ में कर्मचारी को ग्रेच्युटी का भुगतान

47--श्री रियासत हुसैन--

क्या शासन को बजोरिया हलवासिया मोटर सर्विस स्टेशन, लखनऊ में काम करने वाले किसी कर्मचारी को कम्पनी द्वारा ग्रेच्युटी आदि का भुगतान न करने के सम्बन्ध में पत्र 9-3-81 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उस कर्मचारी को भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो कब तक उस कर्मचारी को ग्रेच्युटी का पैसा मिल जायेगा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां ।

सम्बन्धित कर्मचारी को ग्रेच्युटी के धन का भुगतान काल-तिरोहित हो जाने के कारण कराया जाना सम्भव नहीं है । पहले श्रमिक किसी भी श्रम न्यायालय में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (केन्द्रीय) की धारा 33-सी(2) के अन्तर्गत अपना वाद प्रस्तुत करे, निर्णय प्राप्त होने के बाद धन वसूली की कार्यवाही सम्पन्न हो सकेगी ।

48--श्री रियासत हुसैन--

[6ठें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

49--श्री राम आसरे वर्मा--

[3रे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

50--श्री कुबेर भण्डारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर के भाषा प्रशिक्षक श्री सुरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी द्वारा बी0 एड0 का प्रशिक्षण

51--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय माध्यमिक प्राविधिक बिद्यालय, गोरखपुर के भाषा प्रशिक्षक (श्री सुरेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी) ने सत्र 1979-80 अपनी संस्था में कार्य करते हुए जवाहर लाल नेहरू स्मारक डिग्री कालेज, गोरखपुर से सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बी0 एड0 का प्रशिक्षण प्राप्त किया है जिसके सम्बन्ध में प्राविधिक शिक्षा निदेशक के पत्र संख्या 3127 दिनांक 15-12-80 के द्वारा जांच करायी गयी ? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी जांच रिपोर्ट को सदन के पटल पर रख कर कृत कार्यवाही से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां ।

राजकीय माध्यमिक प्राविधिक विद्यालय, गोरखपुर के भाषा प्रशिक्षक ने सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बी0 एड0 का प्रशिक्षण सत्र 1979-80 में प्राप्त किया था । निदेशक, प्राविधिक शिक्षा के अर्ध शासकीय पत्रांक 3127 दिनांक 15-12-1980 द्वारा प्रधानाचार्य, राजकीय पालीटेकनिक, गोरखपुर को कथित शिकायत के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिये गये थे । प्रधानाचार्य की जांच के आधार पर निदेशक ने सूचित किया है कि भाषा प्रशिक्षक ने तत्कालीन प्रधानाचार्य से लिखित अनुमति प्राप्त कर लिया था । उन्होंने उसे अपने पास रख लिया था और जांच के समय प्रस्तुत किया जिसे अब कार्यालय अभिलेख में रख दिया गया है ।

अलीगंज, लखनऊ स्थित एम0 आई0 जी0 कालोनी के कतिपय अध्यासियों का प्रार्थना पत्र तथा कृत कार्यवाही

52--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्त्ता का एक पत्र दिनांक 6-8-81 जिसके साथ अलीगंज, लखनऊ स्थित एम0 आई0 जी0 कालोनी के कतिपय अध्यासियों का, अनुरक्षण खण्ड-3 के कर्मचारियों द्वारा उनकी कठिनाइयों का जानबूझ कर निराकरण न करने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र संलग्न था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

(1) जी हां ।

(2) प्रार्थना-पत्र में अंकित शिकायतों की जांच अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त से करायी गयी । आगामी कार्यवाही प्रगति पर है ।

(3) प्रश्न नहीं उठता ।

हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षाओं के लिए मूल्यांकन हेतु परीक्षकों की केन्द्रों पर नियुक्ति

53--श्री कुबेर भन्डारी--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारण से माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के (व्यक्तिगत) परीक्षकों को झांसी, पीलीभीत, इलाहाबाद, सहारनपुर आदि सुदूर स्थानों पर लगभग तीन सौ, चार सौ किलोमीटर दूरी पर मूल्यांकन हेतु नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो इसका आधार क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षाओं के लिये सम्पूर्ण प्रदेश में केवल 24 मूल्यांकन केन्द्र होने के कारण कुछ परीक्षकों को समीपवर्ती मूल्यांकन केन्द्रों पर परिस्थितियोंवश समायोजित नहीं किये जाने की परिस्थिति में उन्हें दूर के मूल्यांकन केन्द्रों पर नियुक्त किया गया ।

श्रमिक बस्तियों में रहने वालों को क्वार्टर खरीदने की सुविधा

54--श्री यदुनाथ सिंह--

क्या श्रम मन्त्री को ज्ञात है कि भारत सरकार के निर्माण और आवास मंत्रालय से दिनांक 9 फरवरी, 1978 को एक परिपत्र उत्तर प्रदेश शासन को भेजा गया है कि श्रमिक बस्तियों में रहने वालों को क्वार्टर खरीदने की सुविधा दे दी जावे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या-क्या कार्य-वाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

जी हां । यह एक नीति-विषयक मामला है तथा इस पर भारत सरकार से पत्र व्यवहार हो रहा है ।

थाना बिलग्राम, जिला हरदोई अन्तर्गत धाराओं की विवेचना की प्रगति

55--श्री हरीशंकर--

क्या गृह मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगी कि संख्या 73 सन् 1981 थाना बिलग्राम, जिला हरदोई अन्तर्गत धारा 147, 148, 149, 302 आई० पी० सी० की विवेचना गृह सचिव द्वारा अपराध अनुसंधान शाखा को दिनांक 13 जुलाई, 1981 को स्थानान्तरित कर दी गई है ? यदि हां, तो उसकी जांच की प्रगतिक्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । विवेचना प्रगति पर है ।

तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में वन विभाग की भूमि

5 6--श्री हरीशंकर--

क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में वन विभाग की भूमि ह ? यदि हां, तो कितनी ? उक्त भूमि पर कब्जा वन विभाग का है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां । तहसील बिलग्राम, जिला हरदोई में वन विभाग की 3105.50 हेक्टेयर वन भूमि है । इसमें से 250.60 हेक्टेयर पर अस्थायी तौर पर अतिक्रमण है जो आगामी वृक्षारोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के समय हटने की सम्भावना है ।

परगनाधिकारी बिलग्राम, जिला हरदोई के विरुद्ध तार द्वारा शिकायत की जांच

57--श्री हरीशंकर--

क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि श्री सुरेश चन्द्र तिवारी एडवोकेट, बिलग्राम ने परगना अधिकारी, बिलग्राम, हरदोई को शिकायत तार द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 को मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ व जिला अधिकारी, हरदोई को की है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी हां । शिकायतकर्ता ने परगनाधिकारी, बिलग्राम, जिला हरदोई के विरुद्ध दिनांक 20 अक्तूबर, 1981 को मुख्य सचिव व जिला अधिकारी, हरदोई से तार द्वारा शिकायत की है । जांच कराई गयी है । जिलाधिकारी की जांच आख्या शासन में दिनांक 30 जनवरी, 1982 को प्राप्त हुई है ।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में अनुसूचित जाति के पद धारक अध्यापकों की पदोन्नति

58--श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि शासन ने मई, 1981 में यह निर्णय लिया है कि अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान 450-950 (पुनरीक्षित 770-1600) में अनुसूचित जाति का शीघ्र कोटा पूर्ति हेतु एल0 टी0 वेतनक्रम के अनुसूचित जाति के पद धारक अध्यापकों को शीघ्र एल0 टी0 वेतनक्रम में स्थायी कर पदोन्नति किया जायेगा ? यदि हां, तो 1 जून 1981, से 31 अक्तूबर, 1981 तक अनुसूचित जाति के सी0 टी0 ग्रेड से एल0 टी0 ग्रेड में पदोन्नति एल0 टी0 पद धारक कितने अध्यापकों को स्थायी कर के अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान में पदोन्नति किया गया है ? यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है और शासन शीघ्र कोटा पूर्ति हेतु क्या कार्यवाही कर रहा है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

59--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[22-9-81 को अतारांकित प्रश्न संख्या 122 द्वारा उत्तरित ।]

60--श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

61--श्री मोती लाल देहलवी--

[5वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संया 2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

थाना बिल्हौर के युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों के विरुद्ध दर्ज रिपोर्ट पर विचार

62--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 2 मई, 1981 को थाना बिल्हौर, कानपुर (देहात) में तहसील बिल्हौर के माल बाबू श्री श्रीराम यादव ने बिल्हौर के युवक कांग्रेस के पदाधिकारियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई है और अपना डाक्टरी मुआयना कराया है ? यदि हां, तो उक्त माल बाबू की रिपोर्ट का पूर्ण विवरण तथा डाक्टरी रिपोर्ट क्या है और उक्त मामले में अभियुक्तों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 2 मई, 1981 को सायं 4.10 बजे श्री श्रीराम यादव राजस्व लिपिक, तहसील बिल्हौर ने थाना बिल्हौर पर इस आशय की सूचना दी कि दिन के लगभग 1.00 बजे बाबा रघुनन्दन दास इन्टर कालेज के अध्यापक एवं कांग्रेस (ई) के कार्यकर्ता सर्वश्री वीरेन्द्र गुप्त एवं शिव रतन सिंह ने उनके पास कार्यालय में आकर राजू, निवासी ग्राम बारामऊ के नाम का जाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए कहा । वादी ने उन्हें बताया कि उक्त राजू के नाम का जाति प्रमाण-पत्र पहले ही जारी किया जा चुका है । इस पर उन व्यक्तियों ने वादी को मारा-पीटा व उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और जान से मरने की धमकी दी । इस सूचना के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 332/504/506 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया । डाक्टरी रिपोर्ट के अनुसार वादी को साधारण चोटें आना पाया गया ।

साक्ष्य के अभाव में विवेचनोपरान्त मुकदमें में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी जो न्यायालय में विचाराधीन है ।

63--श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

64--श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

65--श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

66--श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

67--श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

पुराना विधायक निवास स्थित बहुखण्डीय भवन के ठेकेदार का बकाया भुगतान

68--श्रीमती धनेश्वरी देवी--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने को कृपा करेंगे कि श्री सीताराम वर्मा, ठेकेदार का पुराना विधायक निवास स्थित बहुखण्डीय भवन बनाने के सम्बन्ध में उनका कुछ धन अभी तक भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में सितम्बर, 1981 के प्रथम सप्ताह में कोई पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? अभी तक उक्त भुगतान न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

इस पर सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम से आख्या मांगी गयी । सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश, राजकीय निर्माण निगम की आख्या के अनुसार कोई भुगतान बाकी नहीं है ।

69--श्री मोती लाल देहलवी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

बी० के० हायर सेकेन्ड्री स्कूल, कानपुर के चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारियों के आवेदन-पत्र पर कृत कार्यवाही

70--श्री मोती लाल देहलवी--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि कानपुर के बी० के० हायर सेकेण्ड्री स्कूल के चतुर्थ श्रेणी के हरिजन कर्मचारियों सर्वश्री छोटे लाल, दिवाकर आदि की सेवाएं अवैधानिक रूप से समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 2 फरवरी, 1981 को जो पत्र प्रश्नकर्ता द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आवेदन-पत्र संलग्न कर शिक्षा राज्य मन्त्री को दिया गया उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अवध विश्वविद्यालय जांच आयोग का गठन तथा प्रतिवेदन पर विचार

71—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

प्रथम सत्र 1980 के 6वें मंगलवार को अतारांकित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि क्या प्रतिवेदन पर शासन द्वारा विचार किया जा चुका है और अब प्रतिवेदन को सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

प्रतिवेदन की प्रतियां सम्प्रत्ति छप रही हैं । प्राप्त होने पर सदन के पटल पर रखी जायेंगी ।

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का कोटा

72—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का 31 जुलाई, 1981 तक कितना प्रतिशत है और उनका कोटा नीति के अनुसार पूरा न किये जाने का क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति का प्रश्नगत अवधि म क्रमशः 4.3 तथा 0.3 प्रतिशत है । अर्ह एवं पात्र, व्यक्तियों के न उपलब्ध होने के कारण आरक्षित कोटा पूरा होना सम्भव नहीं पाया गया ।

बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री (नैनीताल) के श्रम कल्याण अधिकारी का स्थानान्तरण

73—श्री रियासत हुसैन—

क्या श्रम मन्त्री को यह जानकारी है कि बाजपुर कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्री, बाजपुर (नैनीताल) में एक ही व्यक्ति श्रम कल्याण अधिकारी के पद पर लगातार पिछले 18 वर्षों से चला आ रहा है ? क्या यह सही है कि श्रम कल्याण अधिकारी के विरुद्ध श्रमिक संघों से श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश, कानपुर को जुलाई, सन् 1981 में शिकायतें भी प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो उपरोक्त श्रम कल्याण अधिकारी का प्रशासकीय नियमों के अनुसार ट्रान्सफर न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां ।

जी हां ।

श्रम कल्याण अधिकारी की सेवायें नियमानुसार स्थानान्तरणीय नहीं हैं ।

जनपद फैजाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

74—श्री रामगोविन्द, श्री मित्रसेन तथा श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में भ्रष्ट अधिकारियों को "इंगित करो" आन्दोलन की संघर्ष समिति के संयोजक एवं जनता पार्टी के भूतपूर्व एम0 एल0 ए0 श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी ने दिनांक 7-9-81 को आयुक्त, फैजाबाद मण्डल को एक पत्र भेज कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध आन्दोलन करने का नोटिस दिया था जिस पर 9-9-81 को फैजाबाद शहर में धारा 144 लगा दी गयी ? क्या यह भी सत्य है कि दिनांक 10-9-81 को उसके विरोध में 137 लोगों ने 144 तोड़ कर अपनी गिरफ्तारी दी ? यदि हां, तो आन्दोलनकारियों की प्रमुख शिकायतें क्या थी और उनकी मांगों को मानने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । शान्ति व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से नगर में धारा 144 लगायी गयी थी ।

जी हां । धारा 144 के प्राविधानों के उल्लंघन करने पर 137 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था ।

जनपद में शान्ति व्यवस्था की नियंत्रण से बाहर स्थिति, भ्रष्टाचार आदि सामान्य प्रकार के आरोप लगाये गये थे । दिनांक 23-1-81 को आयुक्त को दिये गये शिकायती पत्र पर तथ्यात्मक छानबीन की जा रही है । यदि जांच में तथ्यात्मक बातें व अनियमितताएं प्रकाश में आती हैं तो नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

75-76—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

[2-2-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 148-149 द्वारा उत्तरित ।]

बेसिक शिक्षा परिषद्, एटा में कन्या क्रमोत्तर जूनियर हाई स्कूल में अध्यापिकाएं एवं छात्र अथवा छात्राएं

77—श्री मानपाल सिंह एडवोकेट—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि बेसिक शिक्षा परिषद्, एटा के अन्तर्गत 9 कन्या क्रमोत्तर जू0 हा0 स्कूल हैं जिनमें अध्यापिकाएं तो हैं, किन्तु छात्र अथवा छात्राएं नहीं है ? यदि हां, तो क्या ऐसी क्रमोत्तर कन्या पाठशालाओं को जनहित में अन्य वांछित स्थानों पर स्थानान्तरित कर दिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी मौनिहाल सिंह—

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा की रिपोर्ट के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद्, एटा के अन्तर्गत ऐसा कोई कन्या क्रमोत्तर जूनियर हाई स्कूल नहीं है, जिसमें अध्यापिकायें हैं और छात्र/छात्राएं नहीं हैं । जनपद एटा में चार कन्या क्रमोत्तर जूनियर हाई स्कूल छात्र/छात्राओं के अभाव में बन्द हैं तथा उनमें कोई अध्यापिका

नहीं भेजी गई हैं। जनपद एटा के किसी भी क्षेत्र से कन्या क्रमोत्तर जूनियर हाई स्कूल को मांग प्राप्त न होने के कारण उक्त बन्द विद्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने का प्रश्न नहीं उठता।

थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में जब्त दो स्कूटरों की नीलामी

78--श्री कुबेर भण्डारी--

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले 1 वर्ष से दो चोरी के स्कूटर एक बजाज, एक चेतक, थाना पुरकाजी, जिला मुजफ्फरनगर में जब्त है तथा उन दोनों स्कूटर का नीलाम क्षेत्राधिकारी के आदेशानुसार 20 मई, 1981 को होना था ? यदि हां, तो क्या उक्त दिनांक को उन दोनों स्कूटर को नीलाम किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त दोनों स्कूटर का नीलाम कब हो रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों स्कूटर अभी थानों में ही दाखिल है। क्षेत्राधिकारी द्वारा स्कूटरों की नीलामी के लिये न तो कोई तिथि नियत की गई है और न ही उक्त अधिकारी को नियमों के अन्तर्गत ऐसे माल की नीलाम का कोई अधिकार ही है। एक स्कूटर का सम्बन्ध हत्या के मुकदमें से है, अतः उसे न्यायालय में सबूत हेतु पेश करना है। दूसरे स्कूटर के मालिक का अभी तक कोई पता नहीं चला है। अतएव, स्कूटरों की तुरन्त नीलामी का अभी कोई प्रश्न नहीं उठता है, नीलामी नियमानुसार उपयुक्त समय पर की जायेगी।

79--श्री कुबेर भण्डारी--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

फर्रुखाबाद जनपद में बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं का अप-टू-डेट भविष्य निधि में देरी के लिए दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

80--श्री विमल प्रसाद तिवारी--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1981 के पांचवे मंगलवार के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या 13 के सन्दर्भ म क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस मामले में देरी के लिए जिला परिषद् के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री बृजलेश्वरी प्रसाद, सेवा मुक्त, प्रधान अध्यापक, जनपद बस्ती के पेंशन के बकाया भुगतान

81--श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री बृजलेश्वरी प्रसाद, सेवा मुक्त, धान अध्यापक, प्राथमिक पाठशाला बसडिलिया, पो0 तेतरी बाजार, विकास खण्ड,

नौगढ़, जनपद बस्ती के पेंशन आदि का भुगतान उनके उत्तराधिकारी को कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

श्री बृजलेश्वरी प्रसाद सेवा मुक्त प्रधानाध्यापक प्राथमिक पाठशाला, बसडिलिया, पो0 तेतरी बाजार, विकास खण्ड नौगढ़, जनपद बस्ती ने अपनी 60 वर्ष की आयु समाप्त करने के बाद जिला परिषदीय सेवा से वर्ष 1961 में अवकाश ग्रहण किया है । इस प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि जिला परिषदीय अध्यापकों को पेंशन नियमावली 1-4-64 से लागू हुई है चूंकि उपरोक्त नियमावली के प्राविधानों की परिधि में श्री बृजलेश्वरी प्रसाद नहीं आते हैं अतः इनके उत्तराधिकारी को पेंशन के भुगतान का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी के थाना मोहम्मदपुर खाला में अवैध अस्त्र-शस्त्र समर्पण समारोह में व्यय

82--श्री श्याम लाल बाजपेयी--

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 14 दिसम्बर, 1980 को बाराबंकी जनपद के थाना मोहम्मदपुर खाला में किसी उप मंत्री की उपस्थिति में कोई अवैध अस्त्र-शस्त्र समर्पण समारोह सम्पन्न हुआ था ? यदि हां, तो उसमें कितने हथियार समर्पित किये गये ? उनके नाम क्या-क्या हैं ? क्या शासन इस हथियार समर्पण समारोह के व्यय का ब्योरा देगा ? क्या यह भी सत्य है कि इन समारोह में भोजन का प्रबन्ध कई शक्कर लाइसेन्सी के स्वामी ने अपने खर्च से किया था ? यदि हां, तो इसका सारा ब्योरा क्या है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

दिनांक 14 दिसम्बर, 1980 को जनपद बाराबंकी, थाना मोहम्मदपुर खाला में उप मंत्री, वन विभाग की उपस्थिति में प्रश्नगत समारोह हुआ था । उसमें 5 हथियार समर्पित किये गये । समर्पित हथियारों में एक देशी पिस्तौल, एक कांता, एक बल्लम तथा दो हथगोले शामिल हैं । हथियार समर्पित करने वाले व्यक्तियों के नाम सर्वश्री बसन्त यादव, मोहन, ओंकार तथा बचाऊ हैं । हथियार समर्पण समारोह के व्यय का ब्योरा इस प्रकार है :--.

(क) माईक, शामियाना आदि पर	1,000 रु0
(ख) भोजन आदि पर	400 रु0

समारोह के आयोजन पर हुए व्यय का वहन निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा किया गया :--

(1) श्री राजेन्द्र सिंह, नि0 ग्राम मोहम्मदपुर ।

(2) श्री अकबाल सिंह, कुशवाहा, एडवोकेट, नि0 फतेहपुर ।

(3) मो0 मंसूर, नि0 फतेहपुर ।

(4) श्री कदर नारायण सिंह उर्फ बच्चा सिंह, नि0 बसौली ।

प्रदेश में पुलिस कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कर्त्तव्य पालन के दौरान मृत्यु

83--श्री शंकर सिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले एक वर्ष में प्रदेश में कितने पुलिस अधिकारी तथा कर्मचारी मारे गये ? यदि हां, तो शासन पुलिस के कर्मचारियों की ऐसी मृत्यु को रोकने के लिए क्या कर रही है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1981 में प्रदेश में कुल 110 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को कर्त्तव्य पालन के दौरान मृत्यु हुयी, जिनमें से 50 पुलिस कर्मी डकैतों से मुठभेड़ में मारे गये। पुलिस के कर्मचारियों को ऐसी मृत्यु को रोकने के लिए दस्यु उन्मूलन अभियान को बहुत गतिशील कर दिया गया है तथा पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को आधुनिकतम अस्त्रों-शस्त्रों से सुसज्जित करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। साथ ही पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये बीहड़ क्षत्रों में कार्य करने एवं दस्यु उन्मूलन का प्रशिक्षण भी प्रारम्भ कर दिया गया है।

भूतपूर्व विधायकों को लखनऊ में ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था की मांग

84--श्री रघुवीर सिंह यादव तथा श्री बंशीधर--

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि भूतपूर्व विधायकों को लखनऊ में अपने या जनता के कार्य के लिये आने पर ठहरने की निःशुल्क व्यवस्था कर दी जाय ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं।

85--श्री राम आसरे वर्मा--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

अभिसूचना, सतर्कता, अपराध अनुसंधान विभागों में विशेष सेवा भत्ता पर अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिये जाने की मांग

86--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अभिसूचना विभाग सतर्कता विभाग तथा अपराध शाखा के अधिकारि ों व कर्मचारियों को शासनादेश संख्या 1870(8)-1-150/103/75, दिनांक 20 मई, 1976 के अनुसार स्वीकृत विशेष सेवा भत्ता पर अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देती थी उसे बन्द कर दिया गया है और दिये गये मंहगाई भत्ते की वेतन से कटौती भी की जा चुकी है तो क्या सरकार इस विशेष सेवा भत्ता पर अतिरिक्त मंहगाई भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

शासन के अन्य विभागों द्वारा भी वित्तीय नियम संग्रह, खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम 9(21)(1 11) के अन्तर्गत जिन परिलब्धियों को वेतन की संज्ञा दी गयी है, जैसे नाम प्रेक्टिसिंग वेतन तथा पोस्ट ग्रेजुएट वेतन, उनका अगणन अतिरिक्त मंहगाई भत्ते के प्रयोजनार्थ नहीं किया जाता। अभिसूचना विभाग, सतर्कता विभाग तथा अपराध अनुसंधान विभाग में विशेष सेवा भत्ता भी उक्त मूल नियम के अन्तर्गत ही वेतन मान, है । अतः उस पर मंहगाई भत्ता अनुमन्य नहीं है । इस प्रकार विशेष सेवा भत्ता पर अतिरिक्त मंहगाई भत्ता दिये जाने पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

वाराणसी में रेशम वस्त्र उद्योग में संकट तथा रेशम आयात करने का निर्णय

87--श्री ऊदल--

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी का रेशम वस्त्र उद्योग कई महीनों से संकट में पड़ गया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि आयातित रेशम बहुत मंहगा मिल रहा है और बनारसी वस्त्र के निर्यात को भी कोई व्यवस्था नहीं है ? इसे दूर करने के लिए अब तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं ? क्या यह भी सत्य है कि भीमताल, गोरखपुर, देवरिया, इटावा, सहारनपुर का रेशम उत्पादन बहुत दिनों से बन्द हो गया है ?

श्री नियाज हसन खां--

कर्नाटक से प्राप्त होने वाले रेशम के धागे के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होने के कारण वाराणसी के रेशम वस्त्र क्षेत्र को पर्याप्त कठिनाई हुई है ।

आयातित रेशम अभी प्राप्त नहीं हुआ है जिसका मूल्य निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाना है । वाराणसी वस्त्र के निर्यात को शासन की ओर से इस समय कोई व्यवस्था नहीं है । उत्पादक सीधे ही निर्यात कर रहे हैं फिर भी उ0 प्र0 निर्यात निगम विदेशी विक्रेताओं से सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास कर रहा है ।

राज्य सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने रेशम धागों को आयात करने का निर्णय लिया है ।

यह कहना सत्य नहीं है कि भीमताल (नैनीताल), गोरखपुर, देवरिया, इटावा, सहारनपुर में रेशम उत्पादन बहुत दिनों से बन्द हो गया है ।

मझगवां कलां, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी में पड़ी डकैती

88--श्री ऊदल--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मझगवां कलां, थाना बड़ागांव, जिला वाराणसी में अक्तूबर, 1981 के आखिरी सप्ताह में जबरदस्त डकैती पड़ी है जिसमें 50 हजार से ऊपर का माल लूटा गया है और जयनारायण तथा और कई लोग घायल हो गए हैं इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 25 अक्तूबर 1981 को श्री लाल चन्द्र, निवासी मझगवां ने थाना बड़ागांव, वाराणसी में इस आशय की सूचना दी कि दिनांक 24/25-10-81 की रात में शस्त्रों से सुसज्जित 10-12 डकैतों ने बादी तथा एक अन्य व्यक्ति के मकान में लूटपाट की। उपरोक्त डकैती में लगभग 3500 रु0 की कीमत के जेवर कपड़ा आदि लूटा गया। डकैती के दौरान डकैतों से मुकाबला करने के फलस्वरूप एक व्यक्ति श्री जय नरायन घायल हो गये। इस सूचना के आधार पर थाना बड़ागांव में धारा 395/397 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये 8 अभियुक्तों में से एक को गिरफ्तार किया जा चुका है और शेष के विरुद्ध धारा 82/83 ज0 फौ0 की कार्यवाही प्रचलित है।

वाराणसी जिले के विभिन्न थानों में पड़ी डकैतियां

89—श्री ऊदल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सितम्बर, अक्तूबर, 1981 में वाराणसी के सभी थानों में एक दर्जन से ज्यादा डकैतियां पड़ी हैं? यदि हां तो कितने धन एवं जन का नुकसान हुआ है और कार्यवाही क्या की गयी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

दिनांक 1-9-81 से 31-10-81 की अवधि में वाराणसी जिले के विभिन्न थानों के अन्तर्गत पड़ी डकैती का विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 898 पर।)

उन्नाव विभागीय निर्माण इकाई को सड़कों के रख रखाव हेतु दी गई धनराशि

90—श्री गया सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्नाव विभागीय निर्माण इकाई को सड़कों के रख रखाव के लिए सन् 1981-82 में तथा सन् 1980-81 में कितनी धनराशि सरकार द्वारा दी गयी और उक्त धनराशि में सड़कों के रख-रखाव पर कितना धन व्यय किया गया था? रख-रखाव के अलावा उस धनराशि को किन कार्यों में व्यय किया गया? अगर अन्य मदों पर व्यय किया गया तो इस अनियमितता के लिए कौन अधिकारी उत्तर-दायी है और उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अम्मार रिजवी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोरखपुर में मार्गों का निर्माण

91—श्रीमती गौरी देवी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के रानी डीहा-निर्जापुर और रुस्तमपुर-कजाकपुर मार्ग की निर्माण की प्रक्रिया वर्ष 1980 में प्रारम्भ हुई थी? यदि हां, तो उन मार्गों का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा?

श्री अम्मार रिजवी--

जी, नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा में सड़क हथौड़ा-कुल कुम्हारी मार्ग के निर्माण में विलम्ब

92--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद में बांदा-बबेरू सड़क को जोड़ने वाली सड़क हथौड़ा-कुल कुम्हारी मार्ग कई वर्षों से निर्माणाधीन है ? यदि हां, तो उक्त सड़क के निर्माण में विलम्ब का क्या कारण है और यह कब तक पूरी हो जायेगा ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि इस सड़क पर हथौड़ा ग्राम के पास पुल के निर्माण की वर्तमान स्थिति क्या है और इस कार्य के कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी हां ।

सड़क के निर्माण में विलम्ब नहीं है । स्वीकृत आगणन के अनुसार भूमि धन व सामग्री की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराया जा रहा है । प्रश्नगत पुल अभी स्वीकृत नहीं है । अतः पूरा होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु स्वीकृत अनुदान

93--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के किन-किन प्राथमिक विद्यालयों के भवनों की मरम्मत हेतु वर्ष 1979-80 तथा 1980-81 में अनुदान स्वीकृत किये गये थे ? इनमें से किन विद्यालयों को उक्त धनराशि का 15 अक्टूबर, 1981 तक भुगतान हो गया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच

94--प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच के लिए 17 सितम्बर, 1977 में आयुक्त, झांसी मंण्डल, झांसी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? क्या शासन को जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, जांच अधिकारी का प्रतिवेदन गोपनीय है । प्रतिवेदन के प्रसंग में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

डी0 आई0 ई0 एवं ए0आई0जी0एस0 जिला बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती पत्र

95—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0 आई0 ई0 एवं ए0 आई0 जी0 एस0 जिला बेसिक शिक्षा परिषद्, बांदा के विरुद्ध कितने शिकायती पत्र माननीयी विधायकों तथा शिक्षक संघ द्वारा 1 अप्रैल, 1981 से 30 सितम्बर, 1981 तक भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं सरकारी धन के गबन किये जाने के सम्बन्ध में शासन को प्राप्त हुए हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

96—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

देव दरबार आश्रम इन्टर कालेज, सन्डोला, जिला हरदोई में वित्तीय अनियमितताओं की जांच

97—श्री हर शंकर—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि देव दरबार आश्रम इंटर कालेज, संडीला, जिला हरदोई में वर्ष 1981 में स्पेशल आडिट किया गया था ? क्या यह सही है कि उक्त आडिट में गबन, वित्तीय अनियमिततायें पायी गईं ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

हां । प्रबन्ध तंत्र के विरुद्ध अधिनियम की धारा 16-प के अन्तर्गत कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जनपद गोरखपुर, थाना महाराजगंज में नियुक्त वर्तमान थानाध्यक्ष की अवधि में डकैती, लूट की घटनाएं

98—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के थाना महाराजगंज में नियुक्त वर्तमान थानायक्ष (श्री कान्त पांडे) के कार्यभार ग्रहण करने के अल्पकाल में ही माह जुलाई, 1981 से 26 अक्टूबर, 1981 के बीच लगभग सैकड़ों घरों की सामूहिक डकैती, लूट, दर्जनों हत्याएं, बलात्कार, हरिजन उत्पीड़न व नकबजनी की गंभीर घटनाएं घटीं, जिनकी अधिकांश जांच प्रश्नकर्ता ने किया जिसकी सूचना स्थानीय अधिकारियों व शासन एवं सरकार को उक्त अवधि में कई बार भेजा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस थानाध्यक्ष को हटाकर उसकी जांच जनहित में करायेगी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रश्नगत अवधि में थाना महराजगंज में डकैती की 8, हत्या की 5 एवं नकबजनी की 12 घटनाएं अंकित हैं जबकि इसी अवधि में 1980 में डकैती की 9, हत्या की 2 एवं नकबजनी की 12 घटनाएं अंकित हुई थीं। इस अवधि में बलात्कार की कोई घटना अंकित नहीं है। बलात्कार के प्रयास की मात्र एक घटना अंकित है जिसके अभियुक्त को उसी दिन गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त एक लड़की को अपने कथित प्रेमी द्वारा भगाई गई थी, के साथ बलात्कार का संदेह व्यक्त किया गया था किन्तु डाक्टरी परीक्षण से पुष्टि नहीं हुई।

प्रश्नगत अवधि में वर्ष 1981 में हरिजन उत्पीड़न की 2 हस्तक्षेपीय तथा 4 अहस्तक्षेपीय घटनाओं की सूचनाएं अंकित हैं। एक अहस्तक्षेपीय घटना में दोनों पक्षों में सुलह हो गई। शेष सभी में आरोप-पत्र प्रेषित कर दिए गए हैं। वर्ष 1980 की इसी अवधि में हरिजन उत्पीड़न की 5 हस्तक्षेपीय एवं 5 अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचनाएं अंकित कराई गई थीं, इस प्रकार हरिजन उत्पीड़न की घटनाओं में कमी आई है।

प्रश्नकर्ता द्वारा जांच किए जाने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। थानाध्यक्ष महराजगंज के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा शिकायतें की गई हैं जिनकी जांच हो रही है। थानाध्यक्ष को अभी स्थानन्तरित करने की आवश्यकता नहीं है।

उत्तर प्रदेश में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के रिक्त पद

99--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या न्यायमंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के कितने स्थान 31 अक्तूबर, 1981 को रिक्त हैं? इनमें से ऐसे स्थान कितने हैं जो कि दो वर्ष के अधिक अवधि से रिक्त हैं? उन्हें भरने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

उत्तर प्रदेश में मुन्सिफ मजिस्ट्रेटों के कोई स्थान 31 अक्तूबर, 1981 को रिक्त नहीं थे।

100--श्री अकबाल हुसैन--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

101, 102--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

श्री चित्रकूट पांडेय, परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा टांडा, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं के संबंध में शिकायती पत्र

103--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री चित्रकूट पांडेय, परियोजना अधिकारी, प्रौढ़ शिक्षा टांडा, जनपद फैजाबाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अनेक

अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता द्वारा दिनांक 18-4-81 व 20-4-81 एवं 16-5-81 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या लगाए गये आरोपों की जांच की गई तथा क्या-क्या आरोप सही पाए गए ? क्या सत्य पाए गए आरोपों के आधार पर सम्बन्धित अधिकारी को दंडित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां, प्रश्न में उल्लिखित तद्विषयक पत्र दिनांक 18-4-81, 20-4-81 व 16-5-81 प्राप्त हुए। मामले में जांच करायी जा रही है। जांचोपरान्त यदि आरोप प्रमाणित होते हैं, तो सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर विचार किया जावेगा।

शिया डिग्री कालेज, लखनऊ के विधि संकाय के अंश कालिक अध्यापक श्री जेड0 जिलानी व श्री आबिद अली की सेवा-मुक्ति

104--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि लखनऊ में स्थित शिया डिग्री कालेज के विधि संकाय के अंश कालिक अध्यापक पद पर श्री आबिद अली तथा विधि संकाय के अध्यापक पद पर श्री जेड0 जिलानी को नियुक्त किया गया था ? यदि हां, तो श्री आबिद अली एवं श्री जेड0 जिलानी को मई 1981 में अपने-अपने पद से मुक्त कर दिया गया है ? यदि हां, तो पद से मुक्त किये जाने का क्या कारण है ? क्या मुक्त किये गये दोनों व्यक्तियों को पुनः उनके पदों पर नियुक्त किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां। 1 मई, 1981 से इन दोनों अध्यापकों को सेवामुक्त इस कारण कर दिया गया था क्योंकि अंशकालिक अध्यापक की नियुक्ति एक सत्र में 10 माह से अधिक अवधि के लिए अनुमन्य नहीं है।

जहां तक पुनः नियुक्त करने का प्रश्न है, भविष्य में रिक्तियां होने पर, यदि दोनों व्यक्तियों द्वारा समय पर आवेदन-पत्र दिये जाते हैं तो नियमानुसार कालेज द्वारा विचार किया जा सकता है।

105--श्री गोपी नाथ वर्मा--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

जिला पुलिस प्रशासन, फैजाबाद के विरुद्ध विशाल प्रदर्शन

106--श्री मित्र सेन--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगी कि जिला पुलिस प्रशासन, फैजाबाद के विरुद्ध दिनांक 8 अगस्त, 1981 को एक विशाल प्रदर्शन संयुक्त रूप से दोनों कम्युनिस्ट (भा0 क0 पा0 तथा मा0 क0 पा0) पार्टियों द्वारा किया गया था जिसने अपना एक मांग-पत्र उप पुलिस महानिरीक्षक, फैजाबाद तथा जिलाधिकारी, फैजाबाद को दिया था ? यदि हां, तो आरोप कौन-कौन से थे। उनकी जांच किससे कराई गई ? और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

पुलिस लाइन्स, फैजाबाद के मुख्य द्वार से तीन व्यक्तियों के अपहरण एवं हत्या की घटना की जांच

107--श्री मित्र सेन---

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगी कि दिनांक 28-29 अगस्त, 1981 की रात्रि कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में आयोजित आयोजन के अवसर पर पुलिस लाइन्स, फैजाबाद के मुख्य द्वार से तीन व्यक्तियों के अपहरण एवं हत्या की गंभीर घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट क्या है? घटना के मुख्य अभियुक्त कौन-कौन हैं? अब तक की जांच रिपोर्ट में कौन से तथ्य प्रकाश में आए हैं ? दोषी एवं जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध कौन सी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतिलिपि संलग्न है। घटना में एक नामजद मुख्य अभियुक्त के अतिरिक्त 13 अन्य अभियुक्त विवेचना से प्रकाश में आये, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

1--आशा राम यादव पुत्र गुरु प्रसाद यादव, नि0 ककरही बाजार, थाना कोतवाली, फैजाबाद (नामजद) ।

2--नन्द लाल यादव पुत्र राज नाथ यादव, नि0 मेवईया, थाना पुराकलन्दर, फैजाबाद ।

3--राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गौरीशंकर सिंह, नि0 खेमापुर, थाना गोसाईगंज, फैजाबाद ।

4--किशन गोपाल उर्फ किशन पुत्र राम बोध पांडे, नि0 बेगमगंज गडहिया, थाना कन्ट, फैजाबाद ।

5--परसा राम पुत्र गुरु प्रसाद यादव, नि0 ककरही बाजार, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

6--वासदेव पुत्र राजा राम, नि0 नौगढ़, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

7--डा0 नरेश राम पुत्र राम चन्दर, नि0 नहरबाग, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

8--धर्मराज पांडे पुत्र राम गरीब पाण्डे, नि0 गद्दोपुर, थाना कैन्ट, फैजाबाद ।

9--कल्लू पुत्र फैयाज, नि0 खवासपुरा, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

10--पंकज पुत्र रमाकांत, नि0 अलीगढ़, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

11--परेटी उर्फ सुदीप तिवारी पुत्र अयोध्या नाथ तिवारी, नि0 बेगमगंज गडहिया, थाना कैन्ट, फैजाबाद ।

12—चुन्ने उर्फ मो0 उमर पुत्र मुख्तार हुसेन, नि0 खवासपुरा, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

13—अफसर पुत्र अमीर हसन, नि0 रा0 हवेली, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

14—सुरेन्द्र पुत्र राम कुमार, नि0 गुदड़ी बाजार, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

घटना का कारण पुरानी रंजिस का होना पाया जाता है। विवेचना से अपहृत व्यक्ति श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी व रयाशंकर द्विवेदी के अस्थि पंजर दिनांक 3-9-81 को ढूंढ़ निकाले गये। विवेचनोपरान्त दिनांक 23-10-81 को अभियुक्त श्री आशा राम के विरुद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 147/364/302/201 भा0 द0 वि0 न्यायालय प्रेषित कर दिया गया है। अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना जारी है।

(देखिए नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ....पर)

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री के फैजाबाद आगमन पर पी0 डब्लू0 डी0 कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि मण्डल द्वारा दिया गया मांग-पत्र

108—श्री मित्रसेन—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 6 अक्टूबर, 1981 को उनके फैजाबाद आगमन पर पी0 डब्लू0 डी0 कर्मचारी यूनियन का कोई प्रतिनिधि मण्डल प्रइनकर्त्ता के साथ विश्राम गृह, फैजाबाद में मिला था और प्रतिनिधि मण्डल ने कर्मचारी यूनियन से सम्बन्धित कोई मांग-पत्र मन्त्री जी को दिया था ? यदि हां, तो दिए गए मांग-पत्र की मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां । मुख्य-मुख्य मांगें निम्न थीं :—

1—कर्मचारियों की जनपद की ज्येष्ठता सूची को सही-सही प्रकाशित कर नोटिस बोर्ड पर लगाया जाय :

2—रिक्त पदों पर जनपद की ज्येष्ठता सूची के आधार पर नियुक्तियां की जाय ।

3—भविष्य निधि की रसीदें कर्मचारियों को दी जायें ।

4—एरियर तथा वार्षिक वृद्धि का भुगतान किया जाय ।

5—छटनी शुदा कर्मचारियों को सेवा में रखा जाय ।

6—दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वेतन समय से दिया जाय ।

7—चौकीदारों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाय तथा उनसे आठ घन्टे की ड्यूटी ली जाय ।

8—कर्मचारियों को महीने के दूसरे शनिवार को छुट्टी दी जाय ।

9--कर्मचारियों के आवास पर शौचालय की सुविधा दी जाय तथा उनके आवासों की मरम्मत करायी जाय ।

10--कार्य प्रभारित कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका बनायी जायं । सभी मांगों पर कार्यवाही प्रगति पर है ।

सड़क निर्माण करने वाले मजदूरों के पारिश्रमिक में भिन्नता

109--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि विभाग की सड़क निर्माण करने वाले मजदूरों के लिए सामान्यता लगभग आठ रुपया प्रतिदिन प्रति मजदूर पारिश्रमिक दिया जाता है तो अधिशासी अभियन्ता श्री वी० पी० गर्ग (शाहजहांपुर) के खंड में प्रति मजदूर पांच रुपया बीस पैसा क्यों दिया जा रहा है ? इस विषमता को सरकार दूर करके उपरोक्त खंड में भी आठ रुपया प्रति मजदूर मजदूरी दिलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

सेवायोजन निदेशालय के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में इन्सपेक्टर की पदोन्नति

110--श्री रियासत हुसैन--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन उत्तर प्रदेश, लखनऊ के अन्तर्गत चलने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्थायी रूप से नियुक्त इन्सपेक्टर को निदेशालय के सेवायोजन में सहायक सेवा नियोजन अधिकारी (टेक्निकल) पद पर पदोन्नति नहीं की गयी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि ट्रेनिंग शाखा के निम्न योग्यता वाले एवं कनिष्ठ लिपिकों को पदोन्नति अभी हाल में उक्त पद पर की गयी है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय के अन्तर्गत चलने वाले औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में इन्सपेक्टर का कोई पद स्वीकृत नहीं है और न ही सहायक सेवायोजन अधिकारी (टेक्निकल) का कोई पद स्वीकृत है । अतः पदोन्नति का कोई प्रश्न नहीं उठता । प्रशिक्षण शाखा के किसी भी भिन्न योग्यता रखने वाले एवं कनिष्ठ लिपिक को पदोन्नति सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर नहीं की गई है ।

प्रधान मन्त्री के बनारस आगमन पर सुरक्षा व्यवस्था पर व्यय

111--श्री रियासत हुसैन--

क्या गृह मन्त्री को यह ज्ञात है कि दिनांक 3-1-81 को प्रधान मन्त्री के बनारस आगमन पर 35 हजार पुलिस तथा अन्य सुरक्षा के लोग लगाये गये थे ? यदि हां, तो उन लोगों पर डी० ए०, डी० ए० इत्यादि पर कितना खर्च हुआ और इतनी बड़ी तादाद में सुरक्षा का प्रबन्ध करने का क्या कारण था ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

जी नहीं ।

माननीय प्रधान मन्त्री जी की सुरक्षा व्यवस्था गोपनीय नियमों के अनुसार की जाती है अतः उस पर किये गये व्यय एवं प्रबन्ध के सम्बन्ध में कोई विवरण देना जनहित में उचित न होगा ।

सी० एस० कालोनी, मिर्जापुर के आवास आवंटन में अनियमितता सम्बन्धी पत्र

112--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सा० नि० वि० मन्त्री बतायेंगे कि जिलाधीश, मिर्जापुर को श्री वीरेन्द्र सिंह, फार्मेसिस्ट वरिष्ठ उपाध्यक्ष, डिप्लोमा फार्मेसिस्ट एसोसिएशन शाखा मिर्जापुर ने सी० एस० कालोनी के आवास आवंटन में अनियमितता के सम्बन्ध में 21-8-81 को कोई प्रार्थना-पत्र दिया ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार श्री वीरेन्द्र सिंह ने कथित अनियमितता के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को कोई प्रार्थना पत्र दिनांक 21-8-81 को नहीं दिया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद लखीमपुर-खीरी, ग्राम उमरपुर ब्लाक बेहजिम के किसानों की अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा मुआवजा

113--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर-खीरी अन्तर्गत कस्ता, गोला मार्ग जो 1972 में मार्ग का कार्य आरम्भ किया गया था जिसके अन्तर्गत ग्राम उमरपुर, ब्लाक बेहजिम के अनेकों किसानों की भूमि अधिग्रहीत की गयी है ? क्या उस भूमि का मुआवजा उक्त ग्राम के कृषकों को दे दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? मुआवजा अब कब तक दे दिया जायगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद लखीमपुर-खीरी अन्तर्गत गोला कस्ता मार्ग के निर्माण का कार्य 1972-73 में आरम्भ किया गया था और इस मार्ग के ग्राम उमरपुर, ब्लाक बेहजिम के किसानों की भूमि अस्थायी रूप से अधिग्रहीत की गयी थी जिसका मुआवजा कृषकों को दिया जा चुका है ।

उक्त मार्ग को स्थायी भू-अर्जन के विषय की धारा 6 की अधिसूचना अक्तूबर, 1978 में जारी की गयी थी परन्तु ग्राम उमरपुर की भूमि छूट जाने के कारण कृषकों को मुआवजा पहले नहीं दिया जा सका । अब उक्त ग्राम की स्थायी भू-अर्जन की धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 23-1-82 को जारी कर दी गयी है और कृषकों को नियमानुसार कार्यवाही करके मुआवजा शीघ्र दे दिया जायेगा ।

ग्राम सुमेरपुर, जनपद हरदोई में शान्ति व्यवस्था हेतु कार्यवाही

114--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई में थाना मल्लावां के ग्राम सुमेरपुर में आतंक की स्थिति के सिलसिले में प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य मन्त्री तथा गृह मन्त्री को मास अक्तूबर, 1981 में पत्र भेजे गये ? यदि हां, तो अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां ।

ग्राम सुमेरपुर में शान्ति व्यवस्था हेतु एक गार्द नियुक्त की गई है और क्षेत्राधिकारी बिलग्राम, निरीक्षक मल्लावां, हल्का उप निरीक्षक तथा गार्द को दोनों पक्षों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं ।

115--श्री राम आसरे वर्मा--

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 30 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गोंडा-बेलसर मार्ग एवं नवाबगंज मार्ग पर अनधिकृत निर्माण पर की गई कार्यवाही

116--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जनपद में गोंडा बेलसर मार्ग एवं नवाबगंज मार्ग पर रगड़गंज बाजार में सड़क की सीमा कितनी है तथा सड़क के किनारे कितने लोगों ने उत्तर प्रदेश रोड साइड लैंड कन्ट्रोल ऐक्ट का उल्लंघन कर भवन एवं दुकानों का निर्माण किया है, उनमें से कितने लोगों पर विभाग द्वारा मुकदमा चलाया गया और कितने ऐसे लोग हैं जिन पर मुकदमा नहीं चलाया गया है तथा क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी--

जनपद गोंडा में गोंडा-बेलसर मार्ग एवं नवाबगंज मार्ग पर रगड़गंज बाजार में सड़क की सीमा सड़क के मध्य से दोनों तरफ 10 मीटर से 13.80 मीटर तक है । प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त मार्गों पर कुल 90 व्यक्तियों ने अनधिकृत निर्माण/अतिक्रमण किया है । इनमें से 18 व्यक्तियों के विरुद्ध "यू0 पी0 रोड साइड लैंड कन्ट्रोल ऐक्ट, 1945" के अधीन एवं 3 व्यक्तियों के विरुद्ध "उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 1972" के अधीन सरकारी मुकदमा दायर कर दिया गया है । शेष 69 व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा दायर करने की कार्यवाही विभागीय रूप से पूर्ण कर ली गई है तथा न्यायालयों में वाद प्रस्तुत किये जा रहे हैं ।

जिला देवरिया के थाना खुखुन्दू में श्री अकालू की मृत्यु

117--श्री नन्दकिशोर सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत खुखुन्दू थाने के अन्दर ग्राम बरडीहा नथमल में 8, 9 अक्तूबर, 1981 की रात को धान की चोरी में एक चोर मारा गया है ? क्या यह सही है कि जिसके खेत में चोर धान काट रहा था उसी आदमी को 302 धारा में फंसाया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 8/9 अक्टूबर, 1981 की रात्रि में करीब साढ़े 11 बजे वादी श्री कृष्ण प्रसाद यादव पुत्र झंकारी यादव, सा0 बेरिया राजा, थाना खुखुन्दू का भाई अकालू गांव के पश्चिम तरफ गड़ही पर शौच क्रिया के लिये गया था। अभियुक्तगण लाल जी, कपिलदेव मल्ल, शारदा, वीरेन्द्र व शुभनरायन पूर्व रंजिस को बिना पर एक राय होकर जान से मारने के लिए अकालू को खदेड़े। वह गुहार करता हुआ भागा। मुल्जिमान लाठी बल्लम से मारने लगे तथा कपिलदेव अभियुक्त ने रिवाल्वर से फायर किया जिससे अकालू चोटों के कारण मर गया। मृतक के भाई श्री श्रीकृष्ण प्रसाद यादव की लिखित सूचना पर मु0 अ0 सं0 146/81, धारा 147/148 149/302 पंजीकृत हुआ। विवेचना के उपरान्त आरोप-पत्र दिनांक 17-10-81 को न्यायालय में प्रेषित किया गया।

यह कहना सही नहीं है कि किसी खेत में चोर धान काट रहा था उस खेत के मालिक को फर्जी 302 भा0 द0 वि0 के मामले में फंसाया गया है।

118--श्री सन्त बक्स रावत--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ में दर्ज रिपोर्ट

119--श्री सन्त बक्स रावत--

क्या गृह मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 10-10-80 को थाना गोसाईंगंज, जनपद लखनऊ में परसुराम वर्मा पुत्र श्री सुन्दर लाल वर्मा, निवासी कवेरा मदारपुर ने मुकदमा अ0 सं0 निल धारा 420 आई0 पी0 सी0 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई थी ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत मामले की कोई रिपोर्ट दिनांक 10-10-80 को थाना गोसाईगंज पर नहीं लिखाई गई।

120--श्री पंचानन राय--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

श्री ध्रुप नारायण सिंह, प्रधानाध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, जनपद आजमगढ़ के प्राविडेंट फन्ड का भुगतान

121--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ध्रुप नारायण सिंह, प्रधान अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, थिरईपट्टी, विकास खन्ड अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ ने 30 जून, 1979 को अवकाश ग्रहण कर लिया है, किन्तु उन्हें आज तक प्राविडेंट फन्ड का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

श्री ध्रुप नारायण सिंह, जूनियर हाई स्कूल, थिरईपट्टी, जनपद आजमगढ़ दिनांक 30 जून, 1979 को सेवा निवृत्त हुये और उनके भविष्य निधि लेखा में जमा धनराशि रुपया 2,641.11 का भुगतान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आजमगढ़ द्वारा दिनांक 15 दिसम्बर, 1981 को किया जा चुका है ।

122--श्री पंचानन राय--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

श्री उमा शंकर मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र

123--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जगदीश पान्डेय, जिला मन्त्री, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ, जनपद गोरखपुर का श्री उमा शंकर मिश्र, जिला विद्यालय निरीक्षक, गोरखपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग से सम्बन्धित शिकायती-पत्र दिनांक 7 अप्रैल, 1981 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इसमें प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि उक्त जिला विद्यालय निरीक्षक कतिपय अन्य शिकायतों के आधार पर 1979-80 में निलम्बित हुए थे तथा उक्त शिकायतों के आधार पर उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही शासन के विचाराधीन है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्र जांच हेतु मूलरूप में शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को भेजा गया है ।

जी हां ।

बस्ती जनपद में थाना बखिरा के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायती-पत्र

124--श्री पंचानन राय--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में स्थित बखिरा थाना के थानाध्यक्ष के विरुद्ध शिकायतें शासन एवं पुलिस के उच्चाधिकारियों को अगस्त, 1981 में प्राप्त हुई हैं ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं ? क्या उनकी जांच कराई गयी है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार बखिरा थाना के थानाध्यक्ष के विरुद्ध अगस्त, 1981 में प्राप्त 3 शिकायती-पत्रों एवं उनमें उल्लिखित प्रमुख शिकायतों का विवरण निम्न प्रकार है--

1--डाक्टर मुहम्मद अमीन का दिनांकित 6 अगस्त, 1981 का शिकायती-पत्र--इसमें थानाध्यक्ष बखिरा द्वारा डा0 मुहम्मद अमीन को अपमानित किये जाने एवं भ्रष्टाचार के आरोप हैं ।

2--डा0 मुहम्मद अमीन का दिनांक 5 अगस्त, 1981 का पत्र--इस प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष बखिरा के विरुद्ध भ्रष्टाचार, घूसखोरी एवं डा0 अमीन को जान से मरवा डालने की साजिश के आरोप हैं ।

3--श्री राम दास का दिनांकित 22 अगस्त, 1981 का पत्र--शिकायती-पत्र में थानाध्यक्ष बखिरा द्वारा उनके लड़के की पिटाई करने, 60 रुपया घूस लेने एवं क्षेत्र में थानाध्यक्ष द्वारा जुआ खिलाये जाने के आरोप हैं ।

तीनों प्रार्थना-पत्रों की जांच कराई गई तथा जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुये ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम रुपयनपुर तथा नरायनपुर के किसानों की अधिग्रहीत की गई भूमि तथा मुआवजा

125--श्री पंचानन राय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में पटेल आयोग की संस्तुति पर निर्मित नदवा सराय--महाराजगंज मार्ग पर स्थित ग्राम रुपयनपुर तथा नरायनपुर के किसानों की सड़क में ली गयी भूमि का मुआवजा आज तक नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इस सड़क का निर्माण कब हुआ था और मुआवजे का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री अम्मार रिजवी--

नदवा सराय--महाराजगंज नाम से कोई मार्ग स्वीकृत नहीं है। रुपयनपुर तथा नरायनपुर ग्राम जियनपुर-बिलरियागंज-महाराजगंज मार्ग पर स्थित है । रुपयनपुर के किसानों की भूमि का प्रतिकर का भुगतान दिनांक 13-3-1981 को हो चुका है । नरायनपुर के किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा अभी तक नहीं दिया गया है । इसके प्रतिकर के कागजात तैयार किये जा रहे हैं और प्रतिकर का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा । जियनपुर-बिलरियागंज-महाराजगंज मार्ग का निर्माण जून, 1968 में हो गया था ।

श्री रामनरेश राय, प्रधानाध्यापक, बे0 प्रा0 पाठशाला, आजमगढ़ की भविष्य निधि का भुगतान

126--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि यह सही है कि श्री रामनरेश राय, प्रधान अध्यापक, बे0 प्रा0 पाठशाला, बुदुआ गोदाम, विकास क्षेत्र परदहा, आजमगढ़ ने 1977 में अवकाश ग्रहण कर लिया था ? किन्तु उन्हें आज तक न

तो भविष्य निधि का भुगतान हुआ है और न ही पेंशन का भुगतान प्रारम्भ हुआ है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषदीय प्राइमरी पाठशाला बुदुआ गोदाम, विकास क्षेत्र परदहा से श्री राम नरेश राय, प्रधानाध्यापक के पद से दिनांक 30-3-77 को सेवा निवृत्त हुये थे । श्री राम नरेश राय को उनके भविष्य निर्वाह निधि का 1983·30 रुपया का भुगतान किया जा चुका है । उन्हें दिनांक 1-7-77 से 31-12-77 तक के पेंशन की राशि 5,551.20 रु0 का भी भुगतान किया गया है ।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नियुक्त अंशकालीन चिकित्साधिकारियों को मासिक भत्ता

127--श्री पंचानन राय--

क्या श्रम मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नियुक्त अंशकालीन चिकित्साधिकारियों को केवल 50 रुपया दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या शासन इसमें बढ़ोत्तरी करने पर विचार करेगा ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित --

उत्तर प्रदेश के कुछ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में नियुक्त अंशकालीन चिकित्साधिकारियों को 100 रु0 तथा अन्य संस्थानों में 50 रु0 प्रति माह भत्ता दिया जाता है । परिश्रमिक में बढ़ोत्तरी के प्रश्न पर शासन यथासमय अपने वित्तीय साधनों को दृष्टिगत रखते हुए विचार कर सकता है ।

सिविल सचिवालय में नियुक्तियों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण का कोटा

128--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सिविल सचिवालय में पिछड़ी जाति के व्यक्तियों के लिए अनुसचिव के पद के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं तथा इन आरक्षित स्थानों पर कितनी नियुक्तियां की जा चुकी हैं तथा कितनी अभी भरी जानी है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

कोई नहीं, दिनांक 30 सितम्बर, 1981 के शासनादेश द्वारा पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के लिए पदोन्नतियों में आरक्षण समाप्त कर दिया गया है ।

श्री सुरेश चन्द्र मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायतें

129--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों में श्री सुरेश चन्द्र मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता, सा0 नि0 विभाग, गोरखपुर के विरुद्ध शासन को कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

श्री सुरेश चन्द्र मित्तल, अधीक्षण अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, गोरखपुर के सम्बन्ध में प्रश्नगत अवधि में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उसकी वास्तविक संख्या ज्ञात की जा रही है ।

श्री मित्तल के विरुद्ध अब तक जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच की जा रही है ।

130—श्री हरिवंश सहाय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

131-132—श्री हरिवंश सहाय—

[6ठें गुरुवार में अतारांकित प्रश्न सं.या 1-2 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

133—श्री हरिवंश सहाय—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

अस्थायी खण्ड, देवरिया में टी0 एन0 पी0 (मद) में क्रय किया गया सामान

134—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सार्वजिनक निर्माण मन्त्री कृपया बतायेंगे कि अस्थायी खण्ड, देवरिया में वर्ष 1979-80 में टी0 एन0 पी0 में कितने धन का सामान क्रय किया गया ? क्रय किये गये सामानों का विवरण क्या है तथा उसका उपयोग कहां-कहां किया गया ?

श्री अम्मार रिजवी—

अस्थायी खण्ड, देविरया में वर्ष 1979-80 में टी0 एन0 पी0 (मद) में 20,019.15 रुपये का सामान क्रय किया गया । क्रय किये गये सामान का विवरण नीचे दिया जा रहा है :

क्रम सं0	सामान का नाम	संख्या	मूल्य
			रु0
1	लोहे का तसला	200	3,000·00
2	इन्डियन पैटर्न लेबुल मशीन	2	1,460·34
3	लेविलिंग स्टाफ (4 मीटर)	2	160·00
4	प्लेन टेबिल (मय सामान)	2	402·00
5	रेंजिंग राड (3 मीटर)	8	220·00
6	स्प्रिट लेविल	10	200·00

क्रम सं0	सामान का नाम	संख्या	मूल्य (रुपयों में)
7	स्टील टेप (20 मीटर)	6	840·00
8	मेटेलिक टेप पिफिल (15 मीटर)	24	604·00
9	मेटेलिक टेप पिफिल (30 मीटर)	24	982·00
10	ड्राइंग पेन	1 सेट	38·50
11	ड्राइंग बाक्स	1	105·00
12	फ्रेन्च कर्व सेट	1	75·00
13	सेट स्क्वायर	2	37·00
14	नक्शा निकालने की मशीन	1	8,295·31
15	फावड़ा	200	3,600.00
		योग	20, 019. 15

इन सामानों में से तस्लों का प्रयोग खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर पेन्टिंग के कार्यों पर किया जाता है । क्रम संख्या 2 से 9 तक का सामान खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर सर्वे एवं मापों के कार्य में किया जाना है । क्रम संख्या 10 से 14 तक का सामान खण्ड कार्यालय में नक्शा बनाने तथा नक्शा निकालने के कार्य में प्रयोग में लाया जाता है । क्रम संख्या 15 पर अंकित फावड़ों का प्रयोग खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न मार्गों पर स्थाई एवं अस्थाई गैंग द्वारा किये गये कार्यों पर किया जाता है ।

प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया में सड़कों पर गिट्टी एवं सोलिंग का कार्य तथा भुगतान की गई धनराशि

135—श्री हरिवंश सहाय—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रान्तीय खण्ड सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया ने 1 अप्रैल, 1980 से 30 अगस्त, 1981 के बीच किन-किन सड़कों पर गिट्टी एवं सोलिंग का काय कराया तथा प्रत्येक सड़क पर कितना धन खर्च किया ? कितना धन उक्त अवधि में भुगतान किया गया तथा कितना अभी अवशेष है ? अवशेष का कारण क्या है ?

श्री अम्मार रिजवी—

1-4-80 से 30-8-81 के बीच प्रान्तीय खण्ड, सार्वजनिक निर्माण विभाग, देवरिया द्वारा जिन मार्गों पर गिट्टी एवं सोलिंग का कार्य कराया गया उसकी तथा प्रत्येक सड़क पर खर्च किए धन की तथा उक्त अवधि में किए गये भुगतान की सूचना संलग्न सूची में दी गई है । उक्त अवधि का कोई धन अवशेष नहीं है ।

*(देखिए नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 901 पर ।)

देवरिया–रुद्रपुर मार्ग का निर्माण

136--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत देवरिया–रुद्रपुर मार्ग पर 1 जनवरी, 1979 से 30 अगस्त, 1981 के बीच कितना धन किस मद में व्यय किया गया ? उसका निर्माण कब किया गया तथा निर्माण के बाद कौन–कौन अधिकारी ने जांच किया ? क्या मार्ग का क्रंस–थिकनेस को भी जांच की गयी है ?

श्री अम्मार रिजवी--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला देवरिया, थाना रुद्रपुर, ग्राम बरडीहादल में तैनात सशस्त्र पुलिस दल

138--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला देवरिया, थाना रुद्रपुर, ग्राम बरडीहादल में गत 10 वर्षों से सशस्त्र पुलिस दल तैनात है ? यदि हां, तो वह किसके रक्षार्थ रखा गया है तथा उसका खर्चा कौन आदमी वहन कर रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां, जिला देवरिया, थाना रुद्रपुर, ग्राम बरडीहादल में सशस्त्र पुलिस दल दिनांक 4 नवम्बर, 1972 से तैनात है ।

यह सशस्त्र दल उस क्षेत्र में शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने हेतु तैनात है, जिसका व्यय शासन द्वारा वहन किया जा रहा है ।

138--श्री हरिवंश सहाय--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

फैजाबाद के श्री राम प्यारे वर्मा, सहायक अध्यापक की पदोन्नति

139--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद जिला शिक्षा बेसिक परिषद् अधीनस्थ श्रीराम प्यारे पुत्र श्री जगई राम वर्मा, सहायक अध्यापक का नाम ग्रेडेड लिस्ट में होने के बावजूद दिनांक 28–4–80 की पदोन्नति सूची में नाम अंकित नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

श्री राम प्यारे वर्मा पुत्र श्री जगई राम वर्मा की पदोन्नति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय को भूल से नहीं हो सकी थी किन्तु

अब श्री वर्मा की पदोन्नति प्रधानाध्यापक के पद पर प्राइमरी पाठशाला लालपुर, जनपद फैजाबाद में की जा चुकी है और वे 1-7-81 से प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यरत हैं ।

जनपद फैजाबाद के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान

140--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1979-80 में जनपद फैजाबाद के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों में वितरण हेतु कितनी छात्रवृत्ति दी गयी और छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण कब और किस प्रकार किया गया ? यदि छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण नहीं किया गया, तो क्यों ? दोषी अधिकारियों के प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

वर्ष 1979-80 में जनपद फैजाबाद के परिषदीय विद्यालयों के छात्रों में वितरण हेतु 20,232 रु0 मात्र की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई । सम्पूर्ण छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण छात्रों को नगद भुगतान माह मई एवं जुलाई, 1980 में संबंधित क्षेत्रीय प्रति उस विद्यालय निरीक्षक के माध्यम के किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को वेतन का निश्चित तिथि पर भुगतान

141--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फजाबाद में जिला बेसिक शिक्षा परिषद् अधीनस्थ शिक्षकों को एक निश्चित तिथि पर वेतन भुगतान किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

बेसिक शिक्षा परिषद् के अध्यापकों को उनका वेतन अगले महीने की सात तारीख तक भुगतान किये जाने का सामान्य निर्देश है किन्तु कभी कभी ऐसा नहीं हो पाता । उसका कारण यह है कि इन अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु शासन द्वारा जो अनुदान पूरे प्रदेश के लिए स्वीकृत किया जाता है वह शिक्षा निदेशक के निवर्तन पर रख दिया जाता है और शिक्षा निदेशक प्रत्येक जिले की आवश्यकतानुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को अनुदान स्वीकृत करते हैं । इस प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर विलम्ब होने की दशा में वेतन वितरण में विलम्ब हो जाता है ।

142---श्री गोपीनाथ वर्मा---

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

कस्बा टाण्डा, जिला फैजाबाद में छात्राओं की शिक्षा हेतु डिग्री कालेज खोले जाने की मांग

143--श्री गोपीनाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कस्बा टाण्डा, जिला फैजाबाद में छात्राओं के शिक्षा हेतु डिग्री कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में कोई पत्र 1980-81 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

शासन में इस सम्बन्ध में कोई पत्र उपलब्ध नहीं है । किन्तु यह सूचय है कि टाण्डा कस्बे में एक सहशिक्षा युक्त महाविद्यालय पहले से ही संचालित है जिसमें उच्च शिक्षा की सुविधा उपलब्ध है । अतः टाण्डा कस्बे में महिलाओं के लिए अलग कालेज खोले जाने का औचित्य नहीं बनता ।

जनपद फैजाबाद में पुराने प्राइमरी विद्यालयों के भवन निर्माण सम्बन्धित पत्र

144--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा जनपद फैजाबाद में पुराने प्राइमरी विद्यालयों के भवन निर्माण किए जाने के सम्बन्ध में क्षेत्रीय विधायक द्वारा दिनांक 18-3-81 को एक पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक भवनों का निर्माण करा दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जनपद फैजाबाद के टाण्डा क्षेत्र के प्राइमरी पाठशाला, सेवागंज, अजमेरी, बादशाहपुर तथा कन्या प्राइमरी पाठशाला, बिलहरी के भवन निर्माण से सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायक का दिनांक 13 मार्च, 1981 का पत्र शासन में प्राप्त हुआ है । जिला बेसिक शिक्षा समिति ने उक्त विद्यालयों का निर्माण के लिए चयन कर लिया है । भवनों के निर्माण की निश्चित अवधि बताना सम्भव नहीं है ।

स्वर्गीय श्री जयराम वर्मा, प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला, चिरोती जनपद फैजाबाद के बकाया वेतन तथा फण्ड का भुगतान

145--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि स्वर्गीय श्री जयराम वर्मा प्रधान अध्यापक प्राइमरी पाठशाला चिरोती, जनपद फैजाबाद का बकाया वेतन तथा फंड का पैसा (रुपय) भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16-5-81 को क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त धनराशि का भुगतान करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो भुगतान न किए जाने का क्या कारण है तथा बकाया धन कब तक भुगतान करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

स्वर्गीय श्री जयराम वर्मा, प्रधानाध्यापक प्राइमरी पाठशाला चिरौती जनपद फैजाबाद का बकाया वेतन तथा फंड का रुपया भुगतान किए जाने से सम्बन्धित

प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 16-5-81 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय में प्राप्त हुआ था । स्व0 अध्यापक की विधवा पत्नी श्रीमती तीरथा देवी द्वारा जायज वारिश प्रमाण-पत्र, अदेय प्रमाण-पत्र तथा विकल्प-पत्र न प्रस्तुत किए जाने के कारण बकाया धनराशि तथा फंड का भुगतान नहीं किया जा सका है । उक्त पत्रजात प्रस्तुत करने के लिए श्रीमती तीरथा देवी को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद के द्वारा दिनांक 5-10-81 को सूचित किया गया किन्तु अभी तक अपेक्षित पत्रजात उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसके अभाव में भुगतान करना सम्भव नहीं है ।

जनपद फैजाबाद में कतिपय विद्यालयों के भवन निर्माण कार्य पर विचार

146--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या शिक्षा मन्त्री को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला सेवागंज, कन्या प्राइमरी पाठशाला बेलहरी, तथा प्राइमरी पाठशाला अजमेरी, बादशाहपुर, टांडा जनपद फैजाबाद के भवन निर्माण के सम्बन्ध में दिनांक 13-3-81 को क्षेत्रीय प्रतिनिधि द्वारा कोई पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उक्त पाठशालाओं के भवन के निर्माण कार्य पूरा करा दिया जायगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । प्रश्नगत विद्यालयों के भवन निर्माण के संबंध में क्षेत्रीय प्रतिनिधि का 13 मार्च, 1981 का पत्र प्राप्त हुआ है । पत्र में वर्णित विद्यालय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जिला बेसिक शिक्षा समिति में विचारार्थ रखा जा रहा है और समिति के निर्णय के अनुसार कार्यवाही होगी । उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम के अनुसार विद्यालय भवनों के निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत के लिये चयन का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा समिति को ही है ।

श्री विद्या प्रसाद पाठक, निवासी चौबेपुर, थाना जलालपुर, जनपद फैजाबाद को फर्जी अभियोग में फंसाने तथा अन्य प्रकार से उत्पीड़ित करने का आरोप

147--श्री गोपी नाथ वर्मा--

क्या गृह मन्त्री को जानकारी हैं कि श्री विद्या प्रसाद पाठक, निवासी चौबे का पुरा, थाना जलालपुर, तहसील अकबरपुर, जनपद फैजाबाद को भूतपूर्व थानाध्यक्ष जलालपुर द्वारा दिनांक 15 मार्च, 1981 को फर्जी बलात्कार के अभियोग में गिरफ्तार करके सार्वजनिक तौर पर अपमान किये जाने तथा प्रताड़ित एवं 15 दिन तक जेल यातना दिलाये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 8-4 81 को कोई शिकायती-पत्र जांच हेतु प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त जाच कार्य पूर्ण कराया गया है ? जांच में क्या तथ्य प्रकाश में आए ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जी हां । प्रार्थना-पत्र पर जांच पूर्ण हो चुकी है । जांच से ज्ञात हुआ है कि श्री विद्या प्रसाद पाठक, निवासी ग्राम चौबे का पुरा, थाना जलालपुर को थाना जलालपुर में दिनांक 15-3-81 को पंजीकृत अपराध सं0-83/81 धारा 376 भा0द0वि0, जिसमें वे नामजद अभियुक्त थे, के संबन्ध में पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था विवेचना से पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध न होने के कारण मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई । जांच से श्री पाठक को फर्जी अभियोग में फंसाने तथा पुलिस द्वारा अन्य प्रकार से उत्पीड़ित करने के आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

जनपद फैजाबाद के विकवा जौनपुर, मिझौड़ा–मट्टरुआ मार्ग को पक्का कराये जाने के संबन्ध में पत्र

148–श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद के विकवा–जौनपुर मिझौड़ा–मट्टरुआ मार्ग को सा0नि0 विभाग को जिला परिषद् से स्थानान्तरित कर पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में ग्रामीणों का पत्र उप मन्त्री युवा कल्याण वि0 उ0 प्र0 द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 1981 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त मार्ग कब तक पिच किया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी––

जी, हां ।

कार्य अभी स्वीकृत नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

फैजाबाद ब्लाक में बसोहरी बाजार (भोटी ब्लाक) में कन्या विद्यालय खोलने की मांग

149––श्री गोपीनाथ वर्मा––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि फैजाबाद जनपद के बसोहरी बाजार (भोटी ब्लाक) में कन्या विद्यालय खोलने हेतु ग्रामीणों द्वारा प्रार्थना–पत्र उप मन्त्री युवा कल्याण उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 21 जनवरी, 1981 को दिया गया पत्र प्राप्त हो चुका है ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर कब तक विद्यालय खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

सूचना एकत्र की जा रही है ।

लखनऊ विश्वविद्यालय, ओरियन्टल डिपार्टमेन्ट में सम्पादित परीक्षायें

150––श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री––

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में ओरियन्टल डिपार्टमेन्ट (अरेबिक एन्ड परसियन) में कब से परीक्षा नहीं हुई है ? विलम्ब के क्या कारण हैं ? क्या विश्वविद्यालय इस विलम्ब में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर रहा है ? इसके लिए कौन उत्तरदायी है तथा परीक्षायें कब होंगी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह––

विश्वविद्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार ओरियन्टल डिपार्टमेन्ट (अरेबिक एण्ड पर्सियन) की वर्ष 1981 तक की परीक्षायें सम्पादित हो गई हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कानपुर के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता श्री ज्ञानेन्द्र दत्त शुक्ला के शिकायती पत्र की जांच

151—श्री भीखालाल—

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्त्ता श्री ज्ञानेन्द्र दत्त शुक्ला, निवासी ग्राम सथवापुर, थाना मंगलपुर, जिल कानपुर देहात क. प्रार्थना पत्र दिनांक 31-10-81, पुलिस अधीक्षक, कानपुर देह त को प्राप्त हुआ है ? जिसमें यह शिकायत की गई थी कि पुलिस चौकी सन्दलपुर पर नियुक्त थानेदार व अन्य चार सिपाहियों ने उनको अकारण पीटा और चोटें पहुंचाई ? यदि हां, तो उक्त दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं की गई, तो क्यों ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

जी हां । इस पत्र में पुलिस के विरुद्ध वादी पर दिनांक 3-9-81 को हमले की शिकायत की गई थी ।

इस सम्बन्ध म कराई गई जांच से ज्ञात हुआ कि उक्त घटना के सम्बन्ध में कोई लिखित रिपोर्ट थाने पर नहीं दर्ज कराई गई और न कोई हस्तक्षेपीय अपराध का होना ही पाया गया । कथित आरोपों के सम्बन्ध में ठोस प्रमाण के अभाव में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही नहीं की जा सकी । फिर भी उनका स्थानान्तरण पुलिस चौकी से अन्यत्र कर दिया गया है ।

152—श्री कुबेर भण्डारी तथा श्री श्याम नारायन तिवारी—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर द्वारा बोर्ड परीक्षा म लगायी गयी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी तथा वेतन का भुगतान

153—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या शिक्षा मन्त्री वी0 के0 हायर सेकेन्डरी स्कूल कुर्सी खेड़ा, कानपुर से सम्बन्धित 24 फरवरी, 1981 की कार्य सूची के अतारांकित प्रश्न संख्या 116 के उत्तर के सन्दर्भ में कृपया बतायेंगे कि क्या उन्हें यह जानकारी है कि जिन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ड्यूटी जिला वि0 निरीक्षक, कानपुर के पत्रांक 408-409, दिनांक 2-4-80 के द्वारा बोर्ड परीक्षा में दिनांक 3-4-80 से 15 मई, 1980 तक लगाई गयी थी, उन्हें अप्रैल, 1981 में उक्त परीक्षा ड्यूटी का भत्ता भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो उन्हीं कर्मचारियों का उसी अवधि का वेतन रोका गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार भुगतान नहीं हुआ है ।

154—श्री मोतीलाल देहलवी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

155—श्री मोती लाल देहलवी—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

156—श्री हरीशंकर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त] ।

पालीटेक्निक स्कूलों म व्याप्त अनुशासनहीनता एवं गिरते हुए शिक्षा स्तर के लिये उत्तरदायी ठहराये गये टी० टी० आई० टी० आई० डिप्लोमा धारी शिक्षक

157—श्री गया सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि अगस्त, 1979 में शासन के प्राविधिक शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में कानपुर में हुई पालीटेक्निक के प्रधानाचार्यों की मीटिंग में कोई ऐसा प्रस्ताव पास करके शासन को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया था, जिसम पालीटेक्निक स्कूलों में व्याप्त अनुशासनहीनता एवं गिरते हुए शिक्षा स्तर के लिए टी० टी०, आई० टी० आई० डिप्लोमाधारी शिक्षकों को उत्तरदायी ठहराया गया ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित—

जी हां, पालीटेकनिक के प्रधानाचार्यों की बैठक दिनांक 9 व 10 अगस्त, 1979 को कानपुर में हुई थी जिसमें छात्र समस्या अनुशासन एवं परीक्षा आदि के मामले में विचार करते समय यह मत व्यक्त किया गया था कि टी०टी०, आई०टी० आई० डिप्लोमा पास व्याख्याताओं की संस्थाओं में बढ़ती हुई संख्या के कारण डिप्लोमा स्तर पर प्रशिक्षण में कमी आने लगी है किन्तु शासन को इस आशय का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था । व्याख्या पद के लिये टी०टी०, आई० टी० आई० डिप्लोमा की अर्हता भारत सरकार की संस्तुति पर निर्धारित की गयी है । इस परिपेक्ष्य में भी बैठक में व्यक्त किये गये मत पर कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं समझी गयी ।

थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर में प्रश्नगत घटना की मैजिस्टोरियल जांच

158—श्री किरनपाल सिंह—

क्या गृह मन्त्री कृपया बतायेंगे कि माह अक्टूबर, 1981 को मध्य थाना औरंगाबाद, जनपद बुलन्दशहर की पुलिस ने गांव नगला के निर्दोष 17 लोगों को थाने ले जाकर बुरी तरह पीटा ? क्या उक्त घटना की क्राइम ब्रांच, लखनऊ तथा मैजिस्ट्रेट द्वारा इंक्वायरी आदेश भी हुए थे ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत घटना के सम्बन्ध में पुलिस महानिरीक्षक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण संगठन, अपराध अनुसंधान विभाग को एवं जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा मैजिस्टीरियल जांच के आदेश दिये गये थे, दोनों जांच प्रचलित हैं ।

जनपद बुलन्दशहर में पुलिस मुठभेड़ में मृत व्यक्ति

159—श्री किरन पाल सिंह--

क्या गृह मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जनवरी, 1981 से आज तक जनपद बुलन्दशहर में पुलिस द्वारा विभिन्न मुठभेड़ों में कितने व्यक्तियों को जान से मारा गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नगत अवधि में जनपद बुलन्दशहर में कुल 24 व्यक्ति, जो डाकू थे, पुलिस द्वारा विभिन्न मुठभेड़ों में जान से मारे गये ।

जनपद चमोली में केदार नाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भ्रमण

160—श्री कुंवर सिंह नेगी--

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चमोली में केदार नाथ वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी 1 नवम्बर, 1980 से 1 नवम्बर, 1981 तक कितने दिन जिले से बाहर रहे ? इस अवधि में इन्होंने अपने वन प्रभाग में कहां-कहां भ्रमण किया ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

प्रभागीय वनाधिकारी, केदार नाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर (चमोली), जिनका कार्यक्षेत्र पौड़ी जनपद में भी पड़ता है, 1 नवम्बर, 1980 से 1 नवम्बर, 1981 तक की अवधि में कुल 76 दिन अपने कार्यक्षेत्र से बाहर रहे । इसी अवधि में उन्होंने अपने कार्यक्षेत्र की विभिन्न वनराजियों में 142 दिन भ्रमण किया, जिसका विवरण निम्नवत् है :

वनराजि का नाम	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा भ्रमण के दिन
गोपेश्वर	39
धनपुर	67
उखीमठ	19
नागनाथ	17
योग ..	142

जनपद मुरादाबाद में नियुक्त सी० ओ०

161—श्री रियासत हुसैन—

क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में इस समय कितने सी० ओ० (पुलिस) के हैं जिनकी अवधि जिले में तीन साल से अधिक हो गयी है और क्या यह सही है कि सी० ओ०-4 थाना भगतपुर को 3 साल से भी अधिक उसी थाने पर हो गये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जनपद मुरादाबाद में इस समय एक सी० ओ० ऐसे हैं जिन्हें वहां पर तीन वर्ष से अधिक हो गया है । प्रशासनिक कारणों से उनका स्थानान्तरण अभी नहीं किया गया है । सी० ओ० की तैनाती थाने पर नहीं होती है ।

162--श्री मोहम्मद अबरार अहमद--

[19-1-82 को अतारांकित प्रश्न संख्या 171 द्वारा उत्तरित ।]

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद द्वारा प्रकाशित सामान्य ज्ञान, सत्रहवां संस्करण पुस्तक के सम्बन्ध में जांच व कृत कार्यवाही

163—श्री जीराज सिंह मौर्य--

क्या सरकार को ज्ञात है कि पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद द्वारा प्रकाशित सामान्य ज्ञान, सत्रहवां संस्करण (जुलाई, 1980) की पुस्तक की प्रस्तावना पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद के वर्तमान पुलिस उप महानिरीक्षक व प्रधानाचार्य, श्री राजेन्द्र प्रकाश गोविल ने लिखी है जो इसके प्रकाशक भी हैं ? सरकार उनके विरुद्ध उनके इस आचरण पर क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ? क्या इस पुस्तक के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा चुका है ? अ.ई० जी० (पुलिस), ट्रेनिंग श्री केवल रमानी ने इस सम्बन्ध में जांच-पड़ताल भी की जो दबा दी गयी ? प्रधानाचार्य तथा अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी है ? साथ ही इस पुस्तक के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति को आर्थिक हानि पहुंचायी जा रही है और डराया-धमकाया जा रहा है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद द्वारा जुलाई, 1980 में प्रकाशित पुस्तक 'सामान्य ज्ञान' के 17वें संस्करण की प्रस्तावना पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद के तत्कालीन पुलिस उपमहानिरीक्षक व प्रधानाचार्य श्री राजेन्द्र प्रसाद गोविल, जो पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद के प्रकाशन विभाग के प्रभारी अधिकारी होने के नाते इसके प्रकाशक भी थे, ने लिखी थी । इस पुस्तक में प्रकाशित आपत्तिजनक अंश के सम्बन्ध में प्राप्त श्री विश्वपति शर्मा सदस्य, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, नि० पंडित शंकर दत्त शर्मा मार्ग, सिविल लाइन्स, मुरादाबाद के शिकायती-पत्र, दिनांक 27 सितम्बर, 1980 की जांच तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक, प्रशिक्षण, श्री आर० डी० केवलरमानी द्वारा की गई । उनकी जांच आख्या के आधार पर श्री राजेन्द्र प्रसाद गोविल तथा एक अन्य भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी को चेतावनी चरित्रपंजी में प्रदान कर दी गई है । इस सम्बन्ध में प्रदेश पुलिस सेवा के एक अधिकारी को भर्त्सना चरित्रपंजी में प्रदान की गई है और अन्य दोषी व्यक्तियों की चरित्रपंजी में दुश्चरित्र लेख प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

यह असत्य है कि इस पुस्तक के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित करने वाले व्यक्ति को आर्थिक हानि पहुंचायी जा रही है और डराया जा रहा है । श्री विश्वपति शर्मा का एक शिकायती-पत्र दिनांक 4 जुलाई, 1981 प्राप्त हुआ था, जिसमें उल्लिखित आरोप जांच उपरान्त प्रमाणित नहीं हुए ।

सामान्य ज्ञान के अपत्तिजनक अंश को निकाल कर 18वां संस्करण का प्रकाशन

164—श्री जीराज सिंह मौर्य—

क्या सरकार को यह ज्ञात है कि यह पुस्तक अभी भी पुलिस ट्रेनिंग कालेज, मुरादाबाद के प्रशिक्षार्थियों को पढ़ायी जा रही है और उसे निरस्त नहीं किया गया है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

यह सत्य नहीं है कि 'सामान्य ज्ञान' पुस्तक का 17वां संस्करण अभी भी पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, मुरादाबाद के प्रशिक्षार्थियों को पढ़ाया जा रहा है और उसको निरस्त नहीं किया गया है। बल्कि स्थिति यह है कि सामान्य ज्ञान के उस संस्करण के आपत्तिजनक अंशों को पुस्तक से निकाल कर संशोधित 18वां संस्करण प्रकाशित किया जा चुका है और उसे ही पढ़ाया जा रहा है।

प्रौढ़ शिक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों की पदोन्नतियों का आधार

165—श्री शेर बहादुर—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रौढ़ शिक्षा के अधिकारियों और कर्मचारियों की पदोन्नतियां सन् 1981 किस आधार पर हुई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

वर्ष 1981 में प्रौढ़ शिक्षा के अधिकारियों/कर्मचारियों का कोई पद पदोन्नति के आधार पर नहीं भरा गया है। प्रौढ़ शिक्षा योजनान्तर्गत सभी पद अस्थायी एवं निःसंवर्गीय हैं। इन पदों को निर्धारित अर्हताओं के आधार पर निर्दिष्ट संख्या तक सीधी भर्ती द्वारा खुले बाजार से नियुक्ति द्वारा और शेष पदों को शासन के शिक्षा विभाग, विकास विभाग तथा अन्य विभागों के उपयुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा गया है।

वी0 के0 हा0 से0 स्कूल कुर्सी, खेड़ा, कानपुर के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों द्वारा प्रधानाचार्य के विरुद्ध प्रार्थना-पत्र

166—श्री मोती लाल देहलवी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या सरकार को जानकारी है कि वं0 के0 हा0 से0 स्कूल, कुर्सी खेड़ा, कानपुर (देहात) के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सर्वश्री राजेश्वर बली व छोटे लाल दिवाकर व आनन्द स्वरूप श्रीवास्तव तथा चन्द्र कुमार सिंह और मुन्शी लाल स्दीपर ने दिनांक 5-12-78 को सामूहिक रूप से अपना एक प्रार्थना-पत्र जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर को रिसीव कराके व उसकी अन्य प्रतिलिपियों में से एक प्रतिलिपि उप शिक्षा निदेशक, चतुर्थ मण्डल (इलाहाबाद) को अ0 स0 पो0 द्वारा भेज कर उन्हें अवगत कराया था कि उनके स्कूल के प्रधानाचार्य ने उन्हें धमकी पूर्वक चेतावनी दी है कि यदि उन लोगों ने चार-चार हजार रुपया उन्हें न दिया तो दो कर्मचारियों की भांति उन्हें भी निलम्बित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो इस प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? तथा इसी प्रार्थना-पत्र का सम्पूर्ण विवरण क्या है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

जांच कराई गई तथा अनियमितताओं के पाये जाने पर शिक्षा अधिनियम की धारा 16-डी के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई । प्रार्थना-पत्र में अंकित विवरण निम्नवत् हैं :--

1--प्रधानाचार्य द्वारा अवैधानिक ढंग से धन की मांग करना ।

2--सम्बन्धित कर्मचारियों की सेवा समाप्ति की धमकी देना ।

3--प्रबन्ध समिति को भंग करने की मांग ।

4--स्थायी प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों की नियुक्ति न कराना ।

167--श्री मोती लाल देहलवी--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

विधान भवन के समक्ष सत्याग्रहियों पर लाठी चार्ज

168--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री बतायेंगे कि विधान भवन के समक्ष दिनांक 19 अगस्त, 1981 को सत्याग्रहियों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया ? यदि हां, तो कितने लोग कौन-कौन घायल हुये तथा कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह--

विधान भवन के समक्ष दिनांक 19 अगस्त, 1981 को सत्याग्रहियों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

169--श्री हरिवंश सहाय--

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

ग्राम खामपार, थाना खामपार, जिला देवरिया में आत्म-हत्या की घटना का विवरण

170--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम खामपार थाना खामपार जिला देवरिया में गत 1 मई, 1981 को हरि कृष्ण की औरत व उसकी नतिनी को जलाकर मार डाला गया तथा दूसरी स्त्री ने कुएं में कूद कर आत्म-हत्या का प्रयास किया ? यदि हां, तो पूरा विवरण क्या हैं ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार श्री हरेकृष्ण प्रसाद पुत्र श्री बेनो साहू की दो औरतें थी एक का नाम फूलपती देबी तथा दूसरी का नाम लौगी देबी था। दोनों औरतों

में आपस में कलह होता रहता था । दिनांक 30-4-81 की रात्रि में बच्चों के शोर पर वादी ने छत से नीचे आकर देखा कि श्रीमती लौंगो देवी आंगन के किनारे वाले कमरे में आग से जल रही थी तथा लड़की सीता देवी आग बुझा रही थी । फलस्वरूप श्रीमती लौंगो, श्रीमती सीता देवी व उसकी बच्ची आग से जल गई । तब तक वादी श्री हरेकृष्ण प्रसाद को ज्ञात हुआ कि उनकी दूसरी पत्नी फूलपत्ती देवी जल देने के लिये मकान के पश्चिम वाले कुएं में कूद गई । उसे तुरन्त लोगों की मदद से बाहर निकाला गया जो बच गई । गाड़ी का प्रबन्ध करके घायलों को सदर अस्पताल देवरिया लाकर भर्ती कराया गया । दिनांक 1-5-81 को लगभग 9-30 बजे दिन लौंगो देवी का स्वर्गवास हो गया । वादी श्री हरेकृष्ण प्रसाद ने घटना की सूचना थाने पर दी । मु0अ0सं0 48/81 अन्तर्गत धारा 309 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कर विवेचनोपरान्त श्रीमती फूलपत्ती देवी के विरुद्ध आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 309 भा0 द0 वि0 दिनांक 17-8-81 को न्यायालय में प्रेषित किया गया । दरियाफ्त हाल की विवेचना से यह बात सत्य पाई गई कि श्रीमती लौंगो देवी की मृत्यु दुर्घटना से आकस्मिक कपड़े में आग पकड़ लेने व उससे जलने के कारण हुई है जो दैवसंयोग था । किसी जुर्म का होना नहीं पाया गया । अतः दरियाफ्त हाल की विवेचना द्वारा अंतिम रिपोर्ट दिनांक 17-8-81 को समाप्त की गई ।

देवरिया जनपद में बनकटा भाटपार रानी, भटनी ब्लाकों में प्राइमरी स्कूलों के क्षतिग्रस्त-भवन व भवनहीन विद्यालयों का भवन निर्माण

171--श्री हरिवंश सहाय---

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिलान्तर्गत बनकटा भाटपार रानी एवं भटनी ब्लाकों में किस-किस प्राइमरी स्कूल के पास भवन है किसके भवन क्षति-ग्रस्त हैं तथा कौन-कौन ऐसे हैं जिनके पास भवन नहीं हैं, भवनहीन विद्यालयों का भवन कब तक बनवा दिया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह---

सितम्बर, 1981 में प्राप्त सूचना के अनुसार देवरिया जनपद के बनकटा, भाटपार रानी एवं भटनी ब्लाकों में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित कुल 202 प्राइमरी स्कूल हैं इनमें से बनकटा ब्लाक में 45, भाटपार रानी ब्लाक में 30 व भटनी ब्लाक में 31 प्राइमरी स्कूलों के भवन है । 52 प्राइमरी स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त है तथा 44 विद्यालय भवनहीन हैं । ब्लाकवार प्राइमरी स्कूलों की सूची जिनके भवन हैं, जिनके भवन क्षतिग्रस्त हैं और जिनके भवन नहीं है, सदन के पटल पर प्रस्तुत है ।

भवनहीन विद्यालयों के निर्माण हेतु शासन के पास समय-समय पर जो साधन उपलब्ध होते रहते हैं उसके अनुसार प्रत्येक जिले को अनुदान स्वीकृत किये जाते हैं । इन स्वीकृत अनुदानों से जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयनित विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है । शासन द्वारा किसी अवधि विशेष का आश्वासन दिया जाना सम्भव नहीं है ।

† (देखिये नत्थी झ आगे पृष्ठ 902 पर ।

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में दुर्व्यवस्था से सम्बन्धित विधायकों का पत्र

172—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा-मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी के दुर्व्यवस्था से सम्बन्धित विधायकों द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 11-3-81 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र में कौन सी बातें लिखी है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

11-3-1981 का संयुक्त हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र में सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है।

परगनाधिकारी, सलेमपुर (देवरिया) के विरुद्ध आरोप

173—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि परगनाधिकारी सलेमपुर, जिला देवरिया के विरुद्ध डकैती की रपट दिनांक 10-5-81 को थाना सलेमपुर में प्रश्नकर्ता द्वारा लिखाई गई है ? यदि हां, तो रपट क्या है तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्नकर्ता ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 10-5-81 को थाना सलेमपुर में दिया जिसका इंदराज रोजनामचा आम रपट सं0 25, समय 18.40 पर अंकित किया गया।

प्रार्थना-पत्र में परगनाधिकारी सलेमपुर के विरुद्ध आरोप लगाये गये थे कि मय पुलिस फोर्स के साथ कुछ व्यक्तियों के दूकानों व घरों को उजाड़ रहे थे और सामानों को तोड़ा-फोड़ा जा रहा था।

जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए। अतः कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

परगनाधिकारी सलेमपुर, देवरिया द्वारा भ्रष्टाचार व घूस से संबंधित शिकायती-पत्र

174—श्री हरिवंश सहाय—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी सलेमपुर जिला देवरिया के भ्रष्टाचार एवं घूस लेने से संबंधित प्रश्नकर्त्ता का पत्र दिनांक 21-5-81 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गई ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

जी हां, प्रश्नकर्त्ता के शिकायती-पत्र दिनांक 21-5-81 में परगनाधिकारी सलेमपुर, जिला देवरिया के विरुद्ध बाढ़ पीड़ितों के लिए आवंटित धनराशि एवं

सामग्री का फर्जी वितरण करने, आवश्यक वस्तुओं के विवरण में चोरबाजारी करवाने तथा घूस लेने, राशन की दुकानों के आवंटन में, मुकदमों के फैसलों में, नगरपालिका के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित ठेकेदारों से घूस लेने, तस्करों से सांठ-गांठ करने, हरिजनों को जमीन का कब्जा न दिलवाने, कुछ दुकानों आदि गिरवाने तथा अभद्र व्यवहार करने की शिकायतें की गई हैं। शिकायती-पत्र की जांच जिलाधिकारी, देवरिया को सौंपी गई है।

परगनाधिकारी सलेमपुर, जिला देवरिया के विरुद्ध जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा आख्या

175--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगनाधिकारी, सलेमपुर (शरीफ अहमद), जिला देवरिया के विरुद्ध जिलाधिकारी, देवरिया ने कोई आख्या शासन को 1981 के अंतिम सप्ताह में भेजी है? यदि हां, तो आख्या क्या है तथा उस पर सरकार द्वारा कौन सी कार्यवाही की गई?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

जी नहीं, परगनाधिकारी, सलेमपुर (श्री शरीफ अहमद) के विरुद्ध जिलाधिकारी, देवरिया ने कोई आख्या शासन को 1981 के अन्तिम सप्ताह में नहीं भेजी है। इसलिए किसी कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम, रामकोला इकाई, देवरिया में श्रमिकों का बकाया भुगतान की व्यवस्था

176--श्री हरिवंश सहाय--

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की रामकोला खेतान इकाई, जिला देवरिया के श्रमिकों का किस-किस मद का कितना रुपय चीनी मिल के जिम्मे 31-10-81 को बकाया है? उक्त बकाया के भुगतान की कब तक व्यवस्था हो जायेगी?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित--

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम कतरवा थाना खामपार, देवरिया में श्री रघुवर भगत की हत्या के विरुद्ध मुलजिमानों पर की गई कार्यवाही

177--श्री हरिवंश सहाय--

क्या गृह मंत्री कृपया बतायेंगे कि ग्राम कतरवा, थाना खामपार, जिला देवरिया में गत 29/30 अप्रैल, 1981 को रघुवर भगत के घर डकैती पड़ी जिसमें रघुवर भगत घटनास्थल पर डाकुओं के लाठी से चोट खाकर मरे तथा सात अन्य लोग बुरी तरह से घायल हुए? यदि हां, तो मुलजिमानों के खिलाफ कौन सी कार्यवाही की गई? क्या कारण है कि मुकदमा 395 आई० पी० सी० न लिखकर 304 आई० पी० सी० लिखा गया? क्या सरकार सारा ब्यौरा सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

प्राप्त सूचना के अनुसार घटना निम्न प्रकार है :

दिनांक 29/30 अप्रैल, 1981 को लगभग पौने ग्यारह बजे रात्रि में रघुवर भगत के घर में डकैती नहीं पड़ी बल्कि खलिहान में मुलिजम चन्द्रमा तिवारी व उनके 2 अन्य साथियों ने रघुवर भगत को डन्डे से मारा था। उसी चोट से लगभग 85 वर्षीय श्री रघुबर भगत की दूसरे दिन करीब 6 बजे शाम को थाने रिपोर्ट लिखाने आते समय मृत्यु हो गई। पूर्ण विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है जो संलग्न है। चन्द्रमा तिवारी के विरुद्ध दिनांक 28-5-81 को आरोप पत्र प्रेषित किया गया। दो अज्ञात व्यक्तियों का पता नहीं चल सका।

अपराध 304 आई0 पी0 सी0 का होना पाया गया। मुकदमा 395 भा0 द0 वि0 में अंकित करने का प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ 910 पर)।

परगना मजिस्ट्रेट सलेमपुर, जिला देवरिया के विरुद्ध न्यायालय में चल रहे परिवाद-पत्र की सूचना

178--श्री हरिवंश सहाय--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परगना मजिस्ट्रेट, सलेमपुर (शरीफ अहमद) जिला देवरिया के विरुद्ध फौजदारी के दो इस्तगासे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, देवरिय के न्यायालय में चल रहे हैं? यदि हां, तो इन के विरुद्ध अभियोग क्या है?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

परगना मजिस्ट्रेट सलेमपुर, जिला देवरिया श्री शरीफ अहमद के विरुद्ध जुडिशियल मजिस्ट्रेट, देवरिया के न्यायालय में दो निम्नलिखित परिवाद-पत्र चलने की सूचना शासन को प्राप्त हुई है :

1--यह वाद संख्या 352/81, मोहर राम बनाम शरीफ अहमद अन्तर्गत धारा 147, 323, 440/109 व 295/109 भारतीय दण्ड विधान है।

2--वाद संख्या 361/81, डा0 उदय प्रताप बनाम शरीफ अहमद, अन्तर्गत धारा 147, 440/109, 295/109, भारतीय दण्ड विधान है।

इन वादों की अद्यावधिक स्थिति ज्ञात की जा रही है।

जिला देवरिया में कतिपय ग्रामों में चकबन्दी के दौरान काटे गये वृक्षों के संबंध में कार्यवाही

179--श्री हरिवंश सहाय--

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि श्री हंसराज पत्रकार "बिस्मिल" ग्राम चितहा, पो0 आ0 पिपरा बाजार, जनपद देवरिया ने दिनांक 3-4-81 को ग्राम चितहा तप्पा बासो चिरगोड़ा, परगना सिधुआ जोबना, तहसील पडरौना, जनपद

देवरिया के गाटा संख्या 873, 879/1203, 1273, 1323, 741, 819, 823, 1173, 1185, 1193 में स्थित आम, शीशम, महुआ के हरे पेड़ों को कुछ लोगों द्वारा चकबन्दी योजना के द्वौरान काटने के संबंध में शिकायती-पत्र शासन को दिया है ? यदि हां, तो उक्त किन-किन गाटाजातों में किन-किन व्यक्तियों का किनके द्वारा कितने हरे पेड़ काटे गए और अब तक कौन-कौन सी कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री निर्भय नारायण सिंह--

जी हां। प्रश्नगत गाटों में चकबन्दी के दौरान काटे गये वृक्षों का प्रजाति-वार विवरण निम्न प्रकार है :

गाटा संख्या	काटे गये वृक्षों की प्रजाति	वृक्षों की संख्या	अभियुक्तों का विवरण
873	आम	1	श्री रामजी रामसहाय बंधु पुत्र गण
	शीशम	1	श्री अवध नाथ, ग्राम चितहा
879	शीशम	3	श्री हंस नाथ पुत्र श्री कालीचरण, ग्राम चितहा
1203	शीशम	6	श्री रामजी राम दास आदि
1273	आम	3	तदेव
1323	शीशम	1	श्री हंस नाथ पुत्र कालीचरण
741	शीशम	1	श्री रामजी रामदास
	महुआ	2	बंधु आदि पुत्रगण श्री अवध नाथ
819	शीशम	20	तदेव
823	शीशम	1	तदेव
1173	शीशम	1	तदेव
1185	शीशम	1	तदेव
1193	शीशम	3	तदेव

अभियुक्तों ने वन विभाग के अधिकारियो को विभागीय कार्यवाही में कोई बयान आदि नहीं दिये, अतः मामला आवश्यक कानूनी कार्यवाही हेतु पुलिस विभाग को सुपुर्द कर दिया गया है ।

180--श्री हरिवंश सहाय--

[23-2-81 को अपपूछित तारांकित प्रश्न संख्या 2 द्वारा उत्तरित ।]

देवरिया जनपद में हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापक व छात्र तथा असहायता प्राप्त विद्यालयों को यथा समय अनुदान सूची में लिये जाने पर विचार

181—श्री हरिवंश सहाय—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में कितने हाई स्कूल एवं इन्टरमीडिएट कालेज है उनमें कितने अध्यापक हैं तथा 31 मार्च, 1981 को कितने छात्र पंजीकृत थे ? कितने ऐसे विद्यालय हैं जो असाहयता प्राप्त हैं ? उन्हें कब तक सहायता प्राप्त की सूची में संलग्न किया जायेगा ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

हाई स्कूल		72
इन्टरमीडिएट		106
	कुल	178
अध्यापकों की संख्या		4,312
पंजीकृत छात्रों की संख्या		1,14,745

38 विद्यालय ।

राज्य के वित्तीय संसाधन के अनुसार मान्यता वर्ष के क्रमानुसार इन विद्यालयों को यथा समय अनुदान सूची में लिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

राजकीय महाविद्यालयों में विनियमित की गयी प्रवक्ता की सेवायें तथा आरक्षण कोटा

182—श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री रामकरन—

क्या शिक्षा मन्त्री जी यह बतायेंगे कि शिक्षा निदेशालय (उच्च शिक्षा) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की आज्ञा संख्या डिग्री सेवा 75/एल0-3(1)7/80-81, दिनांक 22 मई, 1980 विज्ञप्ति नियमितिकरण द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के कितने तदर्थ प्रवक्ताओं की सेवायें विनियमित की गयी है ? उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के कितने प्रवक्ता हैं ? क्या आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

कुल 360 प्रवक्ताओं की सेवाएं विनियमित की गयी है । इसमें से 13 अनुसूचित जाति तथा 20 पिछड़े वर्ग के हैं । अनुसूचित जनजाति का कोई नहीं है । अनुसूचित वर्गों के तदर्थ प्रवक्ताओं के वांछित संख्या उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

स्नातकोत्तर कालेजों में स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद तथा आरक्षण कोटा

183—श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री राम करन—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि 30-10-81 को उ0 प्र0 के राजकीय स्नातकोत्तर कालेजों में स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष तथा प्राचार्य के कितने पद हैं ? उनमें कितने अनुसूचित जाति तथा जन जाति के प्रवक्ता प्रोन्नत हुए हैं ? क्या आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

दिनांक 30-10-81 को राजकीय स्नातकोत्तर कालेजों में स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के कुल 165 पद तथा प्राचार्य के 16 पद थे ।

कोई नहीं ।

जी नहीं । यह सम्भव नहीं हो पाया कि क्योंकि दिनांक 30-11-77 तक स्नातकोत्तर प्रोफेसर पद पर केवल लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति की व्यवस्था थी और राजाज्ञा दिनांक 30-11-77 द्वारा राजकीय महाविद्यालय में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0 जी0 सी0) द्वारा संस्तुत वेतनमान लागू किये जाने के उपरान्त स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद तथा प्रवक्ताओं के पद एक ही वेतनमान 700-1600 रु0 में हो गये । अतः प्रोन्नति का प्रश्न नहीं उठता ।

स्नातकोत्तर प्रधानाचार्य के पद पर प्रोन्नति हेतु प्रवक्ता निर्धारित पात्रता क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थें ।

राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न संवर्गों के पद तथा आरक्षण कोटा

184—श्री गोपी नाथ वर्मा तथा श्री राम करन—

क्या शिक्षा मन्त्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कितने प्राचार्य के पद हैं, कितने स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के पद कितने सीनियर प्रवक्ता के पद तथा कितने प्रवक्ता के पद हैं ? इन विभिन्न संवर्गों के पदों पर कितने अनुसूचित जाति के, कितने जन जाति के तथा कितने पिछड़े वर्ग के के व्यक्ति कार्य कर रहे हैं ? क्या विभिन्न संवर्गों में आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्राचार्य के 40 पद, स्नातकोत्तर प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष के 65 पद, सीनियर प्रवक्ता के 50 पद तथा प्रवक्ता के 660 पद हैं ।

निम्न तालिका के अनुसार :

वर्ग	प्राचार्य	प्रोफेसर	सीनियर प्रवक्ता	प्रवक्ता	योग
अनु0 जाति	1	..	..	35	36
अनु0 जन जाति	..	..	..	2	2
पिछड़ा वर्ग	1	5	5	83	94

आरक्षित वर्ग के अर्ह अभ्यर्थियों के वांछित संख्या में उपलब्ध न होने के कारण कोटा पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्ति तथा पिछड़े वर्ग का कोटा

185—श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री राम करन—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया यह बतायेंगे कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 1 जनवरी, 1977 से अब तक कितने प्रवक्ताओं की तदर्थ नियुक्ति हुई है ? उसमें कितने अनुसूचित जाति, जन जाति पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को नियुक्ति मिली है ? क्या आरक्षण कोटा पूरा किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

प्रश्नगत अवधि में कुल 360 प्रवक्ताओं को तदर्थ नियुक्ति की गयी जिनमें अनुसूचित जाति के 19, जनजाति का 1 और पिछड़े वर्ग के 57 व्यक्ति हैं। पिछड़े वर्ग का कोटा लगभग पूरा है (केवल एक कम है) किन्तु निर्धारित अर्हता धारी अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उनका कोटा पूरा किया जाना सम्भव नहीं हो सका।

राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में प्रवक्ता के पद का विज्ञापन

186—श्री गोपीनाथ वर्मा तथा श्री राम करन—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बतायेंगे कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा 7 मार्च, 1981 को प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों के लिये 26 विषयों में 307 प्रवक्ता के जो पद विज्ञापित हुये हैं, उन्हें निरस्त कराने हेतु शासन विचार कर रहा है ? यदि ऐसा विचार किया जा रहा है, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

मैनपुरी जनपद के कस्बा कुसमरा के निकट एक नाले पर पुल का निर्माण

187—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद के कस्बा कुसमरा से रामनगर सड़क मार्ग से जोड़ा जा चुका था और कुसमरा के निकट एक नाला (ड्रेन) पर पुल न बनाए जाने के कारण तथा निर्माण कार्य किये गये मार्ग को मरम्मत न होने के कारण व्यय की गई धनराशि व्यर्थ हो गई और जनता को उसका कोई लाभ न हो सका ? यदि हां, तो क्या मंत्री जो इस नाले का पुल बनाये जाने हेतु वांछित धनराशि स्वीकृत करने का कष्ट करगे ?

श्री अम्मर रिजवी—

मार्ग सार्वजनिक निर्माण विभाग का नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी की ग्राम सभाओं में प्राइमरी स्कूल खोलने पर विचार

188—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 30-10-81 की मैनपुरी जनपद में कौन-कौन सी ग्राम सभायें प्राइमरी स्कूल सुविधा से वंचित हैं ? इन ग्राम सभाओं की जन संख्या कितनी है ? इनमें से किन ग्रामों को शिक्षा सर्वेक्षण में प्राइमरी स्कूल खोले जाने हेतु रखा गया था ? किन कारणों से उन ग्रामों में अब तक प्राइमरी स्कूल न खोला जा सका ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

156 ग्राम सभाओं में प्राइमरी स्कूल शिक्षा की सुविधा ग्राम सभा के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है । इन 156 ग्राम सभाओं में से 92 ग्राम सभायें ऐसी हैं जिनके बच्चों को प्राइमरी स्कूल की शिक्षा प्राप्त करने के लिये 1 किलोमीटर के अन्दर ही चलना पड़ता है । 64 ग्राम सभायें ऐसी हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल खोले जाने हेतु अखिल भारतीय चतुर्थ सर्वेक्षण में इंगित किया गया है । संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर छठी पंच वर्षीय योजना में नये प्राइमरी स्कूल खोले जाने की स्वीकृति दी जाती है । धनाभाव के कारण ही इन ग्राम सभाओं में अभी तक प्राइमरी स्कूल नहीं खोला जा सका है ।

जनपद मैनपुरी के मार्गों पर निर्माण कार्य

189—श्री लल्लू सिंह चौहान—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद मैनपुरी में औछा से बढ़रा तक जो मार्ग बनाया गया है उसे बड़ा गांव तक आगे बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जसराना से बड़ागांव तक तारकोल कन्क्रीट की सड़क बनाई जा चुकी है ? यदि हां, तो यह बड़ागांव-बुढ़रा मार्ग की बनाने की प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ हो जायेगी ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी, नहीं ।

जी, हां ।

धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

190—श्री खैरुल बशर—

[9-1-82 को तारांकित प्रश्न संख्या 7 द्वारा उत्तरित]

श्रीमती गोदावरी भारती, ग्राम पकड़ी, जिला देवरिया के साथ महामंत्री, देवरिया द्वारा अभद्र व्यवहार किये जाने से सम्बन्धित दर्ज एफ0 आई0 आर0

191—श्री कुबेर भण्डारी—

क्या गृह मंत्री को ज्ञात है कि श्रीमती गोदावरी भारती, जो श्रम विभाग की सलाहकार समिति की सदस्य हैं के साथ पडरौना, जनपद देवरिया के महामंत्री

द्वारा माह अगस्त, 1981 में अभद्र व्यवहार किये जाने के प्रति श्रीमती भारती द्वारा पडरौना थाना, जिला देवरिया में अगस्त, 1981 में कोई एफ0 आई0 आर0 दर्ज है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

प्राप्त सूचना के अनुसार श्रीमती गोदावरी भारती पत्नी सुरेश भारती निवासिनी ग्राम पकड़ा थाना तरकुलवा, जिला देवरिया द्वारा माह अगस्त, 1981 में उनके प्रति कथित अभद्र व्यवहार करने के बारे में थाना पडरौना, जिला देवरिया में एक अभियोग अंकित कराया गया जो मु0 अपराध सं0 269/81 धारा 354/504/506 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत कायम किया गया और विवेचना के उपरान्त एक श्री राजेन्द्र उर्फ राजे के विरुद्ध आरोप-पत्र दिनांक 29-9-81 को भेजा गया जो न्यायालय के विचाराधीन है ।

शिक्षा विभाग में कार्यरत वर्ग 2 के अधिकारियों की ज्येष्ठता सूची

192— श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में कार्यरत वर्ग दो (क्लास टू) के अधिकारियों की कोई ज्येष्ठता सूची बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या वह सम्बन्धित अधिकारियों को दी गयी है ।

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । कार्य संचालनार्थ नेशनल ज्येष्ठता सूची बनाई गई है ।

जी नहीं ।

रेमेडियल टीचिंग में सृजित पदों का स्थायीकरण

193—श्री पंचानन राय—

क्या शिक्षा मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सी0 पी0 आई0 इलाहाबाद में वर्ष 1969 में रेमेडियल टीचिंग यूनिट स्थापित की गयी थी ? यदि हां, तो उसमें सृजित अस्थायी पदों को अब तक स्थायी न किये जाने के क्या कारण हैं ? इन पदों को स्थायी किये जाने के सन्दर्भ में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां । रेमेडियल टीचिंग से सम्बन्धित यूनिट के पदों के सृजन की स्वीकृति जनवरी, 1970 में दी गई थी ।

योजना में अभी तक हुये कार्य का मूल्याकंन कराया जा रहा है । मूल्याकंन की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् ही इन पदों के स्थायीकरण के प्रश्न पर विचार करना संभव होगा ।

194—श्री पंचानन राय—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

गांधी विद्यालय इन्टर कालेज के मन्त्री श्री कमला प्रसाद सिंह के विरुद्ध गबन से सम्बन्धित शिकायती पत्र

195--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कमला प्रसाद सिंह शाखा मन्त्री गांधी विद्यालय इन्टर कालेज, मारुफपुर मर्यादपुर, आजमगढ़ की संस्था के प्रधानाचार्य द्वारा किये गये गबन से सम्बन्धित शिकायती पत्र दिनांक 1-9-81 शासन तथा शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी और जांच के क्या परिणाम निकले ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

विभाग द्वारा जांच की जा रही है ।

श्री देवेन्द्र कुमार चतुर्वेदी, जिला मन्त्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद मैनपुरी के पत्र पर कृत कार्यवाही

196--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री देवेन्द्र कुमार चतुर्वेदी जिला मन्त्री उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ जनपद मैनपुरी का पत्र दिनांक 23-9-81 जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुआ है जिसमें 8-11-81 से अनिश्चित कालीन अनशन की सूचना दी गयी है ? यदि हां, तो सन्दर्भित पत्र में कौन-कौन सी समस्यायें हैं और उस सन्दर्भ में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

197--श्री पंचानन राय--

[5 वें मंगलवार के लिए स्थगित]

गांधी विद्या निकेतन इन्टर कालेज बूढ़पुर रमाला, मेरठ के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध शिकायती पत्र पर जांच

198--श्री पंचानन राय--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करगे कि गांधी विद्या निकेतन इन्टर कालेज, बूढ़पुर रमाला, मेरठ के प्रबन्धाधिकरण के विरुद्ध श्री श्याम कृष्ण जैन का शिकायती पत्र दिनांक 19-10-81 शासन की प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो प्रमुख शिकायतें क्या हैं और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां ।

प्रमुख शिकायतें धन के दुरुपयोग व दुर्विनियोग के सम्बन्ध में हैं ।

शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को जांच कराने के आदेश दे दिये गये हैं ।

जिला इटावा में निर्वाचन क्षेत्र वाइज कच्चे, पक्के मार्ग व पुलिया के निर्माण पर व्यय

199--श्री गोरेलाल शाक्य--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1980-81 में जिला इटावा में निर्वाचन क्षेत्र वाइज सा0 नि0 वि0 ने कौन-कौन से कच्चे, पक्के मार्ग व पुलिया बनवाई है और उनमें से प्रत्येक पर कितना धन व्यय हुआ है और कुल कितना धन स्वीकृत हुआ था ?

श्री अम्मार रिजवी--

इन कार्यों की पूर्ण सूचना माननीय मंत्री जी के कक्ष में उपलब्ध है जो देखी जा सकती है ।

दिल्ली के यू0 पी0 निवास में भूतपूर्व विधायकों को ठहरने की व्यवस्था

200--श्री रघुवीर सिंह यादव तथा श्री वंशीधर--

क्या सरकार इस विषय पर विचार करने की कृपा करेगी कि दिल्ली के यू0 पी0 निवास में जिस प्रकार से यू0 पी0 के विधायकों को ठहरने की व्यवस्था है, उसी प्रकार से भूतपूर्व विधायकों के लिए भी व्यवस्था कर दी जावे ?

श्री अम्मार रिजवी--

उत्तर प्रदेश निवास तथा उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली में ठहरने के लिए भूतपूर्व विधायकों को किराये में छूट देने के सुझाव पर विस्तार पूर्वक विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उन्हें उत्तर प्रदेश निवास तथा उत्तर प्रदेश भवन में ठहरने के लिए माननीय विधायकों की भांति सुविधा देना सम्भव नहीं है ।

निरीक्षक श्री ए0 के0 सिंह का कोतवाली बाराबंकी से फैजाबाद का स्थानान्तरण

201--श्री श्यामलाल बाजपेयी--

क्या गृह मन्त्री को पता है कि उन्हीं के आदेश से इंस्पेक्टर कोतवाली, बाराबंकी श्री ए0 के0 सिंह का तबादला शाहजहांपुर हुआ था और क्या यह भी सत्य है कि उक्त इंस्पेक्टर से जबरन चार्ज लिया माना गया था, क्योंकि वह चार्ज नहीं देना चाहते थे ? क्या यह सत्य है कि वह निरन्तर तबादला रुकवाने के प्रयास में सचिवालय दौड़ने के साथ कोतवाली, बाराबंकी के आवास पर प्रश्न देने की तिथि तक कब्जा जमाए रहे ? क्या यह सत्य है कि उक्त इंस्पेक्टर ने शाहजहांपुर में ज्वाइन करके छुट्टी ले ली थी और लखनऊ में तबादला रुकवाने में जुट गया था ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त इंस्पेक्टर का तबादला फैजाबाद डिवीजन फिर कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों हुआ ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

निरीक्षक श्री ए0 के0 सिंह को प्रशासनिक आधार पर जनपद बाराबंकी से बरेली परिक्षेत्र दिनांक 20-3-81 को स्थानान्तरित किया गया था जहां उनकी नियुक्ति जनपद शाहजहांपुर में की गई थी । बाद में निर्देशानुसार उनके

स्थानान्तरण को 30-4-81 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था । श्री सिंह को स्थानान्तरण स्थल पर प्रस्थान करने हेतु 20-4-81 को कार्यमुक्त कर दिया गया था । उनसे न तो जबरन चार्ज दिये जाने हेतु बाध्य किया गया और न ही जबरन चार्ज लिया माना गया । स्थानान्तरण के पश्चात् कोतवाली, बाराबंकी स्थित सरकारी आवास में उनका परिवार रह रहा है तथा इस आवास को खाली कराये जाने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, बाराबंकी द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । श्री सिंह जनपद शाहजहांपुर में कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् 29-4-81 से 13-7-81 तक चिकित्सा अवकाश तथा 5-8-81 से सात दिन तक आकस्मिक अवकाश पर रहे । अवकाश अवधि में वे कहां रहे इसकी सूचना अभी नहीं मिल पाई है । पुलिस महानिरीक्षक के आदेशानुसार इन्हें 27-8-81 को फैजाबाद जनपद को स्थानान्तरित किया गया और वे दिनांक 3-11-81 से वहां नियुक्त हैं ।

श्री वीरेश्वर नाथ जैन, प्रधान लिपिक, कार्यालय, मंडलीय बालिका विद्यालय, झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती पत्र

202--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या यह सही है कि श्री वीरेश्वर नाथ जैन, प्रधान लिपिक, कार्यालय, मन्डलीय बालिका विद्यालय, झांसी के विरुद्ध भ्रष्टाचार, अनियमितताओं एवं रिश्वत खोरी से सम्बन्धित 12 आरोपों का एक शिकायती-पत्र माननीय शिक्षा मन्त्री, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री को श्री रघुबीर शरण गौड़, अध्यापक, सदस्य, माध्यमिक शिक्षा संघ, झांसी की ओर से मार्च-अप्रैल, 1981 में उनके झांसी आगमन पर दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी हां । मण्डलीय बालिका विद्यालय निरीक्षिका से जांच कराई गई । श्री वीरेश्वर जैन के विरुद्ध ऐसा कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला जिसमें उनके द्वारा किसी भ्रष्टाचार आदि का आरोप प्रमाणित होता । फिर भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से श्री जैन का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

सुभद्रा कुमार इंटर कालेज, बसनी, वाराणसी में अध्यापकों के रिक्त पद तथा 9वीं तथा 11वीं कक्षा में इम्तहान के आधार पर भर्ती

203--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभद्रा कुमार इंटर कालेज, बसनी, वाराणसी में दो एल0 टी0 ग्रेड तथा 4 सी0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों में दो की मृत्यु हो गई है, चार रिटायर सन् 1980 में हो गए हैं ? यदि हां, तो इनकी जगहों को भरने के लिए क्या आदेश उक्त कालेजों के प्रिंसिपल को दे दिया गया ? क्या प्रिंसिपल ने अध्यापकों की मांग की है ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

204--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुभद्रा कुमार इण्टर कालेज बसनी, वाराणसी में छात्रों की तायदाद 1981-82 के सत्र के लिये 9वीं क्लास में बहुत बढ़ गयी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि सरकार ने आदेश के मुताबिक सेक्शन न बढ़ाया जाय इसलिए 9वीं कक्षा के लिए एवं 11वीं कक्षा के लिए इम्तहान लेकर सैकड़ों विद्यार्थियों को भर्ती नहीं किया जा रहा है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा काटे गये फर्जी चेक बुकों की जांच

205--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, 1979 से 25-2-80 तक के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा चेक बुक सख्या 3870 से बहुत चेक काट करके लाखों रुपया फर्जी तरीके से अध्यापकों का प्राविडेंट फंड तथा बिल्डिंग का रुपया एवं दूसरे मदों को निकाल कर दुरुपयोग किया गया है ? क्या सरकार इस चेक-बुक के पहले की कटी हुई चेक-बुकों की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेगी और इस बात की भी जांच करायेगी कि जो चेक-बुक ट्रेजरी से दिया गया था उसकी जगह पर फर्जी चेक-बुकें कहां से और कैसे बेसिक शिक्षा विभाग ने प्राप्त की हैं ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी की सम्पत्ति एवं मकान की जांच

205-ए--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं उप विद्यालय निरीक्षक वाराणसी की सम्पत्ति एवं मकान की जांच करायेगी जो इन लोगों ने क्रमशः सोनियां व जिला कारागार के सामने आलीशान मकान वाराणसी में खड़ा किया है ? यह धन कहां से आया है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

शासन एवं शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों की जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर के विरुद्ध शिकायतों पर कार्यवाही

206--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नवम्बर, 1980 के पश्चात् अब तक शासन एवं शिक्षा विभाग उच्च अधिकारियों को शिकायतें जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहांपुर (श्री वी0 डी0 शर्मा) के विरुद्ध प्राप्त हुई हैं ? उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रश्नगत अवधि में ऐसी कुल 9 शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

इन शिकायतो प्रकरणों की जांच हेतु मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, बरेली को आवश्यक आवेश दिये गये हैं ।

जनपद शाहजहांपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक के विरुद्ध सेवा पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

207--श्री सत्यपाल सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक (श्री बी0 डी0 शर्मा) के विरुद्ध सेवा पंजिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि इस बर्ष की गयी हैं ? यदि हां, तो उसका मुख्य कारण क्या था ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की प्रोन्नति में पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण

208--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (शिविर) के आदेश संख्या शिविर/ से0 /1/81-82, दिनांक 7 अप्रैल, 1981 के द्वारा प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की सात पोन्नतियां अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) निरीक्षण शाखा से की गयी हैं जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं दिया गया, इसका क्या कारण है ?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बेसिक शिक्षा विभाग, वाराणसी के कार्यालय में काटे गये फर्जी चेक के संदर्भ में श्री मान बहादुर सिंह, लिपिक का निलम्बन

209--श्री ऊदल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा विभाग वाराणसी के यहां से चेक संख्या 3870/069 से दिनांक 23-2-80 को एक चेक 1,962 रु0 की मुरलीधर तिवारी, अध्यापक के नाम काटा गया है और उसको उप जिला विद्यालय निरीक्षक, बांके सिंह ने तारीख 28-2-80 को प्रमाणित किया है तथा उस पर ओम प्रकाश, बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के हस्ताक्षर हैं, को ट्रेजरी आफिसर, वाराणसी, जंगबहादुर पान्डेय ने फर्जी होने की वजह से पास नहीं किया और कैन्ट थाना, वाराणसी में एक एफ0 आई0 आर0 लिखाई है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इस बात का पता लगायेगी कि चेक बुक नं0 3870 फर्जी है उसमें से कितने चेक कितने-कितने रुपये का काट कर रुपया निकाला गया ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं ।

चेक सं0 3870/069 जो रुपया 377·95 का था, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी द्वारा काटा गया था और उससे उनके पी0 एल0 ए0 में जमा धनराशि को राजकोष के बजट शीर्षक '077' में ट्रांसफर एन्ट्री द्वारा जमा किया गया । इसी नम्बर का एक फर्जी चेक श्री मान बहादुर सिंह, लिपिक, कार्यालय उप विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी द्वारा भी 1,952 रु0 (न कि 19,62 रु0 जैसा कि प्रश्न में कहा गया है) का श्री मुरली तिवारी, सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल, खुरहुआ के नाम से भविष्य निधि के ऋण लेने हेतु कोषाधिकारी, वाराणसी को प्रस्तुत किया गया जिसका संदिग्ध होने के कारण भुगतान नहीं हुआ और इस चेक को न तो जिला बेसिक अधिकारी श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव ने जारी किया और न ही उप विद्यालय निरीक्षक, श्री बांके सिंह ने प्रतिहस्ताक्षरित किया इस संदिग्ध चेक के प्राप्त होने पर कोषाधिकारी वाराणसी श्री जंग बहादुर पान्डेय ने थाना कैन्ट में एफ0 आई0 आर0 दर्ज कराई है । सम्बन्धित लिपिक श्री मान बहादुर सिंह को निलम्बित कर दिया गया है । जिला बेसिक अधिकारी, कार्यालय वाराणसी में व्यवहृत चेक बुक सं0 3870 फर्जी नहीं है और इसके निर्गत चेकों द्वारा धनराशि का दुरुपयोग नहीं किया गया है ।

210—श्री ऊदल—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चेक नं0 3870/077 से तारीख 25–2–80 को एक चेक 3,022 रु0 का काटा गया जिस पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, ओम प्रकाश के हस्ताक्षर हैं और उसको उप जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी ने अपना समर्थन दे कर उक्त चेक के हस्ताक्षर के प्रमाणित तारीख, 25–2–89 को ही किया है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उक्त चेक को कैश करा लिया और क्या सरकार इस बात की छान–बीन करेगी कि उक्त चेक–बुक संख्या 3870 से कितने रुपये की कितनी चेक इसके पूर्व कट चुकी और कैश हो गयी ? क्या यह चेक–बुक फर्जी है जिसकी ट्रेजरी आफिसर, वाराणसी ने तारीख 28–2–80 को चेक संख्या 3870/069 दिनांक 23–2–80 को पकड़ लिया है ? इस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी नहीं ।

इस नम्बर का चेक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में मूल रूप से अब भी मौजूद है, जो निर्गत नही किया गया हैं किन्तु इसी नम्बर का एक फर्जी चेक संख्या 3022 का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर एवं उप विद्यालय निरीक्षक के फर्जी प्रमाणीकरण पर खजाने से दिनांक 25–2–80 को आहरित हुआ । जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, वाराणसी के कार्यालय में उपलब्ध चेक बुक संख्या 3870 से कोई फर्जी आहरण नही हुआ है । दिनांक 28–2–80 को 3870/069 का चेक कोषागार में पकड़ा गया था और कोषाधिकारी द्वारा दर्ज कराई गयी एफ0 आई0 आर0 पर पुलिस द्वारा कार्यवाही हो रही है । श्री मान बहादुर सिंह, लिपिक जो अभियुक्त है, उन्हें निलम्बित कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है ।

जिला हरदोई में कतिपय मार्गों का निर्माण

211—श्री हरीशंकर—

क्या सार्वजनिक निर्माण विभाग मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि दिनांक 2-9-81 को राज्य मन्त्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हरपालपुर—अरवल मार्ग, बड़ागांव में कुण्डा नदी पर पुल का निर्माण बिलग्राम रामपुर—मझियारी मार्ग, जिला हरदोई के निर्माण कार्य के लिए आदेश किये हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त आदेश का कार्यान्वयन कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अम्मार रिजवी—

जी हां ।

जी, नहीं ।

धनाभाव के कारण विचार करना सम्भव नहीं है ।

विधान सभा क्षेत्र बांदा में माध्यमिक एवं जूनियर विद्यालयों के जर्ण शीर्ण भवनों का पुनर्निर्माण

212—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बांदा में इस समय कितने माध्यमिक विद्यालय एवं जूनियर विद्यालयों के भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं ? क्या सरकार उनका जीर्णोद्धार कराने जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

36 विद्यालय भवन ।

जी हां, 12 विद्यालय भवनों की मरम्मत कराई जा रही है तथा शेष की मरम्मत आर्थिक सहायता उपलब्ध हो जाने पर की जायेगी ?

जिला बांदा के कतिपय प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों का पुनः निर्माण

213—प्रो0 चन्द्र प्रकाश शर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि जिला बांदा के बगेखर ब्लाक में कन्या प्राइमरी पाठशाला ग्राम बगेखर बुजुर्ग तथा ब्लाक महुआ में प्राइमरी पाठशाला ग्राम बिलगांव के भवन गिर गये हैं अथवा जीर्णशीर्ण अवस्था में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें पुनःनिर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

चौधरी नौनिहाल सिंह—

जी हां ।

जिला बांदा के बगेखर ब्लाक में कन्या प्राइमरी पाठशाला ग्राम के बगेखर बुजुर्ग तथा ब्लाक महुआ में प्राइमरी पाठशाला ग्राम बिलगांव के भवन जीर्णशीर्ण हैं । वर्ष 1980-81 के अनुदान से ब्लाक महुआ के ग्राम बिलगांव के प्राइमरी पाठशाला भवन की मरम्मत का प्रस्ताव है । बगेखर ब्लाक में कन्या प्राइमरी

पाठशाला ग्राम बगेखर बुजुर्ग के भवन की मरम्मत अथवा पुनः निर्माण का अभी कोई प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा समिति ने नहीं किया है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत विद्यालय भवनों के निर्माण, पुनः निर्माण अथवा मरम्मत के लिये स्कूलों के चयन का अधिकार जिला बेसिक शिक्षा समिति को है और साधन उपलब्ध होने पर तथा जिला बेसिक शिक्षा समिति द्वारा चयन हो जाने पर कन्या प्राइमरी पाठशाला ग्राम बगेखर बुजुर्ग के भवन को भी आवश्यकतानुसार मरम्मत/पुनर्निर्माण होगा।

सीतापुर जिले के गैर सरकारी मान्यताप्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को देय डी० ए०

214--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि सरकारी तथा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त उ० मा० विद्यालयों के लिए 1 दिसम्बर, 1980 को डी० ए० की जो नई दर घोषित की गयी थी वह सीतापुर जिले के गैरसरकारी मान्यताप्राप्त विद्यालयों के अध्यापकों को देना प्रारम्भ हो गया है? यदि हां, तो कब से? यदि नहीं, तो क्यों तथा कब से मिलना प्रारम्भ हो जायेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

गैरसरकारी मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए 1 दिसम्बर, 1980 को डी० ए० की नई दरें घोषित की गयी थीं, वे सीतापुर जिले के गैरसरकारी मान्यताप्राप्त विद्यालयों को देना 11-8-81 से प्रारम्भ हो गया है।

राजकीय कन्या इन्टर कालेज, कासगंज, एटा की शिक्षिकाओं को अवशेष वेतन का भुगतान

215--श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय कन्या इन्टर कालेज, कासगंज, जनपद एटा की शिक्षिकाओं को बी० टी० सी० ग्रेड का सन् 1972 से 1975 तक वेतन का एरियर पूरा दिया गया है अथवा नहीं? यदि नहीं दिया गया है, तो सरकार देगी, तो कब तक?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

प्रश्नगत अध्यापिकाओं के वेतन का एरियर कुछ कारणों से भुगतान नहीं हो सका था। अवशेष देय वेतन के भुगतान हेतु शीघ्र कार्यवाही की जा रही है।

अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र की जांच

216--श्री हरिवंश सहाय--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधीक्षण अभियन्ता (अभितल), गोरखपुर के विरुद्ध मार्च, 1981 में जूनियर इंजीनियर, गोरखपुर ने कोई शिकायती-पत्र शासन को दिया है? यदि हां, तो शिकायतें क्या हैं? उक्त विषय पर 1 जनवरी, 1981 से 20 मई, 1981 के बीच कितनी शिकायतें शासन को प्राप्त हुईं तथा उस पर कौन सी कार्यवाही हुई?

श्री अम्मार रिजवी--

जी नहीं। प्रश्नगत अवधि में अधीक्षण अभियन्ता, गोरखपुर के विरुद्ध कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, उनकी वास्तविक स्थिति ज्ञात की जा रही है।

श्री मित्तल के विरुद्ध जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं उनकी जांच की जा रही है।

रामपुर रोड, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में सीमेन्ट पाइप बनाने वालों के विरुद्ध आरोप

217--श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामपुर रोड, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल में सीमेंट पाइप बनाने वाले कारखाने के विरुद्ध दिनांक 5-9-81 तथा 3-10-81 को काला बाजार से सीमेंट खरीद कर प्रयोग में लाने का आरोप है? यदि हां, तो शासन ने क्या कार्यवाही की है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नियाज हसन खां--

इस इकाई के संबंध में उद्योग विभाग के समक्ष कोई भी मामला सामने नहीं आया है। जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आहूत पत्रकार सम्मेलन में इसकी चर्चा होने पर जिलापूर्ति अधिकारी, नैनीताल के कार्यालय से जांच पड़ताल की गई। परन्तु कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया।

श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक, क्वींस कालेज, वाराणसी के अवशेष वेतन का भुगतान

218--श्री मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी--

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश नारायण श्रीवास्तव, सहायक अध्यापक (शिल्प), क्वींस कालेज, वाराणसी के सन् 1965 से चले आ रहे अवशेष वेतन के भुगतान हेतु ट्रिब्युनल कोर्ट के फैसले मुकदमा नं0 149(1)/1977, दिनांक 26 दिसम्बर, 1978 एवं रिवाइव एप्लीकेशन के फैसले दिनांक 7-9-79 के बावजूद भी अभी भुगतान नही किया गया है? यदि हां, तो कब तक भुगतान किया जावेगा?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

टिहरी गढ़वाल जनपद में राजकीय हाई स्कूलों तथा इण्टरमीडिएट कालेजों में अध्यापकों के रिक्त पद

219--श्री विद्यासागर नौटियाल--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी गढ़वाल जनपद में राजकीय हाई स्कूलों तथा राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में कितने-कितने अध्यापकों के पद कब से रिक्त पड़े हैं? उन्हें भरने के लिए शासन की ओर से क्या कदम उठाये जा रहे हैं? उन पर कब तक नियुक्ति कर ली जायगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना एकत्र की जा रही है।

सेवानिवृत अध्यापक श्री जटा शंकर त्रिपाठी की पेंशन तथा अवशेष वेतन का भुगतान

220--श्री जगदीश सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर में भदुसुआ ईसापुर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से 19-10-68 को श्री जटा शंकर त्रिपाठी 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त किये गए और उनको अभी तक न पेंशन दी गई और न उनका अवशेष वेतन सेवा काल का भी नहीं दिया गया? यदि हां, तो क्यों?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

सूचना अभी एकत्र की जा रही है।

जनपद जौनपुर के जीर्ण-शीर्ण प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल भवनों का निर्माण

221--श्री प्रभु नारायण सिंह--

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के कितने प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूल बिना भवन के या जीर्ण-शीर्ण भवनों में चलते हैं? क्या सरकार इन विद्यालयों के भवन शीघ्र बनवायेगी?

चौधरी नौनिहाल सिंह--

जनपद जौनपुर के 240 प्राथमिक एवं 25 जूनियर हाई स्कूल भवनहीन हैं तथा 194 प्राथमिक एवं 29 जूनियर हाई स्कूलों के भवन जीर्ण-शीर्ण हैं। वर्ष 1980-81 में 14 प्राइमरी एवं 2 जूनियर हाई स्कूलों के भवनों के निर्माणार्थ अनुदान स्वीकृत किया गया था जिसकी धनराशि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा को हस्तांतरित कर दी गई थी और वे भवन निर्माण कर रहे हैं। वर्ष 1981-82 में 8 भवनहीन प्राथमिक विद्यालयों के भवन निर्माणार्थ अनुदान स्वीकृत किया गया है। वर्ष 1980-81 में मरम्मत हेतु स्वीकृत अनुदान से 36 जीर्ण-शीर्ण प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल भवनों की मरम्मत कराई गई तथा अन्य 63 प्राइमरी व जूनियर हाई स्कूल भवनों की मरम्मत एवं पुनर्निर्माण का कार्य जिला परिषद् एवं नगरपालिका द्वारा कराया जा रहा है। ज्यों-ज्यों साधन उपलब्ध होते जायेंगे शेष भवनहीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण एवं जीर्ण-शीर्ण भवनों का पुनर्निर्माण एवं मरम्मत करायी जायेगी परन्तु इस हेतु किसी अवधि का आश्वासन देना संभव नहीं है।

ताज टैनरीज (प्रा0) लि0, ताजगंज, आगरा के श्रमिकों की मांगें

222--श्री ऊदल--

क्या श्रम मंत्री बतायेंगे कि ताज टेनरी के मजदूरों न अगस्त, 1981 में एक मांग-पत्र प्रबन्धकों को दिया है? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं और सरकार उस पर क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित---

जी हां। मेसर्स दि दयालबाग ताज टैनरीज (प्रा0) लि0, ताजगंज, आगरा के श्रमिकों ने 8-8-81 को एक मांग-पत्र अपने प्रबन्धकों को दिया था।

श्रमिकों की मुख्य मांग प्रोडक्सन इन्सेन्टिव दिये जाने की थी। इसके अतिरिक्त दो अन्य मांगें, वेतन तथा ओवर टाइम दिये जाने से सम्बन्धित थीं।

सभी श्रमिकों को वेतन, ओवर टाइम व प्रोडक्शन इन्सेन्टिव का भुगतान किया जा चुका है। प्रोडक्शन इन्सेन्टिव की योजना, जो श्रमिकों और प्रबन्धकों ने आपसी वार्ता द्वारा निश्चित की है, संस्थान में लागू है और उसका तद्नुसार पालन किया जा रहा है।

नगरपालिका, सीतापुर द्वारा चुंगी की दरों में बेतहाशा वृद्धि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

[समय 12 बजकर 18 मिनट]

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में अविलम्बनीय लोकमहत्व का यह विषय लाना चाहता हूं कि इसी सप्ताह नगरपालिका सीतापुर के द्वारा चुंगी की दरों में बेतहाशा अन्धाधुन्ध तथा आधारहीन ढंग से वृद्धि कर दी गयी है। यह वृद्धि अलग-अलग जिन्सों पर तीन गुने से दस गुना तक से भी अधिक है। आपको मान्यवर, यह जान कर अतीव आश्चर्य होगा कि नगरपालिका सीमा के भीतर गन्ने की एक गाड़ी लाने पर जहां काश्तकार को मात्र 30 पैसे देने पड़ते थे वहीं अब नयी दर से 1 रुपया प्रति क्विंटल हो गया है। इसी प्रकार गुड़, गल्ला, तिलहन सभी में वृद्धि हुई है। नये एवं पुराने फर्नीचर तथा बारदाना की एक ही दर कर दी गयी है।

मान्यवर, दरों का परीक्षण कब किया गया, किसी को इसकी जानकारी नहीं है। अकस्मात दरें लागू कर दी गयीं। नयी दरों से नगर के उद्योग तथा व्यापार की बड़ी क्षति होगी। सर्वाधिक आश्चर्य यह है कि गांव के लोग, जिन्हें शहर में न रहना है और न पालिका की सेवाओं का लाभ उठाना है, उनके द्वारा लाये गये माल पर अधिक वृद्धि हुई है।

इससे नगर में बड़ी उत्तेजना है। बैलगाड़ी पर माल लाने वाले काश्तकारों को नहीं पता था कि दरें बढ़ गयी हैं। अतएव उनकी जेब में रुपये नहीं थे। चुंगी अदा न कर पाने के कारण गाड़ियां पालिका सीमा में खड़ी हैं। मान्यवर, उसके पूर्व शासन ने वादा किया था कि नयी दरों पर निर्वाचित बोर्ड विचार करेगा, उसके बाद ही लागू होगी परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

अतएव मेरी मांग है कि नयी दरों की वसूली अविलम्ब स्थगित की जाय तथा निर्वाचित नगरपालिका गठित होने के बाद नियमानुसार प्रकाशन करके उन पर आपत्तियां सुनने के बाद ही युक्तिसंगत ढंग से दरें लागू की जायं। यदि शासन ने नयी दरों को स्थगित न किया तो मान्यवर, जनता में उत्तेजना इतनी अधिक है कि उसे मजबूर होकर आन्दोलन का रास्ता स्वीकार करने के लिये मजबूर होना पड़ेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जिला इलाहाबाद के ग्राम मुलऊपुर में हुयी फर्जी मुठभेड़ की मैजिस्ट्रियल जांच में गवाहों को उत्पीड़ित किये जाने पर प्रदर्शनकारियों पर क्षेत्राधिकारी, चायल द्वारा लाठी-चार्ज के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधे श्याम पटेल--

महोदय, आपके माध्यम से अविलम्बनीय लोकमहत्व के निम्नलिखित तथ्यों को माननीय सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। श्रीमन्, दिनांक 7 फरवरी, 1982 को लगभग ढाई-तीन बजे इलाहाबाद के थाना पुरामुफती के समक्ष दिनांक 17 दिसम्बर, 1981 को इसी थाने के अन्तर्गत ग्राम मलऊपुर में हुई फर्जी मुठभेड़ में दो व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हत्या के सम्बन्ध में मैजिस्ट्रेटी जांच के समक्ष जाने वाले गवाहों क', पुलिस द्वारा न केवल आतंकित किया गया वरना चालान भी फर्जी मुकदमें में किये जाने के विरोध में शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे, स्थानीय नागरिकों लोक दल सहित अन्य दलों के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं को राग-द्वेष से प्रेरित क्षेत्राधिकारी चायल द्वारा बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी-चार्ज कराया गया। जिससे दर्जनों निर्दोष व्यक्तियों को गंभीर एवं हल्की चोटें आई हैं। एक व्यक्ति घायलावस्था में स्थानीय स्वरूपरानी चिकित्सालय में बेहोश अवस्था में भर्ती है। लोक दल के भूतपूर्व विधायक श्री हर प्रताप सिंह यादव तथा सेठ भागीरथी व सालिक राम सिंह, प्रधानाचार्य को बिना मुकदमा दर्ज किये हिरासत में लेकर लाकअप में डाल दिया गया। घटना की सूचना पाकर जब मैं भूतपूर्व विधायक श्री जंग बहादुर पटेल तथा अन्य साथियों के साथ मौके पर गया तो सी० ओ०, चायल ने मुझे गिरफ्तार लोगों से मिलाने से इन्कार कर दिया। जब मैं लिखित देने लगा तब मिलने की अनुमति दी, हिरासत में रखे गये लोगों को पानी तक नहीं दिया जा रहा था और सड़ान्ध कोठरी में रखा गया है। इस घटना से स्थानीय जनता में आक्रोश, भय एवं क्षोभ व्याप्त है। लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन खुले आम किया जा रहा है।

अतः शासन को दमनकारी अलोकतांत्रिक रवैये एवं राग द्वेष से प्रेरित अधिकारियों द्वारा निर्मम लाठी-चार्ज कराये जाने की घोर निंदा करते हुए मांग करता हूं कि सम्पूर्ण मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराई जाय।

जनपद बरेली के ग्राम चन्दौआ में बम विस्फोट से कतिपय व्यक्तियों की मृत्यु के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री कुंवर सिंह नेगी--

मान्यवर, 5 फरवरी, 1982 रात्रि को जनपद बरेली के ग्राम चन्दौआ में कुछ लोग एक स्थान पर बैठे बातचीत कर रहे थे कि तभी एक बम आकर गिरा जिससे 7 व्यक्तियों की घटनास्थल पर तथा एक की अस्पताल पहुंच कर मृत्यु हो गई तथा दो व्यक्ति घायल हो गये। गांव वासियों का कहना है कि यह बम चांदमारी के दौरान छोड़ा गया जो निशाना चूक जाने के कारण गांव में आ गिरा।

अतएव हम इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय गृह मन्त्री से निवेदन करते हैं कि घटना की न्यायिक जांच कराई जाय तथा मृतकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता मुआवजे के रूप में दी जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वाराणसी से प्रकाशित जनमुख समाचार-पत्र के सम्पादक श्री ब्रजेश कुमार राय के घर पर गुंडों द्वारा लूट तथा मारपीट किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोहन सिंह---

माननीय अध्यक्ष महोदय, अविलम्बनीय लोकमहत्व की ध्यान आकर्षण सम्बन्धी सूचना की ओर आपके माध्यम से शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वाराणसी नगर से प्रकाशित होने वाले साप्ताहिक "जनमुख" के सम्पादक श्री ब्रजेश कुमार राय के साथ हुए बर्बर, जघन्य आक्रमण की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्रमुख जनमुख साप्ताहिक के सम्पादक महोदय कमक्षा वाराणसी में एक मकान में रहते थे। दो-तीन फरवरी की रात्रि में लगभग एक दर्जन गुन्डे, कट्टा, भाला, डन्डा से लैस हो कर श्री ब्रजेश कुमार राय के घर में घुस आये और पत्रकार की पत्नी को रिवाल्वर दिखा कर उन के हजारों रुपये के कीमती जेवरात लूट लिये। यह बदमाश डेढ़ घन्टे तक इनके घर का सामान लूटते रहे और रोकने पर पत्रकार की पत्नी को बुरी तरह घायल कर दिया। पड़ोस में रहने वाली एक इन्सपेक्टर की बूढ़ी मां चिल्लाहट सुन कर जब इस घर में घुसी तो इन्हें भी मार कर क्षत-विक्षत कर दिया गया। इसी बीच खबर मिलने पर श्री ब्रजेश कुमार राय अपने पत्र के कार्यालय से जा धमके। उन्हें भी गुन्डों ने मार कर बुरी तरह आहत कर दिया और तभी से वे अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं। इस घटना से मोहल्ले के हजारों लोग जमा हुये और इसी बीच नगर पुलिस अधीक्षक, श्री चन्द्र देव शर्मा, शहर कोतवाल द्वितीय, श्री प्रताप कुमार श्रीवास्तव सहित पुलिस वहां पहुंच गयी। पुलिस और जनता के सामने से ही आक्रमणकारी सामान सहित वहां से भागे। यह विस्मयकारी घटना है कि लूट-पाट करने वाले, पुलिस के सामने से जायें और पुलिस उन्हें गिरफ्तार न करें इस सम्बन्ध में 3 फरवरी, 1982 को वाराणसी के भेलूपुर थाने में रपट भी दर्ज करायी गई। लेकिन पुलिस किसी तरह हस्तक्षेप करने से मना कर रही है क्योंकि इस घटना के पीछे सत्ताधारी दल के एक प्रतिष्ठित राजनेता व विधायक का स्पष्ट हाथ बताया जाता है और शिकायतकर्त्ता ने स्पष्ट रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनका नाम भी दर्ज कराया है। इस घटना से वाराणसी नगर के पत्रकार व बुद्धजीवी क्षुब्ध हैं। वाराणसी नगर पत्रकार संघ ने इसके विरोध में प्रस्ताव पास कर न्यायिक जांच कराने और सम्बन्धित लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। वाराणसी के पत्रकारों का एक प्रतिनिधि मन्डल माननीय मुख्य मन्त्री और गृह मन्त्री से भी मिल चुका है। लेकिन अभी तक असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है। ऐसा कहा जाता है कि असामाजिक तत्वों के सम्बन्ध में कोई समाचार जनमुख पत्र ने प्रकाशित कर दिया था जिससे कांग्रेस (आई) के बड़े नेता और वाराणसी के गुन्डे क्षुब्ध थे और बदले की भावना से ऐसी कार्यवाही हुई है।

अतः हमारी मांग है कि श्री ब्रजेश कुमार राय के सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था की जाय, घटना में लूट का सामान, जो पुलिस ने बरामद किया है उन्हें वापस किया जाय और इन अपराधी तत्वों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय। स्वतंत्र पत्रकारिता की रक्षा हेतु जनमुख कार्यालय पर पुलिस तैनात की जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद बुलन्दशहर में सल्फर प्लान्ट वालों द्वारा गन्ने की सस्ती दर पर खरीद के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरनपाल सिंह--

अध्यक्ष महोदय, मैं जनपद बुलन्दशहर के किसानों के साथ हो रहे अन्याय व अत्याचार की तरफ सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

जनपद बुलन्दशहर के किसानों की कैश क्राप मुख्य रूप से गन्ना है । जनपद बुलन्दशहर में कुल दो चीनी मिलें हैं जिनमें से एक पन्नी जो शुगर मिल रुग्ण अवस्था में है । वहां पर किसानों को अपने गन्ने की पेराई के लिये निजी क्षेत्र के अनेकों सल्फर प्लान्टों पर निर्भर रहना पड़ता है । सलफर प्लान्ट वाले आज कल गन्ने को बहुत सस्ते दामों पर किसानों से लूट रहे हैं । जैसा कि विदित है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों में इस वर्ष पेराई के लिये गन्ने का दाम 21 रुपये 50 पैसे तय किया है । लेकिन सलफर प्लान्टों पर गन्ना 12 रुपये व 13 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से लिया जा रहा है । इस बात को लेकर जनपद के किसानों ने पिछले दिनों आन्दोलन भी किया था लेकिन प्रशासन व पुलिस की मदपद से किसानों के आन्दोलन को दबा दिया गया । मान्यवर, जनपद बुलन्दशहर के किसानों में सलफर प्लान्टों द्वारा की जा रही गन्ने की लुटाई की वजह से रोष व क्षोभ व्याप्त है ।

आपसे आग्रह है कि सरकार को जनपद बुलन्दशहर के किसानों की इस पीड़ा को दूर कराने के वास्ते तुरन्त प्रभावी कदम उठाने के लिये निर्देशित करें ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, नियम 301 में एक मेरा भी था ।

श्री अध्यक्ष--

पांच ही तो स्वीकृत हुई हैं । शेष फिर आयेंगी, दे दीजियेगा ।

श्री फखरे आलम--

मेरी सूचना ज्यादा इम्पार्टेंट थीं ।

श्री अध्यक्ष--

यह तो आपकी निगाह में थीं । ये तो सभी महत्व की थीं । मेरी निगाह में जो महत्व की थीं, उनको मैंने स्वीकार किया ।

सदन के सदस्यों के आचरण की जांच करने के सम्बन्ध में सदन की समिति गठित किए जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न था ।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

प्रक्रिया से सम्बन्धित तो नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आप सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

क्या सुनें । सुनने से ज्यादा पढ़ने से पता चल गया ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैंने उसके अधीन यह मांग की है कि आप सदन की एक समिति गठित कर दें, जो इस बात की जांच कर लेगी और रिपोर्ट देगी कि इस सम्मानित सदन के सदस्य की किस तरह से सुनिश्चित आचरण की उम्मीद की जाती है । मान्यवर, इस आदरणीय सदन के एक सदस्य श्री सतीश अजमानी डाकुओं के साथ सांठ-गांठ करते रहे और उनसे मिलते रहे । मान्यवर, इसी का यह नतीजा है कि डाकू छविराम खुले आम अपने गांव में घूम रहा है । उनका यह आचरण सदन की गरिमा को गिराने वाला है । इसके बारे में मैं कुछ पूर्वदृष्टान्त भी सामने रखना चाहता हूं । आपको स्वयं स्मरण होगा...

श्री अध्यक्ष—

यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसके पूर्व के दृष्टान्त भी हैं एक तुलमोहन राम का केस है और दूसरा मुद्गल का केस है जिसमें उसने एक कार्मशियल कम्पनी के इंटरेस्ट में काम किया था जिस पर जवाहरलाल जी ने एक प्रस्ताव पेश किया था जिसमें उनको सदन से निष्कासित किया गया और उसके बाद भी वह केस चला और आफेंस माना गया । इसी तरह हाऊस आफ कामंस में 1976 में जानकास्टर का केस है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं । गुप्त जी आपका जो प्रश्न है वह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं उठाया जा सकता है । यह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है उस में है—औचित्य प्रश्न इन नियमों के या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या प्रवर्तन के सम्बन्ध में होगा और उसमें ऐसा प्रश्न उठाया जायेगा जो अध्यक्ष के संज्ञान में हो । दो तरह से औचित्य के प्रश्न उठा सकते हैं । जो आपने मुद्गल और हाउस आफ कामन्स का रिफरेंस दिया है, वह औचित्य के प्रश्न के रूप में नहीं उठाये गये हैं दूसरे ढंग से उठाये गये हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, सदन के सदस्यों की एक कमेटी बना दें जो उनके कन्डक्ट के बारे में जांच करे ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं ।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

आज नियम 56 में 13 सूचनाएं प्राप्त हुई । पहले मैं उन सूचनाओं को आपके समक्ष रख देना चाहता हूं ।

एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री जटा शंकर सिंह और श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की दस्यु सरगना छबिराम का खुलेआम मैनपुरी के ग्राम हरिनामपुर में घूमना तथा पुलिस का न पकड़ना । श्री मोहन सिंह ने भी इसी प्रकार की सूचना दी है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री हरीकिशन श्रीवास्तव, श्री मुख्तार अनीस, डा0 शिवानन्द नौटियाल की भी सूचना इसी प्रकार की है ।

चौथी सूचना श्री राम आसरे वर्मा, श्री मित्रसेन, श्री खैरुल बशर की इसी तरह की है ।

पांचवी सूचना श्री किरनपाल सिंह की भी इसी प्रकार की है । तो यह पांच सूचनायें एक तरह की हैं जो इस प्रकार हस्ताक्षरित हैं ।

छठीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र की पिलखावां (फैजाबाद) में 6-2-82 की सायं की बस लूटे जाने की घटना में एक सांसद के शैडो तथा एक अन्य व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में है ।

सातवीं श्रीनन्द किशोर सिंह एवं श्री हरिवंश सहाय की भी इसी सम्बन्ध में है ।

आठवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की भी इसी प्रकार की है ।

नवीं सूचना श्री फिरंगी प्रसाद विशारद और श्री कुबेर भंडारी की चौरी-चौरा में 6-2-82 को प्रधान मंत्री द्वारा शहीद स्मारक के शिलान्यास के अवसर पर राजकीय बसों का दुरुपयोग एवं लाठी चार्ज के सम्बन्ध में है ।

दसवीं श्रीमती गौरी देवी, श्री अकबर हुसैन, श्री रियासत हुसैन की भी इसी सम्बन्ध में है ।

ग्यारहवीं तथा बारहवीं भी श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री केदार नाथ सिंह की इसी सम्बन्ध में है ।

तेरहवीं श्री राम स्वरूप निम की बलिया से लखनऊ को आने वाले दो सौ पैदल हरिजन यात्रियों का 6-2-82 को पुलिस द्वारा अपहरण किये जाने के सम्बन्ध में है । यह सूचना पहले भी आ चुकी है और अस्वीकार हो चुकी है और आज भी यह अस्वीकार की जा रही है ।

(व्यवधान)

9 से 12 तक श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री कुबेर भंडारी, श्रीमती गौरी देवी, श्री अकबर हुसैन, श्री रियासत हुसैन, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री केदार नाथ सिंह की जो सूचना है वह नियम 56 में अस्वीकार की जा चुकी है ।

श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री हरिवंश सहाय आदि की सूचना नियम 56 के अलावा नियम 51 में भी प्राप्त हुई है, इस पर नियम 51 में विचार किया जा रहा है । कार्य स्थगन की इन सूचनाओं को भी अस्वीकार किया गया है ।

एक से पांच तक की जो सूचनायें हैं इस सम्बन्ध में मैं सबसे पहले निवेदन करना चाहता हूं कि यह आपके लिए भी अच्छा होगा कि ग्राह्यता पर एक–एक सूचना पर एक–एक माननीय सदस्य बोलने की कृपा करें तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा ।

श्री मोहन सिंह—

मेरा अकेला है, मुझे मौका दे दीजिए ।

श्री केदार नाथ सिंह—

मेरा भी चौरी चौरा की घटना पर है ...

श्री अध्यक्ष—

वह अस्वीकृत हो गया है, आप बैठिये ।

(व्यवधान)

इस विषय पर माननीय सदस्य केवल उसकी ग्राह्यता पर और काफी सूक्ष्म में बोलें ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

(व्यवधान)

श्रीमन्, वहां पर 500 रोडवेज बसें बिना किराये और आरक्षण के चली हैं..

(व्यवधान)

वहां पर भुखमरी की स्थिति लागू हो गई है ।

(व्यवधान)

वहां मुख्य मंत्री जी भी गये थे...

श्री अध्यक्ष—

जो मैंने अस्वीकार कर दिया है, उसको मैं नहीं सुनूंगा, आप बैठ जाइये ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

आप हमें नहीं सुनेंगे, इसको स्वीकार नहीं करेंगे, तो मैं इसके विरोध में 2 मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री फिरंगी प्रसाद विशारद सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

श्रीमन्, चौरी चौरा वाला मामला बड़ा गम्भीर है । इस पर आप वक्तव्य दिलवायें ...

(व्यवधान)

श्री कुबेर मंडारी--

इसके विरोध में मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कुबेर मंडारी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

ओझा जी जो भी बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जाएगा ।

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

डाक्टर बृज किशोर मिश्र--

यह जो कुछ इस तरह कह रहे हैं ...

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

गौरी देवी जी आप बैठ जाइये । आप सब लोग बैठ जाइये । इस तरह नहीं । राजेन्द्र कुमार गुप्त ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[× × ×]

(व्यवधान)

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री रियासत हुसैन—

चौरी चौरा वाला मामला गम्भीर है ही, इस पर आप वक्तव्य दिलवा दें ।

श्री अध्यक्ष—

जब उसको अस्वीकार कर दिया है, तो फिर यह कैसे होगा ?

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, इनको सुन लेने दीजिए ।

(व्यवधान)

मान्यवर, कुछ इनसे कहलवा दीजिए, गोरखपुर के मंत्री जी बैठे हैं यहां ।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहते हैं कि जिस कार्य स्थगन प्रस्ताव को मैंने अस्वीकार किया है उस पर मंत्री जी से वक्तव्य देने को कहूं ?

(व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा बराबर बोलते रहे जो माइक आफ होने के कारण सुना नहीं गया)

श्रीमती गौरी देवी—

मान्यवर, 200 वर्ग...

(व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

[× × ×]

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा जी बराबर बोलते रहे जो सुना नहीं गया ।)

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय ओझा जी बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा बराबर बोलते रहे जो व्यवधान के कारण सुना नहीं गया ।)

आप कृपया बैठ जायं, बैठ जायं, बैठ जायं, माननीय ओझा जी कृपया बैठ जायं, आप कृपा करके बैठ जायं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के बराबर बोलते रहने पर)

मैं आपको कतई इजाजत नहीं दूंगा, आप बैठ जायं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा व्यवधान के बीच बराबर बोलते रहे ।)

नोट—[× ×]× यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री अध्यक्ष---]

आप कृपया बैठ जायं, मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

(घोर व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा बराबर बोलते रहे जो व्यवधान के कारण नहीं सुनाई दिया ।)

आप कृपया बैठें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

[×××]

[घोर व्यवधान]

श्री अध्यक्ष---

आप कृपया बैठ जायं । जो माननीय ओझा जी बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा---

मान्यवर, आप मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रहे हैं अतः मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री केदार नाथ सिंह सदन त्याग कर चले गये ।)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुनः पुकारे जाने पर)

श्री कुबेर भंडारी---

[×××] ।

श्री अध्यक्ष---

कुबेर भंडारी जी आप कृपया बैठ जायं । जो माननीय कुबेर भंडारी जो बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा ।

[समय 12 बजकर 43 मिनट]

दस्यु सरगना छविराम द्वारा मैनपुरी के ग्राम हरिनागरपुर में खुलेआम घूमने तथा पुलिस द्वारा पकड़ने की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, जिस प्रस्ताव की सूचना मैंने दी है उसकी ग्राह्यता के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं । इस पक्ष की ओर से अनेकों बार ये आरोप लगाये गये हैं कि उत्तर प्रदेश में जो डाकुओं की समस्या है, वह इसलिए हल नहीं हो पा रही है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के लोग, बड़े-बड़े विधायक उनको संरक्षण प्रदान करते

नोट---[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

हैं । मैनपुरी जिले में जो हो रहा है वह हमारे आरोपों को शत-प्रतिशत-सिद्ध करता है । छबिर म, जिसने अनेकों माताओं और बहनों के सिन्दूर को मिटा दिया है और उनकी कोख को सूना किया है, उसने उत्तर प्रदेश की सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है ।

(शेम-शेम की आवाजें)

पिछले 4-5 दिनों से वह अपने गांव में घूम रहा है और सत्तारूढ़ दल के लोग उसे जानबूझ कर हीरो बना रहे हैं । आज ही हमारे कार्यकर्ताओं ने सूचना दी है कि सत्तारूढ़ दल के लोग उसका ट्रेक्टरों और ट्रालियों पर अभिनन्दन करा रहे हैं ।

श्री प्रभाकर नाथ द्विवेदी--

ये किस विषय पर बोल रहे हैं किस चीज की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

बैठ जाइये, बैठ जाइये । माननीय गुप्ता जी, आप कृपया ग्राह्यता पर ही बोलें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अच्छी बात है, श्रीमन् । आप मान्यवर, ग्राह्यता की शर्तें देखने की कृपा करें । एक शर्त यह है कि एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे । हम सब पहले ही प्रस्ताव पर बोल रहे हैं । आगे यह है कि वह विषय हाल ही की घटना से सम्बन्धित होना चाहिये । यह घटना अभी हाल ही की है चार दिन पहले की यह घटना है और 4 दिन के बाद आज हम यहां बैठ रहे हैं।

(व्यवधान)

(शोर)

मान्यवर, यह घटना घटित होने के बाद आज हम मिल रहे हैं । वहां पर जिस डाकू को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर पी० ए० सी० लगाई गई, उसके लिए काफी रुपया स्वीकृत हुआ ताकि वह पकड़ा जा सके,

(व्यवधान)

मेरी निजी जानकारी है कि अब उस क्षेत्र को शान्ति क्षेत्र घोषित किया जा रहा है । आइचर्य यह है जिस सरकार की घोषणा थी हम डाकुओं को पकड़ेंगे, उनको जिन्दा या मुर्दा जला देंगे ।

(व्यवधान)

उनको पकड़े जाने के बजाय बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और छविराम को हीरो बनाया जा रहा है, पुलिस उसको नहीं पकड़ रही है और उसका परिणाम यह हो रहा है कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज आतंक की लहर व्याप्त है, डाकू और सरकार की सांठ-गांठ हो गई है और इसीलिए

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

डाकुओं को पकड़ा नहीं जा रहा है जिसके कारण जनता में भय और आतंक व्याप्त है। आज सबसे बड़ी समस्या यह पैदा हो गई है कि क्या डाकुओं को पकड़ा जायेगा या नहीं ? आज ही माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान पढ़ा कि किसी को आत्मसमर्पण से रोका नहीं जायेगा। मान्यवर, वह आत्मसमर्पण किसको करेगा ? कैसे करेगा ? मेरी सूचना है कि श्री यादव और श्री रघुवीर सिंह

(व्यवधान)

उन डाकुओं से मिलने के लिए गए।

(शोर व्यवधान)

और इन्होंने सरकार को सूचना दी

(व्यवधान)

क्या इनकी पुलिस ने सरकार को कोई सूचना उसकी दी, क्या डाकू उन्मूलन ऐक्ट के तहत ये लोग दोषी नहीं हैं ? अगर हैं तो इनको क्यों नहीं पकड़ा गया ?

(व्यवधान)

इस प्रश्न पर विचार करने की जरूरत है।

श्री रघुवीर सिंह यादव—

श्रीमन्, गुप्ता जी ने मेरा नाम लिखा है...

(शोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

रघुवीर सिंह के नाम के और भी लोग हैं।

(व्यवधान)

श्री रघुवीर सिंह यादव—

मेरा नाम लिया है। मैं मान्यवर, इनके खिलाफ विशेषाधिकार भंग की नोटिस देता हूं, इनके खिलाफ कार्यवाही की जाये।

(व्यवधान)

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न इसलिए बन जाता है क्योंकि इसी सदन में बार-बार यह कहा गया है कि इस सरकार की नीति दस्यु उन्मूलन की है जब कि दस्यु प्रतिपालकों की यह सरकार है। यह आरोप सिद्ध है कि कांग्रेस (आई) के वरिष्ठ नेता [×××], श्री संजय सिंह और श्री सतीश अजमानी ने पहले की और अब आत्मसमर्पण का प्रयास हो रहा है...

(शोर व्यवधान)

एक सदस्य—

मान्यवर, राजीव गांधी का नाम क्यों लिया जा रहा है जब कि वे इस सदन के सदस्य नहीं हैं, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जाय ...

(व्यवधान)

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुरेन्द्र कपिल--

मान्यवर, यह झूठे आरोप लगाये जा रहे हैं । इसका कोई इलाज होना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, उनकी प्रेरणा से यह सरकार दस्यु प्रतिपालक है । इसलिए यह लोक महत्व का प्रश्न बनता है--और इसी सदन के अन्दर एक दस्यु उन्मूलन विधेयक लाया है । (व्यवधान) तो ऐसे लोग जिनका नाम स्पष्ट रूप से आया है, यह प्रश्न हमारे सामने आना चाहिए क्योंकि मेरा सीधा आरोप है कि इन लोगों ने निरंतर छबिराम को संरक्षण प्रदान किया है । मेरा शुरू से आरोप है कि इनके निकट में छबिराम रहे हैं । इसलिए छबिराम को गिरफ्तार नहीं कर सके । हमारा शुरू से आरोप है कि यह दस्यु उन्मूलन नहीं कर रहे हैं । संतोषा, छबिराम, राधे, अनार सिंह को बनाये रखना इनके अपने राजनैतिक अस्तित्व के लिए जरूरी है । मान्यवर, इसीलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सत्ता पक्ष के तमाम सदस्यों का सम्पर्क है । मैनपुरी का एस० पी० गृह सचिव द्वारा बुलाया जाय, उसको इस बात के लिए प्रताड़ना दी जाय कि तुम छबिराम को मार नहीं सकते और मान्यवर, उसकी चर्चा इस सदन में तत्काल न करना इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति)--

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह की भावनाओं का मैं आदर करता हूं। सदन के सामने प्रश्न यह है कि जिन डाकुओं की चर्चा यहां की गयी, उन डाकुओं का उद्भव कब हुआ ?

श्री मुख्तार अनीस--

आपके शासन काल में ।

(व्यवधान)

श्री लोकपति---

मान्यवर, यह उद्भव और कारण अगर आप देखना चाहें ''।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, इसी पर चर्चा हो जाय ।

श्री लोकपति--

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन सत्यता से अवगत हो और अगर सत्य बात कही जाती है तो उसमें सम्मानित सदस्य चाहे किसी भी पक्ष के हों, उसमें संतुलन खोने की आवश्यकता नहीं है । यह वाद-विवाद का प्रश्न नहीं है । श्रीमन्, एक बात कही गयी कि श्री राजीव गांधी की प्रेरणा पर···

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय, प्रश्न पर ही बोलें ।

श्री लोकपति--

मैं प्रश्न पर ही बोल रहा हूं । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त और माननीय मोहन सिंह ने जो कहा है, उसी पर बोल रहा हूं और उसी पर अपने को सीमित रखूंगा । माननीय, किसी भी बात की जानकारी के लिए यह आवश्यक है कि उसके पूर्व इतिहास की जानकारी करें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री--

माननीय, ग्राह्यता पर ही तो बोलेंगे कि जो चाहेंगे, वह बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय, अभी माननीय मंत्री जी ने यह जिक्र किया कि माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी और माननीय मोहन सिंह जी ने जो बातें कही हैं, उन्हीं के परिप्रेक्ष्य में आप बात उठा रहे ह । माननीय, माननीय मंत्री जी एक उत्तरदायी व्यक्ति हैं और सामूहिक उत्तरदायित्व से बंधे हैं । माननीय, जो बात उनकी तरफ से आ जायेगी, उसी पर मोहर लगा दी जायगी । तो माननीय, जिन लोगों ने यह प्रस्ताव दिया है, पहले उनकी बात सुन लें ।

(व्यवधान)

हरिजन एवं समाज कल्याण राज्य मंत्री (श्री गुलाब सेहरा)--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न मेरा भी है ।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो एक व्यवस्था चल रही है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी आपका व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जिन्होंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है मैं उनको पहले सुन लूं तब किसी दूसरे सदस्य को सुनूं ।

जिन्होंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है उनको या दूसरे सदस्य या किसी ऐसे सदस्य को जिनको सुनने के बाद कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के निराकरण में मुझको सहायता मिल सकती है, उनको मैं सुन सकता हूं और किसी भी समय सुन सकता हूं । इसलिये उनको सुनने में औचित्य की बात नहीं है । यदि वह कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, यह प्रश्न ग्राह्य नहीं है और इसलिये ग्राह्य नहीं है श्रीमन् कि हमारे किसी भी सम्मानित सदस्य को इसकी जानकारी नहीं है । जो जानकारी है वह समाचार पत्रों की जानकारी के आधार पर प्रश्न उठा रहे हैं ।

श्री मोहन सिंह--

मंत्री जी प्रतिवाद कर दें ।

श्री लोकपति--

मान्यवर, एक प्रश्न और साफ करना चाहता हूं कि इस परिप्रेक्ष्य में जो भी आज सदन में बातें आ रही हैं । इसका उदाहरण इस सदन की कार्यवाही में आ गया है । यह सम्मानित सदन की कार्यवाही में आ चुका है । जब राज्य हरिजन समाज कल्याण मंत्री बोल रहे थे तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि 1977 से लेकर 1979, 31 दिसम्बर तक के बीच इन तीन जिलों के अन्दर लगभग 45 हजार आग्नेय अस्त्रों का लाइसेंस दिया गया है । विगत 30 वर्षों में आजादी के बाद उत्तर प्रदेश के इन तीन जिलों में लगभग साढ़े 6 या 5 हजार लाइसेंस की सूची दी थी । अब किसने इसका पालन किया····

(व्यवधान)

मान्यवर, इसकी जिम्मेदारी उन सदस्यों पर है···

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव घटना पर है । मान लीजिये पुरानी गलती से बात घटी । मैं घटना से लेना चाहता हूं मान्यवर यह अविलम्बनीय महत्व का है ।

श्री मोहन सिंह--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

ग्राह्यता पर क्या स्पष्टीकरण ।

श्री गुलाब सेहरा--

मैं आपका ध्यान नियम 56 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं । जिस विषय की चर्चा विपक्ष के लोगों ने उठायी है । यह केवल समाचार पत्रों के आधार पर है····।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने निजी जानकारी के आधार पर नोटिस दी है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

मान्यवर, सत्ता पक्ष के विधायक यज्ञ करवा रहे हैं और राजीव गांधी को वहां बुलाना चाहते हैं और उसके सामने आत्मसमर्पण करवाना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं । मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया था कि समय के दृष्टिकोण से जो सूचनायें प्राप्त हुई हैं । उनमें एक-एक सूचना के साथ कई-कई नाम हैं, इसलिये हर एक में से एक-एक माननीय सदस्य अपनी बात कहें । श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की सूचना के साथ 4 नाम थे जिसमें श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने अपनी बात कही । श्री मोहन सिंह का अकेले प्रस्ताव था तो उन्होंने अपनी बात कह दी । तीसरी सूचना श्री कुंवर सिंह नेगी, श्री मुख्तार अनीस, डाक्टर शिवानन्द नौटियाल, श्री नरेन्द्र सिंह भंडारी और श्री हरी किशन श्रीवास्तव की है, इनमें से एक माननीय सदस्य कह लें ।

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूं ।

श्री गुलाब सेहरा--

मेरा व्यवस्था का सवाल है कि प्राह्यता पर बोलने के पहले नियम 56 को देख लें जिसमें कि अविलम्बनीय लोक महत्व का कोई प्रश्न क्या बनाया जा सकता है जिसका शासन की तरफ से स्पष्टीकरण हो चुका हो ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, क्या आपके निर्देश को यह चैलेन्ज कर सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

श्री गुलाब सेहरा आप नियम 56 का उद्धरण दे रहे हैं यह नहीं, बल्कि आप कहने के हकदार हैं कि प्राह्य न किया जाय ।

श्री गुलाब सेहरा--

मान्यवर, मुख्य मंत्री का आज ही बयान छपा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

सभी माननीय सदस्य बैठ जायं । एक-एक करके जिनके प्रस्ताव हैं उनको सुनने के पश्चात्, प्राह्यता पर मैं निर्णय दूंगा । आपको जो प्राह्यता पर कहना है वह आप कहें और जो उनको कहना है, वह कहेंगे ।

वस्तु सरगना छविराम द्वारा मैनपुरी के ग्राम हरनागरपुर में खुलेआम घूमने तथा पुलिस द्वारा पकड़ने की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*श्री मुख्तार अनीस––

माननीय, हमारी यह बात बिल्कुल सत्य साबित है कि आज के समाचार पत्रों में आया है कि यह सरकार डाकुओं के साथ कुश्ती लड़ रही है । यह सतीश अजमानी का बयान है, उन्होंने कहा है कि वह डाकुओं का आत्मसमर्पण कराने के बारे में कोई रणनीति बना रहे हैं । हमारी पार्टी का मैनपुरी कार्यालय से समाचार मिला है कि थाना ओछा, हरनागरपुर गांव में छविराम डाकू जाता है, वहां ढाई हजार लोग इकठ्ठा होते हैं, मीटिंग करते हैं और उन लोगों से छविराम कहता है कि बहुत जल्दी ही हमारा आत्मसमर्पण होने वाला है [×××] ।

श्री अध्यक्ष––

यह निकाल दिया जायेगा चूंकि ग्राह्यता से सम्बन्धित नहीं है ।

(एक सदस्य के खड़े होने पर)

आप बैठ जायं । वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस––

माननीय, ग्राह्यता के लिये सारी शर्तें इस घटना के साथ लगी हैं । हाल की घटना है और इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव भी नहीं आया है । माननीय, छविराम अपने पूरे गिरोह के साथ वहां 10 हजार लोगों की उपस्थिति में अपने पैत्रिक गांव में यज्ञ का आयोजन करता है और हमारे सत्ता पक्ष के लोग उसमें शिरकत करते हैं आज अगर सत्ता पक्ष की ओर से कोई बात कही जा रही है, तो साफ जाहिर है कि उसका खाया हुआ नमक है जो यह बोल रहे हैं । अभी माननीय त्रिपाठी जी ने एक बात उठायी थी कि यह पैदा कब हुये । जनता शासन में अगर पैदा हुये तो इनके पैदा करने की जिम्मेदारी आपकी थी । आपने जनता शासन को बदनाम करने के लिये डकैतों को पाला था ।

श्री अध्यक्ष––

आप बैठिये ।

श्री राम आसरे वर्मा––

मुख्य मन्त्री जी कहते हैं कि हम डकैतों के लिये चुनौती बने हुये हैं । मुख्य मन्त्री जी सदन के अन्दर चुनौती देते हैं और डकैत बाहर चुनौती बने हुये हैं। छविराम अपने गिरोह के साथ खुली चुनौती बना हुआ है मुख्य मन्त्री के लिये । माननीय, कानून भी बनाया गया और कहा गया है कि डकैतों को संरक्षण देने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट––[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री राम आसरे वर्मा—]

वालों को बख्शा नहीं जायगा । अभी दीदी चिल्लान का इंतजार कर रही हैं । उनके दल के विधायक छविराम के साथ मिलकर उससे बातचीत करके मुख्य मन्त्री और शासन के बीच मध्यस्थता कर रहे हैं । इससे साफ जाहिर हैं कि डकैत इनकी सरपरस्ती में पल रहे हैं ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने दस्यु छविराम के बारे में कार्य स्थगन के बारे में विचार रखे । मैं संक्षेप में ग्राह्यता के बारे में कहना चाहता हूं । पहली बात यह है कि डकैत प्रभावित क्षेत्र में अध्यादेश लगा हुआ है । सरकार ने असेम्बली से पास किया है । उस क्षेत्र में डाकू खुले आम कैंप किये हैं अस्त्र शस्त्रों के साथ और कांग्रेस (आई0) के जिम्मेदार लोगों के एम0एल0ए0, एम0 पी0 के पत्र डकैतों के पास मिले हैं । लाखों लोग छविराम के दर्शन करने आ रहे हैं और कांग्रेस (आई0) के लोग ट्रेक्टर और बसों से उनको ला रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक दस्यु को कांग्रेस (आई0) के लोग ऐतिहासिक पुरुष बनाने का काम कर रहे हैं । दूसरा निवेदन यह है कि उस इलाके में आप देखें प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है । कार्यस्थगन की यह खास चीज होती है कि जहां यह मालूम हो जाय कि सरकार का हस्तक्षेप प्रदेश के किसी इलाके में किसी वजह से समाप्त होता नजर आये, सरकार फेल होती नजर आये तो उस पर अविलम्ब सदन का कार्य रोक कर विचार होना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर सरकार का हस्तक्षेप, प्रशासन का हस्तक्षेप, एस0 पी0, डी0 आई0 जी0, डी0 एम0 का हस्तक्षेप समाप्त हो गया है । मान्यवर, जब हरिजनों की हत्या देवली और साढूपुर में हो रही थी तो यह डकैतों को मारने का संकल्प दोहरा रहे थे । इनके लोग डकैतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे गम्भीर और कोई मामला नहीं हो सकता । सदन को कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा होनी चाहिये ।

*श्री रियासत हुसैन—

मैं केवल 4 जुमले कहूंगा । मान्यवर, 12 जिलों में एक आर्डिनेंस लगा हुआ है । मान्यवर, निजी तौर पर, समाचार-पत्रों द्वारा और आल इंडिया रेडियो से सूचना आ रही है । छविराम डाकू के बारे में एक बड़ी भारी कन्फ्यूजन क्रियेट हो गया है कि क्या छविराम के गिरोह ने सांठ-गांठ सत्ता पक्ष से की है या नहीं नम्बर एक और दूसरी बात यह पैदा हो गयी कि क्या सत्ता पक्ष ने छविराम के सामने सरेण्डर कर दिया है और इसी वजह से जो शक्ति इस गिरोह के खिलाफ लगायी गयी थी, पी0 ए0 सी0 आदि की, वह इसीलिये हटायी जा रही है और तीसरी बात इस माननीय सदन के अन्दर छविराम का रिश्ता विरोध के माननीय सदस्यों से जोड़ा गया था माननीय लटूरी सिंह के एक पत्र के साथ, जब श्री लटूरी सिंह जी ने इस पत्र के सम्बन्ध में साफतौर पर डिनाई कर दिया था । अब जो यह समाचार कई दिनों से अखबारों और रेडियो व माननीय मुख्य मन्त्री द्वारा स्वयं दिये गये स्टेटमेंट से यह प्रतीत हो रहा है कि शीघ्र ही छविराम का सरेण्डर हो जाना चाहिये । तो मान्यवर, इसमें जरूर कुछ तथ्य

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सामने हैं, लेकिन उन्हें छिपाया जा रहा है, इसलिए यह बात पूरे प्रदेश के अन्दर साफतौर पर आ जाये, इसलिए इस पर चर्चा का हो जाना अत्यन्त आवश्यक हो गया है ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा डा0 अम्मार रिजवी को माननीय संसदीय कार्य मन्त्री के नाम से पुकारे जाने पर)

श्री मुख्तार अनीस--

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, संसदीय मन्त्री यहां कौन है ।

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसे माननीय अम्मार रिजवी कहकर दुबारा दुरुस्त भी कर दिया था। संसदीय कार्य मन्त्री तो माननीय राम रतन सिंह जी हैं । विराजें ।

श्री राजेन्द्र सिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, यह जो प्रश्न आये हमारे विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने उठाये, जिसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में काफी कहा सुना जा चुका है और मैं भी इन तथ्यों को सुन कर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इसकी चर्चा अब स्वीकार हो जानी चाहिये क्योंकि जब माननीय मोहन सिंह इस सम्बन्ध में बोल रहे थे तब त्रिपाठी जी ने भी कहा था कि यह डकैतों का उदय कैसे हुआ और किस समय में हुआ और इनको संरक्षण किसने दिया आदि कई सवालों के सामने कोश्चन मार्क लगा दिया अर्थात् दूसरे शब्दों में आपकी भी मर्जी है कि चर्चा हो और हम लोगों की भी यही इच्छा है ताकि यहां के पूरे प्रदेश की जनता के सामने आ जाये कि वास्तविक तथ्य क्या है कि कौन इन डाकुओं को संरक्षण देता है और कैसे इनका उदय हुआ और आज जो यह डायलाग यहां पर बोले गये, यह डायलाग आज के ही नहीं है, काफी पहले के हैं और इनमें बहुत कुछ छुपाया भी जा रहा है । मैं मान्यवर, 6 तारीख को 4 बजे अलीगढ़ के लिए रवाना हुआ था, मुझे तभी मालूम हुआ कि जहां यह तीर्थ स्थान बनाने जा रहे हैं कुछ मामला है, तभी मैंने अपना रूट मान्यवर, बदल दिया और इटावा होकर उधर गया तो मैंने देखा कि जो मुझे जानकारी मिली थी, वह सही है । आज पूरे प्रदेश के अन्दर यह समस्या बनी है, जिसका सुलझना बहुत आवश्यक हो गया है और यह बात भी स्पष्ट हो जाना चाहिये । आज चर्चा के जरिये कि इन डाकुओं का संरक्षक कौन है ताकि यह जो बार-बार लांछन प्रतिपक्ष पर लगाया जा रहा है, जिसका अन्त हो सके। इस सम्बन्ध में मैं कई बार सदन में कह चुका हूं । छविराम ने सन् 1980 के विधान सभा चुनाव के समय किस-किस का समर्थन किया, उन्होंने इसके बारे में कोई जांच नहीं करायी । मेरा कहना है कि सन् 1980 के चुनाव में छविराम ने कांग्रेस (आई0) के एम0 एल0 ए0 का समर्थन किया था और एक मंत्री का भी समर्थन किया था । मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा हो जाय ताकि पूरा प्रदेश हमारे आचरण के बारे में जाने कि सत्ता पक्ष क्या कर रहा है और विपक्ष क्या कर रहा है । इसका निष्कर्ष तभी निकल सकेगा जब सदन में इसकी चर्चा होगी, तभी इस पूरे प्रदेश की जनता समझ पायगी । इस

[श्री राजेन्द्र सिंह--]

सम्बन्ध में दो-तीन प्रश्न बहुत अहम हैं। एक तो यह कि शर्तें क्या-क्या रखी गयीं। हम तो वहां नहीं गये, लेकिन कांग्रेस (आई0) के विधायक गये, मंत्री गये। मुख्य मंत्री ने भी आज अखबार में इसको माना है। पहले पेपर में यह था कि वह रवाना हो गये हैं लखनऊ के लिए मुख्य मंत्री से बात करने के लिये। अब प्रश्न आ जाता है कि बातचीत किस-किस ने की, कब से बातचीत चल रही है और शर्तें क्या हैं, किस-किस को मान लिया है सरकार ने। प्रधान भी इन्हीं का आदमी है, यह बात जनता के सामने आनी चाहिये कि किस व्यक्ति का लिंक था जिसके सामने जाने से पुलिस भी थर्राती थी, यह वहां गये और उसका स्वागत कर रहे हैं, तो कौन सा लिंक था ?

मुख्य मंत्री का वक्तव्य दिनांक 9 फरवरी, 1982 के दैनिक "आज" में निकला है, उसमें लिखा है कि मुख्य मंत्री ने स्वीकार किया कि पिछले 48 घंटे में युवक कांग्रेस (ई) के प्रादेशिक महामंत्री श्री सतीश अजमानी से उनकी मुलाकात जरूर हुई थी लेकिन क्या बात हुई यह बताने से मुख्य मंत्री ने यह कहकर टाल दिया कि ऐसी बात हैं जो अभी नहीं बतायी जा सकेंगी।

(विपक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें)

क्या सदन का नेता छविराम को बनाया जायगा ? यह हम तो नहीं जानते लेकिन यह जरूर जानते होंगे। यह इतना अहम सवाल है कि जिस समस्या से 4 जिले प्रभावित थे, पिछले एक साल में करोड़ों रुपया इस शासन का बरबाद हुआ पुलिस और पी0 ए0 सी0 पर और अब यह चीज आ रही है। मेरा कहना है कि इससे बड़ा अहम सवाल नहीं आ सकता। आज प्रदेश का बहुत बड़ा भाग इस समस्या से प्रभावित हो रहा है। बराबर दस्यु उन्मूलन का नाम लिया गया। माननीय मोहन सिंह जी ने एक पत्र रक्खा था एस0 एस0 पी0, फर्रुखाबाद का, आप आज तक साबित नहीं कर पाये। इस आधार पर मेरी मांग है मान्यवर, कि चर्चा करा दें ताकि पूरा प्रदेश इस बात को जान सके कि इनकी क्या छवि है और हमारी क्या छवि है ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मान्यवर, जो प्रस्ताव माननीय मोहनसिंह जी द्वारा और दूसरे सम्मानित सदस्यों द्वारा रखा गया है, वह गम्भीर अवश्य है, जैसा कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा और सारे सम्मानित सदस्य इससे सहमत हैं लेकिन इस समय हमें यह विचार करना होगा कि टेक्निकली यह जो प्रस्ताव है यह ग्राह्यता के योग्य है या नहीं है। इस सम्बन्ध में मैं नियमावली के नियम 58 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके (2) और (3) की ओर मान्यवर, ध्यान दें, बल्कि (1) भी उसमें लिया जा सकता है कि :—

(1) एक ही उपवेशन में एक से अधिक प्रस्ताव नहीं किये जायेंगे,

(2) एक ही प्रस्ताव द्वारा एक से अधिक विषय पर चर्चा नहीं होगी,

(3) प्रस्ताव हाल में घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निबंद्ध रहेगा।

मान्यवर, पहली बात जो कहना है वह यह है कि विषय दस्यु उन्मूलन का है--

श्री रियासत हुसैन--

विषय दस्यु उन्मूलन का नहीं है, यह छविराम के सरेन्डर करने का विषय है।

श्री मोहन सिंह--

यह विषय दस्यु उन्मूलन का नहीं बल्कि छविराम के समर्पण का है।

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, मूल विषय यही है और इस मूल विषय पर जब से यह सदन शुरू हुआ है, तब से चर्चा चल रही है। इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें सदन में बताई जा चुकी हैं, उत्तर दिये जा चुके हैं और वक्तव्य भी दिये जा चुके हैं। बहुत से सदस्यों ने इसकी चर्चा में हिस्सा भी लिया है। तो मान्यवर, इस विषय पर बराबर विचार हो चुका है। जहां तक इसमें सरकार का नाम लिया गया है, कि सरकार इसका पोषण कर रही है, तो मैं आपके माध्यम से सदन को सूचना देना चाहूंगा कि सरकार को इसकी कोई जानकारी नहीं है। न तो सरकार ने किसी को अधिकृत किया है--

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सतीश अजमानी को सरकार ने अधिकृत नहीं किया है ?

श्री अम्मार रिजवी--

आप बोल चुके हैं, मुझे भी बोलने का अवसर अध्यक्ष जी ने दिया है और मुझे भी अपनी बात कहने का अधिकार है। आप मेरी बात सुनिये। जहां तक आत्म समर्पण का सवाल है, विधि में आत्म समर्पण के लिये प्राविधान है। कोई भी क्रिमिनल मैजिस्ट्रेट के सामने जाकर या कोर्ट के सामने जाकर आत्म-समपण कर सकता है। एक विधि द्वारा इसका समाधान है। जैसे कि माननीय मोहन सिंह ने कहा कि उसके सरेन्डर पर विचार होना है। जैसा कि प्राविधान किया जा चुका है--

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

छविराम का खुले रूप से घूमना और उसे न पकड़ना, इस पर आपत्ति है सबकी।

श्री अम्मार रिजवी--

जहां तक सोर्सेज का सवाल है कि क्या स्रोत हैं ? तो मान्यवर, स्रोत जो हैं वह कहां पर क्या हैं। जैसा कि अभी माननीय नेता विरोधी दल ने समाचार-पत्र का स्रोत दिया कि मुख्य मंत्री जी के किसी स्टेटमेन्ट का उन्होंने हवाला दिया है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, आप भी अवगत हैं कि जो इस पीठ से फैसले दिये गये

[श्री अम्मार रिजवी--]

हैं मैं चन्द लाइनें उसकी पढ़कर सुना देना चाहता हूं कि इसी तरह से माननीय गेंदा सिंह जी ने एक समाचार-पत्र का हवाला दिया था कि 21 फरवरी के दिन प्रस्ताव पर अपने संशोधन पर बोलते हुए मुख्य मंत्री द्वारा एक प्रेस कान्फरेन्स के बारे में कुछ कहा था, तो उस पर अध्यक्ष पीठ से जो कहा गया था कि माननीय गेंदा सिंह द्वारा कहने पर कि माननीय मुख्य मंत्री द्वारा यह बयान दिया गया, वह यहां पर मौजूद हैं और उन्हें उसे स्वीकार करने और इन्कार करने का अधिकार है, लेकिन अखबार की खबर को आप इस उद्देश्य से नहीं दे सकते। यह मान्यवर आपकी पीठ से फैसला हो चुका है ।

श्री मोहन सिंह--

इस पर मेरा एक स्पष्टीकरण है, मंत्री जी स्वयं संसदीय मामलों के ज्ञाता हैं । मान्यवर, अपनी मूल सूचना देने और उन सूचनाओं की पुष्टि में समाचार-पत्रों के समाचारों का हवाला देना, यह तो सदैव से आपकी ओर से मान्यता प्राप्त रही है । माननीय नेता विरोधी दल ने जो अपनी जानकारी के हिसाब से सूचना दी है, यह तो परम्परा के अनुकूल है, मान्यवर ।

श्री अम्मार रिजवी--

दूसरा यह है कि कुछ माननीय, सम्मानित व्यक्तियों का जो यहां सदस्य नहीं हैं, उनका हवाला दिया गया है, यह बात भी कई बार तय हो चुकी है कि और श्री हरीशचन्द्र जी ने भी एक बार कहा था कि जो यहां सदस्य नहीं हैं, जो जवाब नहीं दे सकते, उनका नाम लेना उचित नहीं है । इसलिए मैं समझता हूं कि इस विषय पर चूंकि अनेक बार चर्चा हो चुकी है और जो इतका स्रोत है वह भी समाचार-पत्र हैं, लेकिन यह नहीं बताया कि यह असली स्रोत है, इसकी कोई जानकारी नहीं है । इसलिए चूंकि वे सरकार के सदस्य नहीं हैं, पर्सनल कैपेसिटी में कोई बात कर सकते हैं इस पर कोई रोक नहीं है । हाउस आफ कामंस में भी, पार्लियामेन्ट में भी यह हो चुका है कि कोई सदस्य किसी से बात करता है तो चर्चा का विषय वह नहीं बन सकता । कौल और शकधर का भी हवाला है, इसमें मावलंकर साहब ने कहा है कि ए मेम्बर में विहैव इन एमैनर इन विच द हाउस वुड नाट लाइक टू बिहेव एन्ड येट इट में बी आरगूड दैट इट इज नाट ए ब्रीच आफ प्रिविलेज ।

ऐसा बरताव कर सकता है जो सम्मानित सदन जिसे नहीं चाहता । दूसरे सदस्यों का हवाला दिया गया है, उसके सपोर्ट में यह प्रस्तुत नहीं किया जा सकता । मैं सहमत हूं कि यह गम्भीर विषय है, इसकी समस्या से कोई इंकार नहीं कर सकता । इसीलिए इस पर बार-बार प्रश्न, चर्चा, निरन्तर प्रश्न, वक्तव्य, विचार लगातार हो रहा है और इसी विषय में हुए हैं इसलिए यह किसी तरह से ग्राह्यता के योग्य नहीं हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं एक बात केवल जानना चाहता हूं कि क्या वहां से पी० ए० सी० हटा दी गई है 10 कि० मी० क्षेत्र से, इसका जवाब दे दें ?

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, गृह मंत्री बोलना चाहती हैं और राज्य मंत्री उनको धमका रहे हैं।

(हंसी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैं जानना चाहता हूं कि पी० ए० सी० लगी है या हटा दी गई है ?

श्री अध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, बैठ जायें ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

तीन माननीय सदस्यों को आपने इस विषय पर ग्राह्यता के लिये सुना, ग्राह्यता पर मंत्री जी ने नहीं कहा कि तथ्य गलत हैं, इसके विपरीत स्वीकार किया कि विषय गम्भीर है इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए आप मान्यवर, अपना निर्णय दें ।

(श्री मोहन सिंह अपने स्थान पर बैठे हुए-सरकार स्वाहा, मंत्रिमण्डल स्वाहा-बोल रहे थे)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शान्त रहें ।

(बीच में किसी सदस्य द्वारा कुछ कहने पर)

मैंने ग्राह्यता के सम्बन्ध में सभी माननीय सदस्यों के विचार सुने और विचार सुनने के साथ-साथ ही अन्तिम समय तक इस सम्बन्ध में निर्णय देने के लिए जो अमरता की तरफ ध्यान दिलाया गया उसको भी मैंने सुना । मैं समझता हूं कि किसी न्यायपीठ से यह कहना उसको लालच देना है । ऐसा नहीं कहना चाहिए था । इस प्रश्न में जहां तक लोक महत्व की बात है, हर सदस्य ने इसको स्वीकार किया है कि यह लोक महत्व का है । इसके अविलम्बनीय होने की जहां तक बात है, यह दस्यु उन्मूलन की चर्चा इस सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के समय में हुई और उसमें छबिराम के सम्बन्ध में भी जितनी चर्चा हो सकती थी, वह हुई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह यह प्रकरण नहीं था । यह प्रकरण दूसरा है ।

श्री मित्रसेन--

मान्यवर, यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मित्रसेन, कृपया बैठें । मेरे खड़े होने पर न बोलें । मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप न बोलें । शान्त रहें कृपया । कृपया शान्त रहें ।

[श्री अध्यक्ष--]

इस सम्बन्ध में सारी चर्चा इधर से भी हुई और उधर से भी हुई और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी लगाये गए और चिट्ठी पत्री भी भाषण में आई और वह हमारे समक्ष, इस सदन में प्रस्तुत भी हुई । आपने इस पूरे कार्य स्थगन के प्रस्ताव में केवल एक बात आपने दी कि आत्मसमर्पण करने जा रहा है और इस आत्मसमर्पण की प्रक्रिया में वह जहां हैं, पुलिस वहां उसका पीछा नहीं कर रही है । यह केवल दो नई बातें आपने इसमें दीं । मैं आपसे स्पष्ट यह कहना चाहता हूं कि वह डकैत है और उसके सम्बन्ध में सारी चर्चा यहां हो चुकी है । उस चर्चा के बाद वह आत्मसमर्पण कर रहा है या पकड़ा जा रहा है, यह बात भी चल रही है। अब वह आत्मसमर्पण करेगा या नहीं या पकड़ा जायेगा या नहीं, यह एक ऐसी निरन्तर चलती हुई चर्चा है, जिसमें कोई अविलम्बनीयता कत्तई नहीं है जिस पर कार्य को रोककर इस पर चर्चा कराई जाय, लेकिन एक बात जो इस सम्बन्ध में आई है वह निश्चित रूप से गम्भीर है कि इसके बावजूद भी पुलिस कार्यवाही नहीं कर रही है तो इस सम्बन्ध में शासन अपना पक्ष बताने के लिये वक्तव्य देगा और बाकी को मैं अस्वीकार करता हूं ।

*श्री मोहन सिंह--

हम आपसे निर्णय पर पुनर्विचार कर लेने के लिए आग्रह करते हैं । मान्यवर, नियमावली में यह है कि जो नियम 56 के अन्तर्गत वक्तव्य आयेगा उस पर परम्परा और नियम के अनुसार हम स्पष्टीकरण कर नहीं सकते हैं, प्रश्न पूछ नही सकते हैं इसलिए तथ्यों की सफाई इस सदन में हो नहीं पायेगी । जो सरकार निर्दोष लोगों पर अत्याचार कर रही है और 147 करोड़ रु0 पुलिस प्रशासन पर खर्च किया तथा यह कहना कि दस्यु लोगों को अखबार वाले ही हीरो बना रहे हैं--और अब इस सरकार के अंग के रूप में जो लोग हैं, वे उसको हीरो बना रहे हैं । वे इस प्रस्ताव पर चर्चा करने से सदन को वंचित रखना चाहते हैं । शासन की तरफ से तो जवाब देने के तीन ही तरीके होते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है, जनहित में इसे बतलाना उचित नहीं है, यह गोपनीय है आदि-आदि ।

(व्यवधान)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्री मोहन सिंह जी के प्रस्ताव का मैं भी समर्थन करता हूं लेकिन उसकी पुष्टि में एक नया तर्क और देना चाहता हूं । जब हम इस तरह के प्रश्न को सदन में उठाने की चेष्टा करते हैं, तो सरकार की ओर से तरह-तरह के अड़ंगे लगाये जाते हैं । माननीया गृह मंत्री जो बैठी हुई हैं, मैं स्पष्ट रूप से सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वहां से पी0 ए0 सी0 को हटा कर उसे शान्ति क्षेत्र घोषित कर दिया गया है और सरकार एक तरह से उसे हीरो बना रही है । हो सकता है कि कल माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य बदल दें या क्या करें, मैं नहीं कह सकता लेकिन बार-बार मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जनहित में और इस प्रदेश के हित में पैनिक को समाप्त करने के लिए इस पर चर्चा जरूर करा दें । ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं बोल सका हूं माननीय मंत्री जी ने अभी संकेत दिया जिससे मालूम हुआ कि उसने कहा है कि श्री राजीव गांधी का पत्र मेरे पास आया है और उन्होंने मुझे बुलाया है । उसने यह भी कहा कि आत्मसमर्पण के साथ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ही में कांग्रेस (आई0) का सदस्य बन जाऊंगा, यह शर्त भी उसने राजीव गांधी के सामने रखी है ।

(व्यवधान)

एक सदस्य--

वक्तव्य से काम नहीं चलेगा । सतीश अजमानी ने कहा है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जैसा कि मैंने आप से निवेदन किया....

*श्री श्याम नारायन तिवारी--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा निवेदन यह है कि इस सरकार ने दस्यु उन्मूलन के कार्य पर लाखों और करोड़ों रुपये खर्च किये हैं । पी0 ए0 सी0 की न मालूम कितनी बटालियनें वहां लगा दी, अध्यादेश आया, यह सब हुआ था अब वह डाकू पकड़ा नहीं गया । अब एक नयी बात यह हो रही है कि घेरेबन्दी के कारण वह डाकू आत्म समर्पण के लिये मजबूर है । दूसरी बात यह है कि राजीव गांधी आयें या नहीं आयें, इसके लिये मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन जहां तक मुझे याद है श्री जय प्रकाश की प्रेरणा से उनके जमाने में डाकुओं से आत्मसमर्पण कराया गया था । माननीय सदस्य चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, सभी इस बात से सहमत होंगे जहां तक राजीव गांधी का सवाल है आत्म-समर्पण भी पकड़े जाने की एक प्रक्रिया है इसलिये मैं चाहता हूं कि इसे अविलम्बनीय लोकमहत्व का न मान कर इसकी ग्राह्यता को समाप्त किया जाय ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर)

मैं आपको सुन चुका हूं, दोबारा नहीं सुन सकता ।

(व्यवधान)

श्री विजय सिंह राना--

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हूं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

मैंने आपसे कहा कि आप बैठ जायं ।

(व्यवधान)

मैंने अपना यह निर्णय दिया कि केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है । इस पर श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व श्री मोहन सिंह द्वारा यह कहा गया कि केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार होने पर कोई प्रश्न नहीं किया जाता है, इसलिये उस पर विस्तृत बात नहीं हो सकेगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री अध्यक्ष --]

जो भी आप ने आरोप लगाया है उस आरोप का एक उत्तर वक्तव्य के द्वारा ही आ सकता है । जब वक्तव्य शासन का आ जायगा और अगर उससे आप संतुष्ट नहीं होंगे तो नियमानुसार सूचना दे दीजिए । यदि उस पर चर्चा देना मुनासिब होगा तो स्वीकार की जाएगी । पहले सूचना आ जाने दीजिए ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है । लेकिन यह जो सत्ताधारी दल का रवैया है कि शासन को जानकारी होने पर भी जानकारी न दे, डाकुओं से सांठ-गांठ है ।

(व्यवधान)

भाई, भाई हैं, यह किस्सा चरितार्थ हो गया है । इसलिए सरकार की नीति के खिलाफ मैं अपने दल के साथ सदन से बहिगमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री रियासत हुसैन--

बड़ी खेद की बात है कि इतनी देर माननीय सदन में छबि राम के सरेन्डर के सम्बन्ध में चर्चा होती रही और उसके बाद छबिराम के सरेन्डर करने से पहले सरकार ने सरेन्डर कर दिया छवि राम के सामने । गृह मंत्री से मुत्तालिक यह मामला था । माननीय गृह मंत्री तथा राज्य मंत्री यहां हैं..

(व्यवधान)

(मद संख्या 8 लिए जाने तथा श्री रियासत हुसैन, श्री राम आसरे वर्मा के नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन--

सुन तो लीजिए । दोनों मंत्री यहां हैं लेकिन दोनों ने ही कहीं कोई स्पष्टी-करण नहीं दिया, इसलिए जनता पार्टी सदन का त्याग करती है ।

(श्री रियासय हुसैन अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए ।)

(श्री मित्रसेन भी सदन त्याग कर चले गए ।)

श्री खैरुल बशर--

सरकार अपनी घोषित नीतियों से हट गयी है । डाकुओं के सामने आत्म-समर्पण कर दिया है । इसलिए प्रगतिशील विधायक दल उत्तर प्रदेश की इस सरकार की नीति के खिलाफ सदन का त्याग करती है ।

(श्री खैरुल बशर सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री राम आसरे वर्मा भी सदन से उठकर चले गए ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय राम आसरे वर्मा ...

श्री राजेन्द्र सिंह--

अध्यक्ष महोदय, आपका जो निर्णय है वह स्वीकार करना ही है । लेकिन जैसा कि हमारे माननीय सदस्यों ने--माननीय गुप्ता जी, रियासत हुसैन साहब--ने कहा कि दोनों गृह मंत्रियों--माननीय गृह मंत्री और माननीय गृह राज्य मंत्री के होते हुए भी जो बातें कही गयी उनका कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया । इतने अहम प्रश्न पर उन्होंने कुछ कहना नहीं चाहा बल्कि हमने देखा कि माननीय गृह मंत्री ने उठकर कुछ कहना चाहा लेकिन माननीय राज्य मन्त्री ने उनको बैठा दिया । इसका मतलब है कि सदन को भी कोई चीज बतलाना नहीं चाहते। सरकार जब किसी चीज को सही चीज को, करने जा रही है तो सदन के सामने उसे नहीं लाना चाहती । मैं अपने पूरे दल के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राजेन्द्र सिंह अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गए।)

श्री अम्मार रिजवी--

मान्यवर, इन्होंने हम लोगों पर इल्जाम लगाया कि आपने आत्म समर्पण कर लिया, ये लोग पलायन कर लिए छबि राम के नाम से....

श्री हरीकिशन श्रीवास्तव--

अ ज इस विषय पर जिसे सत्ता पक्ष के माननीय मंत्रियों ने और मान्यवर, आपने स्वीकार किया है कि यह बड़ा गम्भीर विषय है और उस गम्भीर विषय पर जो चुप्पी सत्ता पक्ष की ओर से साधी गयी है और जिस तरह से इन्होंने चुप रह कर उस तथ्य को स्वीकार किया है उससे हमको बड़ा संदेह हो गया है कि यह सत्ताधारी दल इस प्रदेश के निवासियो की

(व्यवधान)

रक्षा कर सकेगा । मान्यवर, हमारे दल के लोगों ने भी यह तय किया था कि वाक आउट करेंगे लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि केवल वाक आउट करके ऐसे गम्भीर मसले पर हमको संतोष नहीं मिलेगा । इसलिए मैं सत्ताधारी दल की घोर भर्त्सना करता हूं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, सरकार की चुप्पी के विरोध में मैं भी सदन से बहिर्गमन करता हूं ।

(श्री राम स्वरूप वर्मा सदन त्याग करे चले गये।)

[1 बजकर 45 मिन ट]

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982†

श्री गौरी शंकर मैय्या--

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेव ओं का अनुरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है ।

† दिनांक 27 जनवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

[श्री गौरीशंकर भैय्या--]

श्रीमन्, यह जो अध्यादेश आया है, मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस विधेयक को, इस अध्यादेश को इस सदन में रखने की इजाजत आपके माध्यम से नहीं दी जानी चाहिए। उसका कारण यह है कि यह अध्यादेश 1 दिसम्बर, 1981 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-2 खन्ड (क) में प्रकाशित हुआ है। उसके 15 दिन बाद विधान सभा की बैठक होने वाली थी, सरकार को मालूम था कि विधान सभा की बैठक होने वाली है, कोई जल्दबाजी नहीं थी कि इसको अध्यादेश की शक्ल में पब्लिक के सामने लाया जाता। 15 दिन के बाद हाउस में यह आ सकता था। इससे स्पष्ट है कि सरकार ने घोषित परम्परा के विरुद्ध कार्यवाही की है।

दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966 की धारा 2 में, खन्ड (क) में उपखन्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखन्ड ये जोड़ने जा रहे हैं--

"(2) शिक्षा निदेशक द्वारा या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था के अधीन किसी सेवा या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे विश्वविद्यालय का कोई सम्बन्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय घटक महाविद्यालय या संस्थान भी है, के अधीन सेवा।"

मान्यवर, शैक्षणिक संस्था में अध्यापकों या कर्मचारियों को जो संवैधानिक अधिकार है कि वे हड़ताल के जरिए अपनी मांगें रख सकेंगे, जो कानून बना था उसके ऊपर भी यह सरकार इस अध्यादेश के जरिये नियंत्रण लगाना चाहती है। इसके जरिये सरकार जो नया कानून ऐड करना चाहती है और उससे डिग्री कालेज को भी अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत लाना चाहती है। विश्वविद्यालय सेवाओं को पहले ही अत्यावश्यक सेवाओं के अन्तर्गत ले लिया गया था जहां से कि परीक्षाओं के प्रोग्राम और उसकी व्यवस्था होती थी, जिन विद्यालयों और महाविद्यालयों के कर्मचारियों की वजह से इम्तिहान टाले जाते थे, वे पहले ही इसके अन्तर्गत आ गए थे। जब सत्र नियमित नहीं होता, पढ़ाई का काम पूरा नहीं होता तो इसके मातहत समय-समय पर इन विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं को चलाने का काम विश्वविद्यालय प्रशासन करता रहता है। मान्यवर, जब किसी सत्र में पढ़ाई पूरी नहीं होती है, कोर्स पूरा नहीं हो पाता है तो विद्यार्थी यह मांग करते हैं कि हमें कुछ दिन का मौका और दे दिया जाय लेकिन इस अध्यादेश के जरिये सरकार उनको और जकड़ना चाहती है। मैं मांग करता हूं कि यदि सरकार उनको इस तरह से नियन्त्रित करना अत्यावश्यक समझती है, तो जो कानून पहले से लागू था उसका दृढ़ता से पालन किया जाता। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस अध्यादेश को वापस करना चाहिए और इसको सदन में रखने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

[समय 1 बज कर 50 मिनट पर]

*शिक्षा मन्त्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इधर पिछले वर्षों में यह देखा गया है कि जब इम्तहान का मौका आता है खासकर आगरा यूनिवर्सिटी में कि वहां के जो सम्बद्ध महाविद्यालय हैं, उनके कर्मचारी और अध्यापक आंदोलन चलाते हैं और डिमान्ड पेश करते हैं, जो उनकी तनख्वाह बढ़ाने के बारे में तथा तरह-तरह की और बातों के बारे में होता है जिसकी वजह से हमें इम्तहान पोस्टपोन करने पड़े। इसी कारणवश यह उचित समझा गया और यह विधेयक आपके सामने रखना पड़ा। मैं समझता हू कि इससे हमारे डिग्री कालेज में जो इम्तहान होने में कठिनाई होती है वह दूर हो जायेगी, उसी के लिये यह विधेयक है। इसमें कोई खास कन्ट्रोवर्सी की बात मालूम नहीं पड़ती है इसलिये मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर विचार किया जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन को एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, अभी मैं इस विधेयक के सम्बन्ध में भार साधक मंत्री जो शिक्षा मंत्री हैं, माननीय मुख्य मंत्री की ओर से इसे पायलेट कर रहे हैं, उनका भाषण सुना। मैं समझता हूं कि दो तर्क उन्होंने इस संशोधन विधेयक पर प्रस्तुत किए। पहला तर्क तो यह था कि जब कभी पिछले वर्षों में परीक्षा का मौका आया था उस समय आगरा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों के अध्यापकों ने हड़ताल का नोटिस दे दिया था उसके लिये उस समय आर्डिनेंस जारी कर दिया गया जो समय निकल गया अब आज कौन सी परिस्थिति पैदा हो गयी है कि किसी संस्था ने या किसी एसोसिएशन ने शिक्षा विभाग को नोटिस दिया है कि वह हड़ताल करेंगे या कार्य नहीं करेंगे। अगर नहीं दिया है तो पुराना आर्डिनेंस लैप्स हो गया है फिर क्यों ला रहे हैं?

दूसरी बात यह कि आखिर आप आन्दोलन करने का मौका क्यों देते हैं? अभी पिछली बार यहां पर अध्यापकों का जी० पी० ओ० पार्क में प्रदर्शन हुआ। मैं भी उसमें था शासन की ओर से जो प्रतिनिधि गये थे उन्होंने एलान किया कि हाउस एलाउन्स देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी तक आपने इस सम्बन्ध में कोई राजाज्ञा जारी की है। अगर जारी नहीं किया है तो फिर जब अध्यापक मांग करते हैं तो उसकी क्या गल्ती होगी। इससे तो आप मरघट की शांति स्थापित करना चाहते हैं कि लोग रहेंगे ही नहीं तो अपने आप शांति होगी।

यह जो संशोधन विधेयक है यह इतना काला विधेयक है कि सरकार अपने फौलादी अधिनायकवाद का इससे विस्तार करना चाहती है। आपन मूल विधेयक में राज्य सरकार के कर्मचारियों और कारपोरेशन्स के कर्मचारियों आदि सभी को इसमें ले लिया था लेकिन विश्वविद्यालय के अध्यापक और कर्मचारी इससे छूट गए थे तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---]

उनको भी इसमें जोड़ने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है । इससे पहले क्या आपने विचार किया कि यह संविधान सम्मत है कि नहीं क्योंकि आप हमेशा लिख देते हैं कि अन्य चीजों के रहते हुये हाई कोर्ट में जाने की अनुमति नहीं होगी । तो संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों के खिलाफ आपने इसमें कार्य किया है । मूल अधिनियम की धारा 6 में है कि हड़ताल के दोषी उनको भी समझ लेंगे जो चंदा देंगे । आप कहते हैं कि हड़ताल के फैलाने या उसके समर्थन करने में जो सहायता करेंगे वह अपराधी होंगे । यानी इसके पहले भी अगर किसी ने चन्दा दिया है तो उनको भी आप अपराधी मानेंगे । आप समझ लीजिये अगर कोई कर्मचारी मेरे पास आता है चन्दा लेने के लिये और मैं दो रुपया दे देता हूं और आज से एक महीने बाद हड़ताल अवैध घोषित हो जाती है तो आपके उस नियम के अधीन कि जो इस अधिनियम के अधीन अवैध होगी, मैं आप मुझे पकड़ लेंगे । तो इसमें मेरी क्या गलती है ? अगर हड़ताल के लिये दिया होता तो तब अपराध होता लेकिन उस होगी पर मुझे भी गिरफ्तार कर लेंगे अगर कोई आदमी बात कर ले तो उसे भी अपराधी घोषित कर देंगे । यह अध्यापक कौन हैं यह हमारे सर्वोच्च मान्यता प्राप्त अध्यापक हैं । अब मैं दूसरी बात जानना चाहता हूं, आन्दोलन का औचित्य है या नहीं, संविधान में ट्रेड यूनियनों का अधिकार दिया हुआ है । हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के जो राजनेता रहे, स्वतन्त्रता आन्दोलन की अगुवाई करते रहे, उन्होंने अपने त्याग और संघर्ष से हमें आन्दोलन करने और हड़ताल आदि करने का अधिकार दिलाया है, जिससे हमें संविधान के अन्तर्गत संस्था बनाने और हड़ताल करने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन अब हमारी सरकार बराबर उस अधिकार को सीमित करने और उसे कवर करने का प्रयास कर रही है और समय-समय पर वह अपने कार्यों से उसे समाप्त कर रही है । केन्द्र सरकार ने भी अभी उसी सम्बन्ध में तमाम पाबन्दियों की घोषणा की है । आपने क्षेत्रीय मंत्री बनाये हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वह क्षेत्र के विकास के बारे में विचार करेंगे, लेकिन वह मंत्री क्या करते हैं, इसके बारे में मैं एक-एक तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । मेरे पास नीना रंजन, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के एक पत्र की फोटो स्टेट कापी यहां पर मौजूद है, जो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर आफ स्कूल को लिखा है---उसमें है "इन दी आफीसर्स मीटिंग हेल्ड टुडे अन्डर दी चेयरमैनशिप आफ श्री शिवराज सिंह, डिवीजनल मिनिस्टर, इट वाज डिसाइडेड दैट उर्दू टीचर श्री मोहम्मद शफीक अहमद, हू हैड बीन ट्रान्सफर्ड एण्ड हैड हेन्डेड ओवर चार्ज शुड बी गीवन चार्ज अगेन इमिडिएटली" अर्थात् डिवीजनल मिनिस्टर, श्री शिवराज सिंह की अध्यक्षता में हुई आफिसर्स मीटिंग में यह निश्चय हुआ है कि उर्दू टीचर श्री मोहम्मद शफीक अहमद, जिनका ट्रान्सफर हो चुका है और चार्ज भी दे चुके हैं, को पुनः उसी पद का चार्ज तुरन्त दे दिया जाए ।

अब क्षेत्रीय मंत्री, जिनका काम विकास कार्यों को देखना है, आफिसर्स मीटिंग में प्रस्ताव पास करते हैं कि किसी टीचर का ट्रांसफर तुरन्त रोक दिया जाए, जो कि हाल ही में ट्रांसफर हुआ था । किसी अध्यापक का ट्रांसफर हुआ था, तो उसके लिए अधिकारी सक्षम थे कि वह उस पर विचार करते, लेकिन इस मीटिंग में क्षेत्रीय मंत्री का यह काम नहीं था, जो उन्होंने किया है । इस कारण से यदि टीचर्स में असंतोष हो, वह यह कहेंगे कि हम इसके खिलाफ आन्दोलन करेंगे, बगावत करना चाहते हैं और हमारी बात कोई नहीं सुनेगा तो हम हड़ताल

करेंगे, तो क्या आप इसके तहत, इसका सहारा लेकर उनको बन्द कर देंगे। तो इस तरह से ट्रेड यूनियन अधिकारों को कुंठित किया जा रहा है और संविधान की भावनाओं का हनन किया जा रहा है।

मुझे खुशी होती कि जब शिक्षा मंत्री जी इसे पायलट करने के लिए खड़े हुए थे तो वह साहस के साथ यहां यह कहते कि वह इसके निरसन के लिए विधेयक यहां लायेंगे। जैसा कि उन्होंने बड़े साहस के साथ गृह मंत्री बनने पर कहा था कि उनके पास सभी राजनैतिक व्यक्तियों के उन लोगों की सूची है जो अपराधशील व्यक्तियों को संरक्षण देते हैं। वह उस सूची को प्रकाशित करने वाले थे, लेकिन उनसे वह विभाग चला गया। लेकिन आज उन्होंने अपने को शासन के सामने समर्पित कर दिया है और यह ऐसा काला विधेयक आया है जो संविधान सम्मत ट्रेड यूनियन अधिकारों को कुंठित करता है। इसलिये मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और संक्षेप में पुनः इस बात को बल प्रदान करता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाए। हां, एक बात अवश्य है यदि कोई हड़ताल अपनी मर्यादा रेखा पार करके, अहिंसा की मर्यादा पार करके हिंसा की श्रेणी में पहुंचती है, तो उसके लिये आप ऐसा अवश्य विचार कर सकते हैं। वह लक्ष्मण रेखा है, मर्यादा रेखा है, उसके अन्दर हर एक को अधिकार होना चाहिए। अपनी बात कहने का और सामूहिक सौदेबाजी करने का हर नागरिक को और हर श्रमिक को अधिकार है। इसे समाप्त करना अत्यन्त निन्दनीय है। इस कार्य की जितनी निन्दा की जाय, कम है। इसके साथ मैं पुनः इसको प्रवर समिति में भेजने की जोरदार सिफारिश करता हूं।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो छः माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, हमारे शिक्षा मंत्री चौधरी नौनिहाल सिंह जी, एक लम्बे अर्से से शिक्षा जगत से सम्बद्ध रहे और जैसा मैं उनके बारे में व्यक्तिगत रूप से जानता हूं वह शिक्षा जगत में कुछ परिवर्तन और संशोधन लाना चाहते हैं तथा प्रगतिशील कदम भी उठाना चाहते हैं। उनके द्वारा इस प्रकार का जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उस पर हमको थोड़ी सी तकलीफ है। मान्यवर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज सम्पूर्ण शिक्षा जगत अनुशासनहीनता और विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है। यह भी सही है कि परीक्षाओं में बाधा उपस्थित होती है और उनका संचालन भी आवश्यक है, लेकिन अगर आप देखें तो क्या यह विधेयक वास्तव में उन परिस्थितियों को ला सकेगा, जो हमारी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हैं। मैं तो समझता हूं कि इससे परीक्षाओं के संचालन में हमें पूरी सहायता नहीं मिल सकेगी। आज इस बात की आवश्यकता थी कि शिक्षा पद्धति में, शिक्षा प्रणाली में इस प्रकार का परिवर्तन हमारे माननीय मंत्री जी करेंगे जो एक अच्छा वातावरण बनायेंगे ताकि इस देश और प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था सुधरे और परीक्षा व्यवस्था में आने वाली कठिनाइयां, जो आती हैं, वे दूर हों।

[श्री सूबेदार सिंह—]

जो शिक्षकों को देय भत्ते दिए जा रहे हैं, वे बहुत ही कम हैं, उनमें काफी बढ़ोतरी होनी चाहिए और उनको सेवा के लिए ठीक व्यवस्था होनी चाहिए। कुछ सरकारी सेवाओं में यह होता है कि अगर उनके कर्मचारियों की ड्यूटी पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है या मारे जाते हैं, तो उनके परिवार को उसकी अवकाश आयु का तराख तक वेतन देते हैं। उसी प्रकार मेरी प्रार्थना है कि निरीक्षकों को यदि ड्यूटी पर रहते मृत्यु हो जाये तो उनके परिवार वालों को उसी प्रकार से वेतन दिया जाय, जैसा कि आपने कुछ सेवाओं में कर रखा है और सेवा-निवृत्ति के उपरान्त उसके परिवार वालों को पेन्शन की व्यवस्था होनी चाहिए। अनुशासनहीनता को रोकने के लिए भी आपने कोई कदम नहीं उठाया है। बल्कि अध्यापकों के ऊपर इस संशोधन विधेयक के माध्यम से कुछ बातें लादी जा रही हैं जो ठीक नहीं हैं। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहां पर गुरुओं का सम्मान होता है पर माननीय चौधरी नौनिहाल सिंह ने इसे पेश करके और इसको जनहित में, अध्यापकों के हित में बताकर शासन के दिवालिएपन को प्रकट किया है। मेरी प्रार्थना है कि इसको वापस लेकर एक प्रवर समिति को भजने के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें, ताकि एक ठोस सुझाव हमारे सामने आ सके और प्रदेश में, शिक्षा जगत में, अनुशासनहीनता और अराजकता का जो वातावरण बना हुआ है, वह समाप्त हो सके और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसे लाया गया है, उसकी पूर्ति हो सके।

*श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने जो इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिए और 3 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करने का प्रस्ताव पेश किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। शिक्षा मंत्री जी ने बताया कि यह उन जरूरतों को सामने रखते हुए कि जब समय-समय पर इम्तिहान के वक्त पर शिक्षकों की ओर से, अध्यापकों की धौंसें मिलती हैं, कि वे इम्तिहान नहीं लेंगे, उनकी बैकग्राउन्ड में इसके द्वारा उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण विधेयक, 1966 के सेक्शन 2 में परव्यू बढ़ाकर डिग्री कालेजों को भी उसमें शामिल किया गया है लेकिन हमें उसकी बुनियाद में जाने की जरूरत है। प्रदेश के अन्दर शिक्षा जिस प्रकार से प्राइमरी से लेकर डिग्री कालेजों और विश्वविद्यालयों में होती है उसमें छात्रों, अध्यापकों और सभी लोगों का किस तरह से योगदान होता है, किस प्रकार से इन्डिसिप्लिन होता है। आप कभी एक अधिनियम पास करें, एक चीज शामिल कर लेते हैं और फिर दूसरी चीज शामिल करते हैं और फिर तीसरी चीज शामिल करते हैं, इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं देख रहा हूं कि आप समय-समय पर शिक्षकों को आश्वासन देते हैं और जब उनकी पूर्ति नहीं होती है तो लखनऊ में उन लोगों के बड़े-बड़े डिमोन्स्ट्रेशन होते हैं।

(इस समय 2 बजकर 5 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए)

कभी किसी चीज की मांग को लेकर और कभी किसी चीज की मांग को लेकर लाखों की संख्या में वे यहां आ कर डिमान्स्ट्रेशन करते हैं और उस वक्त उनसे अपने को बचाने के लिए आप आश्वासन दे जाते हैं कि हम इस मांग पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विचार करेंगे । अब यह उनकी बदकिस्मती समझिये या जो कुछ समझा जाये, इस सरकार की झूठे वायदे करने की आदत हो गयी है । अब जब यह सरकार वायदा कर लेती है और पूरा नहीं करती, तो उनके सामने एक ही उपाय है संविधान के अन्तर्गत डेमोक्रेटिक तरीके से हड़ताल करने का । एक कहावत है कि लोहे पर चोंट तभी मारी जाती ह जब लोहा गरम होता है, अर्थात् शिक्षक लोग जब परीक्षा का समय होता है तभी हड़ताल करने की धमकी आदि देते हैं । वे यह ग्राऊन्ड बनाते हैं कि सरकार ने आज तक कोई वायदा पूरा नहीं किया । अब जब सरकार अपना वायदा पूरा नहीं करती है तो समस्या यह खड़ी हो जाती है कि वे क्या करें ? संविधान के अन्तर्गत उनको यूनियन आदि बनाने और हड़ताल करने की स्वतंत्रता मिली है । इसके अलावा और कौन सा डेमोक्रेटिक तरीका रह जाता है ? अब आप उनको कन्ट्रोल करना चाहते हैं, इन अत्यावश्यक, सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक द्वारा । इसके तहत आप डिग्री कलेजों को भी लाना चाहते हैं । जो डिग्री कालेजों में पढ़ाते हैं वह प्रदेश का सबसे अधिक पढ़ा लिखा तबका है जिसमें डाक्टर्स और एक से एक विद्वान लोग होते हैं । जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों को अच्छी तरह से समझते हैं । ऐसे लोगों को आप इस ऐक्ट के जरिये से दबाना चाहते हैं । आपको चाहिये यह था कि बजाय इस ऐक्ट के जरिये उनको दबाते, उनसे बातचीत करके बातचीत के द्वारा मामले को हल करने की कोशिश करते । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सारे मामले पर विचार करने के लिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजा जाये जहां पर इन सारी बातों के ऊपर विचार किया जा सके । आखिर आप झूठे वायदे करते ही क्यों हैं । अगर आप यह समझते हैं कि आपके सामने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टी है जिसके कारण आप किसी चीज को पूरा नहीं कर सकते, तो आप उसके लिये वायदा भी मत कीजिये । उस वक्त तो आप झूठा वायदा कर लेते हैं और अब इस एसेन्शियल सर्विसेज ऐक्ट का सहारा ले रहे हैं । इसलिये मैं माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और चाहता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय ।

*श्री लाल प्रताप सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने बहुत गौर से माननीय गुप्ता जी का और रियासत भाई के विचारों को सुना । वास्तव में जब रचनात्मक विचार नहीं होता, मेंटालिटी नहीं होती, तो कुछ न कुछ कहा ही जाता है । यह स्वभाव भी बन गया है । कुछ परम्परा भी बन गयी है और उस परम्परा के अन्तर्गत दोनों माननीय सदस्यों ने अपने विचार रख । बहुत ही थोड़ी सी बात आपके सामने मैं रखना चाहता हूं । हर पहलू से गम्भीर बात है । इसमें तीन एलीमेंट्स इन्वाल्व हैं । एक तरफ विद्यार्थी, दूसरी तरफ टीचर (अध्यापक) और तीसरी तरफ पूरा समाज जो कि प्रभावित होता है । अध्यापकों की गति विधियों से और चीजों से तो माननीय रियासत भाई का मैं ध्यान आकर्षित करूंगा । एक चीज आप से यह जानना चाहता हूं, शायद मुझे न मालूम हो । दुनियां में कौन सा ऐसा मुल्क है, जो ऐडवांस्ड कन्ट्रीज हैं पश्चिम की, यह बताइये कि अध्यापक किस तरीके स्ट्राइक करता है, जैसी भारतवर्ष में करता है । पचास

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लालप्रताप सिंह]

साल के इतिहास में इंग्लैंड, कैनाडा, जर्मनी, नार्वे, स्वीडन, डेनमार्क, पश्चिमी जर्मनी, अमेरिका आदि कहीं पर भी, कोई भी यह बताइये कि टीचर इस तरह का कहीं करता है और टीचर इस तरह से आकर सड़कों पर कहता है कि--"जो मुझ से टकरयेगा, चूर-चूर हो जायेगा" ।

श्री रियासत हुसैन--

पंचानन राय जी से पूछिये इसको ।

श्री लाल प्रताप सिंह--

जरा बताइये, दुनियां में कहीं पर ऐसा है । इसको भी मैं जानना चाहता हूं । यह सवाल अपके सामने रखना चाहता हूं । क्या राजनीति और टीचिंग दोनों कम्बाइन्ड होगी ? क्या राजनीति और टीचिंग का काम दोनों कम्बाइन्ड किया जा सकता है और अगर यही है और जब देखा जाता है कि अकारण स्ट्राइक करना, तो उसका भी कोई विकल्प निकालना होगा । एक चीज और भी बतायें कि क्या इस तरह की और भी कहीं यूनियनिज्म दुनिया में है ? मैंने बहुत कुछ कोशिश किया जानने की, लेकिन दुनिया के इतिहास में, केवल प्रदर्शन हुए, लेकिन वहां पर प्रदर्शन नैतिक बातों पर ही हुए, जैसे वहां पर रि-आर्मामेन्ट नहीं होना चाहिए । 15 अगस्त, 1947 से अध्यापकों ने आज तक जिस तरह से प्रदर्शन किया, मैं समझता हूं कि इस भारत वर्ष में ही इस प्रकार का प्रदर्शन हुआ है । अफसोस की बात यह है और अब भी बड़े-बड़े कुर्ते पहने हुए वह राजनीति करते हैं कि सारा का सारा मामला चौपट होता चला जा रहा है । आप तो यह बिल समय से लाये हैं । कोई असंगतियां होती हैं, तब लाते हैं । मैं तो निवेदन करूंगा माननीय मन्त्री जी से कि वह एक कम्प्रीहेंसिव बिल लायें कि टीचर को किसी तरह से राजनीति में भाग लेने के लिए सदा के लिए अलग कर दिया जाय, अगर चाहते हो कि शिक्षा का मयार ठीक हो जाय । मैं तो उनके भाषणों को भी जानता हूं । उनके लम्बे भाषण होते हैं । उन्हें एक चीज और बतायें । आपके जगह-जगह पर शिशु मंदिर खुल रहे हैं । प्राइमरी स्कूलों में कोई विद्यार्थी नहीं जाता । एक मैं भी विद्यार्थी रह चुका हूं, तीन मील पैदल जाता था ।

श्री सूबेदार सिंह--

आप एहसान फरामोश विद्यार्थी मालूम पड़ते हैं ।

(व्यवधान)

श्री लाल प्रताप सिंह--

रात दिन गांवों में रहता था । आज गांवों के स्कूलों में सबसे पहली चीज यह है कि वहां पर कोई स्कूलों के लिए भवन नहीं है । दूसरी चीज अध्यापक स्कूलों में आता नहीं । हायर सेकेन्डरी स्कूल की हालत आप देख लें, कुछ नहीं कह सकते हैं । इनके सम्मेलनों में सिवाय शिकायतों के पुलिन्दों के कुछ और नहीं होता है । कोई रचनात्मक बात आज तक टीचर के माध्यम से नहीं हुई । मान्यवर, 10-10 रुपया भीख जो दिया जा रहा है और हमारी सरकार सब को भिखमंगा बना रही है । मैं कहना चाहता हूं कि यह पुरस्कार दिया जाता है यह न दे कर कोई कल्चरल हाल बनवा दें । हम यह नहीं कहते कि सब एक तरह के हो गये

हैं । लेकिन जो यह पुरस्कार दिया जा रहा है इससे कुछ नतीजा नहीं आने वाला है । मान्यवर, कोई भी शराबी से शराबी बाप हो लेकिन वह यह नहीं चाहेगा कि उसका लड़का शराबी हो ।

श्री उपाध्यक्ष---

आप रियासत भाई से बात कर रहे हैं या चेयर से ?

श्री लाल प्रताप सिंह---

रियासत भाई उनके आन्दोलनों की सिफारिश कर रहे थे इस लिये उनसे कह रहा था । वेरी सारी ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं दो भाइयों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता हूं लेकिन मैं यह चाहता हूं कि मर्यादा का पालन हो ।

श्री लाल प्रताप सिंह---

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि कोई कितना भी शराबी हो लेकिन वह यह नहीं चाहेगा कि उसका लड़का शराबी हो । कोई डाकू हो तो वह नहीं चाहेगा कि उसका लड़का डकैत बने । मान्यवर, वह यही चाहेगा कि उसके बच्चे को शिक्षा मिले । आज हर मां-बाप अपनी जरुरतों को पोस्पोन करके अपने बच्चे को पढ़ाने की कोशिश करता है । अगर इसके बाद भी उसके बच्चे को शिक्षा न मिली तो उस मां-बाप पर क्या गुजरेगी । मान्यवर, मुझे फिर याद आ गया मैं प्रो0 लास्की की बात को दुहराता हूं :

> ए टीचर इज वन हू टीचेज विद फुल माइन्ड एण्ड फुल हार्ट टु रिलीज दि फोरसेज विच एजूकेशन हैज इन लीज ।

यह टीचर के कर्तव्य हैं । मान्यवर, आज इस तरह से अपने कर्त्तव्यों की कमी के कारण यह कहना प्रभावित हो गया है कि मैं कह नहीं सकता हूं । मान्यवर, आज शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिरता जा रहा है । जहां जिस देश में शिक्षा का स्टैन्डर्ड गिर रहा हो वहां क्या उम्मीद की जा सकती है कि देश आगे बढ़ेगा । मैं विद्यार्थी बन्धुओं से कहना चाहूंगा कि कोई चारा नहीं है । अपने समय को सही ढंग से यूटीलाइज न करके, इन आन्दोलनों में अपना नुक्सान किया है । मैं निवेदन करूंगा कि मन्त्री जो इस सम्बन्ध में एक कम्प्रेहेन्सिव बिल लायें, इन आन्दोलनों को रोकने के लिये और टीचर को राजनीति में भाग लेने के लिए । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि हर जिले में एक आई0 ए0 एस0 अफसर का स्टाफ फुल पावर के साथ नियुक्त किया जाय, जो इस बात को देखे कि टीचर समय से आता है या नहीं आता है वह अपने कर्त्तव्यों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है ।

श्री राज मंगल पान्डेय---

मान्यवर, मैं अपने माध्यम से माननीय सदस्य से जो शासन के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या शासन इस बात का आश्वासन देगा कि शुरूआत में यह तय कर लेंगे कि कांग्रेस (आई) में किसी अध्यापक को टिकट नहीं दिया जाय और अगर टिकट दे भी देंगे तो किसी अध्यापक को मन्त्री नहीं बनायेंगे ।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

माननीय, अध्यापक इस देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं इस लिये ऐसी बात कहना मैं नहीं समझता कि किसी तरह से उचित है ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि पान्डेय जी ने माननीय सदस्य की बात जानना चाहा था कि मन्त्री जी बीच में आ गये और आना भी चाहिए चूंकि उनकी स्थिति डुवेल है ।

श्री ऊदल—

मन्त्री जी विरोध तो न करें चूंकि यदि राष्ट्रपति अध्यापक रह चुके हैं तो क्या कारण है कि उनको राजनीति में न लाया जाय ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

कुछ लोगों को अपवाद स्वरूप छोड़ दें ।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री श्याम लाल बाजपेयी की बात मान ली जाय और अपवाद स्वरूप छोड़ दें ।

श्री राज मंगल पाण्डेय—

मन्त्री जी अपवाद मान कर उसको सीमा से निकाल रहे हैं इसलियें दुख है ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या मन्त्री जी श्री श्याम लाल बाजपेयी की राय से अपने आपको जोड़ रहे हैं ।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय पान्डेय जी बड़े भाई हैं । इस लिये जो भी आदेश वह दिल से दें तो वह शिरोधार्य है । लेकिन देखना पड़ेगा कि दिल से दे रहे हैं या कुर्सी को देख कर दे रहे हैं ।

श्री राज मंगल पान्डेय—

मान्यवर, इनकी यह स्थिति हो गयी है कि यह हमारे आदेश मानने वाले हैं और जो माननीय सदस्य कह रहे हैं उसको नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह आप लोग समझें ।

श्री लाल प्रताप सिंह—

मान्यवर, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है जो मैं सदन के सामने रख रहा हूं और फिर उसमें चाहे आप एग्री करें या न करें । मान्यवर, आखिरी बात मैं राजनीतिक दलों से कहना चाहता हूं कि बच्चों का सवाल है । हमको अनुभव प्राप्त

है । अकेले अध्यापक या विद्यार्थी या बूढ़ों से दुनिया नहीं चलती है बल्कि दुनिया सहयोग से चलती है और एक दूसरे से अनुभव लिया जाता है । इसलिए राजनैतिक दलों से निवेदन है कि विद्यार्थियों का जो इन्वाल्वमेन्ट हो गया है उसमें गहन अध्ययन करें और विद्यार्थियों को इससे दूर करें और स्वयं दूर रहें जिससे पठन-पाठन का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके और जिससे देश और प्रदेश तरक्की कर सके । चूंकि दुनिया में बड़ी-बड़ी तरक्की हो चुकी है और अमेरिका ब्रिटेन आदि देशों ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किये हैं और कर रहे हैं जबकि हमारे देश का स्टैन्डर्ड गिरता जा रहा है । यह दुख की बात है ।

मान्यवर, अन्त में मैं निवेदन सरकार से करूंगा और माननीय सदस्यों से कि इस सम्बन्ध में कम्प्रेहेन्सिव बिल आना चाहिये चाहे फिर एजीटेशन क्यों न हो, लेकिन उसको पेश करना चाहिये और उचित कार्य को करना चाहिये । मान्यवर, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों ही राजनीति में फंस गये हैं चूंकि जनता अपनी जरूरतों को पोस्पोन करके अपने बच्चों को पढ़ा रही है, इस लिये मुझे दुख है । बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज और कालेजेज कहां जा रहे हैं, इसमें मुझे दुख है । इस लिये निवेदन है कि सभी मिल कर एक महत्व पूर्ण कदम उठायेंगे जिससे बच्चों का भविष्य बन सके और इस स्तर को ऊंचा उठा सकें ।

श्री मित्रसेन--

जो प्रस्ताव माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । अभी माननीय सदस्य बड़ा आदर्शवादी भाषण दे रहे थे । जब वह इधर थे तो इसी प्रकार के आन्दोलन, सत्याग्रह के हामी थे । जब वह उधर चले गये हैं तो आन्दोलन को रोकने के लिए कानून और अधिनियम लगाये जाने के समर्थक हो गये हैं । मान्यवर, किसी की पीड़ा, किसी के असंतोष को किसी अधिनियम के जरिये से दबाया नहीं जा सकता है । अगर अधिनियम लाकर समाज और देश की जन आवश्यकताओं को दबाया जा सकता तो आन्दोलन हमेशा के लिए दब जाते । महाविद्यालयों की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित करके जो माननीय शिक्षा मंत्री जी अधिनियम लाये हैं इससे वह उनकी मूल आवश्यकताओं और उनकी जो बातें हैं उनको दबा नहीं सकते हैं । इसके सम्बन्ध में जैसा माननीय सदस्य कह रहे थे कि एक कंप्रेहेंसिव बिल लाना चाहिये इसका तो मैं समर्थक हूं लेकिन जो अधिनियम लाया गया है उसका मैं कभी समर्थक नहीं हो सकता । जब किसी की सेवाओं को जबरदस्ती लेने की बात होती है, जब ट्रेड यूनियनों और लोकतंत्र में सरकार का विश्वास नहीं होता है तो मूल नागरिक अधिकारों को छीन कर अधिनायकवाद के जरिये ऐसा अधिनियम लाया जाता है । ऐसी सरकार जो समाजवाद की हामी हो, लोकतंत्र की हामी हो और लोकतंत्र की उतरी गाड़ी को पटरी पर लाना चाहते हैं और ऐसा अधिनियम लाकर छात्रों को अनुशासित करने के लिए उन पर डंडा उठावें और पुलिस फोर्स का कानून बनायें तो ऐसी सरकार को लोकतंत्र की हामी सरकार हम नहीं कह सकते । आजादी के दिनों में राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरणा पैदा की गयी थी छात्रों में और नौजवानों में । उन्होंने एक अहम भूमिका अदा की थी ।

माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनको राजनीति में भाग लेना नहीं चाहिये । क्या हिन्दुस्तान में कुछ परिवार के लोगों को ही राजनीति में भाग लेने का हक है । चाहे नेहरू का परिवार हो, चाहे लोहिया का परिवार हो या चाहे जगजीवन राम

[श्री मित्र सेन--]

का परिवार हो, क्या यही लोग ठेकेदार हैं और लोग राजनीति में भाग नहीं ले सकते। दूसरे लोग समाज की आवश्यकताओं की आवाज को नहीं उठा सकते, अगर उठायेंगे तो डंडा चलेगा, अगर किसी सरकार का ऐसा विचार बन गया तो ऐसी सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं कही जा सकती है। मैं समझता हूं कि वह अगर स्वस्थ दृष्टिकोण अपनाते तो ऐसे विचार कभी न प्रकट करते। वह विदेशों की बात कर रहे थे। मान्यवर, हमारे देश की और विदेशों की आर्थिक समस्याओं में बड़ा अन्तर है। हमारे और विदेशों के जीवन स्तर में बड़ा फर्क है। देश और विदेश की परिस्थितियों को देख कर ही चर्चा करनी चाहिये चाहे वह सेवा की बात हो या समाज की बात हो। हमारे समाज में जो आर्थिक असंतुलन है और विषमता है उसको अधिनियम के जरिये नहीं दूर किया जा सकता इसका मूल रूप में निराकरण करना पड़ेगा। जब किसी सत्ता के पास दूर करने का चारा नहीं रह जाता है तो वह सरकार ऐसे कानूनों को जनता के ऊपर लादने के लिए आवश्यक सेवाओं का सहारा लेता है। यह सरकार हमेशा ऐसा सहारा लेती रही है और विभिन्न अधिनियमों को बहुमत के जरिये पास करती है लेकिन उनका उल्लंघन होता है चाहे आप धारा 144 लगायें या चाहे जेल के फाटक खोलें। इन आवश्यक अधिनियमों के जरिये उनका निराकरण नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री यदि यह चाहते हैं कि शिक्षा संस्थाओं में शांतिपूर्वक वातावरण बना रहे उनका स्तर कुछ इससे ऊंचा हो सके और छात्रों में किसी प्रकार का आक्रोश उत्पन्न न हो और वे शांतिपूर्ण ढंग से अपनी शिक्षा ग्रहण करें तथा उनमें कार्य करने वाले व टीचर्स आदि भी संतुष्ट रहें, तो वे इस कानून के जरिये से असली मंशा को नहीं पहुंच सकते हैं और मैं तो जहां तक समझता हूं कि इस कानून से इस वर्ग में जो उत्पन्न आग मौजूदा समय में है, वह इससे बुझेगी नहीं बल्कि और भड़काने का काम करेगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस अधिनियम को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए और इस समिति की राय के अनुसार माननीय मंत्री जी पुनः विचार कर फिर इस सदन में प्रस्तुत करें, तो अधिक कारगर हो सकता है।

*श्री खान गुफरान जाहिदी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी की तरफ से जो अधिनियम पेश हुआ है, उसकी हिमायत करने के लिये खड़ा हुआ हूं, और इस सम्बन्ध में जो विचार माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, गौरी शंकर भैय्या, मित्रसेन यादव और रियासत साहब ने रखे इनके इस संशोधन प्रस्ताव की मैं मुखालफत करता हूं और इस सम्बन्ध में दो तीन बातें केवल कहना चाहूंगा एक तो यह कि तालीम का जो मकसद है कि इससे समाज कुछ उभरे और उभर कर बेहतर रास्ते पर आये, उसी तकाजे को पूरा करने के सिलसिले में जो कदम माननीय मंत्री जी ने उठाये हैं, वह बहुत ही सराहनीय हैं और जहां तक हर मुल्क का एक अपना आईनी मकसद होता है कि वहां का हर वर्ग आर्गनाईज हो वहीं उसका मकसद यह भी होता है कि उस मुल्क के हर आदमी को अपनी बात कहने का हक हासिल हो। इसी हक को ध्यान में रखते हुए इस बात की कोशिश की गयी है और दूसरी ओर वहीं पर कुछ अध्यापकों का अपना यह हक हासिल होने के साथ-साथ उनका पेशावाराना काम हो जाता है कि वह विद्यार्थियों को बरगला कर अपना मकसद निकालते हैं और वह यह नहीं सोचते हैं, इम्तहान का मौका है और उसमें बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 26 वर्ष की पहुंच चुकी है और अगर वह इम्तहान में नहीं बैठे तो उनकी उम्र निकल जायेगी और वह इस तरह बरबाद हो जायेगी, तो यह अध्यापकों के देखने की बात है कि जिस वक्त विद्यार्थियों को कालेज में रहना चाहिये, वह कालेज में ही रहें, सड़कों पर न रहें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, माननीय जाहिदी साहब क्या वह उन अध्यापकों को ही शिक्षा और उपदेश देते रहेंगे और शासन के सम्बन्ध में भी कुछ कहेंगे, कुछ अपने सुझाव रखेंगे ?

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, माननीय गुप्ता जी तो हमारे अपनी बात कहते वक्त तो बहुत गम्भीर बात कह जाते हैं और ऐसी बातों का भी उल्लेख कर जाते हैं, जिनका अधिनियमों में कोई जिक्र नहीं होता । मैं अध्यापकों को शिक्षा या उपदेश क्या दूंगा, उन्हीं से उपदेश ग्रहण करके तो यहां आया हूं और जो मन्शा शासन की है, उसके लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपनी बातों के दौरान कह दिया है । आप कभी-कभी बराये मुखालफत के लिए भी खड़े होते हैं, लेकिन जब तक आपका मन वास्तव में उधर नहीं जाता है, तब तक आपके तर्क में जान नहीं रहती है । आपने पीलीभीत का मामला उठाया कि क्षेत्रीय मंत्री गये थे, उन्होंने यह फैसला भी कर दिया । क्षेत्रीय मन्त्री गये होंगे वहां पर कोई मामला उठा होगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की हिमायत इसलिए करता हूं कि यह समाज और यहां के बच्चों की तालीम के लिए निहायत जरूरी है । इस वक्त में जो बच्चों की तालीम होती है तो शिक्षक वर्ग को कतई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिये । वेतन आयोग ने हर श्रेणी के टीचर को जो दिया है वह एक प्रमाण है कि शासन उन सब चीजों की देना चाहता है, जो उसके बस में हैं । शासन साथ ही यह भी चाहता है कि कालेजों में हड़ताल न हो, यूनीवर्सिटी चलती रहें, यूनीवर्सिटी के टीचरों का जो हक है वह उनको मिलता रहे । इस प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने के लिए यह जरूरी है कि स्कूल, कालेज खुलें और काम हो, तालीम हो । इसके साथ ही मैं इस बिल की पुरजोर हिमायत करता हूं और जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही गयी है, मैं उसका विरोध करता हूं क्योंकि फिर इम्तहान का वक्त आ रहा है ।

[2 बजकर 36 मिनट]

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं इस बिल को प्रवर समिति को भेजने का जो प्रस्ताव है, उसका समर्थन करता हूं । जब सरकार इस विधेयक को लायी, तो जो उसके उद्देश्य और कारण बताये, उससे बड़ी निराशा हुई । निराशा इसलिये हुई कि सरकार यह कहती है कि विश्वविद्यालयों में हड़ताल होने की सम्भावना है, इसलिये हम उसे रोकना चाहते हैं, जब कि विश्वविद्यालय के जो अध्यापक हैं, उनकी कोई नोटिस सरकार के पास आयी नहीं । सरकार ऐसी डर सी गयी है, डाकुओं से डरी तो सिपाही वगैरह लगा दिये, अब सरकार हड़ताल से ऐसा डर गयी है, जब कि अध्यापकों ने कोई नोटिस नहीं दी है, लेकिन सरकार पहले से इसको करना चाहती है । अभी ऐसा कोई अवस्था नहीं है । अगर ऐसी कोई अवस्था आयी तो सबसे पहले इन पर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

विचार करना होगा कि कौन सी ऐसी परिस्थितियां आयी हैं, जिनके कारण ऐसा हुआ । अगर उनको हटा कर काम कर सकते हैं तो उनको हटाना चाहिये । सरकार एक तरफ तो यह कहती है कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय यह सब स्वशासी संस्थायें हैं और दूसरी तरफ उनके सारे आदमियों पर काम लादने की जिम्मेदारी डाल देते हैं कि उनको इम्तहान कराना ही पड़ेगा । शासन के, विद्यालय के, अध्यापकों के और विद्यार्थियों के नजरिये में अन्तर होता है । विश्वविद्यालय में घुसकर अध्यापकों के अधिकारों को इस प्रकार रोकेंगे तो यह कोई व्यवस्था नहीं है बल्कि अव्यवस्था पैदा करने की साजिश है । सरकार को यह विधेयक लाना ही नहीं चाहिये था, अब जब आ गया है तो सोच-विचार के लिए समय चाहिए । आपको कैसे मालूम हुआ कि वे हड़ताल पर जाना चाहते हैं । सरकार को किस वक्त इलहाम हो जाता है कि यह भी हो जायेगा, कि किसी वक्त सारे लोग अनिवार्य सेवाओं के अन्तर्गत आ जायेंगे । तो इस तरह से जनतंत्र का प्रमुख अधिकार जो है इससे लोग वंचित हो जायेंगे । मैंने बराबर कहा है कि समाजीकरण करो, सरकारीकरण न करो । यहां आप अध्यापकों को बिना बुलाये, बिना उनकी कठिनाइयों को जाने जो कि जनतंत्र का पहले मुद्दा है कि अपनी-अपनी बात कहने का अधिकार है, आप कैसे निर्णय कर लेंगे कि वह हड़ताल पर जाने वाला है । यदि वह हड़ताल पर जाता है तो जाने दीजिये, यदि जनमत उसकी बात को गलत मानता है तो वह स्वयं ही लौट आयेगा और यदि जनमत का फैसला उसे प्राप्त हो जायेगा तो समझिये उसे सारे देश से हड़ताल पर जाने का हक प्राप्त हो गया है । हड़तालें बराबर होती रही हैं । संविधान की धारा 25 में यह अधिकार दिया गया है । काम करने की स्वेच्छा हमारे अन्दर विद्यमान है ।

तीसरी बात मान्यवर, इसमें कठिनाई यह है कि सरकार अगर विश्व-विद्यालयों में प्रवेश कर गई तो जो स्वायत्तशासी संस्थायें हैं तो वहां पर अध्यापक अपनी बात नहीं कह सकेंगे, कर्मचारी वहां पर अपनी बात नहीं कह सकेंगे क्योंकि सरकार उनकी अपनी बात कहने पर उनका दमन करेगी और उससे आक्रोश उत्पन्न होगा । उनका आक्रोश सरकार पर होगा । यदि घड़े में कुछ चीजें पड़ी हों और उनको उसके अन्दर हिलाया जाय तो जगह बन जायेगी और चीज ज्यादा आ जायेगी परन्तु यदि उसे न हिला कर उसमें हाथ से एक-एक चीज करके डाली जाय तो कम चीज आयेगी और सांस रह जायेगी । इसी तरह से जनतंत्र की परम्परा रही है । अध्यापक अपनी हड़ताल कर रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए उन्हें करने दीजिये । यदि जनमत उनके पक्ष में मजबूत है तो सरकार मानेगी और जनमत मजबूत नहीं है तो हड़ताल व्यर्थ हो जायेगी । परन्तु जो बड़ा हक दिया गया है आदमी को उससे वह न छीनिये ।

सबसे बड़ी बात तो यह है मान्यवर, कि स्वायत्तशासी संस्थाओं में सरकार का अभी तक हस्तक्षेप नहीं था । आपने कहा कि हमको इलहाम हो गया है कि ये लोग कुछ गड़बड़ियां करने वाले हैं, यह उनके ऊपर आरोप है अपना निर्णय लादने के लिए । यह स्वायत्तशासी संस्थाओं को अपनी इच्छा का दास बनाना चाहते हैं । कुछ भी हो हम इस बात के लिए तैयार नहीं हैं और सरकार को भी इस बात के लिए तैयार नहीं होना चाहिए । यदि आप हड़ताल की वजह से यह करने जा रहे हैं तो यह उनका हक है । इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि मान्यवर, इसे प्रवर समिति में जाने दें और उस पर सोच लें । अभी कोई हड़ताल हो नहीं रही है और न निकट भविष्य में होने वाली है । आप यह सोच कि हड़तालें तो होती रही हैं और इसको रोकने के लिए आप अपनी तानाशाही प्रवृत्ति का परिचय न दें । इन शब्दों के साथ में इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने का समर्थन करता हूं ।

*श्री प्रभूनारायण सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल पेश हुआ है वैसे तो मैं इसका समर्थन करता लेकिन श्रीमन्, मैं यह नहीं मानता कि प्रजातंत्र में किसी की स्वायत्ता नष्ट की जायेगी । किसी पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया जायेगा । मैं नहीं समझता हूं कि कोई इस बात का समर्थन करेगा कि शिक्षक जिसके आगे सदैव से हर व्यक्ति नत मस्तक हो जाता है, जिसे जगत गुरू की संज्ञा दी जाती है उस गुरू पर भी प्रतिबन्ध लगाया जायेगा । मैं कहता हूं कि जिस देश का शिक्षक अभी तक भूखा है उसके समाज का कैसे उत्थान होगा, कैसे लोगों का कल्याण होगा । हमको निश्चय ही इस दिशा में सोचना चाहिये । आखिरकार वह कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण यह हमारा गुरु संघर्ष पर जाता है । वह संघर्ष करेगा, वह किसी का पेशा नहीं होता और शिक्षक के लिए तो वह कतई शोभा की बात नहीं है । यदि वह मजबूर किया जाता है, उसकी उपेक्षा की जाती है, तो जैसे एक आदर्श शिक्षक की कल्पना की जाती है कि वह किसी के सामने हाथ नहीं फैलायेगा, अगर उसे जीने लायक वेतन नहीं देंगे जो उसे मिलना चाहिए, तो निश्चय ही वह जनतांत्रिक अधिकारों के रहते हुए संघर्ष करेगा जैसा कि हमेशा करता आया है । 24 घंटे में छात्र 18 घटे अपने परिवार, समाज के बीच रहता है और केवल 6 घंटे विद्यालयों में । तो यह कह दिया जाये कि वहां के शिक्षकों का असर, शिक्षण संस्थाओं का असर उस पर पड़ा है, तो मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूं । हर आदमी को इसके लिए चिन्तन करना पड़ेगा कि आखिर इसके लिए दोषी कौन है ।

हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन की बात करते हैं, क्रान्तिकारी परिवर्तन की बात करते हैं लेकिन वह परिवर्तन क्या होगा ? अगर नौकरशाही कोई परिवर्तन बनकर दे दें, जैसा कि इस साल से हो रहा है कि जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा सामूहिक होगी और यह इसलिए होगा कि अधिकारियों ने कलकुलेट करके कि 15 रुपया संस्थागत और 20 रुपया व्यक्तिगत छात्र से शुल्क लेकर परीक्षा की कापियां दे दें और नकल आदि कर कराकर, उसका अभ्यास अभी से शुरू हो जाये और क्रान्तिकारी परिवर्तन हो जायेगा । शिक्षकों पर आप को विश्वास नहीं है । आपको विश्वास करना होगा कि हम भी उनकी वजह से इस हालत में हैं । कर्मचारियों की भागीदारी की बात आप करते हैं और परिवर्तन की बात करते हैं, यह नहीं होगा जब तक आप उन पर विश्वास नहीं करेंगे । जैसा अन्य प्रगतिशील देशों में है, हायर सेकेण्डरी तक एक ही शिक्षक होना चाहिए क्योंकि जो पढ़ाता है वह जानता है कि कौन छात्र किस स्तर का है । आप सार्टिफिकेट चाहते हैं चाहे छूरा दिखा कर मिले, गुण्डई करके मिले इसलिए मैं चाहता हूं कि सार्टिफिकेट पर आप उतना महत्व न दें। जब आप ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट लोगों की बेरोजगारी दूर नहीं कर पा रहे हैं तो जूनियर हाई स्कूल पास कराकर आप कुछ नहीं कर सकेंगे । आज के नौजवान के सामने, जो चौराहे पर खड़ा है, दिशाभ्रमित है, इसके लिए शिक्षक दोषी नहीं हैं । शिक्षक तो वही पढ़ाता है जो प्रास्पेक्टस, कैरीकुलम आप देंगे । इसलिए मैं कहता हूं कि शिक्षा को आप नियोजन से जोड़िये । हम हमेशा किताबी ज्ञान देकर उन्हें बढ़ाते जा रहे हैं । आज का लड़का जूनियर हाई स्कूल कर ले, इन्टरमीडिएट कर ले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री प्रभुनारायण सिंह---]

बी० ए०, बी० एस-सी०, बी० काम० और एम० ए०, एम० एस-सी० करने के बाद फिर कहां जाय, क्या करे । न कोई भविष्य है उसका, न कोई विकल्प है, न कोई रास्ता है तो कहीं वह टूट न जाय तो निश्चय ही इससे कोई अच्छी शिक्षा का विकल्प नहीं होता । इसके लिए चाहे आपको शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन करना पड़े वह आपको करना पड़ेगा । अगर आप केवल उसको कस देंगे तो उससे कुछ लाभ नहीं होगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिक्षा मंत्री द्वारा जो पेश किया हुआ बिल है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

चौधरी नौनिहाल सिंह---

मान्यवर, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शायद हमारे कुछ मित्र, यह विधेयक जो प्रस्तुत किया गया है उसको पढ़ा नहीं है । इस प्रकार का विधेयक तो सन् 60 में पहले ही पास हो चुका है परन्तु यह सम्बद्ध विद्यालय जो हैं उसमें नहीं है इसलिए इस विधेयक को हमने प्रस्तुत किया ।

श्री उपाध्यक्ष---

डिटेल में जब आप बोलेंगे तब इस पर बोलिएगा ।

श्रीमती गौरी देवी---

मान्यवर, यह विधेयक हड़ताल को बढ़ावा देने वाला है । इससे अध्यापकों और छात्रों का कोई हित होने वाला नहीं है अतः इसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय ताकि इस पर अच्छी प्रकार विचार हो सके ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी---

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का मैं हृदय से समर्थन करता हूं । वैसे मान्यवर, वह तो शिक्षा मंत्री हैं लेकिन मेरा भी शिक्षा जगत से बड़ा सम्बन्ध रहा है और वर्षों मेरा समय शिक्षार्थी के रूप में बीता और शिक्षकों के बीच में बीता । मेरी तो सदैव से यही मान्यता रही है कि---

गुरुर्ब्रह्मा, गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः ।
गुरुः साक्षात् पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवेनमः ॥

इसी प्रकार से---रखहि गुरु जो कोप विधाता, गुरु विरोध नहीं कोउ जन त्राता । अर्थात गुरू की महिमा के सम्बन्ध में न इस पक्ष को कोई ऐतराज है और न उस पक्ष को कोई ऐतराज है । अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में कहा कि यह विधेयक तो पहले का ही है सिर्फ इसकी एक-दो धाराओं को बदलकर उसका स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है । मान्यवर, आप भी सहमत होंगे और हमारा विरोध पक्ष भी सहमत होगा कि जिस तरह की अव्यवस्था आज शिक्षक समाज में परीक्षा काल में फैलती जा रही है वह कहां तक न्यायसंगत है ? एक तो विद्यार्थी ही अनुशासनहीन हो चुका है और दूसरी ओर अगर शिक्षक भी परीक्षा के समय ही हड़ताल का नारा देने लगे और कहने लगे कि हम विद्यालय में नहीं जायेंगे तो फिर इस देश और प्रदेश का भविष्य क्या होगा । जैसा कि लाल प्रताप सिंह ने कहा और हमारे कुछ और साथियों ने भी कहा था इस सम्मानित सदन में कि छात्रों के साथ-साथ शिक्षकों में भी अनुशासनहीनता व्याप्त हो चुकी है । मेरे जिले में ही नहीं प्रदेश के हर कोने में प्राइमरी स्कूलों की जो स्थिति है, उसी से मैं शुरू करता हूं । शिक्षा का बजट आयेगा तब मैं उस पर

विस्तृत रूप से प्रकाश डालूंगा । जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं उनका भविष्य क्या है। कोई भी शिक्षक स्कूल में पढ़ाने जाने के लिये तैयार नहीं है । वह थाने के दरवाजे पर ब्लाक हेड क्वार्टर पर और तहसील में बैठकर दलाली करता है और क्षेत्रीय विधायकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाता है । वेतन के लिये सड़कों पर नारे लगाता है, सरकार को निकम्मा कहता है और उस समय हमारे विरोध पक्ष के नेता टुकुर-टुकुर मुस्कराते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

टुकुर-टुकुर देखते हैं या टुकुर-टुकुर मुस्कुराते हैं ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

दोनों उसमें शामिल हैं मान्यवर, उस वक्त आप यह न सोचें कि आप प्रतिपक्ष में हैं । इसमें सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष की बात नहीं है । बात यह है कि इस देश और प्रदेश के शिक्षार्थी और शिक्षकों का भविष्य क्या होगा । इसमें दो रायें नहीं हैं कि दोनों पतन की ओर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि न तो शिक्षार्थी आपके हाथ में है और न शिक्षक ही आपके हाथ में हैं। जहां तक विद्यार्थियों की बात है, यह ठीक है कि जिस वर्ग से उनको सम्बन्धित बताय जाता, यह कहना स्वाभाविक है उनको शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए । मैं तो पहले ही अपनी वन्दना में ही स्वीकार कर चुका हूं कि शिक्षक का हमारे समाज में बहुत ही सम्मानित पद होता है, ऊंचा स्थान होता है । लेकिन आज मैं देखता हूं कि शिक्षक कुर्ते की जगह लम्बी-लम्बी छोलदारी घसीटते हुए निकलता है । शिक्षा पद्धति में एक परम्परा हमारे गुप्त जी से ही शुरू हुई थी । आज शिशु मन्दिरों में जिस तरह की शिक्षा दी जाती है, जिस तरह से सिखलाया जाता है, वह देश हित में कभी नहीं हो सकता है । इसलिये मैं तो शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे हुए इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि आप इसका और अध्ययन करें और अध्ययन करने के बाद जो कुछ कमियां हैं, प्राइमरी स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक और विश्व विद्यालय स्तर तक, आपको कुछ कठोर कदम उठाने पड़ेंगे । मेरी प्रार्थना है, कि बिना कुछ किये हुए इस देश और प्रदेश का कल्याण नहीं होने वाला है । क्योंकि बिद्यार्थी भी समझ चुके हैं कि नकल करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है । जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि आजादी हमारी जन्म सिद्ध अधिकार है, उसी तरह से विद्यार्थी भी नकल करना अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं । परीक्षा के समय जब वह चाकू निकाल कर मेज पर रख देता है तो उस वक्त शिक्षक भी विवश हो जाता है क्योंकि उसके सामने भी अपने बीबी बच्चे और परिवार का भविष्य होता है और वह आंख बचा कर वहां से चला जाता है । मैं आपके माध्यम से बतलाना चाहता हूं कि मैं शिक्षा मंत्री जी के तेवर और तड़क का मुरीद हूं । आप जो कड़क करते हैं लगता है कोई दरियादिली मंत्री बोल रहा है । वैसे तो हरी-हर हैं, प्रभू की दया है । माननीय शिक्षा मंत्री जी से मैं व्यक्तिगत रूप से प्रभावित हूं । वैसे हमारे खाद्य मंत्री जी भी अपवाद नहीं हैं । उनकी कड़क से भी मैं बहुत प्रभावित हूं परन्तु शिक्षा मंत्री जी आप जैसी कड़क हो जानी चाहिए तब लगता है कोई मंत्री बोल रहा है । तो उसी के तहत, मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने उन अधिकारियों पर आधारित न हो कर स्वयं अध्ययन करेंगे और शिक्षकों के लिए

[श्री श्याम लाल बाजपेयी--]

पढ़ाई की व्यवस्था और विद्यार्थियों के लिए पढ़ने की व्यवस्था करेंगे। प्राइमरी शिक्षा के स्तर पर उनका ध्यान विशेष रूप से जाना चाहिए। प्राइमरी शिक्षा इस समय गर्त में चली गयी है। वह काबू से बाहर चली गई है। शिक्षक कहता है कि मैं सरकार को बनाता हूं। आप किस खेत की मूली हैं। पढ़ाने जाता नहीं।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा रखे गये अधिनियम का मैं हृदय से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय शिक्षा मंत्री जी शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह के और भी विधेयक ला कर के शिक्षा जगत को परिमार्जित और प्रशिक्षित करने की कृपा करेंगे।

[समय 3 बजकर 2 मिनट]

श्री ऊदल--

मान्यवर, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यह विधेयक अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 में पास हुआ था। उसमें कमी रह गई थी। कमी इस बात की रह गई थी जैसा कि इसके उद्देश्य और कारण में लिखा है "अधिनियम के द्वारा या अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के अधीन सेवा एक अत्यावश्यक सेवा है किन्तु किसी विश्वविद्यालय के किसी सम्बद्ध, सहयुक्त, स्वायत्त या घटक महाविद्यालय या संस्थान के अधीन सेवा के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं किया गया है और इस कारण कभी-कभी यह सन्देह व्यक्त किया जाता है" यह प्राविधान नहीं किया गया था इसलिए इसको लाना पड़ा।

मान्यवर, अभी हमारे माननीय जाहिदी साहब भाषण कर रहे थे। मैं लाबी में बड़े गौर से सुन रहा था। शिक्षकों को, कर्मचारियों को तो हमारे आइने में हड़ताल करने का अवसर मिला हुआ है इसलिए अपनी मांगों के लिए हड़ताल कर सकते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अधिनियम का बनाना बहुत जरूरी है। हमारे बाजपेयी जी का भाषण अभी आपने सुना है। उन्होंने कहा कि राजेन्द्र कुमार गुप्त जी के शिशु मंदिर जो शिक्षा दे रहे हैं वह शिक्षा कहां ले जा रही है देश को। मैं आप से सहमत हूं कहां ले जा रही है। देश की जड़ खोद रही है, कहां ले जा रही है। वह तो एक विषय है। अभी हमारे प्रभू नारायण सिंह जी भाषण दे रहे थे। बेचारे हमारे जो डिग्री कालेज हैं, इण्टरमीडिएट कालेज हैं, जो अध्यापक हैं, उनके रहनुमा हैं और हमारे माननीय सदन के सम्मानित सदस्य भी हैं। उन्होंने कुछ अध्यापकों का पक्ष प्रस्तुत किया। इसलिए श्रीमन् सचमुच में अगर देखा जाय तो यह विधेयक जो आज पेश हुआ है इसमे जो संशोधन किया जाना है इस सम्बन्ध में एक जगह और उद्देश्य और कारण में लिखा है कि कुछ सम्बद्ध महाविद्यालयों के कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी। आप को मालूम हो गया "धमकी"। तो मूल खराबी क्या है, इसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं है।

अब मैं माननीय जाहिदी साहब से एक बात पूछना चाहता हूं। या तो आप रामस्वरूप वर्मा जी की बात मान लें। आपने शिक्षा को एक स्वायत्त शासी संस्था घोषित किया है। हमारे आइने में है कि हम स्वायत्तशासी संस्थाओं में किसी प्रकार का दखल नहीं देंगे...

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय ऊदल जो, शिक्षा को स्वायत्तशासी संस्था घोषित किया है कि महाविद्यालयों को ?

श्री ऊदल—

श्रीमन्, महाविद्यालयों को घोषित किया है । जब किसी स्वायत्तशासी संस्था के बारे में कोई सवाल पूछा जाता है तो सरकार को तरफ से कहा जाता है कि यह लखनऊ विश्वविद्यालय जो है यह स्वायत्तशासी संस्था है और हम किसी प्रकार का उसमें दखल नहीं देंगे, हमेशा यही कहा जाता है और जब से हमारी विधान सभा काम कर रही है, तभी से कहा जाता है । अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । यह हमारा मूलभूत अधिकार भी संविधान में है । उसमें कहा गया है कि जो भी सरकार हो उसकी जिम्मेदारी है कि कोई भी हमारे देश में निरक्षर न रहे और 14 वर्ष तक के जितने बच्चे हो सबको साक्षर बना दिया जाय । इसके लिये घोषणायें हुई कसमें खायी गई । क्या मैं जान सकता हूं कि हमारी शिक्षा में कितनी प्रगति हुई है मैं समझता हूं कि बच्चों में 40 प्रतिशत और लड़कियों में तो केवल 20 प्रतिशत भी नहीं हुये होंगे, बाकी सब निरक्षर हैं । संविधान कहता है कि सबको शिक्षा दो ।

तीसरी बात यह है कि जो हमारी शिक्षण संस्थायें हैं, उनके जो संगठन हैं जैसा राम स्वरूप वर्मा जी ने कहा, जो ये अध्यापक हैं वे हमेशा से इस बात को मांग करते आये हैं कि सरकार उनको ले ले, अधिग्रहण कर ले, राष्ट्रीयकरण कर ले । सरकार इस बात को भी नहीं मानती है । क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी सबको शिक्षित करने की है या नहीं ? दूसरी बात यह है शिक्षा पद्धति एक किस्म की हो, एक प्रकार की हो, धार्मिक न हो, नियोजित अर्थव्यवस्था के अनुरूप हो, धर्मनिरपेक्ष रोजगारपरक हो, उसमें किसी प्रकार की अलगावबाजी न हो । क्या ऐसा शिक्षा देश में दी जा रही है, जैसा कि बाजपेयी जी कह रहे थे । यह जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की है । जहां तक टीचर्स की बात है । आप विदेशों की बात करते हैं । वहां पर टीचरों के लिये इज्जत है । साइन्टिस्टों और टीचरों को भाग्य विधाता कहा जाता है वे देश के भाग्य का निर्माण करते हैं । 35 वर्ष के शासन काल में, 3 वर्ष गुप्ता जी के शासनकाल को छोड़ दीजिये, फिर भी 32 वर्ष के शासन के बाद भी आपने इस दिशा में क्या प्रगति की । आप कहते हैं कि टीचर्स इम्तहान के वक्त सड़कों पर आ जाते हैं और अपनी तनख्वाह और मंहगाई तथा अन्य सुविधाओं की आपसे मांग करते हैं । जो इन संस्थाओं में काम करते हैं उनको न कोई पेंशन, न मंहगाई भत्ता, न कोई और सुविधा आप देते हैं । क्या उनके लिये मंहगाई नहीं बढ़ी है । आज माननीय शिक्षा मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में कहा गुप्ता जी ने सप्लीमेन्टरी पूछा था तो उसमें आपने कहा कि सारी चीजें विचाराधीन हैं, पेंशन की योजना या तनख्वाह बढ़ाने का मामला विचाराधीन है । तो इतने दिनों तक पेंशन की योजना लागू नहीं की या मंहगाई नहीं दी वह क्यों नहीं दी । वह कहते हैं कि यह सरकार हड़ताल से ही सुनने वाली है—"टेढ़जानि शंका सब काहू वक्रचन्द्रमा ग्रसे न राहू" जब कोई गुस्से में आ जाते हैं या कुर्बानी करते हैं तो सरकार उनको सुनती है । आज तक क्यों नहीं आपने उनकी बातें तय की । जाहिदी साहब ने संविधान के

[श्री ऊदल---]

प्रति वफादारी का जिक्र किया तो फिर शिक्षा में आमूल परिवर्तन करने के लिए क्यों नहीं एलान करते हैं। 32 साल हो गये आपने कोई परिवर्तन नहीं किया। जब हमारी शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, रोजगार परक नहीं है, अंग्रेजों की बनाई हुई है जो सिर्फ बाबू पैदा कर रही है उसको बदलिये।

हमारी शिक्षा अर्थव्यवस्था के मुताबिक, धर्मनिरपेक्ष और सब के लिए एक किस्म की शिक्षा होनी चाहिये। किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिये कि वह धर्म की शिक्षा दे। अगर संविधान में उसकी छूट है तो उसको बदलने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिये। अगर संविधान में इस बात की गारंटी दी गयी है कि कोई अगर चाहे कि विलगाव की शिक्षा दे या नफरत पैदा करने वाली शिक्षा दे उसको बदलने के लिए हमें पहल करनी चाहिये। मैं सरकार से और माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है, कि इस पर गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है। केवल ऐक्ट बना देने से या अधिनियम बना देने से इन सबका निराकरण नहीं होगा। आज ही सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने 14 सेवाओं को रासुका के अन्तर्गत ला दिया है। तो वह कोई हल नहीं है। प्रजातांत्रिक प्रणाली में रासुका या इस तरह के अधिनियमों से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है। इसलिए मैं चाहता था कि सरकार उदारतापूर्वक कोई नीति अख्तियार करेगी और शिक्षा मंत्री जी आश्वासन देते कि 35 साल बाद अब आवश्यक हो गया है कि शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन हो और इसके लिए संविधान बदलने की जरूरत हो तो उसके लिए भारत सरकार को लिखा जायेगा। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी की बात मैंने सुनी और दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने इस संकल्प पर अपने विचार प्रस्तुत किये, मैंने उन सब को बड़े ध्यान से सुना। माननीय मंत्री जी भी बड़े ध्यान से सुन रहे थे। माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया तो उन लोगों के भाषण सुनने के बाद हमको भी लगा कि शिक्षा जगत में आज इस तरह की स्थिति व्याप्त है। इसमें परिवर्तन की आवश्यकता है। अभी हमारे बुजुर्ग साथी ने कहा कि जो पश्चिमी देश हैं उनके अध्यापकों के बारे में क्या कभी आपने सुना है कि वह इस प्रकार की हड़ताल में कभी जाते हैं। इस सम्बन्ध में मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी जो सेवा की शर्तें हैं, उसे भी उन्हें देखना चाहिए। उन्हें नेशन की तरफ से जो सुविधा और प्रतिष्ठा दी जाती है, वह भी उनके लिए देखने की चीज है। यह नहीं कि अध्यापक विधान सभा के सामने प्रदर्शन के लिए आएं और आपने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। ब्रिटेन या अमेरिका आदि देशों में उन पर लाठी चार्ज या अन्य तरह का कोई अपमानजनक व्यवहार नहीं होता है। मेरे देश के अध्यापकों की तरह नहीं कि कहीं उन्हें 50 रुपया दे दिया और कहीं उन्हें 100 रुपया दे दिया। हमारे देश के बच्चों की तरह नहीं कि वे 4-5 घंटे स्कूल में पढ़ने जाते हैं और शेष समय के लिए सड़कों पर छुट्टा छोड़ दिये जाते हैं वह चाहे जो करें उनके लिए कोई काम नहीं है, कोई दिशा निर्देश नहीं है। आपको इसको लाने की बिलकुल आवश्यकता नहीं थी। क्योंकि आपने स्वयं कहा कि सन 1966 में एक अध्यादेश इस तरह का पहले ही आ चुका है।

"अत्यावश्यक सेवा" का तात्पर्य, उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवा, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाईस्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था के अधीन, किसी सेवा अथवा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के अधीन सेवा और किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी सेवा से है । यह सारे लोग जो कहीं न कहीं काम कर रहे हैं वह इसके अन्तर्गत पहले से नियन्त्रित किये जा चुके हैं, तो फिर इसकी क्या आवश्यकता है । अभी आपने कहा आगरा विश्वविद्यालय में जब पिछले वर्ष इम्तहान लेना चाहते थे, तो उन्होंने कह दिया कि हमारी यह-यह मांगें हैं, इसलिए हम परीक्षा नहीं लेने जा रहे हैं और हड़ताल करने जा रहे हैं । अब वह बात है नहीं, आप आगरा विश्वविद्यालय को परीक्षाएं तत्काल करवाने नहीं जा रहे हैं, तोइ सकी क्या आवश्यकता है ? तो इसके नाम पर जितनी शिक्षण संस्थाएं हैं, उन सबके सारे के सारे लोगों पर आप यह अध्यादेश लागू करना चाहते हैं । यदि केवल आगरा विश्वविद्यालय की शिक्षा संस्थाओं के बारे में होता तो मुझे कोई एतराज नहीं होता । इस पर बोलने वाले सभी लोगों ने हमारी बात का समर्थन किया है । आप यदि ऐसा कानून लाते, जिसमें उनकी हड़ताल समस्या का जिक्र होता, लड़कों की अनुशासन-हीनता का जिक्र होता, पढ़ाई-लिखाई का जिक्र होता, नियुक्ति के सम्बन्ध में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसका जिक्र होता, मैनेजमेंट के भ्रष्टाचार का जिक्र होता और शिक्षा में व्याप्त इन समस्त बुराइयों और भ्रष्टाचार को एक कलम से दूर किया जा सकता तो यह ठीक होता और इसका स्वागत होता । हमको उम्मीद थी कि इस अध्यादेश के जरिये ऐसा मजबूत अध्यादेश हम लाना चाहते हैं, जिससे शिक्षा व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन हो सकता और इसमें जो अफसर-शाही है उसको समाप्त किया जा सकता तो यह समझ में आने वाली बात थी । लेकिन इसमें तो हम केवल मात्र एक डंडा लेकर चले हैं कि जो इम्तहान नहीं लेंगे उनको डन्डे से पीटा जावेगा । अभी ठाकुर साहब ने कहा कि राजनीति में अध्यापकों को भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिये लेकिन उनके मन्त्री हैं, पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर हैं और अभी उधर से हरदेव जी भी कह रहे थे । हरदेव जी तो यहां से जाने पर प्राइमरी स्कूल में टीचर हो जायेंगे और मन्त्री जी चले जायेंगे तो स्टेशन पर जो स्कूल है उसमें प्रधानाचार्य होने के लिए और ठाकुर साहब को मन्त्री की जगह नहीं मिलेगी । क्योंकि मैं जानता हूं कि मन्त्री बनने के लिये कितनी चमचागिरी करनी होती है । हमारे देश के संविधान में यह व्यवस्था है कि अध्यापक कान्सटीटुएन्सी से एम० एल० सी० होगा और राज्य सभा में भेजा जायेगा । मैं जानता हूं कि संविधान में परिवर्तन करने का यहां पर अधिकार नहीं है ।

अर्डिनेन्स की शक्ल में लाकर अब विधेयक के रूप में लाया जा रहा है, इसके सम्बन्ध में सम्मानित सदस्यों की भावनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं उनका कहना है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर । मुझे एक किस्सा याद आ रहा है । एक बार एक डिप्टी इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स एक प्राइमरी विद्यालय में गये जहां पर उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा कि गंगा नदी कहां से निकलती है और कहां जा कर गिरती है । तो विद्यार्थियों ने उत्तर दिया कि वह गंगोत्री से निकलती है और अरब सागर में गिरती है । तो उन डिप्टी साहब ने एतराज किया और कहा कि तुम गलत बतला रहे हो तो अध्यापक ने

[श्री गौरी शंकर भैय्या---]

कहा कि जिस अध्यापक को 100 रुपया दे रहे हो, क्या वह पढायेगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है और अरब सागर में नहीं गिरती है। तो जो हम उनको देते हैं, वह हम बहुत कम देते हैं। वे टीचर्स जो डिग्री कालेजों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ाते हैं उनको काफी तनख्वाह अपने दे दी है लेकिन क्या आप नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत तो आप भी जानते होंगे कि जो छात्र रहे हैं, वे नकल करके पास हो रहे हैं। हमारे हरदेव भाई तो उसी प्रकार से आये हैं तो जो हमारे अध्यापक हैं, वह छूरे की धार को देखकर अपने जीवन की रक्षा अवश्य करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप इसको प्रवर समिति में भेज दें ताकि इन सारी बातों का ठीक से समावेश होकर आये अन्यथा इस विधेयक का कोई औचित्य नहीं है। इसलिये इसको वापस कर दिया जाय और कोई दूसरा विधेयक, जिसमें इन सारी बातों का समावेश हो सके, लायें। अतः मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इसको वापस ले लें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मेरे इस संशोधन के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने, चाहे इस पक्ष के हों या उस पक्ष के, अपने-अपने विचार प्रकट किए उनके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं।

आज अपने विचार प्रकट करते हुये उधर से एक माननीय सदस्य ने बड़े जोर के साथ कहा कि शिक्षा जगत में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये। इसमें दो रायें नहीं हो सकती कि शिक्षा में राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिये लेकिन हमें ठन्डे दिल से सोचना पड़ेगा कि उपदेश अपनी जगह पर हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि शिक्षा में राजनीति को घसीटने का कौन प्रयास कर रहा है? क्या यह सही नहीं है कि आज विद्यालयों में, महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में सत्तारूढ़ दल के द्वारा अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए किस प्रकार से हस्तक्षेप किया जा रहा है।

(व्यवधान)

(इस समय 3 बजकर 26 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुये)

लेकिन केवल उपदेश देने के लिए अध्यापकों को उपदेश दे दिया। आज के युग में भाषण दे रहे हैं। जिस समय हमारे यहां पर फयूडल स्टेटस थे उस समय कोई मजदूर चिथड़े पहन कर उनके सामने आता था उसको कहा जाता था कि यही तुमारे भाग्य में है। उनकी गरीबी उनका सबसे बड़ा दोष था। आज वही स्थिति पैदा की जा रही है। इस अध्यापक को तुम भूखा रखोगे, नंगा रखोगे। क्या यही सही नीति है? इससे कोई निराकरण नहीं होने वाला है। प्रश्न हड़ताल का नहीं है, बल्कि यह है कि भारतीय संविधान में क्या है, उसकी नीति, सिद्धान्त और भावना के अनुकूल आचरण करेंगे? अगर कोई आदमी गलती करता है तो उसे कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिये, लेकिन जो अधिकार हमें सविधान के अन्तर्गत प्राप्त हैं उन पर अंकुश नहीं लगाना चाहिये। हमें तो इस पर विचार करना चाहिये कि आखिर हड़ताल करने की परिस्थितियां पैदा क्यों होती हैं और उसके लिये जिम्मेदार कौन है। मैं तो समझता था कि माननीय मन्त्री जी कहेंगे कि इस पूरे विधेयक को हम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वापस लेते हैं और इसके स्थान पर एक विस्तृत विधेयक यहां लायेंगे । इसको रिपील करने का प्रस्ताव उनको लाना चाहिये था और उसके बजाये एक अधिनायकवाद वाला विधेयक ले आये ।

एक माननीय सदस्य ने उन घरानों का नाम लिया, जिनके परिवार राजनीति में हावी होना चाहते हैं । उन्होंने डा0 लोहिया जी का भी नाम लिया । मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि डा0 लोहिया का कौन सा परिवार था ? उसका परिवार तो यह पूरा प्रदेश और पूरा देश ही था । इसलिये डा0 लोहिया जैसे व्यक्ति पर आरोप लगाना उचित नहीं था । इसलिये मैं अपने प्रस्ताव पर पुनः बल देता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेजा जाये जहां पर सारी बातों पर विचार हो सके ।

श्री सूबेदार सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक पर मेरे द्वारा संशोधन प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये इससे यह बात साफ जाहिर हो गयी है कि हमारी जिस शिक्षा पद्धति को लार्ड मैकाले ने अपने जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये लागू किया था उससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो रही है और जिस प्रकार की शिक्षा का हमें आवश्यकता थी वह उससे कोसों दूर हटती जा रही है । माननीय प्रभू नारायण सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किये अध्यापकों के सम्बन्ध में अपनी जगह पर वह बहुत सही विचार हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि सत्ता पक्ष के होने के नाते वे अपने विचारों के अनुरूप इस सदन में व्यवहार करने के लिये समक्ष नहीं हैं । मान्यवर, आज 35 वर्षों के बाद भी हम अपनी शिक्षा पद्धति को बदल नहीं पाये हैं । हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय आचरण और हमारे व्यवहार के अनुरूप आज की शिक्षा नहीं रह गयी है । उसका उनसे कोई समन्वय नहीं रह गया है । हम आशा करते थे कि हमारी सरकार कोई ऐसा बिल लायेगी जो हमारी संस्कृति, हमारे आचरण और हमारे व्यवहार के अनुरूप होगा, लेकिन हमें इस विधेयक को देखकर निराश हो हुई । हमने यह संशोधन इसलिये पेश किया है कि यह विधेयक जब प्रवर समिति में जाये तो वहां पर हम सारी बातों पर गम्भीरता के साथ विचार कर सकें, मूलभूत प्रश्नों पर विचार कर सकें और एक विस्तृत विधेयक बन सके । इन शब्दों के साथ मैं फिर अनुरोध करूंगा कि माननीय मन्त्री जी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करें । और जनहित में बजाय इसके कि वह इस बिल के संशोधन को प्रेस करें, वह इसको वापस करें और एक वृहद् बिल लायें ताकि जो सही शिक्षा पद्धति है, उसका निदान हो सके और विचार हो सके । मान्यवर, मैं अपने प्रस्ताव पर पुनः बल दे रहा हूं ।

*चौधरी नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, बड़ी देर से मैं अपने विपक्ष भाइयों और पक्ष के भाइयों की बातें सुनता रहा । मान्यवर, जब विधेयक प्रस्तुत किया गया था, तो मैंने यह कहा था कि यह तो इतना सही विधेयक आपके सामने रखा जा रहा है जिसमें कि बहुत ज्यादा बहस-मुबाहिसे की बात नहीं है । जाहिर है कि आज हमारे प्रदेश में एक व्यवस्था खराब हो रही है । हमारे कई भाइयों ने यह भी कहा

*वक्ता चे भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[चौधरी नौनिहाल सिंह---]

कि अध्यापक या वहां पर जो शिक्षणेत्तर कर्मचारीगण हैं वह कभी-कभी ऐसा मौका निकालते हैं, जिससे कि इम्तहान के समय पर परेशानियां पैदा होती हैं। मैंने आपके सामने यह बात कही कि इस तरह का विधेयक 1966 में पेश हो चुका है, जिसमें कि महाविद्यालय और विद्यालयों से सम्बन्धित नियम कानून लागू हो चुके हैं। एक बहुत ही साधारण बात थी कि जो महाविद्यालय बचे हैं, उनको क्या इसमें शामिल कर लें ? मैं समझता हूं कि इसमें कोई खास बात नहीं है। इसीलिए मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि जिस तरीके से आपके सामने विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसको आप पारित करने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय गौरी शकर भैय्या, क्या आप वापस ले रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर भैय्या--

नहीं मान्यवर, मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय सूबेदार सिंह, आप वापस नहीं ले रहे हैं।

श्री सूबेदार सिंह--

नहीं मान्यवर, मैं वापस नहीं ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 का अननुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक, सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक, सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 का दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 6 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966

का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम

बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायगा ।

(2) यह 1 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1966 की धारा 2 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, 1966 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खण्ड (क) में, उपखंड (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपखण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्--

"(2) शिक्षा निदेशक द्वारा या माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था के अधीन किसी सेवा या किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा या उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे विश्वविद्यालय का कोई सम्बद्ध महाविद्यालय, सहयुक्त महाविद्यालय, स्वायत्त महाविद्यालय, घटक महाविद्यालय या संस्थान भी है, अधीन सेवा," ।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 24 सन् 1981

निरसन और अपवाद

3--(1) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्ध के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह कि खंड 2, 3, खंड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक, सेवाओं का अनुरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

[समय 3 बजकर 35 मिनट]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982†

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानन्द)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, 3 अक्तूबर, 1980 को उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विधेयक को सत्यापित किया गया था और उसमें अधिनियम में बहुत सी बातें सामने आई हैं । मान्यवर, उसमें वाइस चान्सलर के सम्बन्ध में यह था, कि व्यक्ति जो किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में आचार्य या प्राचार्य रहा हो वह आयोग का सदस्य नहीं नियुक्त किया जायेगा । इन कारणों से यह संशोधन लाया गया और दूसरी कतिपय समस्यायें सामने आई । इस अधिनियम से होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के लिये आदेश कारी करने की कोई शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त नहीं थी । इन सारे कारणों को देखते हुये उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को सदन के समक्ष लाया गया है ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक मास तक जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय ।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं इस सदन के माननीय सदस्यों को याद दिला दूं कि अभी हाल में इसी मास की 5, 6, 7 फरवरी को विश्वविद्यालय शिक्षकों का एक सम्मेलन लखनऊ में हुआ और उन्होंने सर्वसम्मति से बिना किसी विरोध के यह फैसला किया कि जो भी कुलपति हो वह विशेष रूप से ऐसा होना चाहिये, जिसको 15 साल का शिक्षण का अनुभव किसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय

---

†दिनांक 27 जनवरी, 1982 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का हो । उनको यह जजबाती नहीं बल्कि सुविचारित राय हैं । कुलपति उसे होना चाहिए जिसने 15 साल अध्यापन का कार्य किया हो और पुराना इतिहास सामने रख दूं संक्षेप में मान्यवर, जब तक इस प्रदेश में कुलपति अध्यापक के बीच से होते थे, योग्य अध्यापक और विद्यार्थी होते थे जब तक सारे विद्यार्थी और अध्यापक उसकी इज्जत करते थे । उसके आदेशों का अनुपालन करते थे और विश्व विद्यालय और महा विद्यालय में परम शान्ति विराजमान थी, लेकिन जब मान्यवर, सबसे पहले कांग्रेस (आई) ने इस बात को पैदा किया कि बिश्वविद्यालय का कुलपति ऐसा आदमी बनाया गया जिसको एक दिन का भी अध्यापन का अनुभव नहीं है । प्रशासनिक सेवा से आ गए । ऐसा मालुल पड़ता हैं कि प्रशासनिक सेवा में योग्य आदमी का संग्रह हैं । किसी को रसोईयां बनाने का अनुभव हो तो वह प्रोफेसर नहीं बन सकता है, रसोईयां है तो रसोईयां का ही काम करेगा ।

तो मान्यवर, प्रशासकों को जबसे रख दिया हैं, तबसे शिक्षा में गड़बड़ी आई है कि सब जगह अशांति है और विद्यार्थियों के आंदोलन और प्रदर्शन बराबर हो रहे हैं । समय पर सत्र नहीं चलाया जा रहा है, शिक्षा सत्र दो साल पीछे है और 1980 की डिग्री 1982 में दी जा रही हैं । तो इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी सरकार की है । इसलिए मैंने सोचा कि शायद सरकार संख्या बल पर यह पास करा ले इसलिए मैंने इसको जनमत संग्रह के लिए एक माह के लिए परिचालित करने पर जोर दिया हैं कि सदन इसको जनमत संग्रह के लिए भेज दे और उसमें सभी लोग, विद्वान लोग जो कहें उसको माना जाय । स्वीटरजरलैण्ड में जनमत संग्रह की बड़ी प्रथा है । बड़े-बड़े कानून वहां जो बनते हैं वह जनता के सामने भेज दिए जाते हैं और जनता जो राय देती है उसके अनुसार कानून बनता है । हमारा प्रदेश स्वीटरजरलैन्ड से 9 गुना बड़ा है, तो जहां ऐसे विवाद-ग्रस्त प्रश्न आ जांय और बिल संख्या बल पर पास किए जांय, जिसका दुष्परिणाम प्रदेश को जनता भोगे, इसलिए सरकार--इसको जनमत संग्रह के लिए परिचालित करने के लिए भेजे और 30 प्रतिशत लोगों की राय इसके फेवर में आ जाय तो आपका औचित्य ठीक होगा वरना नहीं । मैं तो कहता हूं कि 30 प्रतिशत लोग इसके फेवर में नहीं आयेंगे । इससे जनमत संग्रह का आदर बढ़ेगा और साथ ही सरकार को बुद्धि आ जायेगी कि जनमत संग्रह के विरुद्ध कितना बड़ा काम कर रहे थे, उससे बच गये । इसलिए सरकार को जनमत संग्रह करा लेना चाहिए ।

मान्यवर, अब उच्चतर शिक्षा सेवा में आयोग गठित करेंगे और उसका स्वरूप क्या होगा । उसकी क्या न्यायाधीश परीक्षा करेगा । कोई अध्यापक दुरुस्त न हो ज्ञानवान हो या विद्यार्थी की सारी जिज्ञासा को जान सके और शांत कर सके वह ठीक है या जो बड़ा चुस्त दुरुस्त वाला हो, लेकिन प्रशासनिक मामलों में अक्षम है कि कौन अध्यापक अध्यापन कार्य अच्छा करेगा जो यह न जान सके, क्या आप उसको रखेंगे । या जो 2-4 साल का अध्यापन का अनुभव रखते हों उनको रखेंगे या जो विश्वविद्यालय में 10 साल की सेवा कर चुके हैं उनको रखेंगे । इसके सम्बन्ध में बिल में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है । दूसरी मेरी घोर आपत्ति है कि सरकारी न्यायाधीश रहा हो । हाईकोर्ट से आपका क्या मतलब है या प्रशासनिक सेवाओं में रहा हो, आई० ए० एस० या पी० सी० एस० लेकिन यह दोनों केटागरीज ठीक नहीं हैं कि शिक्षिकों के चुनाव करान में अपनी अच्छी राय देंगे । इसलिए निवेदन है कि सरकार इसको जनमत संग्रह के लिए परिचालित करा दे कि क्या उचित है कि उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग में रखा जाय ।

[श्री राम स्वरूप वर्मा---]

और अगर इसके पक्ष में जनमत आता है तो सरकार जनमत का आदर करे, जनमत मिल जाता है तो लागू करे वरना इसको वापस ले । इन शब्दों के साथ मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि आदरणीय सदन में जनमत के लिए स्वीकार करने की प्रथा चलावें । जिस तरह से जनमत की राय आवे उसको स्वीकार करके उसके अनुसार कार्य करें । इसलिए मैं अपना संशोधन पेश करता हूं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 3 माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, यह संशोधन विधेयक जब मैंने देखा तो मंत्री जी की एक बात याद आ गयी, मन्त्री जी ने कहीं पर कहा था कि यह पहला मौका है जब प्रबन्धकों का एक प्रतिनिधि शिक्षा मन्त्री हुआ है । तो वह साजिश इसमें साफ दिखायी दे रही है । जनता पार्टी की जब सरकार थी तो उसने मूल अधिनियम ड्राफ्ट किया था । जहां तक आयोग के गठन का सवाल है, मैं सिद्धांततः उससे सहमत हूं । मैंने पहले कहा था कि जिस पार्टी का शासन होता है उसकी रीति, नीति और सिद्धांत उसके कार्य कलापों में परिलक्षित होते रहते हैं । मैं कई बार कह चुका हूं कि वर्तमान सत्तारूढ़ दल की यह मंशा रही है कि कैसे वह जिम्मेदारी के पदों पर जनता ने जिन राजनीतिज्ञों को ठुकरा दिया है उनको बैठा दिया जाय या ब्यूरोक्रेसी को वह पद दे दिये जायं । मैं समझता हूं कि इसके पहले जितने लोग बोल रहे थे सब इससे सहमत होंगे कि शिक्षा में राजनीति का अंश नहीं होना चाहिए और शिक्षा पर शिक्षकों का नियंत्रण होना चाहिए । आप देखें जिस समय यह चयन आयोग बना उस समय पहले इसका प्रारूप क्या था। जो पहले प्रारूप था उसको इन्होंने बदल दिया है । मूल अधिनियम में था कि जितने भी सदस्य आयोग के होंगे उनमें से एक व्यक्ति ऐसा होगा जो राज्य सरकार की राय में सार्वजनिक जीवन में या न्यायिक या प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद पर रहा हो और अन्य व्यक्तियों को अध्यापन का निम्नलिखित अनुभव होगा । एक व्यक्ति ऐसा था जिसको सार्वजनिक जीवन, प्रशासनिक या न्यायाधिक अनुभव होगा शेष जितने लोग होंगे उनकी एकेडेमिक क्वालीफिकेशन फिक्स कर दी थी । इन्होंने बड़ी बारीकी से कर दिया है कि कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अर्ह नहीं होगा जब तक वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक जीवन में या न्यायिक या प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद पर है या रहा है । इसके माने सब सदस्य वह हो रहे हैं जो सार्वजनिक जीवन में किसी महत्वपूर्ण पद पर रहे हों । ऐसे लोग जो दर्जा 4 भी नहीं पढ़े होंगे, वह इसमें आ जायेंगे । किसी गांव के प्रधान भी हो सकते हैं, किसी संस्था के सचिव भी हो सकते हैं, इसलिए यह एक साजिश है इस आयोग में उन लोगों को भर देने की जो दर्जा 4 भी नहीं पास किए होंगे । दूसरी बात यह है कि इसमें पहले कुलपति का कोई विवरण नहीं था । अब इन्होंने कर दिया कि कुलपति होना चाहिए, आपने गुजांइश बनायी है । एक समय था जब आचार्य नरेन्द्र देव, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे शिक्षा विद कुलपति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के पद पर विराजमान हुआ करते थे । लेकिन इधर क्या हो रहा है, आप देख लें सब जगहों पर जो वाइसचांसलर बनाय गए थे वह आई0 ए0 एस0 कैडर के लोग थे । उनको प्रशासनिक अनुभव जरूर हो सकता है, लेकिन वह शिक्षा में निष्णात शून्य थे। इसका परिणाम आपने देखा, जब पांडेय जी यहां लखनऊ में थे तो क्या हालत थी इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिना किसी प्रतिबन्धिता के कान्स्टीट्यूशन के अनुसार, रूल आफ ला के अनुसार काम किया जाए, जिससे न तो किसी प्रकार की लोगों में असंतोष की भावना उत्पन्न हो और न ही भ्रष्टाचार व अनुशासन-हीनता का माहौल क्रियेट हो और आप जो करने जा रहे हैं कि किसी प्रतिष्ठित आदमी को फलां-फलां पद दे देंगे अपनी कृपा पर तो वह आपकी अर्थात् कांग्रेस (आई0) का भक्त होकर काम करेगा तो इस प्रकार लालच से कोई कार्य कराने में वह चीजें कंट्रोल से बाहर हो जायेगी जो स्वच्छ प्रशासन में हो सकेंगी । और जैसा कि लाल प्रताप सिंह जी ने कहा तो मैं उनसे यह जानना चाहूंगा, कि इन शिक्षा संस्थाओं में राजनीतिक लोगों को कौन घुसेड़ रहा है, क्या प्रतिपक्ष के लोग ऐसा कर रहे हैं, हम लोगों ने ऐसा किया नहीं, बल्कि हम लोगों के समय में तो यह हुआ था कि ऐकाडिमिक क्वालिफिकेशन्स की एक शर्त एक बंधन लगा दिया था और आज आप राजनीतिक लोगों को व प्रभावशाली लोगों को आप नामजद कर रहे हैं और ऐसे प्रभावशाली, जिनको शिक्षा से कभी सम्बन्ध ही न रहा हो तो वह क्या ऐसी संस्थाओं को देखेंगे और यही एक कारण है, जिसकी वजह से शिक्षा का स्तर दिन पर दिन गिरता जा रहा है । एक विद्यार्थी पूरी लगन से, परिश्रम से शिक्षा को ग्रहण करता है और उसके उस परिश्रम का फल उसे न मिल सके तो उनमें शंतिया इनिफिरियारिटी काम्पलेक्स पैदा होगा या पढ़ाई के साथ-साथ किसी असरदार आदमी से ताल्लुक भी बनाये रखे, ताकि कहीं पर उसके सोर्स से अपना अप्वाइन्टमेंट भी करा सके । इसी प्रकार का एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि गढ़वाल में एक यूनिवर्सिटी कन्वोकेशन हुआ जिसमें एक गुजराल नाम की लड़की ने टाप किया था और उसे गोल्ड मिडिल जब दिया जाने लगा, तो मान्यवर, उसने उस गोल्ड मिडिल को यह कहकर वापस कर दिया कि इसे हम क्या करें जब आप एक गोल्ड मिडिलिस्ट को अप्वाइंटमेंट नहीं दे सकते, बल्कि एक थर्ड डिविजन वाले प्रभावशाली लड़के को दे सकते हैं । तो यह मान्यवर, हमारे यहां का स्तर आज इस प्रकार का हो गया है, यह सारी चीजें भ्रष्टाचार और सिफारिश की ही देन है । अगर आप यह बन्धन भी इसी के साथ लगा दिये होते कि वह व्यक्ति ऐसा होगा जो 10-15 वर्षों का इस क्षेत्र का तजुर्बेकार होगा तब मैं आपको बधाई देता और सबसे पहले मैं आपके इस संशोधन विधेयक का हाथ उठाकर स्वागत करता । तो यह परिस्थिति जो दिखाई देती है वह बिल्कुल साफ है और दूसरी बात जो है कि आपने इस अधिनियम में कुछ उन विद्यालयों को भी छोड़ दिया है और गवर्नमेंट विश्वविद्यालयों को भी छोड़ दिया है, क्या वहां पर यह हालत नहीं है और अवध यूनिवर्सिटी का जो सुरेन्द्र सिंह का मामला था, उसकी रिपोर्ट तो आ गयी होगी, जिसमें तमाम रुपये का गबन का मामला, पदों का दुरुपयोग तथा विदेशों से सम्बन्ध आदि का था और उसमें और भी कई राज थे । प्रति वर्ष एक ही महीने में लड़की इनकी बीमार होती है क्योंकि उन दिनों में अमेरिका में सी0 आई0 ए0 की एनुअल कांफ्रेंस होती हैं, ये उसमें जाया करते हैं । ऐसे भी कुलपति रहे हैं ।

अभी मैं सीतापुर की एक बात कहना चाहता हूं । मेरे यहां एक डिग्री कालेज लड़कियों का है । वहां पर एप्वाइंटमेन्ट्स एक लीव वेकेन्सी में

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--]

होते हैं, एक क्लियर वैकेन्सी में होते हैं। वहां के लिये एक्सपर्ट्स आने पर तीन-तीन, चार-चार दिन इंटरव्यू की डेट टाली जाती है। बाद में सुना जाता है कि जो लड़की लीव वेकेन्सी में थी, उसका नाम क्लियर वैकेन्सी के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि कमीशन की आवश्यकता है। इसके लिए दो वर्ष से अधिक हो गये लेकिन आपने कमीशन गठित नहीं किया। मुझे यह चिन्ता है कि यह किसी तरह से गठित हो जाय लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी, यह तय नहीं है। मैं शासन से प्रार्थना करता हूं कि शिक्षा को राजनीति से बरी कर दीजिये। जिस प्रकार से सहकारिता में आपने किया है, सब जगह नामीनेशन्स करते जा रहे हैं, मैंने एक लिस्ट भी पेश की थी, शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा मत कीजिए। अभी तक आपने जो नामीनेशन्स यूनिवर्सिटी कोर्ट्स में किये हैं, बोर्ड में किये हैं, वे ऐसे लोग हैं, जिनका शिक्षा से कोई मतलब नहीं रहा है। मैंने कहा था कि आप उनको सब जगह लाइये, कृषि आयोग का अध्यक्ष बना दीजिए, या कुछ भी कीजिये, लेकिन शिक्षा में मत लाइये। शिक्षा से राजनीति को दूर रखिये। आयोग की तत्काल आवश्यकता है, जल्द से जल्द आयोग गठित करने की जरूरत है। विश्वविद्यालय में नियुक्तियों में बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं पुनः ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आप इस कमीशन को राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर रखिये और जितने भी लोग उसमें नियुक्त किये जा रहे हैं चाहे कुलपति के नाम पर हों या और किसी नाम पर हों उनकी नियुक्ति के समय शिक्षा की योग्यता की अपेक्षा आप भगवान के नाम पर अवश्य लगा दें। मैं समझता हूं कि शिक्षा मंत्री, जो कि एक सहृदय व्यक्ति हैं, मेरी बात स्वीकार करेंगे और आज इस बात का आश्वासन देंगे कि इसमें अनिवार्य शैक्षिक योग्यता का कालम बढ़ा दिया जायगा। यदि ऐसा हुआ तो मैं इसका हृदय से स्वागत करूंगा और अपना प्रस्ताव भी वापस लेने को तैयार हूं।

श्री सूबेदार सिंह--]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से अपना संशोधन का प्रस्ताव कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो छः माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे, प्रस्तुत करता हूं।

पिछले 35 वर्षों से इस प्रदेश में सरकार शिक्षा जगत का कार्य ट्रायल और एरर अर्थात् प्रयोग और भूल के माध्यम से चल रही है। नतीजा यह है कि जो अपेक्षा समाज करता है शासन से और सरकार से, वह पूरी नहीं हो पाती है और आज एक ऐसे माहोल से हम गुजर रहे हैं कि शिक्षा का स्वरूप भयावह, दोषपूर्ण और हानिकर हो गया है। जो संशोधन मंत्री जी ने पेश किया है, इस पर तो मुझे एक शेर याद आता है--

हसरत है उन गुंचों पर,
जो बिन खिले मुरझा गये।

आपने यह अधिनियम पेश किया था 1980 में। आप अभी तक इसको लागू भी नहीं कर पाये और आपको संशोधन की आवश्यकता पहले पड़ गयी। इससे मालूम पड़ता है कि आपकी कार्यकुशलता कितनी अधिक है और हम तो यह समझे रहे हैं कि एक नहीं हजारों संशोधन लाने के बाद आप उन उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर सकते जिनकी अपेक्षा आपसे की जाती है।

अब मान्यवर, मैं देख रहा हूं कि जो संशोधन इस बिल के माध्यम से लाया गया है, वह कितना सटीक है, अध्यापकों के सम्मान पर यह खुली चोट है ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक नौकरशाही और राजनेताओं दोनों का मिला जुला षडयन्त्र है जिसके द्वारा ऐसे लोगों को शिक्षा जगत के सम्मान पर, शिक्षा जगत की सम्मानित कुर्सी पर पदासीन कर देना चाहते हैं उनको जो कि इसके योग्य नहीं है, अयोग्य हैं। इस संशोधन का जो 2 (क) है वह पूरी तरह से असंगत है शिक्षा जगत का हर कार्य शिक्षाविदों को सोचना चाहिये।

मान्यवर, आप देखें कि शिक्षा में शिक्षकों की नियुक्तियों का जहां तक प्रश्न है तो यह पूरे अजायबघर के समान है। एक तो गवर्नमेन्ट कालेजेज हैं, वहां लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्तियां होती हैं, कुछ एडहाक नियुक्तियां होती हैं जिन्हें डाइरेक्टर करता है। कुछ सम्बद्ध कालेज हैं वहां के विश्वविद्यालयों के माध्यम से तो वहां पर शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रबन्ध समिति नियुक्तियां करती हैं। मान्यवर, जैसे एक अजायबघर की व्यवस्था की गयी है, नियुक्तियों के कार्य क्षेत्र में और अब आप इसे और भी उलझाना चाहते हैं इससे कोई हल होने वाला नही है।

मान्यवर, अभी तक जो भी आयोग बने हैं उनका परिणाम कुछ अच्छा नहीं रहा है। जो सहकारिता जगत पर सेवा आयोग बना उससे भी कोई सन्तोष-जनक लाभ नहीं हुआ। अब आप जो आयोग बनाने जा रहे हैं इससे धन का दुरुपयोग अधिक है, कोई ठोस परिणाम आने की आशा नहीं है।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से धारा 31 (क) के द्वारा जो सरकार असीमित अधिकार ले रही है और उन अधिकारों का प्रयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग होने जा रहा है, उसकी बात कहना चाहता हूं। यह 31 (क) दूषित मान्यताओं की परिचायक है। मान्यवर, यही नहीं इसी 31 की उप धारा (3) में न्यायालय पर चोट की गयी है। जब व्यक्ति को असंतोष होता है तो वह न्यायालय में अपनी बात को ले जाता है। यह सरकार हमारे न्यायालय में जाने की बात को भी खत्म करना चाहती है इस संशोधन के माध्यम से। मान्यवर, इस प्रकार से यह जो विधेयक आया है उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 1982 पूरी तरह से असंगत है। शिक्षा जगत के लिये यह बड़ी करारी चोट है, अध्यापकों का अपमान है और विद्यार्थियों के लिये भी कोई उपयोगी नहीं है, अतः मैं इसको कन्डम करता हूं और निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को दोनों सदनों की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 6 माह के अन्दर अपना प्रति-वेदन सदन में प्रस्तुत करे।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 1982 का मैं समर्थन करता हूं और जनमत संग्रह के लिये और प्रवर समिति के सौंपे जाने के प्रस्ताव का इसलिये मैं विरोध करता हूं कि क्योंकि आयोग के गठन की तत्काल आवश्यकता है और इससे उसमें विलम्ब होगा। मान्यवर, आप इस तथ्य से परिचित हैं कि जनजीवन से हम लोग जुड़े हैं, जैसा गुप्ता जी ने अभी कहा. रियासत साहब ने भी कहा, शिक्षकों की नियुक्तियों में इतना भ्रष्टाचार है जिसका दूसरा उदाहरण कोई नहीं मिल सकता। पहले जो प्रबन्धतन्त्र के लोग थे, सिफारिश के आधार पर अयोग्य लोगों को भरती करते थे, लेकिन अब यह बदलते-बदलते व्यापार की शक्ल में हो गया है। मान्यवर, जब स्कूल में भर्ती होने जाती है तब कैण्डीडेट्स को बुला कर आमने-सामने पूछा जाता है कि कितना दोगे, यदि एक 15 हजार

[श्री पंचानन राय---]

दे रहा है और दूसरे ने कहा कि हम 18 हजार देंगे । तो नियुक्ति दूसरे की होती है । एक विद्यालय में प्रधानाचार्य के पद की इस तरह से होते-होते 30 हजार में पद का नीलामी तय हो गई । जो सीनियरमोस्ट अध्यापक थे, जिनको उनके साथी चाहते थे कि यह हो जायें, उन्हें न बनाकर बनाया गया 30 हजार देने वाले को । इस पर प्रबन्धक ने सोचा कि जब इसकी नीलामी आज 30 हजार में आज हुई है तो अगले साल 40 हजार मिल सकते हैं । इसलिए प्रबन्धतन्त्र ने उन प्रधानाचार्य को एक वर्ष बाद निकाल दिया । इस पर जब वह हमसे मिले तो हमने उनसे कहा कि आप संघ के पदाधिकारियों से नहीं मिले, तो उन्होंने कहा कि वे हम से नाराज हैं । जब जिले के संघ के लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा कि एक आदमी का हक इसने 30 हजार में खरीदा था, अब मैनेजमेन्ट वालों को 40 हजार लेना है । इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में शराब की दुकानों की तरह अध्यापक के पद नीलाम किये जा रहे हैं । ऐसे समय में इस आयोग के गठन का तत्काल, नितान्त आवश्यकता है ।

भ्रष्टाचार उन्मूलन का नारा हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया थ, यह हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है । हमारे जो राष्ट्रीय मूल्य हैं, उनको आज शिक्षा से खतरा पैदा हो गया है । साम्प्रदायिकता का जब जहर फैलता है उसका कारण है कि यादव के स्कूल में यादव और भूमिहार के स्कूल में भूमिहार अध्यापक रखे जाते है । हम कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष या जातिबिरादरी विहीन राष्ट्र बनायेंगे । इसलिए इस आयोग की तुरन्त आवश्यकता है । सरकार ने जो संशोधन किया, एक तो हमें लगता है कि गुप्ता जी की सलाह पर किया, इसका उन्हें स्वागत करना चाहिए । जब माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग का विधेयक सदन में आया था, जिसमें सदस्य की योग्यता निर्धारित थी और अध्यक्ष की नहीं थी तो गुप्ता जी ने कहा था कि अध्यक्ष की योग्यता निर्धारित होनी चाहिये । इसमें अध्यक्ष का योग्यता भी निर्धारित है इसलिए यह तो इनकी सलाह पर ही हुआ है । अब शिक्षा मंत्री ने संशोधन किया है कि कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक ये योग्यतायें न हों इसलिए इसका आप को स्वागत करना चाहिए क्योंकि अध्यक्ष की भी योग्यता निर्धारित कर दी गई है । आप अध्यक्ष की कल्पना करते थे कि जो चुनाव हार गया हो, या दर्जा 4 पास हो, सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण जगह रखता हो वह नियुक्त हो जायेगा । एक बात मुझे और कहनी है आज शिक्षण संस्थाओं में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं । हमारे अपने जिले में और पूरे प्रदेश में नियुक्तियों पर रोक लगी है । कानून में इस बात का प्राविधान है कि सीनियर मोस्ट टीचर तदर्थ प्रिंसिपल नियुक्त होगा । इस कठिनाई को दूर करने के लिए शासन ने आदेश जारी किये हैं । एक आयोग का विधेयक हमने पास किया उसमें सरकार ने तीन कठिनाई निवारण आदेश निकाले । यह तय हुआ कि जो सीनियर मोस्ट आदमी होगा उसको प्रधानाचार्य की जगह तदर्थ रूप से नियुक्त किया जायेगा । लेकिन प्रधानाचार्य की जगह मेरे जनपद के एक सेकेन्डरी कालेज में 80 से आज तक नहीं भरी गई सीनियर मोस्ट के हिसाब से । माध्यमिक शिक्षा परिषद् में 5 आदमियों में से एक हमको भी इस सदन ने भेजा है और मुझे निश्चित जानकारी है कि जिन विद्यालयों में प्रधानाचार्य वैध नहीं हैं उनके द्वारा भेजे गए परीक्षा फार्म बोर्ड द्वारा स्वीकार नहीं किये जायेंगे यानी उन छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी या यदि परीक्षा में बैठेंगे भी तो वे मान्य नहीं होंगे और उनका परीक्षाफल घोषित नहीं किया जायेगा । इस तरह से इस प्रदेश में

जुलाई में एक दूसरा खतरा पैदा होगा । हजारों छात्रों का परीक्षाफल प्रबन्धकों की मनमानी के कारण घोषित नहीं होगा । इस तरह से जो प्रबन्धक हैं वह सरकार के बनाये हुए कानूनों को लागू नहीं होने दे रहे हैं ।

जुलाई में जिन छात्रों ने दो साल पढ़ा है उनके हाई स्कूल के परीक्षाफल और इन्टरमीडिएट के परीक्षाफल अवैध घोषित कर दिये जायेंगे इस कारण से कि उनके आवेदन पत्र किसी वैध प्रधानाचार्य द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् को नहीं भेजे गए हैं । मैं मांग करूंगा शिक्षा मंत्री से और सरकार से कि जो आपने आदेश जारी किये हैं, कठिनाई निवारण के वह लागू नहीं हो रहे हैं, तो जो प्राविधान है दंड देने के उसको कड़ाई के साथ लागू किया जाय । इसको देखते हुए तत्काल आयोग के गठन की आवश्यकता है और इसीलिए हमने इस बात का विरोध किया है कि इसे प्रवर समिति या जनमत के लिये प्रचलित न करके तत्काल इसे सदन में स्वीकार किया जाय । यह कानून माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में बना हुआ है, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बना हुआ है । मैं यह कहना चाहता हूं शिक्षा मंत्री जी से कि जब वे इस पर अपना विचार प्रकट करें तो कम से कम इतना अवश्य सूचित कर दें इस सदन को कि आयोग कितने दिनों में गठित किया जायेगा ।

शिक्षा मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

मान्यवर, आयोग बहुत शीघ्र बन जायेगा ।

श्री पंचानन राय--

मान्यवर, मैं धन्यवाद देता हूं मंत्री जी को कि उन्होंने इस सदन में घोषित किया कि आयोग का गठन शीघ्र होगा । मैं जानता हूं कि शिक्षा मंत्री जी काम तेजी से करते हैं । वह जरूर आयोग का गठन कर देंगे । अभी तक उनका ध्यान इधर नहीं गया था । आयोग बनने के बाद भी इसमें काफी समय लगेगा । आयोग चयन के लिए रूल बनायेगा, तरीके बनायेगा । उसके बाद वान्ट निकाली जायेगी । मैनेजमेंट को भेजा जायेगा । इस तरह से इसमें 6-7 महीने की प्रक्रिया है ।

प्रबन्धक वर्ग नियुक्तियों में खुले आम भ्रष्टाचार कर रहा है । जिससे यह परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आयोग का तत्काल गठन हो जाय और भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिये, जनतंत्र की रक्षा के लिये आयोग का गठन कर दिया जाय । इन चन्द शब्दों के साथ में आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस पर अपना विचार प्रकट करने का मौका दिया ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय मन्त्री जी ने, जो यह उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 पेश किया है वह पहले भी इस विधान सभा में लाया जा चुका है । माननीय सदस्य को मालूम होगा कि सदस्य होने के लिये योग्यता इसमें रखी गयी है उसमें सबसे पहला यह है कि उसे किसी न किसी विश्वविद्यालय का प्रधान होना चाहिये या कम से कम 10 वर्ष की अवधि तक उसने डिग्री कालेज में प्रधानाचार्य का कार्य किया हो या कम से कम 15 वर्ष की अवधि तक किसी महाविद्यालय में अध्यापक के रूप में कार्य किया हो । कानून बनने के थोड़े ही दिन बाद इसमें संशोधन करने की जरूरत पड़ गयी । इसलिये शासन की नीयत में सन्देह उत्पन्न हो रहा है । श्री पंचानन राय जी जो अभी बोल रहे थे, शायद वे चले गये, मैं उनकी नीयत

[श्री गौरी शंकर भैय्या--]

पर हमला नहीं करता क्योंकि वे शिक्षकों के लीडर हैं। उन्होंने कहा था कि आयोग का गठन होना और उसमें अध्यापक का होना बहुत आवश्यक है। इसके उद्देश्य और कारण में दिया गया है "राज्य के उपाधि महाविद्यालयों में अध्यापकों को नियुक्ति हेतु चयन करने के लिये सेवा आयोग स्थापित करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 गठित किया गया है।"

अध्यापकों की नियुक्ति के ख्याल से ही सरकार ने आयोग की स्थापना स्वीकार कर ली है। अभी तक पहले मैनेजमेंट ही नियुक्त का काम करता था। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट कालेज और डिग्री कालेजों में अध्यापकों की नियुक्ति का जो रेट 20 हजार रुपये का श्री पंचानन राय ने बतलाया वह उनके जमाने की बात होगी। आजमगढ़, वाराणसी और बलिया तथा मन्त्री जी के इलाके के अध्यापकों, चपरासियों और क्लर्कों की नियुक्ति में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है जिसका कोई ठिकाना नहीं है। माननीय मन्त्री जी तो कई ट्रस्टों के मालिक हैं, कई शिक्षण संस्थायें उनके अन्तर्गत चल रही हैं। वहां किस तरह से नियुक्तियों में घूस का रेट है, इसकी जानकारी उनको भी जरूर होगी। ये मैं नहीं कहता कि वे घूस लेते हैं लेकिन मैं यह कहता हूं कि इसकी जानकारी उनको अवश्य होगी। एक चपरासी के लिये 2 हजार रुपया रेट प्रबन्ध समितियों ने तय किया है। इसी प्रकार हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कालेजों में एक क्लर्क की नियुक्ति के लिये 5 हजार रुपया और डिग्री कालेज में कोई अध्यापक होना चाहता है तो इसके लिये उसे 10 हजार रुपये से लेकर 20 हजार रुपये तक घूस के रूप में देना होगा। इंटरमीडिएट कालेज में प्रधानाचार्य होने के लिये 30 हजार रुपये घूस के रूप में देना पड़ता है और डिग्री कालेज में प्रधानाचार्य होने के लिये 40 हजार रुपया घूस के रूप में देना होगा। इस तरह से चपरासी से लेकर प्रिंसिपल्स तक के लिये नौकरी पाने का रेट बंधा हुआ है। माननीय मन्त्री जी तो इलाहाबाद में ट्रस्ट्स के अन्तर्गत बीसों शिक्षण संस्थायें चला रहे हैं और सब का मैनेजमेंट उनके हाथ में है....।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

मान्यवर, मुझे सुनकर दुख हुआ। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि घूस लेकर हम लोग अध्यापक रखते हैं। आपसे प्रार्थना है कि आप हमें बतला दीजिये कि किस अध्यापक से घूस लेकर हमने उसे रखा है। अगर इस तरह की कोई सूचना आपके पास हो तो कृपा कर उसे मुझे दे दें, जिससे मैं उस पर आवश्यक कार्यवाही कर सकूं।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मन्त्री जी की बात मैं स्वीकार करता हूं। मैं सूची दे दूंगा। आपके ट्रस्ट को नहीं कहा। आप हमारे बलिया जिले में चलिये। वहां जो डिग्री कालेज, इंटरमीडिएट कालेज हैं, उन में कोई अध्यापक जो तीन-चार वर्ष में नियुक्त हुआ हो ऐसा नहीं है जो दस हजार रुपये, पांच हजार रुपये बिना घूस दिये नियुक्त हुआ हो। यदि हमारी बात गलत हो जायेगी तो मैं इस विधान सभा से इस्तीफा दे दूंगा। पंचानन साहब यह जानते हैं कि कितना रेट है शिक्षण संस्थाओं में नियुक्त होने के लिए। मैं आप को सूची दे दूंगा कि कौन-कौन लोग हैं, कहां-कहां कितने रुपये में नियुक्त होते हैं। दो डिग्री कालेजों का उदाहरण मैं दे रहा हूं।

मैं निवेदन कर रहा था कि यह तो रेट मैंने बताया कि डिग्री कालेजों में, इंटरमीडिएट कालेजों में, हाई स्कूल में अध्यापकों का क्या रेट है। अगर मैनेजमेंट पाक-साफ होता, घूस नहीं लिया जाता तो इस आयोग को लाने की आवश्यकता ही नहीं थी, यह आयोग क्यों बनता। इस आयोग को बनाने की तो तभी जरूरत पड़ी जब यह कहा गया। पंचानन राय जी ने खुलेआम कहा कि चालिस हजार से लेकर तीस हजार रुपया प्रधानाचार्य होने के लिए घूस देने पड़ते हैं।

आप से यह निवेदन करना चाहता हूं और माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि दो डिग्री कालेज बलिया जनपद में चल रहे हैं--एक सतोश चन्द्र महाविद्यालय ग्रजुएट कालेज। वहां दो-दो मैनेजमेंट काम कर रहे हैं। एक में हैं आपके मंत्रिमंडल के सदस्य हमारे जनपद के सदस्य बच्चा पाठक और दूसरे के हैं राज्य मन्त्री माननीय काशी नाथ मिश्रा। दो मैनेजमेंट इन लोगों ने पैदा कर दिये हैं। वहां पर अब दो प्रधानाचार्य कार्य कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता--

शिक्षा बजट पर आप विस्तार से कहियेगा।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

एक दूसरा कालेज मुरली मनोहर टाउन कालेज, बलिया में चलता है। हम उसी कालेज से निकले हैं। मुरली बाबू के मरने के बाद उस कालेज की दुर्गति हो गई है। आप को उदाहरण दे रहा हूं। आप नोट कर लेंगे। शिक्षा निदेशक, इलाहाबाद ने कालेज का लेखा परीक्षण किया था। पचास लाख रुपये के गोल-माल क मामला लेखा विभाग ने भेज दिया है। माननीय मन्त्री जी को हमने लिखित सूचना दी है। विधान सभा में सवाल भी दिया है। देखें सरकार क्या जवाब देती है। 16 लाख रुपये ब्वाइज फन्ड का मैनेजमेंट ने अपने फन्ड में जमा कर दिया है। ऐसा मैनेजमेंट उस कालेज का है जिस की मान्यता बिश्वविद्यालय से नहीं है, जिस का इन्डाउमेंट फन्ड बैंक में नहीं है....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त।

श्री गौरी शंकर भैयया--

मान्यवर, रिफरेन्स आ गया था।

अब में इस पर आता हूं। मान्यवर, इसमें आप क्या लागू करना चाहते हैं। अभी गुप्ता जी ने कहा कि इसमें आप क्या कर रहे हैं। पहले केवल सदस्य बनाना चाहते थे अब आयोग में आप अध्यक्ष को नियुक्त भी करना चाहते हैं। पहले यह तय था कि चाहे शिक्षाविद हो, आचार्य, प्रधानाचार्य, जो शिक्षा दे रहा हो डिग्री कालेज में, उनको सदस्य बनायेंगे लेकिन अब आप ने, जो संशोधन आप लाये हैं उसमें....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री गौरी शंकर मैथ्य।--

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, कि आज सार्वजनिक जीवन की क्या परिभाषा है । कोई आदमी दर्जा 5 भी पास नहीं है और उसको आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाता है । भूतपूर्व एम0 पी0 हैं, एम0 एल0 ए0 हैं, कम पढ़े-लिखे मिनिस्टर हैं उनको अध्यक्ष बना दें....

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री गौरी शंकर मैथ्या--

इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव रखा है कि इसको 3 माह के लिये प्रवर समिति में भेज दें जिसमें यह तय हो जायेगा कि ये-ये मेम्बर होंगे और ये-ये अध्यक्ष होंगे और इस योग्यता के होंगे । इसलिये मैं इस विधेयक को प्रवर समिति में भेजने के लिये संस्तुति करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय ब्रह्मचारी जी, आप सिर्फ पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर लें ।

*श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से प्रार्थना कर रहा हूं और एक वाक्य पढ़ रहा हूं कि आप इसका पालन करेंगे--

अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांतुबिमानना,
भोरिगतम् भविष्यन्ति दुर्भिक्षंवरणं ध्रुमम् ।

मान्यवर, इस सदन में सब लोग जन प्रतिनिधि हैं और इस गौरवशाली सदन के हम सब सदस्य हैं लेकिन हमने देखा कि जो आदमी उठते हैं बोलने के लिये, वे आरोप और प्रत्यारोप में अपना सारा समय लगा देते हैं । श्रीमन्, जहां तक इस विधेयक का सवाल है मैं इसका समर्थन कर रहा हूं । ऐसा है, मेरी पूरी जिन्दगी 50 वर्ष की, शिक्षा के क्षेत्र में लगी हुई है और आगे भी शिक्षा की सेवा में लगी रहेगी । मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि मेरे यहां एक पोस्ट ग्रेजुयेट कालेज है, एक डिग्री कालेज बलिया में है, 6 इंटरमीडिएट कालेजेज हैं जिनकी कुछ न कुछ और किसी न किसी रूप में मुझे सेवा करनी पड़ी है । मैं आपके माध्यम से पूरे सदन से प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर मेरे किसी भी विद्यालय में एक आदमी भी यह सिद्ध कर दे कि उनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में पैसा लिया गया हो....।

(व्यवधान)

श्री गौरी शंकर मैथ्या--

मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि बलिया के डिग्री कालेज में पैसा लेकर नियुक्ति होती है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्र बली ब्रह्मचारी—

अगर एक आदमी भी यह सिद्ध कर दें तो मैं आज इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। मैं कहता हूं कि यदि प्रबन्ध समिति न होती तो समझ लीजिए कि वहां पर इतनी बड़ी संख्या में शिक्षण संस्थायें खुली हैं, वे न खुलतीं। दूसरी बात यह है कि अध्यापक जो हैं, उनको भी पढ़ाना चाहिए। वे पढ़ाते ही नहीं हैं। वे उल्टे प्रबन्धकों के ऊपर दोषारोपण करते हैं।

(व्यवधान)

आप सुनें। मैं आपसे कह रहा हूं कि अध्यापकों को भी पढ़ाना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, इस अधिनियम के सिलसिले में प्रबन्धकों के विषय में अपने विचार रखें।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

श्रीमन्, मैं कह रहा हूं कि आज अध्यापक एक दिन भी क्लास नहीं लेता और दोहरी तनख्वाह चाहता है....

श्री पंचानन राय—

मान्यवर, ब्रह्मचारी जी सही कह रहे हैं। जब अध्यापक पैसा लेकर नियुक्त किये गये हैं तो उनको पढ़ान की क्या जरूरत है।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

अगर अध्यापक पढ़ाना लिखाना शुरू कर दे तो सारी समस्या का समाधान हो जाय। आजमगढ़ में 6 महीने से कोई पढ़ाई ही नहीं हुई है। कोई अध्यापक वहां पढ़ाता ही नहीं है। अगर वह कोई काम नहीं करते हैं..

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

माननीय ब्रह्मचारी जी बड़े पुराने शिक्षा जगत के शास्त्री हैं उनकी बात सुन लीजिये।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी—

यहां पर शोर करने से कोई फायदा नहीं होगा। मैं कह रहा था कि अध्यापक जो हैं वह यहां आकर के शिकायत करते ह। उनको चाहिये कि पहले पढ़ाई लिखाई करें स्कूलों में बच्चों को पढ़ायें और वहां जायं...

(व्यवधान)

दो-दो तनख्वाह लेते हैं और वहां पर कोई नियुक्ति नहीं होती है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

ब्रह्मचारी जी जरा राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी को शिक्षा दे दीजिये।

श्री चन्द्रबली ब्रह्मचारी--

मैं कह कह रहा था कि आरोप प्रत्यारोप लगाने कोई काम चलेगा नहीं। मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी जो विधेयक लाये हैं, उसका समर्थन करता हूं। लेकिन इसमें यह होना चाहिये कि जो अध्यापक पढ़ाई नहीं करते हैं उनके ऊपर कानूनी व्यवस्था की जाय। इन शब्दों के साथ मैं इस आयोग का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

श्री लल्लू सिंह चौहान, आप कम समय लें।

(समय 4 बजकर 32 मिनट)

*श्री लल्लू सिंह चौहान--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिन कारणों से इसे प्रवर समिति को भेजा जाना चाहिये उन कारणों पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। यह जो मूल विधेयक था उसमें जो प्राविधान था उससे अलग करके एक हानिकारक, नाशकारक शिक्षा जगत और विद्यार्थियों के लिए यह लाया जा रहा है। मूल अधिनियम में केवल एक सदस्य को रखने की बात थी जिसका सार्वजनिक जीवन के नाम पर अपनी पार्टी में से राजनीतिक व्यक्ति को रखने की बात थी और बाकी सदस्य एकैडेमिक क्वालिफिकेशन के होते थे। लेकिन अब शासन जो नियुक्त करना चाहते हैं उसमें के सब अपने ही आदमियों को इस आयोग में बनाने की बात है। यह शंका हम लोगों को है। शिक्षा जगत में जो भ्रष्टाचार की बात थी उसको दूर करने के लिए इस आयोग के गठन करने की मांग शिक्षकों और अभिभावकों की ओर से थी। जैसा माननीय पंचानन राय जी ने भी कहा कि 20 से 30 हजार रु0 तक में एपोइंटमेंट होते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्राइमरी स्कूल जब जिला परिषदों में थे, तब से अब तक कितने बेसिक शिक्षा अधिकारी निलम्बित हैं। इंटरमीडिएट कालेजेज में जो नियुक्तियां होती हैं, उनमें आम शिकायत है कि नियुक्तियों में भ्रष्टाचार होता है इसी तरह से डिग्री कालेजेज में है। तो सैद्धान्तिक रूप से इस आयोग के गठन से मैं सहमत हूं लेकिन इसमें भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और राजनीतिक प्रभाव को कम करने की भी व्यवस्था होनी चाहिये। अगर आचार्य नरेन्द्र देव और डाक्टर राधाकृष्णन जैसे जो पहले कुलपति और उप कुलपति हुआ करते थे उनके स्थान पर नौकरशाहों को रखने, रिटायर सर्विसेज के लोगों को रखने की बात होगी तो मैं समझता हूं कि इससे शिक्षा की मूल स्प्रिट नष्ट हो जायेगी। इसमें अध्यक्ष और सदस्यों की क्वालिफकेशन पर राडर लगा है उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यह कहेंगे कि जो अधिकारी रिटायरमेंट के नजदीक हों या जो हां में हां मिलायेंगे तभी हम इस आयोग का अध्यक्ष या सदस्य रखेंगे, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में 3 हजार रुपया कुछ माने रखता है और यह सारी सुविधाएं भी काफी महत्व रखती हैं। इससे भी भ्रष्टाचार बढ़ेगा और चापलूसी करने की भावना बढ़ेगी और नौकरशाही की शासन के प्रतिबद्धता बढ़ेगी, न्याय के प्रति प्रतिबद्धता नहीं बढ़ेगी। इसलिए मैं जोरदार शब्दों में कहना चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति में भेजा जाए, जहां इसकी विस्तार से छानबीन की जाए।

---

*वक्ता ने अपने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर एक घंटे का समय है, अब रामस्वरूप वर्मा जी से चाहूंगा कि वह दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

(व्यवधान)

(श्री हरदेव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता--

हरदेव जी, आप बैठिए । आप सत्ता पक्ष के सदस्य हैं, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए, बैठें ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने और उधर के माननीय सदस्यों ने प्रकारान्तर से मेरी बात का समर्थन किया है और वह भी यही चाहते हैं कि कोई शिक्षाविद् ही इस आयोग का अध्यक्ष और सदस्य हो । वही मेरा सुझाव था, सरकार इसको मानती है, तो इसके जनमत संग्रह की आवश्यकता नहीं है और अगर सरकार इस बात पर दृढ़ है कि उसने जो विधेयक पेश किया है वही ठीक है और उसमें जो लिखा है वही हो तो मेरी बात पक्की हो जाती है कि इसको जनमत संग्रह के लिए घुमाया जाए और मेरा यह विश्वास है कि उधर के सदस्यों के अलावा जो एक शिक्षक विधायक उधर विद्यमान हैं वह भी इसके समर्थन में ही दस्तखत करेंगे कि कौन उसका सदस्य हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है । मैं तो चैलेंज के रूपमें शिक्षा मंत्री जी से कह रहा हूं कि इस पर विश्वास हो तो वह जनता में घुमा दें, नहीं तो वह हमारी बात मान लें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे संशोधन के प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों ने अपने जो विचार व्यक्त किये हैं, सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के हैं, मैं उन सभी के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं । सभी माननीय सदस्य एक बात से एकमत रहे कि आयोग के गठन की तत्काल अपरिहार्य आवश्यकता है, क्योंकि अध्यापकों की नियुक्ति में सर्वथा भ्रष्टाचार मालूम होता है । जहां हम इस बात से सहमत हैं इस तथ्य को ओझल नहीं करना चाहते कि किसी तरह से हमारा उद्देश्य तिरोहित नहीं होना चाहिए अर्थात् इसमें किसी भी तरह से राजनैतिक तत्वों और ऐसे तत्वों का प्रवेश नहीं होना चाहिये, जिनका शिक्षा जगत से कोई सम्बन्ध न रहा हो और जो उसके लिए हितकर न हों ।

जैसा अभी हमारे पूर्व वक्ता ने कहा, इस बात का शासन की ओर से पक्का वायदा हो कि जो भी व्यक्ति जाएगा उसके साथ न्यूनतम योग्यता की शर्त अवश्य रहेगी । यदि यही हो तो यह ठीक रहेगा । इसमें एक बात और कही गई है, 21-क के बाद जो धारा बढ़ाई गई है, उससे हमारे आशंका की पुष्टि होती है । हमारा यह आरोप रहा है और उसका प्रतिफल सही मालूम देता है, जब उसमें कहा गया है कि सरकार की ओर से जो स्टेट्यूस लागू किये जायेंगे, सरकार की ओर से जो बने हैं, उनके लिए कोई कोर्ट में नहीं जाएगा । हमारी जो जो बातें संविधान और विधेयक अधीन हैं उनका आपको सर्वथा पालन करना चाहिए । इस बारे में अभी मैंने पहले भी ध्यान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

दिलाया था। यदि आप यह बैरियर लगाते हैं कि कोर्ट में नहीं जा सकेगा तो यह सर्वथा अनुचित होगा। शासन गलती करे, कुछ करे, लेकिन संख्या बल पर कोई उसको चैलेंज नहीं कर सकेगा, तो यह किसी प्रकार उचित नहीं होगा। जो हम यहां बनाते हैं, उसका पालन हमारी ब्यूरोक्रेसी कराती है। यह विधेयक हम पास कर देंगे तो मंत्री जी को स्वयं परेशानी होगी कि अधिकारियों की ओर से कोई परेशानी होगी तो जनता को सरकार की ओर से कोई राहत मिलने वाली नहीं है। इसलिए इस पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और सरकार की ऐसी नीति की निन्दा करने की आवश्यकता है कि जो इस मामले में बैरियर लगा दिए जाते हैं, उनको न रखा जाय। शिक्षा में जो विसंगतियां हैं, वे उन देशों की तरह से हैं जो जनतंत्र, गणतंत्र या संसदीय परम्पराओं में विश्वास नहीं रखते हैं। अभी आगरा विश्वविद्यालय में एक श्री भूपेन्द्र शंकर व्यक्ति हैं जिसने मुस्लिम पालिटिक्स "आफ्टर पार्टिशन" विषय पर लेख लिखा था, लेकिन उस पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि इसका प्रकाशन नहीं होगा। तो इनके शोध कार्य में भी राजनीति आ गई। अगर उस शोध कार्य में कोई बात होती तो विश्वविद्यालय से वह सरकार के पास कैसे भेजा गया और अगर उसमें कोई आपत्तिजनक बात प्रस्तुत की गई थी तो सरकार को नोटीफिकेशन करना चाहिए था कि आपके शोध में ये-ये बातें आपत्तिजनक हैं या इन बातों से शान्ति व्यवस्था को खतरा हो जायेगा, ये बातें प्रकाशित नहीं की जायेंगी। यदि उस शोध पत्र परीक्षक द्वारा परीक्षण करके उसे पी-एच० डी० एवार्ड कर दी गई और अब उसे प्रकाशित नहीं किया जा रहा है तो आगे आने वाले विद्यार्थी उसके लाभ से वंचित हो जायेंगे। मेरा निवेदन यह भी है कि जो इन मामलों में राजनीति चली आ रही है उस पर शासन ध्यान दे। आप जिसको चाहें इसमें नियुक्त करें चाहे अपने परिवार के सदस्यों या नौकर को नियुक्त करें लेकिन उनके साथ 10 वर्ष या 15 वर्ष की शर्त को खत्म कर दें तो शिक्षा शास्त्री या शिक्षाविद इसमें चुनेंगे जो ठीक काम कर सकेंगे। वैसे तो मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से आपका नियंत्रण हो रहा है उसमें मुझे विश्वास नहीं है कि कोई शिक्षा जगत में उत्थान हो सकेगा।

चौधरी नौनिहाल सिंह—

माननीय सदस्य ने जो आगरा के लड़के के बारे में कहा है, मैं चाहूंगा कि अगर वे लिख कर भेज देंगे तो मैं दिखवा लूंगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

वैसे तो मैंने रिकार्ड करा दिया है लेकिन फिर भी मैं लिख कर भेज दूंगा।

श्री सूबेदार सिंह—

मान्यवर, मैंने जो इस विधेयक को संयुक्त प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव रखा है, उसकी केवल एक ही मंशा है और वह यह है कि इस सदन में बैठने वाले दलगत राजनीति से ऊपर उठकर शिक्षा जगत में एक रचनात्मक भूमिका अदा कर सकें। आज जो शिक्षा जगत में दुर्गति हो रही है वह बड़ी ही भयावह और निराशाजनक है। आज पूरे वातावरण में विशृंखलतायें फैल रही हैं और विपक्ष की ओर से इसे एक षड़यंत्र कहा गया है जो नौकरशाही और राजनीतिक नेताओं द्वारा तैयार की गई एक पृष्ठभूमि है और उसके द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं।

इस संशोधन विधेयक के 2 (क) में कहा गया है कि कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक जीवन में या न्यायिक या प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद पर है या रहा है । यदि इसको निकाल दिया जाय तो मुझे अपना प्रस्ताव वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी । मुझे आशा है माननीय मंत्री जी इसको विचार करके स्वीकार करेंगे ।

श्री सच्चिदानन्द--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1981 के सम्बन्ध में इस पक्ष और उस पक्ष दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों के विचार सामने आये । प्रायः अनेक माननीय सदस्यों ने यह कहा है, अपने भाषणों में, कि वाइस चान्सलर प्रशासनिक अधिकारी न हो । मुझे उनकी बात को सुन कर आश्चर्य हुआ । वे यह देखें कि इन कुलपतियों की नियुक्ति कब हुई थी ? गोरखपुर में सन् 80 और लखनऊ में सन् 79 में हुई और वर्तमान समय में तो पूरे प्रदेश में केवल विश्वविद्यालय में प्रशासनिक अधिकारी हैं और दूसरे स्थानों पर अर्थात् विश्वविद्यालयों में शिक्षाविद् हैं ।

[इस समय 4 बजकर 46 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए]

दूसरी चर्चा डाक्टर सुरेन्द्र सिंह के बारे में की गई जो अवध विश्वविद्यालय के उपकुलपति ह । वे प्रशासनिक अधिकारी नहीं वरन् शिक्षाविद् थे ।

श्री हरी किशन श्रीवास्तव--

पिछली सरकार ने अगर कोई काम गलत किया है तो उसे आप नजरन्दाज करेंगे या उसे करेंगे ?

श्री सच्चिदानन्द--

मैंने यह कहा कि वे आपके नियुक्त किये हुए हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । अभी माननीय सुरेन्द्र सिंह का नाम लिया गया, उनके बारे में जांच आयोग गठित हुआ, उसने अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी है, तो क्या सरकार उसे सदन के पटल पर रखेगी ?

श्री सच्चिदानन्द--

जो आयोग की रिपोर्ट है वह प्रेस में है । उसका हिन्दी प्रारूप हो रहा है । रिपोर्ट जैसे ही आ जायेगी उसे सदन के पटल पर रख दिया जायेगा ।

एक बात माननीय सदस्यों ने आयोग के गठन के बारे में कही कि उसे शीघ्र गठित किया जाये, जिससे जो विसंगतियां होती हैं उनको दूर किया जा सके। जैसा कि हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने आश्वासन दिया हमारा यह प्रयास रहेगा कि शीघ्रातिशीघ्र इस आयोग का गठन कर दिया जाय । लेकिन आप जो जनमत संग्रह कराने या इसे प्रवर समिति में भेजने की बात कर रहे हैं इससे तो आयोग के गठन में और देर होगी तथा जो आप चाहते हैं वह मंशा पूरी नहीं होगी । शासन का इरादा है कि जल्दी उसका गठन हो और आप भी यही चाहते हैं ।

[श्री सच्चिदानन्द—]

एक बात रह गई मान्यवर, उसके बारे में भी बतला दूं । यह कहा गया कि जो लोग नियुक्त होंगे उनकी योग्यता के बारे में इस विधेयक में कुछ नहीं कहा गया है । जब हम नियम बनायेंगे तो उसमें उसको रखेंगे । शासन इस बात के लिए कटिबद्ध है कि इस आयोग में योग्यतम व्यक्ति ही रखे जायें जिससे कि शिक्षा का सुधार हो सके ।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने एक दूसरी बात की ओर इशारा किया. उसकी आवश्यकता है । अध्यापकों का चयन होता रहे इसलिए यह संशोधन आवश्यक था । इस आयोग का गठन शीघ्र हो जाय और जो आकांक्षा है पूरे सदन की, चाहे यह पक्ष, चाहे वह पक्ष, अगर इसका दूसरा इरादा न हो, तो आवश्यकता है कि प्रवर समिति में रखी जाने वाली मांग को हमारे माननीय सदस्य वापस ले लें और जनमत संग्रह की मांग न करें । विश्वास है कि माननीय सदस्य अपने संशोधनों को वापस ले लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सूबेदार सिंह, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी, आप अपने संशोधन को वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

प्रश्न ही नहीं उठता, मान्यवर ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को एक मास तक जनमत संग्रह के लिए परिचालित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो तीन माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 को दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो छः माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (सशोंधन) विधेयक, 1982

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा अ योग अधिनियम, 1980 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधि-नियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1982 कहा जायेगा ।

(2) यह 4 दिसम्बर, 1981 से प्रवृत्त समझा जायेगा ।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 16, 1980 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधि-नियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्—

"(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह नहीं होगा जब तक वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जो—

(क) राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक जीवन में या न्यायिक या प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद पर है या रहा है, या

(ख) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति है या रहा है, या

(ग) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य है या रहा है, या

(घ) कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किसी महाविद्यालय का प्राचार्य है या रहा है या

(ङ) कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिए किसी महाविद्यालय का अध्यापक है या रहा है ।"

नई धारा 31-क का बढ़ाया जाना

3—मूल अधिनियम की धारा 31 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

"31-क (1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिसूचित आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधि-नियम के उपबन्ध ऐसी अवधि के दौरान, जैसी आदेश में विनिर्दिष्ट की जाय, ऐसे अनुकूलनों के अधीन रहते हुए चाहे वे उपान्तर, परिवर्द्धन या लोप के रूप में हों, जिन्हें वह याअवश्क या समीचीन समझें, प्रभावी होंगे :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक के दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं दिया जायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट कोई कठिनाई विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था ।"

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश उच्चत्तर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1981 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है । उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 25, सन् 1981

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश करता हूं कि खण्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4 में प्रतिस्थापित की जाने वाली उपधारा (2) का खण्ड (क) निकाल दिया जाय ।

मान्यवर, हमारा शुरू से निवेदन रहा है और इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक आया था, उसमें हमने जो बातें कहीं थी और निश्चित मान्यता यह पेश की गयी थी कि प्रदेश के अन्दर शान्ति तब तक नहीं बिराजेगी, जब तक कि योग्य शिक्षकों में से कुलपति नहीं बनाये जायेंगे । जब से ये प्रशासनिक अधिकारी बनाये जाने लगे, और उन्हें कुलपति बनाकर बैठाल दिया गया और शिक्षा-विदों को नहीं रखा गया, तब से यह गड़बड़ी होने लगी ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वर्मा जी, मैं माननीय सदस्यों से यह आग्रह करूंगा कि आपस में बातचीत न करें, उससे काम में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा--

तो मान्यवर, वह संशोधन रद्द हो गया । लेकिन जब विश्वविद्यालयों में हमने सम्पर्क किया, तो सारे शिक्षकों में कोई अपवाद मिला ही नहीं । सबने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहा कि आपका संशोधन ठीक है । लेकिन क्या करूं सरकार की यह हठवादिता है। इतने दिनों से अंग्रेजों के जमाने से यह चला आ रहा है कि विश्वविद्यालयों अथवा महाविद्यालयों में जो कुलपति बने, वह ऐसा बने जो कम से कम 15 साल तक शिक्षा जगत में रहा हो और शिक्षा जगत में उसकी धाक रही हो । उसी में से बनाते । जब से प्रशासनिक अधिकारियों को इसमें घुसेड़ा जाने लगा जिसे किताबी ज्ञान था, ऐसे आदमियों के आने से अशान्ति आने लगी और सारी गड़बड़ी हो गयी । विद्यालयों की शिक्षा प्रभावित हो गई । अब तो यह सरकार दावा नहीं कर सकती है क्योंकि 2–2 साल पीछे वर्षांक चल रहा है । डिग्री पीछे की मिल रही है और पढ़ाई अब की जा रही है । मान्यवर, इसी संशोधन की उपधारा 2 को सरकार देख लें । यह धारा इतनी निरर्थक है । मान्यवर, इसमें है ऐसा व्यक्ति जो राज्य सरकार की राय में, सार्वजनिक जीवन में या न्यायिक या प्रशासनिक सेवा में महत्वपूर्ण पद पर है या रहा हो है । मैं इसको निकालने के पक्ष में हूं । क्यों हूं, एक तो सार्वजनिक जीवन की कोई परिभाषा नहीं है, कौन सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण पद पर रहा या नहीं रहा यह सरकार की दृष्टि पर है । सरकार की दृष्टि में चाहे कोई चुनाव हार गया हो, चाहे बहुत से आरोप रहे हों सार्वजनिक जीवन में, कुलपति बनाना है तो बना देंगे ।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य उधर के मेरी बात को गलत माने तो मैं प्रमाण दे सकता हूं । जब सरकार ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त कर देगी तो विद्यार्थियों और अध्यापकों में रोष फैलेगा और उस कुलपति को वह पसन्द नहीं करेंगे । सार्वजनिक जीवन में जो व्यक्ति था या न्याय की कुर्सी पर बैठता है मैं मानता हूं जज दोनों पक्षों को सुनकर फैसला करता है लेकिन विश्वविद्यालय का वातावरण उससे भिन्न है और अध्यापकों का चयन उससे भिन्न है । मान्यवर, अध्यापकों का चयन, जो हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का जज रहा हो, उमदा करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है । यह बिल्कुल भिन्न है । कम से कम इस धारा को निकाल कर सरकार अपनी दृष्टि को साफ कर दें। आप यह कह दें कि हम इसमें ऐसे व्यक्तियों को रखेंगे जो शिक्षण कार्य के अनुभव से लैस हो । अगर आप इस बात को मान लेंगे तो हम कुछ कहेंगे वैसे तो आपने जनमत वाली बात को तो टाल ही दिया ।

श्री उपाध्यक्ष––

शिक्षा मन्त्री जी यह संशोधन आपको मंजूर है ?

श्री सच्चिदानन्द––

नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4 में प्रतिस्थापित की जाने वाली उपधारा (2) का खण्ड (क) निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

एक चीज का ध्यान दिला दूं कि 5 बजे वोट आन एकाउन्ट पेश होना है । इस काम को रोक कर उसको पेश कर दिया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

बाद में ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप सबके ऊपर हैं अगर आप सबकी राय होगी 5 बजे के बाद पेश हो, वैसे इसको 5 बजे पेश होना है ।

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, इसमें समय निश्चित है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । 5 बजे का समय राज्यपाल द्वारा निर्धारित किया गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

3 आदमी एक साथ व्यवस्था मांग रहे हैं । 2 आदमी विराजें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि नियमों में व्यवस्था है कि जब लेखानुदान बजट, महामहिम राज्यपाल द्वारा निर्धारित समय पर पेश होते हैं, तो अब 5 बज गया है, इसलिए मैं समझता हूं कि नियम 110(6) को आप देखें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप 5 बजे के पहले यह कह रहे हैं । इसलिये व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । आप बैठ जायं ।

(समय 5 बजे)

1982-83 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्ताव

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, आपकी अनुमति से वित्तीय वर्ष 1982-83 के एक भाग के लिए मैं लेखानुदान को प्रस्तुत करता हूं ।

(प्रस्ताव की प्रतियां वितरित की गयीं)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय वित्त मन्त्री ।

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल तथा मई, 1982-83 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिए लेखानुदान के विवरण जो 9 फरवरी, 1982 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-4 में दिये हुए प्रत्येक सेवा या प्रयोजन के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के

लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 5,65,85,11,000 रुपये से अधिक न हो । मेरा निवेदन है कि इस पर विचार किया जाय ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मुझे आपत्ति है कि सामान्य परम्परा विधान सभा, लोक सभा और हाऊस आफ कामन्स की है कि जब बजट पेश होता है तो उसके बाद अर्-लिएस्ट अपरचुनिटी में बजट पास होना चाहिये । परम्परा है कि शनिवार को नहीं बैठते हैं लेकिन बजट को पास करने के लिये शनिवार को भी सदन में बैठा गया है । मुझे आइचर्यजनक बात मालूम होती है कि बजट पास होने के लिए अभी फरवरी और मार्च बाकी है जबकि बजट पास कराने के लिए कुल 21-22 सिटिंग जरूरी है, इस लिये समझ में नहीं आता है । कि इनकी क्या साजिश है जिसके यह लेखानुदान लिया जा रहा है, इसलिए मुझे आपत्ति है अन्यथ जो यह लेखानुदान लिया जा रहा है उसके लेने की कौन सी अपरिहार्य परिस्थितियां हैं जिनकी जानकारी सदन को करायी जाय । जैसे नियम के अनुसार 90 दिन की बैठकें होनी चाहिये जबकि पिछले वर्ष लगभग 40 दिन सदन की बैठकें हुई और लेखानुदान ले लिया और विधान सभा की बैठकें समाप्त कर दी गयीं । तो मान्यवर, इस शंका का समाधान करना जरूरी है । अगर लेना ही है तो 15 मात्र दिन का लें । मैं समझता हूं कि लेखानुदान लेन है तो मात्र 15 दिन का लें । लेखानुदान की कोई आवश्यकता नहीं है जब बजट समय से पास किया जा सकता है । मैं लेखानुदान पेश करने की नीयत का विरोध करता हूं ।

श्री उप ध्यक्ष--

मुझे प्रसन्नता है कि आप आपनी उदारता पर कायम हैं । एक चीज में कहना चाहता हं कि बजट पेश करने के बाद ही लेखानुदान मांगा जाता है, उन्होंने इसी प्रक्रिया का अनुसरण किया ह ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

लेखानुदान तो बजट के पहले पेश होना चाहिये था । बजट पेश होने के बाद कैसे होगा । बजट पेश होने के बाद मूल बजट का विनियोग विधेयक पास हो जाता । इस बजट की प्रक्रिया में कोई काम नहीं होना चाहिये था ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपने कहा कि अगर 15 दिन का मांगते तो में मान लेता आपका मन स्वीकार कर रहा है कि इनका ऐक्शन सही है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

में स्वीकार नहीं करता हूं । मैंने आपत्ति की है कि मूल बजट पेश होने के बाद लेखानुदान नहीं पेश किया जा सकता ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपसे में निवेदन करूंगा कि "भारत का संविधान" दो में अनुच्छेद 286, खंड 1 (क) को पढ़ें उसके बाद मामला आप से आप साफ हो जायगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय, आप सुना दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी समझ से उनका ऐक्शन सही है ।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, अबकी पूरी आशा थी कि 31 मार्च तक बजट पास हो जायगा और अब भी आशा है परन्तु मुझे हमदर्दी है माननीय वित्त मंत्री जी से । कुछ होड़ में लग गये है, यह हफ्ता है सरेंडर करने का । ग्राम्य विकास मंत्री जी ने प्रधान मंत्री के सामने सरेंडर कर दिया और माननीय गृह मंत्री जी ने छविराम के सामने अपने शासन को सरेंडर कर दिया । आप क्यों पीछे रहेंगे आप काऊन्सिल के सामने सरेंडर कर दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप भी उनका मार्ग दर्शन करें आप भी सरेंडर कर दें ।

श्री रियासत हुसैन--

आप काउंसिल के सामने सरेंडर क्यों कर रहे है । 21 मार्च तक, हमें आशा है, हम बजट पास कर देंगे ।

श्री ऊदल--

श्रीमन्, मैं तो दूसरी बात कहना चाहता हूं । लेखानुदान पेश करने का अधिकार तो है । आपका भाषण यहां पर माननीय सदस्यों ने सुना था । माननीय सदस्यों ने इस बात को कहा कि आपने समय पर बजट पेश किया । अब संदेह यह हो रहा है, या और कोई कारण होंगे कि 31 मार्च तक बजट पास नहीं हो पायेगा । जिस साल चुनाव हुये हैं टाइम से बजट नहीं पास हुआ है या कोई बहुत अरजेंसी रही है उन्हीं परिस्थितियों में लेखानुदान लिया गया है । श्रीमन्, आप तो पुराने माननीय सदस्य रहे हैं और शासन में भी रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर समय पर बजट पेश हुआ है, 31 मार्च तक पास होना है तो लेखानुदान कभी 1, 2 महीने का नहीं लिया गया है जब तक कि कोई अरजेंसी न हुयी हो इसलिये मैं तो कहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री इस मामले में पूर्णतया अक्षम साबित हुए हैं और शोर-शराबा बहुत मचाये रहे कि हम टाइम से इसे लावेंगे और टाईम से ही पास करेंगे लेकिन वह ऐसा नहीं कर सके, यही इनके सबसे बड़ा निकम्मेपन का सबूत है । इसलिए मैं माननीय, फिर इस बात पर बल देते हुए कहना चाहूंगा कि जब तक ऐसी कोई खास परेशानी न हो, तब तक ऐसी पम्पराओं को ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए यह बहुत गलत परम्परा है । इसलिए मैं इसका पुर्ण तौर पर विरोध करता हूं ।

*श्री राम स्वरूप वर्मा--

माननीय, अगर माननीय मंत्री जी को कोई परेशानी थी तो उन्हें लेखानुदान प्रस्तुत करने से पहले उसको सदन के सामने रखना चाहिए था ताकि माननीय सदस्यगण किसी भ्रम में न पड़ते । इन्होंने किसी बात का उल्लेख किया नहीं,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बल्कि छिपाए रखा, इससे मालूम यह होता है कि इनकी नियत साफ नहीं है। जबकि इन्होंने स्वयं अपने कार्यक्रम में यह बात है कि सारे विनियोग लेखे 31 मार्च तक पास करा लेंगे और जब यह सब पास ही हो रहे हैं तो क्या कारण है लेखानुदान बिल लाने का, वैसे आज कल समर्पण काल चल रहा है, इसलिए सरकार ने शायद यह सोचा हो, कि इसमें कुछ गड़बड़ियां पैदा हों और सदन का हाल ठीक न रहे तो यह सोच कर कि इस अवधि में हाउस की कार्यवाही बंद कर दी जाए और उसके बाद जब हालत ठीक हो जायं तब फिर उसको पास कराया जाए, तो माननीय वित्त मंत्री अगर यह बात गलत है तो इसको सबित कर दें कि यह बात नहीं है और लेखानुदान जो ला रहे हैं, वह इस परेशानी की वजह से ला रहे हैं और विधान सभा का सत्र भी कुछ दिनों के लिए स्थगित नहीं करने जा रहे हैं।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, साफ छिपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। मान्यवर, हमारा कहने का मतलब यह है कि वोट आन एकांउट लाने की क्यों जरूरत पेश आयी। हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने जो आज से 6 महीने पहले ही इस बात का एलान कर दिया था कि 31 मार्च तक और इससे भी पहले पास करा लेंगे और फायनल करा लेंगे तो अब इसको पेश करन की जरूरत क्यों पेश आ गयी, इसके मायने यह हुए कि—

"कब यह कुदरत को सलोका है, सितमगारी में,

कोई मासूम है इस पर्दाए जंगारी में।"

इसलिए मैं कहना चाहूंगा जैसा कि हमारे भाई राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि इसको तो मूल रूप में एक तो लाने की जरूरत ही नहीं है यदि फिर भी आप अपनी अकसरियत के बल पर इसको पास कराना ही चाहते है तो केवल मान्यवर, 15 दिन के लिए कर लिया जाए तो हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं होगी क्योंकि आप लोग आदमियों के बल पर ही काम करते हैं।

'जमूहरियत इक तर्जे हुकूमत है जिसमें,

बंदों को गिना करते है, तौला नहीं करते हैं।"

अगर आप आदमियों का वजन करेंगे, बजायें गिनने के तो इधर का ही वजन ज्यादा निकलेगा और उधर का वजन कम होगा। इसलिए निवेदन करूंगा कि बजाए इसको वोट आन एकाउंट के बजट को ही जल्दी से जल्दी पारित करने की कोशिश करें। मगर अब मैं यह समझ रहा हूं कि कोई वजह है आप देर लगाना चाह रहे हैं, कोई भगड़ा पैदा करना चाह रहे हैं, जिससे बजट पास न हो। चूंकि आप ऐसा चाह रहे हैं, इसलिये आप वोट आन एकाउन्ट दो महीन का चाहते हैं। मैंने जहां तक कानून को देखा और समझा है जब बजट का सेशन हो रहा है और बजट के खत्म होने में पांच दो महीने बाकी हैं तो "वोट आन एकाउन्ट" लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इसका विरोध करता हूं और निवेदन करता हूं कि "वोट आनएकाउन्ट" हरगिज न दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री खैरुल बशर--

मान्यवर, यह लेखानुदान जो दो महीने का रखा गया है, यह सरकारी पक्ष की मैं बहुत करारी हार मानता हूं और इतने विशाल बहुमत के होते हुए इस कनजर अपोजीशन का मुकाबला सदन में करने के लिये इस सरकार के अन्दर ताकत नहीं है । एक भागने का रास्ता इस सरकार ने निकाल लिया है । यह सरकार जनवाद विरोधी है, जनतन्त्र विरोधी है, इसलिये जनतन्त्र का सामना करने की इसमें क्षमता नहीं है । इसीलिये आज यह इस तरह का लेखानुदान दो महीने का मांग रही है । सरकार को भय है कि इसके कारनामे ऐसे हैं कि इस सदन के अन्दर उसका एक्सपोजर होगा, इसलिये मैं इसका घोर विरोध करता हूं ।

श्री कन्हैया लाल--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से केवल एक बात निवेदन करना चाहता हूं । इस विधान सभा में 13 वां बजट पेश हो रहा है । 13 सालों से मैंने देखा है कि लेखानुदान के प्रस्ताव भी रखे जाते हैं, हर साल किसी न किसी कारण से आप रिकार्ड उठाकर देख लें, जब भी लेखानुदान सरकार ने मांगा कारण उसमें जरूर था । हम केवल यही चाह रहे हैं कि शासन यह बताये कि कौन सी बात है ? क्या अरजेंसी है ? क्यों लेखानुदान मांग रहे हैं ? वैसे आपका बहुमत है, पास हो जायगा लेकिन यह नियम की बात है, कानून रहा है परिपाटी रही है । हम माननीय वित्त मंत्री से यह जानना चाहते हैं कि कारण बतायें क्यों लेखानुदान चाहते हैं ?

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, यह जो..

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, राज्यपाल के आदेश से लेखानुदान पेश होता है...

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, मैंने वित्त मंत्री को बुलाया था, वह बोल रहे थे, आप भी बोलने लगे ।

(व्यवधान)

श्री राम स्वरूप वर्मा--

मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि राज्यपाल की सिफारिश से लेखानुदान पेश होता है, तो क्या आपके पास राज्यपाल जी का लिखित आ गया है, क्या उन्होंने आज्ञा दे दी ? ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैं सुन नहीं पा रहा हूं ।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

राज्यपाल की इजाजत से लेखानुदान पेश होता है, मैं यह जानना चाहता हूं कि राज्यपाल का लिखा हुआ प्रमाण आपके पास मौजूद है कि बजट पेश करने के लिये उन्होंने आज्ञा दी है ?

श्री उपाध्यक्ष--

आप तो स्वयं वित्त मंत्री रहे हैं, वह तो केवल राज्यपाल की सिफारिश आती है और वह आयी हुई है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, इसका पूर्व दृष्टांत है कि एक-एक घंटा हाउस बैठा रहा है बिना राज्यपाल की अनुमति के कैसे लेखानुदान पास होगा ? यदि राज्यपाल की अनुमति नहीं है तो मेरी साफ आपत्ति है । मान्यवर, एक बार इसी प्रकार से हाउस रुका रहा था एक घंटा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गुप्त जी, आप यहां आयेंगे और इसे पढ़ना चाहेंगे या इसे वहां भेज दूं ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नहीं मान्यवर, आपने कह दिया तो मेरा समाधान हो गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तो शुरू में ही कह दिया था कि अनुमति आ गयी है ।

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, संभावतः इस अवसर पर चर्चा नहीं हुआ करती लेकिन कुछ माननीय सदस्यों ने बात कही है तो उसका उत्तर देना चाहता हूं ।

माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि इसके पेश करने के पीछे कोई साजिश हो सकती है । परन्तु मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि इसके पीछे कोई साजिश नहीं है वरन दूरन्देशी है । दूसरी बात समय पर बजट प्रस्तुत करने की कही गयी तो बजट समय से प्रस्तुत तो हो गया है और हम उसे समय से पारित भी करायेंगे । मैंने समय से बजट प्रस्तुत कर लिया है तो वह समय से पारित भी होगा लेखानुदान पास करने की जो चर्चा हुई तो उसके सम्बन्ध में मुझे यही कहना है कि इसके पास हो जाने से फिर निश्चिन्तता के वातावरण में हमारी बजट पर चर्चा हो सकती है, आप निश्चिन्त मन से बजट की चर्चा में भाग ले सकते हैं और हम भी निश्चिन्त मन से आपकी बातों का जवाब दे सकते हैं ।

कई सदस्य--

ऐसी कोई परम्परा पहले नहीं रही है ।

श्री ब्रह्म दत्त--

परम्परा से मैं अवगत हूं । यह भी परम्परा के एगोचुअल हो गया है । और जो आशंका प्रकट की गयी है समय से बजट को पास कराने की । तो बजट यथा समय पारित होगा, मेरा भी इसमें हित है । मान्यवर, लेखानुदान लेने के बावजूद भी अन्य मदों पर सरकार नहीं खर्च कर पायेगी इसलिये समय पर हम बजट पास करायेंगे और इसलिए समय पर बजट प्रस्तुत भी किया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के माह अप्रैल तथा मई में 1982-83 में उत्तर प्रदेश सरकार के व्यय के लिये लेखानुदान के विवरण, जो 9 फरवरी, 1982 को सदन में प्रस्तुत किया गया, के पृष्ठ 1-4 में दिये हुए प्रत्येक सेवा या प्रयोजन के सम्बन्ध में होने वाले अनुमानित व्यय को चुकाने के लिये राज्यपाल महोदय को इस लेखानुदान द्वारा उतनी धनराशि पेशगी दी जाय जो 5,65,85,11,000 रुपए से अधिक न हो ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ब्रह्मदत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 को पुरःस्थापित करता हूं ।

(कुछ रुक कर)

श्री ब्रह्म दत्त--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982 पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड 2, 3, अनुसूची, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1982

1 अप्रैल, 1982 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष के एक भाग के व्यय के लिए राज्य की संचित निधि में से कतिपय धनराशियों के निकालने की व्यवस्था के लिये ।

विधेयक

भारत गणराज्य के तेंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त शीर्षनाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम, 1982 कहलायेगा ।

2--ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त, जो 1 अप्रैल, 1982 ई० को प्रारम्भ होने वाले वर्ष में किये जाने वाले भुगतान के सिलसिले में करने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से उतना रुपया निकाला जा सकता है जितना कि अनुसूची के स्तम्भ 3 में दी हुई धनराशियों से, जिन सबका कुल योग 6,86,42,69,000 रुपये (केवल छः अरब छियासी करोड़ बयालिस लाख उनहत्तर हजार रुपये) होता है, अधिक न हो।

उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से वर्ष 1982-83 के लिये 6,86,42 69,000, रुपयों का दिया जाना

3--इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की संचित निधि में से जिन-जिन धनराशियों को निकालने का अधिकार दिया जाता है उन-उन धनराशियों का विनियोग उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिए किया जायगा जो उक्त वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में दिये गये हैं।

विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 व 3 देखें)

अनुदान/ क्रम-संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अधिक (हजार रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3		
1	आबकारी विभाग	राजस्व	30,68	2	30,70
		पूंजी	33	..	33
2	आवास एवं नगर भूमि विकास विभाग	राजस्व	68,27	66,67	1,34,94
		पूंजी	3,02,77	34,62	3,87,39
3	उद्योग विभाग (खानें तथा खनिज)	राजस्व	15,83	2	15,85
		पूंजी	12,67	..	12,67
4	उद्योग विभाग (ग्राम एवं लघु उद्योग)	राजस्व	4,05,93	15,05	4,20,98
		पूंजी	83,44	16,73	1,00,17

उत्तर प्रदेश विधान सभा

5	उद्योग विभाग (भारी तथा मध्यम उद्योग)	राजस्व	24,10	1	24,11
		पूंजी	4,42,84	83	4,43,67
6	उद्योग विभाग (लेखन सामग्री और मुद्रण)	राजस्व	1,61,58	..	1,61,58
		पूंजी	9,84	..	9,84
7	ऊर्जा विभाग	राजस्व	14,54	..	14,54
		पूंजी	44,00,81	..	44,00,81
8	कार्मिक विभाग	राजस्व	6,45	..	6,45
		पूंजी	..	..	..
9	कृषि विभाग (औद्यानिक विकास)	राजस्व	1,07,40	50	1,07,90
		पूंजी	28,62	..	28,62
10	कृषि विभाग (कृषि)	राजस्व	7,17,60	7	7,17,67
		पूंजी	11,30,01	8	11,30,09
11	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व	1,43,30	72,57	2,15,87
		पूंजी	83,61,83	8,04,58	91,66,41
12	गन्ना विकास विभाग	राजस्व	1,06,96	59	1,07,55
		पूंजी	..	83	83
13	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व	1,82,18	1,58 93	3,41,11
		पूंजी	1,83,33	..	1,83,33

उत्तर प्रदेश विधान परिषद सचिवालय

1	2			3	
14	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व	1,84,23	1	1,84,24
		पूंजी	4,96	..	4,96
15	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व	24,95,36	3	24,95,39
		पूंजी	45	..	45
16	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व	83,03	..	83,03
		पूंजी	..	..	..
17	गोपन विभाग	राजस्व	2,50	..	2,50
		पूंजी	..	..	..
18	ग्राम विकास विभाग	राजस्व	25,39,83	2	25 39,85
		पूंजी	10,50	..	10,50
19	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)	राजस्व	16,60,38	3	16,60,41
		पूंजी	..	..	..
20	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व	4,15,90	1	4,15,91
		पूंजी	1,40,37	..	1,40,37
21	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व	5,63,69	1	5,63,70
		पूंजी	..	..	..

उत्तर प्रदेश विधान सभा

22	नगर विकास विभाग	राजस्व	8,00,49	2	8,00,51
		पूंजी	1,79,39	..	1,79,39
23	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व	5,56	..	5,56
		पूंजी	..	..	..
24	नागरिक सुरक्षा विभाग	राजस्व	1,04,51	1	1,04,52
		पूंजी	..	..	..
25	नियुक्ति विभाग	राजस्व	53	..	53
		पूंजी	..	..	..
26	नियोजन विभाग	राजस्व	76,45	..	76,45
		पूंजी	..	..	..
27	निर्यात प्रोत्साहन विभाग	राजस्व	26,65	..	26,65
		पूंजी	4,50	..	4,50
28	निर्वाचन विभाग	राजस्व	23,90	..	23,90
		पूंजी	..	..	..
29	न्याय विभाग	राजस्व	2,18,05	35,45	2,53,50
		पूंजी	..	..	..
30	पंचायती राज विभाग	राजस्व	1,90,95	4	1,90,99
		पूंजी	18	..	18

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2		3		
31	परिवहन विभाग	राजस्व	2,94,36	2	2,94,38
		पूंजी	1,66,67	..	1,66,67
32	पर्यटन विभाग	राजस्व	9,91	..	9,91
		पूंजी	2,10	..	2,10
33	पर्वतीय विकास विभाग	राजस्व	9,19 18	43	9,19,61
		पूंजी	8,31,97	19	8,32,16
34	पशुधन विभाग	राजस्व	2,55,10	1,05	2,56,15
		पूंजी	38,80	1,17	39,97
35	पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व	23,40	1	23,41
		पूंजी	15,26	..	15,26
36	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व	2,30	..	2,30
		पूंजी	..	..	..
37	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व	1,76,68	1	1,76,69
		पूंजी	1	..	1
38	मत्स्य विभाग	राजस्व	61,42	1	61,43
		पूंजी	8,42	..	8,92

उत्तर प्रदेश विधान सभा

39	मुस्लिम वक्फ विभाग	राजस्व	3,05	..	3,05
		पूंजी	..	..	..
40	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व	2,59,38	4	2,59,42
		पूंजी	..	..	..
41	राजस्व विभाग (दैवी आपदाओं के कारण सहायता)	राजस्व	1,80,00	1,83,83	3,63,83
		पूंजी	23,77	2,74	26,51
42	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व	9,27,45	23,29	9,50,74
		पूंजी	2,01	55,77	57,78
*43	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	..	3,04	3,04
		पूंजी	..	..	..
44	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व	3,58	..	3,58
		पूंजी	25	..	25
*45	लोक सेवा आयोग	राजस्व	..	13,91	13,91
		पूंजी	..	..	..
46	वन विभाग	राजस्व	4,88,77	2	4,88,79
		पूंजी	2,45	..	2,45
47	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व	23,00,17	41,10,77	64,10,94
		पूंजी	50,33	62,60,39	63,10,72

*भारित विनियोग से सम्बन्धित कॉलम संख्या 1

1	2		3		
48	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व	8,47,08	1,89	8,48,97
		पूंजी	..	..	..
49	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व	64,39	1	64,40
		पूंजी	..	..	..
50	वित्त विभाग (राज्य लाटरी)	राजस्व	1,82,00	..	1,82,00
		पूंजी	..	..	..
51	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प बचत, सामूहिक बीमा आदि)	राजस्व	4,32,65	38,34	4,70,99
		पूंजी	..	..	..
52	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व	13,57	32	13,89
		पूंजी	..	..	..
53	विधान सभा सचिवालय	राजस्व	36,44	50	36,94
		पूंजी	..	..	..
54	विज्ञान एवं प्रायोग विभाग	राजस्व	16,59	..	16,59
		पूंजी	..	..	..
55	शिक्षा विभाग	राजस्व	66,82,14	50,01	67,32,15
		पूंजी	11,50	..	11,50

उत्तर प्रदेश विधान सभा

56 श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व	1,16,61	1	1,16,62	
	पूंजी	..	..	..	
57 श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व	1,24,81	3	1,24,84	
	पूंजी	..	..	..	
58 संस्थागत वित्त विभाग (निदेशालय)	राजस्व	3,01	1	3,02	
	पूंजी	83	..	83	
59 संस्थागत वित्त विभाग (बिक्रीकर)	राजस्व	1,65,89	7	1,65,96	
	पूंजी	..	..	..	
60 संस्थागत वित्त विभाग (मनोरंजन तथा बाजीकर)	राजस्व	7,47	..	7,47	
	पूंजी	..	..	..	
61 संस्थागत वित्त विभाग (स्टाम्प एवं पंजीकरण)	राजस्व	38,31	1	38,32	
	पूंजी	..	..	..	
62 सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व	1,66,17	1	1,66,18	
	पूंजी	..	..	..	
63 सतर्कता विभाग	राजस्व	19,79	1,06	20,85	
	पूंजी	..	..	..	
64 सहकारिता विभाग	राजस्व	1,16,66	40,45	1,57,11	
	पूंजी	2,05,85	58,22	2,64,07	

1	2		3		
65	सहायता और पुनर्वासन विभाग	राजस्व	8,09	1	8,10
		पूंजी	7,71	8	7,79
66	सांस्कृतिक कार्य विभाग	राजस्व	13,70	1	13,71
		पूंजी	..	..	..
67	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	1,24	1	1,25
		पूंजी	..	..	..
68	सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो विभाग	राजस्व	1,64	..	1,64
		पूंजी	..	..	..
69	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	5,12,61	1	5,12,62
		पूंजी	..	..	..
70	सार्वजनिक निर्माण विभाग (अनावासिक भवन)	राजस्व	1,16,13	3	1,16,16
		पूंजी	2,77,23	17	2,77,40
71	सार्वजनिक निर्माण विभाग (आवास भवन)	राजस्व	76,07	1,08	77,15
		पूंजी	1,50,02	8	1,50,10
72	सार्वजनिक निर्माण विभाग (कार्यात्मक भवन)	राजस्व	17,70	3	17,73
		पूंजी	2,06,66	54	2,07,20

उत्तर प्रदेश विधान सभा

73	सार्वजनिक निर्माण विभाग (संचार साधन)	राजस्व	13,83,07	2	13,83,09
		पूंजी	13,81,32	8	13,81,40
74	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व	4,23,87	2	4,23,89
		पूंजी	4,40,07	..	4,40,07
75	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व	23,25,44	1	23,25,45
		पूंजी	45,94,65	1	45,94,66
76	सूचना विभाग	राजस्व	39,75	1	39,76
		पूंजी	..	..	..
77	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व	7,89	1	7,90
		पूंजी	..	..	..
78	स्पोर्ट्स विभाग	राजस्व	23,06	..	23,06
		पूंजी	..	..	..
79	हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग	राजस्व	10,78,94	1	10,78,95
		पूंजी	1,83	..	1,83
80	क्षेत्रीय विकास विभाग	राजस्व	4,48,70	..	4,48,70
		पूंजी	75,00	..	75,00
	योग	राजस्व	3,27,93,06	48,20,47	3,76,13,53
		पूंजी	2,37,92,05	72,37,11	3,10,29,16
	कुल योग		5,65,85,11	1,20,57,58	6,86,42,69

[श्री अध्यक्ष--]

आप कृपया बैठ जायं, मैं इजाजत नहीं दूंगा।

(घोर व्यवधान)

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा बराबर बोलते रहे जो व्यवधान के कारण नहीं सुनाई नहीं दिया।)

आप कृपया बैठें।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

[×××]।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं। जो माननीय ओझा जी बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

(घोर व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मान्यवर, आप मुझे बोलनें का अवसर नहीं दे रहे हैं अतः मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री केदार नाथ सिंह सदन का त्याग कर चले गये।)

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का नाम पुनः पुकारे जाने पर)

श्री कुबेर भंडारी--

[×××]।

श्री अध्यक्ष--

कुबेर मंडारी जी आप कृपया बैठ जायं। जो माननीय कुबेर भंडारी जी बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जायेगा।

[समय 12 बजकर 43 मिनट]

दस्यु सरगना छविराम द्वारा मैनपुरी के ग्राम हरिनारपुर में खुलेआम घूमने तथा पुलिस द्वारा पकड़ने की कार्यवाही न किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जिस प्रस्ताव की सूचना मैंने दी है उसकी ग्राह्यता के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। इस पक्ष की ओर से अनेकों बार ये आरोप लगाये गये हैं कि उत्तर प्रदेश में जो डाकुओं की समस्या है, वह इसलिए हल नहीं हो पा रही है क्योंकि सत्तारूढ़ दल के लोग, बड़े-बड़े विधायक उनको संरक्षण प्रदान करते

नोट--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही के निकाल दिया गया।

घुस जाती है। तो मान्यवर, सारी खराबी इस वजह से है कि इसमें कुलपति सार्वजनिक लोगों में से घुस जाते हैं जिनको कि शिक्षा का अनुभव नहीं है। न तो उनका विद्यार्थियों के प्रति कोई ममत्व है और न विद्यार्थियों का उनके प्रति कोई ममत्व है, तो मान्यवर, जब ऐसे प्रशासनिक अधिकारी कुलपति बन जाते हैं तो वह अपने रोब में अभिभावकों से नहीं मिलते हैं, विद्यार्थियों से नहीं मिलते हैं। मैं इस सम्बन्ध में एक छोटी सी घटना बता दूं मान्यवर, एक बार विश्वविद्यालय में पानी बन्द हो गया तो विद्यार्थी कुलपति के पास गए। उस समय झा साहब थे। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि तुम लोग जब तक अपने होस्टल पहुंचो तब तक पानी पहुंच जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

विद्यार्थियों का पानी किसने उतार दिया?

श्री राम स्वरूप वर्मा--

पानी उतरा नहीं मिल गया। आज विद्यार्थियों का जायज मांगों को भी कुलपति नहीं सुनते हैं और मिलने क समय नहीं देते हैं। पहले तो जिस किसी वक्त भी विद्यार्थी जाते थे कुलपति मिलने से मना नहीं करते थे, पर आज कुलपति विद्यार्थियों से नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं अपने संशोधन पर विशेष रूप से जोर देता हूं और माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि इसे स्वीकार कर लें। यह हित में है।

शिक्षा मंत्री (चौधरी नौनिहाल सिंह)--

मान्यवर, स्वीकार नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 द्वारा मूल अधिनियम की धारा 4 में प्रतिस्थापित की जाने वाली उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्त में शब्द "है" और शब्द "या" के बीच में निम्नलिखित रख दिया जाय:

"किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि उक्त कुलपति किसी विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय में कम से कम 15 वर्ष शिक्षण का कार्य कर चुका हो।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

सामान्य प्रशासन राज्य मंत्री (श्री सच्चिदानंद)--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेव आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 परित किया जाय। जैसा कि संशोधित हुआ। मान्यवर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूं, इसे पारित किया जाय।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

यथासंशोधित पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

जब संशोधन हुआ ही नहीं तो यथासंशोधित का प्रश्न ही नहीं उठता।

चौधरी नौनिहाल सिंह--

इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1982 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

[समय 5 बजकर 35 मिनट]

श्री उपाध्यक्ष --

आज दिनांक 9-2-82 के उपवेशन में नियम 51 के अन्तर्गत 13 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें से एक श्री मोहन सिंह को विगत 4/5 जनवरी की रात में बस्ती से चल कर लखनऊ आने वाली बस के लूटे जाने के सम्बन्ध में है, उसे मैंने स्वीकार किया है।

इसके बाद श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री जटाशंकर सिंह, श्री माता प्रसाद पांडेय, श्री राम सागर, श्री जमुना प्रसाद, श्री भीखा लाल, श्री मित्रसेन श्री राम आसरे वर्मा, श्री खैरुल बशर, श्री हरिवंश सहाय, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री रियासत हुसैन और श्री अकबर हुसैन का भी उसी विषय पर है जो मैंने ऊपर पढ़ा है।

इस पर माननीया गृह मंत्री जी अपना बयान कब देंगी ?

(व्यवधान)

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

कुछ सुनाई नहीं देता, इतना शोर मचा रहे हैं कि कोई हद नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। (हंसी)

श्री ऊदल--

गृह मंत्री जी नहीं सुनी हैं, लेकिन सरकार के और लोग तो हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

किस विषय में वक्तव्य देने की बात है ?

(व्यवधान)

एक सदस्य--

बख्शी जी को न सुनाई देता है, न ये देखती हैं और न समझती हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

अगर कोई बयान देने की बात है तो परसों, नरसों जब भी आप चाहें, आज्ञा दें हम लोग हमेशा तैयार हैं वक्तव्य देने के लिये।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप हमेशा तैयार हैं तो मैं मुनासिब समझता हूं कि 15 तारीख को आप इस पर बयान दे दीजिये।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

जैसी आज्ञा।

मथुरा जनपद के ग्राम जैत निवासी श्री प्रेमचन्द्र वैश्य की पुत्री के साथ बलात्कार के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 24-1-82 की रात्रि में श्री लक्ष्मण पुत्र श्री डालचन्द्र वैश्य, निवासी ग्राम जैत, पुलिस चौकी जैत, थाना बृन्दावन के मकान में एक चोरी की घटना होने के बारे में चौकी पर दिनांक 25-1-82 को व दी का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ जिसके जांच के मध्य यह संदेह हुआ कि उपरोक्त चोरी की घटना का ज्ञान श्री प्रेमचन्द्र वैश्य पुत्र श्री बुद्धा व उसकी पुत्री कुमारी पार्वती को है क्योंकि उन्हीं के घर के पास चोरी का कुछ माल बरामद हुआ था। उप निरीक्षक श्री के0 डी0 तिवारी, प्रभारी चौकी जैत, थाना बृन्दावन ने इस चोरी के बारे में पूछतांछ के लिए उपरोक्त श्री प्रेमचन्द्र व उसकी पुत्री कुमारी पार्वती को दिनांक 28-1-82 को करीब 8 बजे रात्रि चौकी जैत पर बुलाया किन्तु पूछतांछ से कोई परिणाम नहीं निकला। इस पूछताछ के दौरान प्रारम्भ से अंत तक कुमारी पार्वती के पिता श्री प्रेमचन्द्र व उसके गांव का चन्द्रपाल नामक व्यक्ति भी वहां पर मौजूद रहे। पूछताछ के पश्चात् तुरन्त ही श्री प्रेमचन्द्र व उसकी पुत्री कुमारी पार्वती को उनके घर वापिस भेज दिया गया। कुमारी पार्वती के साथ पुलिस चौकी जैत पर श्री के0 डी0 तिवारी द्वारा बलात्कार किए जाने अथवा उसके पिता श्री प्रेमचन्द्र को अलग कमरे में बंद किए जाने की पुष्टि जांच से नहीं हुई। उप निरीक्षक श्री तिवारी व श्री चन्द्रपाल द्वारा श्री प्रेमचन्द्र वैश्य अथवा उसकी पुत्री को धमकी दिए जाने के आरोपों की भी पुष्टि नहीं हुई।

माननीय राज्य मंत्री श्री दयाल कृष्ण का घेराव नहीं किया गया था बल्कि दिनांक 31-1-82 को श्री प्रेमचन्द्र वैश्य ने करीब 20-25 व्यक्तियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ माननीय राज्य मंत्री महोदय के निवास स्थान पर उनसे मिले थे तथा एक आवेदन-पत्र श्री के0 डी0 तिवारी, उप निरीक्षक के विरुद्ध दिया था, जिसके आधार पर पुलिस अधीक्षक, मथुरा द्वारा श्री के0 डी0 तिवारी के विरुद्ध धारा 376/109 भा0 द0 वि0 का अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा श्री तिवारी को निलम्बित करके पुलिस लाइन स्थानान्तरित कर दिया गया। कुमारी पार्वती

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—]

को पूछतांछ के लिए रात में थाने पर बुलाया जाना उचित नहीं था, जिसके लिए सम्बन्धित उप निरीक्षक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है ।

पुलिस चौकी का घेराव नहीं किया गया था बल्कि जिला मैजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक के वहां पहुंचने के पूर्व लगभग 200 व्यक्ति पुलिस चौकी जैत के सामने एकत्र हुए और श्री चंदन सिंह, विधायक द्वारा उनको सम्बोधित किया गया तथा अधिकारियों से शीघ्र समुचित कार्यवाही करने की मांग की गई थी । श्री प्रेमचन्द्र ने अपनी पुत्री का डाक्टरी मुआइना न कराने हेतु लिखित आवेदन पत्र दिया है । धारा 164 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत दिए गए बयानों में श्री प्रमचन्द्र वैश्य तथा उसकी पुत्री दोनों ने बलात्कार की घटना से इन्कार किया है ।

इस सम्बन्ध में दर्ज अभियोग की विवेचना श्री किशन लाल, क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है । जनता में किसी प्रकार का भय व रोष नहीं है । आरोपों की गभीरता को देखते हुए अब इस मामले की जांच अपराध अनुसंधान विभाग को सौंप दिए जाने के आदेश दिए गए हैं ।

श्री विजय सिंह राना—

उपाध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से मैं, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के संदर्भ में यह पूछना चाहता हूं कि एक तो यह बता दें कि लक्ष्मण के यहां जो चोरी हुई उसकी एफ0 आई0 आर0 किस तारीख को दर्ज हुई । दूसरी बात, जो माल बरामद होने की बात है, माल बरामद कौन सी तारीख को हुआ ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, 24-1-82 की रात्रि में श्री लक्ष्मण पुत्र श्री डालचन्द्र वैश्य, निवासी ग्राम जैत, पुलिस चौकी जैत, थाना बृन्दावन के मकान में. . . ।

श्री विजय सिंह राना—

मान्यवर, मैंने यह पूछा था. . . ।

श्री उपाध्यक्ष —

राना जी, इतनी आवाज आई कि मैं उनकी बात स्वयं ही नहीं सुन सका । फिर से बतला दें ।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

25-1-82 को उनका प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय गृह मन्त्री जी स्पष्ट रूप से बताने की कृपा करेंगी कि जो बेसिक चीज लक्ष्मण के यहां की चोरी है, लक्ष्मण के यहां जो चोरी हुई उसकी एफ0 आई0 आर0 किस वक्त दर्ज हुई थी थाने में, उसका क्राइम नम्बर क्या है । उसका सेक्शन क्या है जिसके आधार पर जांच शुरू हुई ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, जो मेन क्वेश्चन है वह पार्वती के सम्बन्ध में है और जो चोरी की घटना है उसमें 25-1-82 को प्रार्थना-पत्र लिखाया था वह मैंने आपको बताया। वह घटना पार्वती के सम्बन्ध में हुई है और उसके सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, पार्वती के साथ जो घटना हुई वह तब हुई जब किसी चोरी के सम्बन्ध में पार्वती को थाने में बुलाया गया। बुनियादी चीज यह है कि पार्वती और उसके बाप को किसी चोरी के सम्बन्ध में थाने में बुलाया गया, इन्क्वायरी के लिए। उसकी एफ0 आई0 आर0 कहां दर्ज हुई, वह क्या सेक्शन है, किस चीज की रिकवरी हुई, किसने रिकवरी की ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

इसकी सूचना प्राप्त करके दी जायेगी। प्रार्थना-पत्र जो 25 तारीख को दाखिल किया गया और इस तरह से जो प्रार्थना-पत्र आता है तो उसके बारे में पूछतांछ करना हमारी चौकी का फर्ज हो जाता है। इसलिए पूछतांछ के लिए उन दोनों बाप और पुत्री को बुलाया गया था।

श्री किरनपाल सिंह--

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि चूंकि मन्त्री जी के वक्तव्य से यह मालूम होता है कि पार्वती की रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। मन्त्री जी जब वहां गए तो वहां उन्होंने अपनी दरख्वास्त दी जिसमें उन्होंने यह लिखा कि मेरी लड़की के साथ बलात्कार किया गया, क्या यह सही है ?

गृह राज्य मन्त्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, जो माननीय राज्य मन्त्री श्री दयाल कृष्ण जी को प्रार्थना-पत्र दिया गया उस प्रार्थना-पत्र में जरूर यह इंगित था कि उनकी पुत्री को पूछतांछ के लिए ले जाया गया और उसके बाद आधा घन्टे तक एक कमरे में अलग रखा गया। यह इस बात को इंगित करता है कि उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया गया।

श्री ऊदल--

मन्त्री जी ने इस बात को कबूल किया है कि जो पत्र उनको दिया गया उसमें लड़की के पिता ने लिखा है कि मैंने अपनी लड़की से पूछा तो उसने मुझसे रोकर कहा मेरे साथ तो सब कुछ हो गया। मेरी क्वारी लड़की है इस वजह से मैंने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी। अब मेरी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही की जावे और दरोगा व चन्द्रपाल को दाड दिया जावे। उसमें यह बात है या नहीं ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से निवेदन किया कि लड़की के बाप ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था उसमें यह जरूर इंगित हो रहा था कि उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। उसने कहा कि "मेरे साथ सब कुछ हो गया है" इसका मतलब यदि आप कुछ और समझे हों तो बतायें।

श्री चेतराम गंगवार--

माननीय मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि जब पार्वती को पूछतांछ के लिए बुलाया गया तो उसका बाप प्रेमचन्द और गांव का आदमी चन्द्रपाल वहां पर मौजूद थे । श्रीमन्, मैं यह जानता चाहता हूं कि चन्द्रपाल जी ने जो बयान दिया है वह क्या है उसको पढ़कर सुनायेंगे ?

श्री राजन्द्र त्रिपाठी--

माननीय, चन्द्र पाल ने जो बयान दिया उसमें इस घटना को असत्य बताया है ।

श्री नकली सिंह--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी भी प्रार्थना-पत्र या एफ0 आई0 आर0 पर अंकित करने मात्र से 376/109 का मुकदमा दर्ज हो जायेगा ?

श्री उपाध्यक्ष --

यह सवाल नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मन्त्री जी देखेंगे कि प्रेमचन्द्र ने माननीय राजस्व मन्त्री जी को दरखवास्त दी और उसी आधार पर 376/109 आई0 पी0 सी0 का मुकदमा कायम कर दिया और उसके साथ-साथ मि0 के0 डी0 तिवारी को सस्पेन्ड करने के आदेश दे दिया । तो क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब 376/109 में मुकदमा दर्ज हो गया और सस्पेन्ड करने के आर्डर हो गए तो क्या उस लड़की का मेडिकल कराया गया ? यदि नहीं कराया गया, तो क्यों नहीं कराया गया ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

श्रीमन्, माननीय सदस्यों की भावना का और सम्मानित सदन की गरिमा का ध्यान रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि उसके पिता ने जो दरखवास्त दी थी उसमें शब्दावली को गोलमाल करते हुए रखा था । उन्होंने कहा सब कुछ हो गया तो सब कुछ का मतलब कौन क्या निकालता है । तो उसके बाद जब यह प्रश्न उठा कि केस आगे तब चलेगा जब डाक्टरी रिपोर्ट होगी तो उनके पिता ने दरखवास्त दी कि मैं अपनी पुत्री का मेडिकल नहीं कराना चाहता हूं क्योंकि लड़की की सगाई निश्चित है । तो ऐसी स्थिति में किसी को बाध्य करके मेडिकल कराया जाता तो दूसरा अपराध हो जाता ।

श्री विजय सिंह राना--

मैंने दो बात पहले पूछी थी, जिसका सही जबाब मन्त्री जी ने नहीं दिया । यह जो चन्द्रपाल नाम का व्यक्ति है यह हिस्ट्रीसीटर है । लक्ष्मण के यहां कोई चोरी नहीं हुई । लड़की को बहलाकर थाने ले गया ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप प्रश्न पूछिये क्या चाहते हैं ।

श्री विजय सिंह राना--

मैं यह पूछना चाहता हूं कि चोरी की घटना की रिपोर्ट कब हुई ? मेरी स्पष्ट जानकारी है कि चोरी की घटना की रिपोर्ट 8 तारीख में हुई है । लक्ष्मण के यहां कोई चोरी नहीं हुई । तो चोरी कब हुई और अपराध संख्या क्या है ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

सम्मानित सदस्य कृपया पढ़ लें यह पहले पैराग्राफ में पहले चार लाइनों में लिखा है कि 25 तारीख को चोरी की रिपोर्ट हुई है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल दिनांक 10-2-82 को 11 बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 55 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

9 फरवरी, 1982 ई0 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश ।

अविक्रय प्रति

नत्थी "क"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 717 पर ।)

तालिका

दिनांक 10 मई, 1981 से 20 जून, 1981 तक की अवधि में राज्य के मंत्रियों द्वारा जिला चमोली, पौड़ी गढ़वाल और देहरादून की की गई यात्राओं तथा उन पर दौरा–भत्ता के रूप में हुये व्यय का विवरण

क्रम संख्या	नाम	धनराशि
1	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, मुख्य मंत्री	यात्रा भत्ता चार्ज नहीं किया ।
2	,, ब्रह्म दत्त, मंत्री	10,471·20
3	,, जगदीश प्रसाद, मंत्री	619·30
4	,, जगदीश चन्द्र दीक्षित, मंत्री	761·00
5	,, भानु प्रताप सिंह, मंत्री	200·00
6	,, नियाज हसन, मंत्री	596·80
7	,, चन्द्र मोहन सिंह नेगी, राज्य मंत्री	दौरा निजी तौर पर किये और कोई यात्रा भत्ता चार्ज नहीं किये ।
8	,, हरी सिंह बाल्मीकी, राज्य मंत्री	200·00
9	,, राजेन्द्र त्रिपाठी, राज्य मंत्री	4,570·30
10	,, शिवनाथ सिंह कुशवाहा, राज्य मंत्री	378,00
11	,, राम रतन सिंह, राज्य मंत्री	3,945·43
12	,, गुलाब सिंह, राज्य मंत्री	3,372·80

नत्थी "ख"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-8 का उत्तर पीछे पृष्ठ 719 पर ।)

जिलाधिकारी, कानपुर को संबोधित श्री भगवानदीन कुशवाहा, विधायक, डेरापुर, कानपुर के पत्र दिनांक 21-6-80 की प्रतिलिपि

परगनाधिकारी डेरापुर मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार किया था । नेकचन्द्र पाण्डेय का समर्थन किया था । इसके बाद ही मैं चुनाव जीत गया । अब परगनाधिकारी डेरापुर तथा नेकचन्द्र पाण्डेय आप लोगों के बीच में कहा है, कि डेरापुर का चुनाव 6 माह में हो जायेगा । मुझे इन सब बातों से संदेह है कि परगनाधिकारी, डेरापुर तथा नेकचन्द्र पाण्डेय मिलकर मेरा निश्चित कत्ल करवा देगें । यदि मेरी हत्या हुई, तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन की होगी । ऐसी स्थिति में परगनाधिकारी, डेरापुर को तुरन्त हटाकर जांच कराई जाय । परगनाधिकारी के रहते हुए जांच सही ढंग से नहीं हो पायेगी ।

नत्थी "ग"

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या-15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 722पर ।)

गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर

स्नातक परीक्षा 1981 के परीक्षाफल के प्रकाशन सम्बन्धी विवरण

कक्षा	परीक्षा प्रारम्भ की तिथि	परीक्षा समाप्त की तिथि	परीक्षाफल घोषित होने की तिथि प्रारम्भ	अंत
बी0 ए0, भाग एक	14-4-81	26-5-81	14-7-81	15-10-81
बी0 ए0, भाग दो	14-5-81	26-5-81	20-7-81	23-10-81
बी0 एस0, सी0 भाग एक	20-4-81	5-6-81	28-8-81	18-10-81
बी0 एस0, सी0 भाग दो	20-4-81	5-6-81	25-7-81	18-10-81
बी0 एस0, सी0 (कृषि) भाग एक	14-4-81	30-4-81	30-7-81	24-12-81
बी0 एस0, सी0 (कृषि) भाग दो	15-4-81	1-5-81	8-9-81	5-11-81
बी0 काम0, भाग एक	14-4-81	25-4-81	13-6-81	27-7-81
बी0 काम0, भाग दो	27-4-81	26-5-81	14-7-81	12-8-81

ह0/ कुल सचिव
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर ।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 724 पर ।)

वर्ष 1981 में जनपद बदायूं में पुलिस मुठभेड़ में मारे गये डकैतों की सूची

1—लाखन पुत्र बाबू गड़रिया, नि0 रोस्तमपुर, थाना चन्दौसी, जिला मुरादाबाद ।

2—भवानी शंकर पुत्र पीतम मुराव, नि0 माली नगला, थाना मुसाझाग, जिला बदायूं ।

3—होराम पुत्र दुर्गा प्रसाद, नि0 अहमद नगर, थाना बिलसी, जिला बदायूं ।

4—बाबू राम पुत्र टीका राम, निवासी सरौली, थाना सिकन्दरपुर बैंश्य, जिला एटा ।

5—धर्मपाल पुत्र दुर्जन, निवासी सरौली, थाना सिकन्दरपुर बैंश्य, जिला एटा ।

6—नेका पुत्र रामपाल, निवासी रसूलपुर, थाना जरीफ नगर, जिला बदायूं ।

7—सेवाराम उर्फ सिब्बा पुत्र रामदयाल, निवासी काजोल नगला, थाना अलापुर, जिला बदायूं ।

8—तेतराम पुत्र दलाल धीमर, नि0 गढ़िया, थाना कादर चौक, जिला बदायूं ।

9—अमर सिंह पुत्र मकरी, नि0 कादम नगला, थाना उसैत, जिला बदायूं ।

10—ठकुरी पुत्र माधवराम, नि0 सुकरुस्तमपुर, थाना सहसवान, जिला बदायूं ।

11—चन्द्रपाल पुत्र लायक सिंह, निवासी सुकरुस्तमपुर, थाना सहसवान, जिला बदायूं ।

12—मौसम अली पुत्र कल्लन जुलाहा, निवासी जमालपुर, थाना हजरतपुर, जिला बदायूं ।

13—मूलचन्द उर्फ मुल्ला पुत्र सेवाराम, निवासी सिसौली, थाना वजीरगंज, जिला बदायूं ।

14—अज्ञात ।

15—शिवपाल पुत्र नत्थू सिंह, नि0 रामपुर, थाना कटरा, जिला शाहजहांपुर ।

16—किशनपाल सिंह पुत्र शिवसिंह, निवासी बसंत नगर, थाना उझानी, जिला बदायूं ।

17--लालसिंह पुत्र परसादी, निवासी दानपुर, थाना आदमपुर, जिला मुरादाबाद ।

18--गिरवर पुत्र भगवान काछी, निवासी हसनपुर, थाना आदमपुर, जिला मुरादाबाद ।

19--काशिम पुत्र फकीरा, निवासी रेरई, थाना आदमपुर, जिला मुरादाबाद ।

20--लालसिंह पुत्र रघू सिंह, निवासी जमालपुर, थाना हजरतपुर, जिला बदायूं ।

21--गबरू पुत्र रामेश्वर, नि0 जमालपुर, थाना हजरतपुर, जिला बदायूं ।

22--डूंगर सिंह उर्फ दिलर पुत्र भोजराम लोधी, नि0 नगला कोठी, थाना अमापुर, एटा ।

23--थान सिंह पुत्र मोती सिंह, नि0 केल की मड़इया, थाना गुन्नौर, जिला बदायूं ।

24--सत्यपाल पुत्र मैकू गड़रिया निवासी कैलोथा, थाना अलापुर, जनपद बदायूं ।

25--भूरा पुत्र कंछूगोस्वामी, निवासी नरौली थाना कुढ़, जिला मुरादाबाद ।

26--चन्द्रपाल पुत्र भूपाल, नि0 सिरजा, थाना मुसाझाग, जनपद बदायूं ।

27--जीवाराम पुत्र मुन्शी, निवासी बामऊ की मड़ैया, थाना गुन्नौर, जिला बदायूं ।

28--ब्रजपाल पुत्र बालकिशन निवासी टाररी, थाना चन्दौसी, जिला मुरादाबाद ।

29--मनवीर पुत्र विक्रम सिंह, नि0 कवरपुर, थाना सहावर, जिला एटा ।

30--गंगादीन पुत्र डम्बर, नि0 बनवोसारी, थाना हजरतपुर, जिला बदांयूं ।

31--शोभाराम पुत्र बहोरी, नि0 फरीदपुर, थाना गुन्नौर, जिला बदायूं ।

32--वीर सहाय पुत्र चरनलाल, नि0 बहेतरी, थाना चन्दौसी, जिला मुरादाबाद ।

33--घुरेन्द्र पुत्र तेजपाल जाटव, निवासी गढ़ी रिसौली, थाना बिलसी, जिला बदायूं ।

34--सेवाराम पुत्र मेघराज, निवासी गढ़ी रिसौली, थाना बिलसी, जिला बदायूं ।

35--प्रेमराज पुत्र तेजो जाटव, निवासी गढ़ी रिसौली, थाना बिलसी, जिला बदायूं ।

36--अज्ञात ।

37—नन्द राम पुत्र जीवन कहार, नि0 नूरपुर, थाना दातागंज, जिला बदायूं ।

38—सत्यभान सिंह पुत्र बेचे सिंह, नि0 बमबेहटा, थाना सहसवान, जनपद बदायूं ।

39—अन्तराम पुत्र चेतराम अहिर, नि0 इस्लामाबाद, थाना भमौरा, जिला बरेली ।

40—जसवीर सिंह पुत्र केदार सिंह ठाकुर, नि0 खंडूवा, थाना उघैती, जिला बदायूं ।

41—मुरारी पुत्र भाले मल्लाह, निवासी बाजनगर, थाना सहावर, जिला एटा ।

42—केशव उर्फ किशन लाल पुत्र डल्ली जाटव, नि0 नागर, थाना सहावर, जिला एटा ।

43—चन्द्रपाल पुत्र राम स्वरूप बढ़ई, निवासी कंचनपुर, थाना सहावर, जिला एटा ।

44—राधे उर्फ मटिया पुत्र रामपाल मल्लाह, निवासी गढ़ी रामपुर, थाना सहावर, एटा ।

45—फुलवार सिंह पुत्र घासी यादव, नि0 गदरौली, थाना उघैती, जिला बदायूं ।

डकैत जो जनपद एटा में बदायूं पुलिस द्वारा मारे गये

46—जयवीर पुत्र अर्जुन अहीर, निवासी नगला मोहन, थाना अलीगंज, जिला एटा ।

47—रघुवीर पुत्र गंगाराम अहीर, निवासी बेहटी, थाना कलान, शाहजहांपुर ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 20 का उत्तर पीछे पृष्ठ 724 पर ।)

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में पोलीटेकनिकों की सूची

क्रमांक	जिले का नाम		पालीटेकनिक/डिप्लोमा स्तरीय संस्था का नाम
(1)	गोरखपुर	2 संस्थायें	1—राजकीय पालीटेकनिक, गोरखपुर ।
			2—एम0 पी0 पालीटेकनिक, गोरखपुर ।
(2)	झांसी		3—राजकीय पालीटेकनिक, झांसी ।
(3)	बरेली		4—राजकीय पालीटेकनिक, बरेली ।
(4)	कानपुर	3 संस्थायें	5—राजकीय पालीटेकनिक, कानपुर ।
			6—राजकीय केन्द्रीय वस्त्र संस्थान, कानपुर ।
			7—राजकीय चर्म संस्थान, कानपुर ।
(5)	फैजाबाद		8—राजकीय पालीटेकनिक, फैजाबाद ।
(6)	आजमगढ़		9—राजकीय पालीटेकनिक, आजमगढ़ ।
(7)	मिर्जापुर		10—राजकीय पालीटेकनिक, मिर्जापुर ।
(8)	मुरादाबाद		11—राजकीय पालीटेकनिक, मुरादाबाद ।
(9)	गोंडा		12—राजकीय पालीटेकनिक, गोंडा ।
(10)	बस्ती		13—राजकीय पालीटेकनिक, बस्ती ।
(11)	लखनऊ	4 संस्थायें	14—राजकीय पालीटेकनिक, लखनऊ ।
			15—ह्वीवेट पालीटेकनिक, लखनऊ ।
			16—लखनऊ पालीटेकनिक, लखनऊ ।
			17—राजकीय महिला पालीटेकनिक, लखनऊ ।
(12)	हमीरपुर		18—राजकीय पालीटेकनिक, महोबा (हमीरपुर) ।
(13)	गढ़वाल		19—राजकीय पालीटेकनिक, श्रीनगर (गढ़वाल) ।
(14)	उत्तरकाशी		20—राजकीय पालीटेकनिक, उत्तरकाशी ।
(15)	टेहरी		21—राजकीय पालीटेकनिक, नरेन्द्रनगर (टेहरी–गढ़वाल) ।
(16)	अल्मोड़ा		22—राजकीय पालीटेकनिक, द्वाराहाट (अल्मोड़ा) ।
(17)	पिथौरागढ़		23—राजकीय पालीटेकनिक, लोहाघाट, (पिथौरागढ़) ।

1	2	3
(18) नैनीताल	2 संस्थायें	24--राजकीय पालीटेकनिक, काशीपुर (नैनीताल) ।
		25--नैनीताल पालीटेकनिक, नैनीताल ।
(19) बुलन्दशहर		26--सेठ गंगा सागर जाटिया पालीटेकनिक, खुर्जा ।
(20) गाजीपुर		27--राजकीय पालीटेकनिक, गाजीपुर ।
(21) बिजनौर		28--राजकीय पालीटेकनिक, बिजनौर ।
(22) देहरादून		29--राजकीय पालीटेकनिक, देहरादून ।
(23) चमोली		30--राजकीय पालीटेकनिक, गोचर (चमोली)।
(24) इटावा		31--राजकीय पालीटेकनिक, इटावा ।
(25) शाहजहांपुर		32--राजकीय पालीटेकनिक, शाहजहांपुर ।
(26) गाजियाबाद		33--राजकीय पालीटेकनिक, गाजियाबाद ।
(27) सुल्तानपुर		34--संजय गांधी पालीटेकनिक, जगदीशपुर, (सुल्तानपुर) ।
(28) मेरठ	2 संस्थायें	35--डी0 जे0 पालीटेकनिक, बड़ौत (मेरठ) ।
		36--डी0 एन0 पालीटेकनिक, मेरठ ।
(29) मुजफ्फरनगर		37--गांधी पालीटेकनिक, मुजफ्फरनगर ।
(30) इलाहाबाद	3 संस्थायें	38--इलाहाबाद पालीटेकनिक, इलाहाबाद ।
		39--एन0 आर0 इंस्टीट्यूट आफ प्रिंटिंग टेक्ना0, इलाहाबाद ।
		40--हंड़िया पालीटेकनिक, हंड़िया ।
(31) मथुरा		41--सी0 एम0 बी0 पालीटेकनिक, मथुरा ।
(32) सहारनपुर		42--के0 एल0 पालीटेकनिक, रुड़की ।
(33) वाराणसी		43--चंदौली पालीटेकनिक, चंदौली ।
(34) अलीगढ़		44--एम0 जी0 पालीटेकनिक, हाथरस ।
(35) बलिया		45--टाउन पालीटेकनिक, बलिया ।
(36) आगरा	3 संस्थायें	46--टेकनिकल कालेज, दयालबाग, आगरा ।
		47--बी0 बी0 रूरल इंस्टी0, विचपुरी, आगरा ।
		48--राजकीय चर्म संस्थान, आगरा ।
(37) सीतापुर		49--जवाहर लाल नेहरू पालीटेकनिक, महमूदाबाद ।
(38) रायबरेली		50--फिरोज गांधी पालीटेकनिक, रायबरेली ।

जनपदों की सूची जहां पालीटेकनिक नहीं है :—

(1) जालौन ।
(2) रामपुर ।
(3) बदायूं ।
(4) पीलीभीत ।
(5) उन्नाव ।
(6) खीरी ।
(7) हरदोई ।
(8) बांदा ।
(9) जालौन ।
(10) ललितपुर ।
(11) देवरिया ।
(12) बाराबंकी ।
(13) प्रतापगढ़ ।
(14) बहराइच ।
(15) एटा ।
(16) मैनपुरी ।
(17) फर्रुखाबाद ।
(18) फतेहपुर ।
(19) कानपुर देहात ।

सत्यमेव जयते

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 89 का उत्तर पीछे पृष्ठ 744 पर।)

दिनांक 1-9-81 से 31-10-81 की अवधि में वाराणसी जिले के विभिन्न थानों के अन्तर्गत पड़ी डकैती का विवरण

थाना	जिनकी रिपोर्ट की गई	जिनमें जांच की गई	जिनमें चालान किया गया	जो न्याया-लय के विचारा-धीन है	जिनमें विवेचना जारी है	जो लापता रहे	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	लूटी गई सम्पत्ति का विवरण	मृत व्यक्तियों की संख्या
मिर्जामुराद	3	3	..	..	3	..	7	लगभग रुपया 10617.75 जेवर कपड़ा नकद	..
कैन्ट	2	2	1	1	1	..	5	लगभग रु0 7500 जेवर कपड़ा नकद तथा ट्रांजिस्टर	..
फूलपुर	1	1	..	..	1	..	..	लगभग रु0 620 जेवर कपड़ा नकद	1
चोलापुर	2	2	..	..	1	1	4	लगभग रु0 3500 साड़ी जेवर आदि	1
बड़ा गांव	3	3	..	..	3	..	1	लगभग रु0 9355 जेवर कपड़ा घड़ी बर्तन व नकद	..

नत्थी 'छ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 107 का उत्तर पीछे पृष्ठ 749 पर ।)

नकल चिक दस्तन्दाजी संख्या 643

मु0 अ0 सं0 648 धारा 147/364 भा0 दं0 वि0, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

ता0 घटना--28 अगस्त, 1981, समय 11.30 बजे रात

ता0 सूचना 29 अगस्त, 1981 समय 2.50 बजे सुबह

घटनास्थल--जी0 आई0 सी0 स्कूल के मेन गेट के पास, दूरी 2 कि0 मी0 प0 द0

वादी का नाम--श्री सुरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र नारायन दत्त तिवारी, सा0 बजीरगंज हनुमानगढ़ी मन्दिर, थाना कोतवाली, फैजाबाद ।

नाम विवेचक--श्री शिव मूरत तिवारी, स0 इ0 ।

नकल तहरीर हिन्दी वादी

श्रीमान् थाना इन्चार्ज महोदय, थाना कोतवाली, फैजाबाद सेवा में निवेदन है कि मैं सुरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र नारायन दत्त तिवारी, निवासी बजीरगंज फैजाबाद आज रात में अपने भाई देवेन्द्र कुमार तिवारी उर्फ मुन्ना तथा उनके साले रमाशंकर द्विवेदी पुत्र गोवर्धन दूबे, निवासी ग्राम फुलवरिया, थाना बीकापुर, हा0 मु0 फैजाबाद व मुन्ना तथा द्विवेदी के मित्र सरदार उजागर सिंह पुत्र सरदार दयाल सिंह व कुलदीप सिंह पुत्र सरदार जसवन्त सिंह, निवासी मुगलपुरा, फैजाबाद तथा पप्पू, निवासी सुभाषनगर, फैजाबाद के साथ आज करीब 11.30 बजे रात में ड्रामा देखने के लिये पुलिस लाइन जा रहे थे कि जेल रोड व जी0 आई0 सी0 स्कूल के मेन गेट के पास पहुंचते ही दो आटो रिक्शा हमारे पीछे आये तथा हमारे पास आकर एक इनमें से आशा राम यादव, निवासी बाकरही बाजार तथा उनके 8-10 साथी जिनका मैं नाम नहीं जानता हूं उतर कर हम लोगों को घेर लिए तथा देवेन्द्र कुमार व रमाशंकर द्विवेदी व कुलदीप सिंह को जबरदस्ती आटो रिक्शा में बिठा लिया और फव्वारे की सड़क से होकर भाग गये हम डर के मारे कुछ न कर सके मैंने तथा मेरे साथी लोगों ने आशा-राम तथा उसके साथियों को बिजली की रोशनी में पहचाना है साथियों के नाम से नहीं परिचित है । आशाराम की रमाशंकर द्विवेदी से पुरानी रंजिश है अवश्य किन्तु पूरी बात मुझे मालूम नहीं मुझे विश्वास है कि आशाराम तथा उनके साथी इन लोगों को जान से मार डालने के लिए उठा कर ले गये हैं हम लोगों ने तलास की लेकिन कुछ पता नहीं चला अतः मेरी रिपोर्ट पर आवश्यक कार्यवाही करें प्रार्थी सुरेन्द्र कुमार तिवारी पुत्र नारायन दत्त तिवारी, निवासी वजीरगंज, हनुमानगढ़ी मन्दिर, थाना कोतवाली, फैजाबाद, दिनांक 29 अगस्त, 1981 चिक लेखक राज यादव, कां0 मु0 29 अगस्त, 1981 ।

नोट--नकल मुताबिक असल के है ।

नत्थी

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 135

विकासखण्ड, सा0 नि0 वि0, देवरिया में 1 अप्रैल, 1980 से 30 अगस्त,

प्राप्त धनराशि का

सं0	मार्ग का नाम जिन पर मिट्टी व सोलिंग का कार्य कराया गया	कार्य का नाम गिट्टी/सोलिंग	वर्ष 1980-81 हेतु प्राप्त धनराशि	वर्ष 1981-82 हेतु प्राप्त धनराशि
1	2	3	4	5
1	रुद्रपुर नारायणपुर मार्ग	गिट्टी एवं सोलिंग	1.54	4.61
2	देवरिया–हाटा मार्ग	गिट्टी कार्य	2.45	1.50
3	देवरिया–रुद्रपुर मार्ग	,,	5.19	2.00
4	कप्तानगंज–रुद्रपुर मार्ग	,,	10.53	8.80
5	कुशीनगर, अनिरुद्धवा मार्ग	सोलिंग कार्य	..	0.15
6	कप्तानगंज, पिपराइच मार्ग	गिट्टी कार्य	6.59	4.25
7	रुद्रपुर, पिंडरा मार्ग	,,	0.83	1.25
8	पकड़ी बाजार पडरी मार्ग	गिट्टी एवं सोलिंग	0.56	1.15
9	देवरिया, कसया मार्ग	गिट्टी कार्य	2.92	2.50
10	हाटा, पिपराइच मार्ग	गिट्टी एवं सोलिंग	1.77	1.30
11	बैजनाथपुर, देसई देवरिया मार्ग	गिट्टी कार्य	..	0.20
12	कंचनपुर, गौरयाघाट मार्ग	गिट्टी एवं सोलिंग	2.23	0.42
13	मथौली, गम्भीरपुर मार्ग	सोलिंग कार्य	0.60	0.02
14	तरकुलवा, बन्जरिया मार्ग	,,	..	0.30
15	हेतिमपुर, मछुआडीह मार्ग	गिट्टी एवं सोलिंग	0.76	0.76
		योग ..	35.97	29.21

'ज'

(का उत्तर पीछे पृष्ठ 759 पर)

1981 तक मार्गों पर प्राप्त अनुदान तथा किया गया व्यय का विवरण

विवरण (लाख रुपये में)			व्यय के विवरण लाख रुपये में			
वर्ष 1981–82 में 30 अगस्त, 1981 तक का अनुदान कुल अनुदान का 30 प्रतिशत 1 अप्रैल, 1980 से 30 अगस्त, 1981 तक व्यय हेतु प्राप्त कुल धनराशि 4+6	वर्ष 1980–81 में किया गया व्यय	1981–82 में 30 अगस्त, 1981 तक किया गया कुल व्यय 1 अप्रैल, 1980 से 30 अगस्त, 1981 तक किया गया कुल व्यय 8+9	व्यय हेतु अवशेष राशि लाख रुपये में (7—10)	टिप्पणी		
6	7	8	9	10	11	12
1.38	2.92	1.54	2.16	3.70	शून्य	अवशेष की राशि अत्याधिक नगण्य है और 12/81 तक व्यय किया जा चुका है ।
0.45	2.90	2.46	1.38	3.84	,,	
0.60	5.79	5.19	0.75	5.94	,,	
2.64	13.17	10.58	3.24	13.82	,,	
0.05	0.05	..	0.15	0·15	,,	
1.28	7.87	6.60	1.94	8.54	,,	
0.37	1.20	0.83	0.28	1.11	0.09	
0.34	0.90	0.56	0.40	0.96	शून्य	
0.75	3.67	2.94	0.80	3.74	,,	
0.39	2.16	1.78	1.06	2.84	,,	
..	..	..	0.78	0.78	,,	
0.06	0.06	..	..	..	..	
0.13	2.36	2.24	0.31	2.55	,,	
0.01	0.61	0.60	0.15	0.75	,,	
0.09	0.09	..	..	..	0.09	
0.23	0.99	0.76	0.24	1.00	शून्य	
8.77	44.74	36.08	13.64	49.72	0.18	

नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 171 का उत्तर पीछे पृष्ठ 771 पर।)

विकास क्षेत्र का नाम	क्रम सं0	नाम विद्यालय भवन सहित
1		2
माटपाररानी	1	बेसिक प्रा0 वि0 फुलवरिया
	2	,, ,, ,, बेलवार
	3	,, ,, ,, माटपार रानी
	4	,, ,, ,, बड़का गांव दुबे
	5	,, ,, ,, सूचापार
	6	,, ,, ,, पथकर
	7	,, ,, ,, पुरैना
	8	,, ,, ,, टकिंदार
	9	,, ,, ,, पिपरहिया
	10	,, ,, ,, पड़री उमन
	11	,, ,, ,, तेतहीमठ
	12	,, ,, ,, केसुनिया
	13	,, ,, ,, धमलौर
	14	,, ,, ,, मतवा तिवारी
	15	,, ,, ,, कोठिलवा
	16	,, ,, ,, सडेसर तिवारी
	17	,, ,, ,, कठंधरा
	18	,, ,, ,, धरहनिया
	19	,, ,, ,, खासपार
	20	,, ,, ,, भठवा पाण्डेय
	21	,, ,, ,, भिगारी बाजार
	22	,, ,, ,, करौदामठ

1	2			
भाटपारपानी	23	बेसिक	पा0 वि0	कुक्कर चाटी
	24	,,	,, ,,	परोहा
	25	धनराज	छापर ,,	प्रा0 पाठशाला
	26	,,	,, ,,	छपिया
	27	,,	,, ,,	गाडीपुर
	28	,,	,, ,,	बहोरवा
	29	,,	,, ,,	कुक्कुरघाटी (क0)
	30	,,	,, ,,	माली छापर
बनकटा	31	क0	पा0 ,, ,,	अहिरौली बघेल
	32	,,	,, ,,	बाडा
	33	,,	,, ,,	रामपुर कोठी
	34	,,	,, ,,	डबजहरवा पाण्डेय
	35	,,	,, ,,	सुरबल
	36	प्रा0	विद्यालय ,,	अहिरौली बघेत
	37	,,	,,	छितौबी
	38	,,	,,	बजरिया पाण्डेय
	39	,,	,,	रहीमपुर
	40	,,	,,	ओनवर कपरदार
	41	,,	,,	रोहिनिया
	42	,,	,,	रामपुर कोठी
	43	,,	,,	पुंडितपुरा
	44	,,	,,	सुन्दर पार भटवलिया
	45	,,	,,	सिकटिया
	46	,,	,,	परसिया छितबी सिंह
	47	,,	,,	हाता भटवलिया
	48	,,	,,	छेरही
	49	,,	,,	रतसिया

1			2	
बनकटा	50	प्रा0	विद्यालय	मुडवार
	51	,,	,,	जगदीशपुर
	52	,,	,,	खोरापार
	53	,,	,,	बरईपार पाण्डेय
	54	,,	,,	बंगरा
	55	,,	,,	सोहनपुर
	56	,,	,,	इंगुरीवार
	57	,,	,,	खरवसिया
	58	,,	,,	बोलिया पाण्डेय
	59	,,	,,	मिश्रोली
	60	,,	,,	वासोपवटी
	61	,,	,,	बुकुल
	62	,,	,,	बगउआ
	63	,,	,,	रामपुर बदौली
	64	,,	,,	पचरुसिया
	65	,,	,,	भुड़सरा तिवारी
	66	,,	,,	असही मठ
	67	,,	,,	पिपरा बघेल क्षेत्र भाटपार
	68	,,	,,	करजनिया
	69	,,	,,	छपिया बघेल
	70	,,	,,	भूपति पूरा
	71	,,	,,	बलवन्त खास
	72	,,	,,	चारंगी चक्र
	73	,,	,,	कड़सरवा
	74	,,	,,	परंग सहा
	75	,,	,,	सिरसिया पवार
भटनी	76	,,	,,	घाटी

1	2			
बनकटा	77	प्रा0	विद्यालय	भूपति पूरा मायापुर
	78	,,	,,	गोपालपुर
	79	,,	,,	मोतीपुर
	80	,,	,,	रानी घाट
	81	,,	,,	खेराट
	82	,,	,,	वांस घाटी
	83	क0	,,	मायापुर
	84	प्रा0	,,	हतवा बाजार
	85	,,	,,	जिगना मिश्र
	86	,,	,,	वीरसिंहपुर
	87	प्राइमरी	विद्यालय	साहोपार
	88	,,	,,	वेलवा बाबू
	89	,,	,,	पिपरादेवराज
	90	,,	,,	अमवा पाण्डेय
	91	,,	,,	पिपरा शुक्ल
	92	,,	,,	वरडीहा
	93	,,	,,	खजरी करौता
	94	,,	,,	अला
	95	,,	,,	परसिया ठाकुर
	96	,,	,,	धानौती
	97	क0 प्रा0	,,	मरहेचारा
	98	,,	,,	वेहरा डावर
	99	प्राइमरी	विद्यालय	कुरमौटाघाट
	100	,,	,,	सल्लाहपुर
	101	,,	,,	टंकरा
	102	,,	,,	बलुआ अफगान
	103	,,	,,	डंमुसा
	104	,,	,,	सदुराव
	105	,,	,,	पिपरा दीक्षित
	106	,,	,,	मिश्रौली दीक्षित

ह0 (परस नाथ मट्ट),
सहायक शिक्षा निदेशन (भवन)
कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

क्षतिग्रस्त विद्यालयों की सूची

क्षेत्र का नाम	क्षतिग्रस्त विद्यालय का नाम
1	2
भाटपाररानी	1--प्र0 वि0, दिवास ।
	2--अहिरौली तिवारी ।
	3--प्रा0 वि0, सरया ।
	4--प्रा0 वि0, सरसा (कमोत्तर) ।
	5--प्रा0 वि0, शंकरपुरा ।
	6--प्रा0 वि0, कोडरा ।
	7--प्रा0 वि0, जैतुपुरा ।
	8--प्रा0 वि0, झांसी ।
	9--प्रा0 वि0, भेकापाकड़ ।
	10--प्रा0 वि0, बोखारपान्डेय ।
	11--क0 प्रा0, भटवा तिवारी ।
	12--प्रा0 वि0, खागपार ।
	13--प्रा0 वि0, छपिया ।
बनकटा	14--प्रा0 वि0, पिपराबघेल ।
	15--प्रा0 वि0, बलवनखास ।
	16--क0 प्रा0 वि0, अहरौलीबघेल ।
	17--प्रा0 वि0, गाला ।
	18--प्रा0 वि0, रामपुरकोली ।
	19--प्रा0 वि0. बनजरिया पान्डेय ।
	20--प्रा0 वि0, अहरौली बघेल ।
	21--प्रा0 वि0, छितौली ।
	22--प्रा0 वि0, बनजरिया पान्डेय ।
	23--प्रा0 वि0, रहीमपुर ।
	24--प्रा0 वि0, बोखापरवार ।

1	2
बनकटा	25—प्रा० वि०, रोहिनिया ।
	26—प्रा० वि०, रामपुर कोठी ।
	27—हाता, भटवलिया ।
	28—प्रा० वि०, डितपूरा (अपूर्ण) ।
	29—प्रा० वि०, सुकरपार भटवलिया ।
	30—प्रा० वि०, सिकूटिया ।
	31—प्रा० वि०, परसिया छिनौनी सिंह ।
	32—प्रा० वि०, रतसिया ।
	33—प्रा० वि०, भुडवार ।
	34—जगदीशपुर ।
	35—प्रा० वि०, बरइपार पान्डेय ।
	36—प्रा० वि०, बगरा ।
	37—मोहनपुर प्रा० वि० ।
	38—प्रा० वि०, तेन्दुआ ।
	39—प्रा० वि०, हटवा बाजार ।
	40—प्रा० वि०, पुरनाछापर ।
	41—प्रा० वि०, अहिरौली ।
	42—जहिरौली ।
भटनी	43—प्रा० वि०, सिसई ।
	44—प्रा० वि०, नूनखार ।
	45—दनउर प्रा० वि० ।
	46—प्रा० वि०, उसका ।
	47—प्रा० वि०, बोनापार ।
	48—प्रा० वि०, भरहेयोरा ।
	49—प्रा० वि०, सवरेजो ।
	50—प्रा० वि०, खोरी बाकी ।
	51—प्रा० वि०, पिपरा बिछला ।
	52—प्रा० वि०, बनकटा ।

(पारस नाथ भट्ट),

सहायक निदेशक (भवन),

कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

क्षेत्र का नाम	भवनहीन विद्यालय का नाम	
1	2	
1—भाटपाररानी	1—क0 प्रा0 विद्यालय,	पकड़ीबाबू ।
	2—प्राइमरी विद्यालय,	भिन्डा मिश्र ।
	3— ,, ,,	कुडयवेर ।
	4— ,, ,,	ओमडर ।
	5— ,, ,,	जगुई ।
	6—कन्या प्राइमरी विद्यालय,	बड़कागांव दुबे ।
	7— ,, ,,	बनकटा शन्डू ।
	8— ,, ,,	सिरसिया मिश्र ।
	9— ,, ,,	रघुनाथपुर ।
	10— ,, ,,	हरपुर ।
	11— ,, ,,	घघरकय ।
	12— ,, ,,	मदनचक ।
	13— ,, ,,	सुकया ।
	14— ,, ,,	अजोनियां ।
	15— ,, ,,	सामापार ।
	16— ,, ,,	बन्धीमोसा ।
	17— ,, ,,	बिलरिया ।
	18— ,, ,,	भिगारी ।
	19— ,, ,,	जगनाथा छापर ।
	20— ,, ,,	सोहनपुर ।
	21— ,, ,,	बतखौली ।
	22— ,, ,,	भड़सर ।
	23— ,, ,,	पडरीसुखल ।
	24— ,, ,,	गजहडवा ।
	25— ,, ,,	विषरवा ।

1	2	
बनकटा	26--कन्या प्राइमरी विद्यालय,	टोल अहिवरम ।
	27-- ,, ,,	टडवा ।
	28-- ,, ,,	बनकटा चित्रसेन ।
	29-- ,, ,,	इन्वरवा छावनी ।
	30-- ,, ,,	बक्सी गांव ।
	31-- ,, ,,	गाडा ।
3—भटनी	32 -- ,, ,,	खाहोपार ।
	33-- ,, ,,	रामपुर भटनी ।
	34-- ,, ,,	मिश्रोली कोइलाड ।
	35-- ,, ,,	देवघाट ।
	36-- ,, ,,	बरताव ।
	37-- ,, ,,	रुपई ।
	38-- ,, ,,	मंगराईच ।
	39-- ,, ,,	डस्का ।
	40-- ,, ,,	खारीवारी ।
	41-- ,, ,,	सल्लहपुर ।
	42-- ,,	पन्सेहपुर ।
	43-- ,,	अमवा पान्डेय ।
	44-- ,,	साही पारन्थ ।

(पारस नाथ भट्ट),

सहायक निदेशक (भवन),

कृते शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'ञ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या 177 का उत्तर पीछे पृष्ठ 774 पर ।)

नकल चिक मु० अ० सं० 43 धारा 304 भा० द० वि०, थाना खामपार, देवरिया ।

नामवादी—श्री हीरेन्द्र पुत्र धर्मदेव गोंड़, साकिन कतरवां, थाना खामपार, देवरिया ।

नाम अभियुक्त—1—चन्द्रमा तिवारी पुत्र विन्देश्वरी तिवारी, दो आदमी और नाम पता अज्ञात, साकिन कतरवा, थान खामपार, देवरिया

दिनांक घटना—29-4-81 समय 10-45 बजे रात्रि ।

दिनांक सूचना—30-4-81 समय 21-30 बजे ।

घटनास्थल—ग्राम कतरवा 6 मील पूरब ।

विवेचक—श्री रामचन्दर दूबे, स० इ०, थाना खामपार ।

नकल तहरीर हिन्दी वादी

श्रीमान् दरोगा जी थाना खामपार देवरिया निवेदन है कि मेरा नाम हरेन्द्र मेरे पिता का नाम धरमदेव गोंड, ग्राम कतरवा का रहने वाला हूं । तारीख 29-4-81 को रात्रि में खाना खा-पीकर अपने जौं के पैर पर मैं मेरा छोटा भाई गोविन्द, मेरी बुआ बटेश्वरी सोए थे । उसी पैर पर रघुवर भगत चारपाई पर सोए थे व मेरे बाबा महदेव पैर के दक्षिण तरफ चौकी पर सोये थे । करीब पौने 11 बजे रात्रि में 3 आदमी पूरब से गांव में आ रहे थे । रघुवर बाबा ने कहा कि देखो हरिन्दर तुम्हारा बैल क्यों चिहुक रहा है । मैं उठकर बैठ गया व बैल को देखा, खड़ा था । इस प्रकार मैंने कहा बाबा बैल खड़ा है । यह कहकर मैं सो गया कि इतने में रघुवर बाबा के सर में तथा कान के पीछे डंडा से मार कर चोट पहुंचाये, कुंवर बाबा चिल्लाये कि हम सब लोग शोर-गुल करने लगे इतने में गांव के चन्द्रमा तिवारी व दो आदमी और जिनको पहचान नहीं पाए डंडा से हम लोगों को मारने लगे । हम लोगों के शोर पर शांती पुत्री रविन्दर दौड़ी तो उसे भी बदमाशों ने मार दिया । वह गांव के अन्य लोगों के शोर-गुल करते हुए आते देखकर तीनों आदमी पूरब की तरफ भाग निकले । इन तीनों में हम लोगों ने चन्द्रभान तिवारी को टार्च का रोशनी में देखा व पहचाना जो मेरे गांव के हैं इन लोगों के अलावा मौके पर चन्द्रदेव भगवत, मुखलाल तेली और बहुत से गांव वालों ने देखा । रघुवर बाबा की उमर लगभग 85 वर्ष की है, जो काफी कमजोर व वृद्ध हो चुके हैं । हम सब लोगों ने अपने चोटों का मरहम पट्टी घुव डाक्टर से कराया है । बैलगाड़ी से इन्तजाम करके आज 5 बजे शाम को थाना आ गये कि करीब 6 बजे मर गए बाकी चोटहिल व रघुबर बाबा की लाश लेकर व रिपोर्ट लिखकर देता हूं उचित कार्यवाही किया जाय । प्रार्थी हरेन्द्र पुत्र धर्मदेव गोंड़, साकिन कतरवा, थाना खामपार, जिला देवरिया 30-4-81 । लेखक एफ० आई० आर० श्री पंचम प्रसाद पाल, हे० मु० ।

पी० एस० यू० पी०—15 एल० ए०—835—1982—(पी० डी०)